लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF LOK SABHA DEBATES

Preservation ... 18-9-92 Parliament Library

Third Session

6th Lok Sabha

PARLIAMENT LIBRARY
Acc. No. 105 (2)
Date 15-12-77

[खंड 2 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. II. contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : चार रुपये

Price : Four Rupees

विषय सूची/CONTENTS

अंक 20, मंगलवार, 13 दिसम्बर, 1977/22 अग्रहायण, 1899 (शक)

No. 20, Tuesday, December 13, 1977/*Agrahayana* 22, 1899 (*Saka*)

विषय	*Subject*	पृष्ठ PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	1–13
*तारांकित प्रश्न संख्या 386, 387, 389 से 391 और 394	*Starred Question Nos. 386, 387, 389 to 391 and 394	
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	13–131
तारांकित प्रश्न संख्या 388, 392 393 और 395 से 404	Starred Question Nos. 388, 392, 393 and 395 to 404	
अतारांकित प्रश्न संख्या 3597 से 3702 और 3704 से 3796	Unstarred Question Nos. 3597 to 3702 and 3704 to 3796	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	131–132
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	Calling Attention to a Matter of Urgent Public Importance—	132–136
श्री वोहरा के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ द्वारा पास किये गये प्रस्ताव का समाचार	Reported resolution adopted by IAS Officers Association *re :* action taken against Shri Vohra	
श्री व्यालार रवि	Shri Vayalar Ravi	132–134
श्री चरण सिंह	Shri Charan Singh	132–136
श्री गौरी शंकर राय—	Shri Gauri Shankar Rai	135
लोक लेखा समिति—	Public Accounts Committee—	136
तेइसवां, पच्चीसवां तथा छियालीसवां प्रतिवेदन	Twenty-third, Twenty-fifth and Forty-sixth Reports	
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes—	136–137
आठवां, नौवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन ।	Eighth, Ninth and Thirteenth Reports	

किसी नाम पर अंकित यह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा ।

The sign † marked above the name of a member indicated that the tion was actually asked on the floor of the House by him.

1—376 LSS/77

विषय	*Subject*	पृष्ठ PAGES
प्राथमिक शिक्षकों की मांगों के बारे में	Petition *re:* Demands of Primary Teachers	137
याचिका समिति के लिये निर्वाचन—	Election to Committee—	137–138
केन्द्रीय रेशम बोर्ड	Central Silk Board	
नियम 377 के अधीन मामले—	Matters under rule 377—	138–140
(1) बिहार के कुछ जिलों में कालाआजार का महामारी के रूप में फैलना	(i) Kala-Azar Epidemic in certain Districts of Bihar	138
(2) अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के अल्पसंख्यक स्वरुप को बहाल करना	(ii) Restoration of the minority character of Aligarh Muslim University	138–139
(3) हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाना	(iii) Preference in Employment to the people of Chhattisgarh area by Hindustan Steel Construction Company Ltd.	139–140
कम्पनी (संशोधन) विधेयक—	Companies (Amendment) Bill—	140–157
विचार करने का प्रस्ताव—	Motion to consider—	
श्री आर० वेंकटारमन	Shri R. Venkataraman	140–141
श्री कंवर लाल गुप्त	Shri Kanwar Lal Gupta	141–142
श्री वेदब्रत बरुआ	Shri Bedabrata Barua	143
श्री नरेन्द्र पी० नथवानी	Shri Narendra P. Nathwani	143–146
श्री जगन्नाथ राव	Shri Jagannath Rao	146–147
डा० रामजी सिंह	Dr. Ramji Singh	147
श्री सी० एन० विश्वनाथन्	Shri C. N. Visvanathan	147–148
श्री व्यालार रवि	Shri Vayalar Ravi	148–150
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	150–154
खण्ड 2 से 9 तथा 1	Clause 2 to 9 and 1	154–157
पारित करने का प्रस्ताव—	Motion to Pass—	
श्री शांति भूषण	Shri Shanti Bhushan	157
अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), 1977-78—	Supplementary Demands for Grants (General), 1977-78—	157–161
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	159
श्री जगदीश प्रसाद माथुर	Shri Jagdish Prasad Mathur	160
श्री पी० के० देव	Shri P. K. Deo	160–161
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O. V. Alagesan	161
कार्य मंत्रणा समिति—	Business Advisory Committee—	161
दसवां प्रतिवेदन	Tenth Report	161

लोक सभा
LOK SABHA

मंगलवार, 13 दिसम्बर, 1977/22 अग्रहायण, 1899 (शक)
Tuesday, December 13, 1977/*Agrahayana* 22, 1899 (*Saka*)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई
The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए
Mr. Speaker *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

New Railway Line Between Makronia and Kareli

†*386. **Shri Narmada Prasad Rai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government are considering a proposal to link Makronia and Kareli railway stations in Madhya Pradesh by a new railway line;

(b) if so, when this work is likely to be completed; and

(c) if not, the reasons therefor in view of the fact that this line is essential from the point of view of trade?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) There is no proposal under the consideration of the Government at present for linking Makronia with Kareli in Madhya Pradesh by a new railway line.

(b) Does not arise.

(c) There is extreme shortage of funds which are insufficient even for completion of the projects already in hand.

Shri Narmada Prasad Rai: Sir, there are five big and important towns between Makronia and Kareli. It is essential from the point of view of trade to connect these stations by a new railway line. Besides there is a big military headquarters at Thana which also adds to this requirement. A number of military vehicles ply to and fro Thana causing much inconvenience to the public and other traffics. It causes loss of life and property also. Apart from this, a famous fair takes place at Parman which goes on for about a month. From these points of view it is essential to link these two stations by a new line.

Prof. Madhu Dandavate: I would like to inform the hon. Member that we have extreme shortage of funds. We have 28 new railway lines in hand the construction work of which is pending due to paucity of funds. I know the importance and requirement of this line, but we are not in a position to accept the suggestion of the Hon. Member. Due to extreme shortage of funds completion of many projects which are already in hand is pending. Our policy is to give top priority to those railway lines only the construction of which is already in progress. So we cannot consider this proposal at this stage.

Shri Narmada Prasad Rai: The previous regime neglected this area completely for thirty years and no development work was undertaken in this area so far. I earnestly request the Hon. Minister to give priority to this district which is a neglected area and link it by a new railway line.

Prof. Madhu Dandavate: We shall certainly pay more attention towards neglected and backward areas but we have also to pay more attention to those areas which have a heavy rush of traffic. In view of this, I think we shall have to wait for some time to construct a railway line there.

Shri Raghavji: Madhya Pradesh is most backward area from the point of view of rail traffic. Raisen district is the most backward area in this backward state. I want to know whether a survey was conducted for the construction of a new railway line from Kareli to Abdullaganj via Gadarwalla. Whether any proposal is under the consideration of the Government to lay a railway line there. May I know whether the Hon-Minister is aware that the survey of this line was conducted eight or ten years ago? This area of Madhya Pradesh is very rich in agricultural produce and forest wealth but it is backward due to lack of transport facilities. May I know whether the Hon. Minister will consider the proposal to construct a railway line from Kareli to Abdulganj via Gadarwalla?

Prof. Madhu Dandavate: This question does not arise out of the main question. However, I would like to inform the Hon. Member that no survey of this line was conducted.

Shri Sharad Yadav: Every Minister says that he pays more attention towards backward areas. Madhya Pradesh is economically most backward State in the country as also from the point of view of transport facilities. May I know whether Jabalpur and Gondia will be connected by a railway line? The Government have linked Bombay with Calcutta by rail but have done nothing for those areas which lack transport facilities and are backward. May I know the scheme formulated by the Government to implement expeditiously for backward areas?

Prof. Madhu Dandavate: First of all I would like to tell the hon. Member that Madhya Pradesh is not the most backward area so far as development of railway lines is concerned. So far as development of railways in the country is concerned, no railway lines have been laid in Assam and Orissa after independence. There are certain areas where not more than a distance of 12 Kilometres is covered by train service even after independence. Even then I would like to inform the Hon. Member that 28 railway lines which I have already referred to are mostly in backward areas and it is our endeavour to carry out the construction work of these railway lines within the allocation made by the planning commission for the purpose.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 387 ।

श्री के० लकप्पा : चूंकि कृपया गलती नहीं होनी चाहिए, मैं आपका ध्यान नियम 41 (2) (XIV) की ओर दिलाता हूँ जिसमें कहा गया है कि उसमें साधारणतया विगत इतिहास के मामलों की जानकारी नहीं मांगी जायगी । यह प्रश्न पिछले आम चुनाओं के बारे में शिकायतों से सम्बन्धित है । यह अस्पष्ट भी है । जरा देखिए, यह किस तरह से बनाया गया है, इसमें पूछा गया है कि "कुल कितनी शिकायतें (राज्यवार) प्राप्त हुई" । किस विषय पर ? प्रश्न में कुछ नहीं कहा गया है । इसलिए यह स्पष्ट नहीं है। अत: इसे स्थगित किया जाये और इस पर पुनर्विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय : व्यवस्था का कोई प्रश्न नहीं है । यह नियमों के अनुसार ठीक है ।

1977 में लोक सभा निर्वाचनों के दौरान प्राप्त शिकायतें

*387. **श्री कंवर लाल गुप्त :** क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री निम्नलिखित तथ्य दर्शाने वाला एक विवरण सभा-पटल पर रखेंगे

(क) मार्च, 1977 में हुए लोक सभा के गत साधारण निर्वाचनों में कुल कितनी शिकायतें (राज्य-वार) प्राप्त हुई;

(ख) उस अवधि में कौन सी बड़ी शिकायतें की गई और सरकार ने उन पर क्या कार्यवाही की है;

(ग) निर्वाचनों के दौरान सरकारी तंत्र, सरकारी धन के दुरुपयोग तथा सरकारी अधिकारियों पर दबाव डालने आदि के लिए सरकार के अनावश्यक हस्तक्षेप की निर्वाचन आयोग अथवा सरकार को मिली शिकायतों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (ग) : अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The hon. Minister is aware that a number of complaints had been received during the general elections. The Election Law was amended before or during the emergency and the definition of corrupt practices was also changed. It provided for the establishment of a special Tribunal for hearing election petitions against the Prime Minister and the Speaker of Lok Sabha. I want to know whether the definition of corrupt practices will now be changed in the amendment being brought by the Government and whether the Government will reconsider the amendment which provided for the establishment of the above tribunal.

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न से यह कैसे उत्पन्न होता है ?

श्री कंवर लाल गुप्त : चुनावों के दौरान भ्रष्ट तरीकों के बारे में कतिपय शिकायतें की गई थी और भ्रष्ट तरीके की परिभाषा बदल दी गई है । इसीलिए मैं भ्रष्ट तरीके के बारे में अधिनियम में किये गये संशोधनों के बारे में मंत्री जी के विचार जानना चाहता हूं ताकि ऐसी शिकायतें बाद में न की जा सकें अथवा कोई कार्यवाही की जा सके ।

अध्यक्ष महोदय : आप मुख्य प्रश्न से बहुत दूर जा रहे हैं ।

Shri Shanti Bhushan : I think the hon. Minister is referring to the Election Laws Amendment Act 1975 in which some amendments were made in regard to corrupt practices with retrospective effect. The Act is under consideration of the Government and I think some decision will be taken soon to repeal this act.

Shri Kanwar Lal Gupta : I would like to congratulate the hon. Minister, he has understood me correctly. The former Prime Minister won the election petition only because of this amendment otherwise she would have lost the case. My second question is a number of complaints have been received by the Government regarding misuse of Government machinery. It is also evident from the testimony of Vidya Charan Shukla before the Shah Commission that Smt. Indira Gandhi and Sanjay Gandhi misused the Government machinery during the general elections.

श्री के० लकप्पा : इस पर मेरी आपत्ति है । यह मुख्य प्रश्न से कैसे सम्बन्धित है? वह सभी किस्म की चीजें, आरोप तथा अन्य बातें इसमें ला रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : मैं समझ रहा हूं । जब असंगत बातें कही जायेंगी तो मैं कहूंगा । इसका निर्णय मुझे करना है ।

Shri Kanwar Lal Gupta : The Government machinery was misused during the elections and there is recorded evidence with the Shah Commission that Smt. Indira Gandhi, Shri Sanjay Gandhi and Shri Vidya Charan Shukla misused the Government machinery during the elections for themselves and for their party. Crores of rupees are squandered on elections. May I know the steps being taken by the Government to check......

(*Interruption*)

श्री के० लकप्पा : यह मुख्य प्रश्न से कैसे सम्बद्ध है ?

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न को पढ़िये ; तब कहिए ।

श्री के० लकप्पा : आप अनुपूरक प्रश्न पूछने के लिए उन्हें इतना अधिक समय क्यों दे रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यह देखाना मेरा काम है । आप सारी सभा में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं ।

श्री के० लकप्पा : आपको कार्यवाही विनियमित करनी चाहिए ।

श्री कंवर लाल गुप्त : अगर माननीय सदस्य पर सीधा नियंत्रण नहीं तो कुछ अंकुश जरूर होना चाहिए ।

............I want that the Government............machinery should not be misused. May I know the steps being taken by the Government to check the misuse of Government machinery during the elections and regulate the election expenses on public meetings and posters ? May I further know whether Government have proposals under their consideration to spend money on the elections of the candidates belonging to recognised political parties or make arrangements for their election meetings ?

Shri Shanti Bhushan : Some of the complaints received in regard to the elections held in 1977 were about some names missing from voters' lists, some were about the cases of impersonation some about misuse of official machinery, some were about duplicate ballot papers. All these complaints were referred to the Election Commission which will further refer them to the concerned

states to ascertain the facts. The Government will consider the matter when the Election Commission submits its report thereon. If it requires amendment in the Act, that aspect will also be taken into consideration. As regards election expenses by the candidates, the matter is under consideration of the Government. I think some decisions will be taken in the matter and the law will be amended accordingly.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न संख्या 388—श्री माधवराव सिंधिया ।

श्री के० लकप्पा : आपने कोई अनुपूरक प्रश्नों की अनुमति नहीं दी ।

अध्यक्ष महोदय : 389—श्री रामजी लाल सुमन,

(अन्तर्बाधाएं)

श्री के० लकप्पा : आपनें कोई अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नही दी । (अन्तर्बाधाए)

अध्यक्ष महोदय : वृत्तान्त कार्यवाही में सम्मिलित न किया जाये ।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री के० लकप्पा ; × × × ×

अध्यक्ष महोदय : मैंने मामले पर विचार कर लिया है ।

(अन्तर्बाधाएं)

श्री के० लकप्पा : × × × ×

अध्यक्ष महोदय : मैं बहुत सीमित प्रश्न पूछने की अनुमति दूंगा ।

(अन्तर्बाधाएं)

अध्यक्ष महोदय : मैं कुछ कह रहा हूं । प्रश्न यह था कि चुनावों के बारे में कितनी शिकायतें थीं । मंत्री जी का उत्तर यह है कि अपेक्षित जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जायेगी । इसलिए, आपके पास व्यापक प्रश्न पूछने का अवसर था । नियमों के अधीन, प्रश्नकर्ता दो अनुपूरक प्रश्न पूछ सकता है । मैंने उसकी अनुमति दी है । अन्यथा, यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(अन्तर्बाधाएं)

Halt at Agra by Three Express Trains

†*389. **Shri Ramji Lal Suman :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware that three important trains, viz. 126-UP KK Express, 122-UP Tamil Nadu Express and 124-UP Andhra Express do not halt at Agra, which is an important historical place; and

(b) if there is any departmental inconvenience whether Government would consider halting these trains for the benefit of the passengers intending to visit the historical places there?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) Yes, sir.

(b) Agra Cantt. is already served by 3 pairs of trains towards Madras, one pair of trains towards Hyderabad and one pair towards Kerala for the convenience of passengers from Agra to these areas. 122-UP Tamil Nadu Express,

× × × × कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया ।

124 UP Andhra Pradesh Express and 126 UP Karnataka-Kerala Express have been introduced to provide fast inter-city services and therefore, their stoppages have to be confined to the minimum mainly for operational purposes. Having regard to the convenience of long distance passengers and in view of the availability of alternative services at Agra, it is not proposed to provide stoppages by these trains at Agra Cantt.

Shri Ramji Lal Suman: The hon. Minister has stated that other important trains halt at Agra. It goes without saying that Agra is an important historical place. It is an injustice to Agra where important trains like 126-UP KK Express, 122-UP Tamil Nadu and 124 UP Andhra Express do not halt. As compared to those stations where these trains halt, Agra fulfils the requirement to a greater extent for providing stoppages by these trains there. So far as population is concerned Agra, which has a population of 6.20 lakhs according to the 1971 Census stands next to Nagpur on these railway lines; other stations where these trains stop have much less population than Agra. In view of this may I know as to why these trains do not halt at Agra whereas they stop even at small and less important stations. The distance required between two stations for providing a halt is also less than what the Hon. Minister has stated.

Prof. Madhu Dandavate: The beauty of the Taj is well known to all and there are no two opinions about it. I have already stated that we have no intention to deprive the passengers going to south of the privilege to see Agra. There are 15 pairs of trains which halt at Agra including some towards south. Of these, 12 pairs of trains are Fast and Express. We have also to see that when 15 pairs of trains halt at Agra, there will be some fast trains also in the country which may not halt at all the stations. There has been demand from the people of south for introduction of fast trains towards south. It has, therefore, been decided that these three trains which have been referred to by the Hon. Member should not halt at Agra so as to reduce the hours of their halts.

Shri Ramji Lal Suman: The submission I have to make is that a passenger from Delhi to Andhra Pradesh, Hyderabad or Secunderabad reaches his destination within 24 hours whereas from Agra it would take him two days to reach any of these destinations. Because he has to come to Delhi to catch these trains. The people of Agra are deprived of this facility which is not justified.

Secondly, from the point of view of distance also, there is no justification for these trains to stop at Ballarshah beyond Nagpur. The distance between these two stations is 212 Km. Salempur is at a distance of 121 Km. only. Similarly the distance between Salempur and Erod is almost the same. So how is it justified that these trains should not stop at Agra whereas they halt even at small stations.

Prof. Madhu Dandavate: I would like to invite the attention of the hon. Member to the fact that Tamil Nadu Express is tri-weekly, Andhra Pradesh Express is bi-weekly and Karnatak Kerala Express is also a bi-weekly service. There has been a persistent demand from the south to introduce some fast trains towards south with minimum number of stoppages. So this decision has been taken keeping their demand in view.

श्री एम० सत्यनारायण राव : मैं जानना चाहूंगा केरल-कर्नाटक एक्सप्रेस और तमिलनाडु एक्सप्रेस जो काजीपेट और वारंगल में इस समय नहीं रुकती हैं, के बारे में अनुरोध पर मंत्री जी पुनर्विचार करेंगे। मैंने यह प्रश्न कई बार उठाया है और इसका उत्तर भी मिल चुका है किन्तु मैं और एक बार

उनसे इस पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करूंगा क्योंकि यदि वे वहां नहीं रुकती तो हैदराबाद सम्पूर्ण तेलंगना क्षेत्र के लोगों के लिए उनका कोई लाभ नहीं है। इसलिए, मेरे तथा कई अन्य सदस्यों के अनुरोध पर या मंत्री महोदय इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे ?

श्री मधु दण्डवते : जहां तक ऐसी समस्याओं का संबंध है, मैं उन पर पुनर्विचार करने के लिए हमेशा तैयार हूं।

श्री आर० वी० स्वामीनाथन : यद्यपि मद्रास से दिल्ली तक रेल गाड़ी का निर्धारित समय 29 घंटे है, तथापि तमिल नाडु एक्सप्रेस अपने गंतव्य स्थान पर वास्तव में दो घंटे पहले पहुंच जाती है। इस बात को दृष्टि में रखते हुए, क्या तमिलनाडु एक्सप्रेस का निर्धारित समय कम करने का कोई प्रस्ताव है ?

श्री मधु दण्डवते : यह कार्यवाही हेतु एक सुझाव है और मैं इस पर विचार करूंगा।

Allotment of Paraffin Wax to Madhya Pradesh

***390. Shri Rameshwar Patidar†:**
Shri Govindram Miri :

Will the **Minister of Petroleum and Chemicals and Fertilizers be pleased** to state :

(a) the reasons for allotting quota of paraffin wax to Madhya Pradesh even less than 10 per cent of the installed capacity in the State during 1976;

(b) whether in view of the requirement of the State, Govrnment propose to augment the quota of Madhya Pradesh by reallotting it; and

(c) if so, by what time?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a), (b) and (c): A statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT

The yearly allocations of paraffin wax to the States are made on the basis of total expected availability of wax in particular year and the past upliftment performance of each State, and not on the basis of the installed capacity of the wax-based industries in the State. The demand for paraffin wax in the country has been increasing, while the production in the Digboi Refinery of the Assam Oil Company, which is the main source for production of paraffin wax in the country, has been stagnant. To supplement indigenous availability, the import policy for 1977-78 has been amended to provide for canalised imports of paraffin wax. Until the capacity for manufacture of paraffin wax is increased by setting up of new units in the public sector, it is hoped that canalised imports of paraffin wax would lead to elimination of shortages and improve the availability of paraffin wax to actual users.

Shri Rameshwar Patidar : Mr. Speaker, Sir, the quantity of paraffin wax allotted to M.P. in 1976 by the Central Government is very low keeping in view its production in the State. During the emergency excesses were on the increase and the allotment of paraffin was declining. May I know from the Hon. Minister whether the allotment of paraffin to M.P. during this year would be increased?

Shri Janeshwar Mishra: My ministry does not make any allotments of quota of paraffin wax direct to the users but the yearly allocations are made to the States by the Government of India on the basis of availability of wax in a particular year and the part upliftment performance of each State. The position in this respect in case of M.P. is as follows:—

Year	*Quantity allotted* (in tons)	*Quantity lifted* (in tons)
1973	915	565
1974	750	654
1975	600	648
1976	598	565.8
1977	898	431 till September

With these statistics we feel that the quota has not been reduced.

Shri Rameshwar Patidar: Mr. Speaker, Sir, there are 293 units in M.P. in private sector. The recent change over in the country installed new vigour in all the spheres and people want to pursue their vocation with new vigour. The requirement of paraffin wax in M.P. has gone up and quota should be allocated keeping in view its requirement.

Shri Janeshwar Mishra: I have already stated that allotment to a state is made to a State after taking into account the availability of paraffin wax with the Government of India and the allotment to M.P. has already been increased by 300 tons this without any demand being made by it.

Shri Govindram Miri: Mr. Speaker, may I know the allocations made to other states in comparison to M.P.?

Shri Janeshwar Mishra: The figures for the 1976 are as under—

State	*Quantity allotted* (in tons)	*Quantity lifted* (in tons)
Maharashtra	9529	9450
Gujarat	803	796
Madhya Pradesh	598	565
Goa, Daman & Div	138	136.2
West Bengal	8316	8297
Bihar	1334	1250

अध्यक्ष महोदय : यदि सूचं बहुत लम्बी है, तो आप उसे सभा पटल पर रखें।

Shri Ram Murti: Mr. Speaker, Sir, there is bungling in allotment of paraffin wax to people. It is distributed to people, such as candle manufacturers, which does not yield any income to Government. Will Government issue instructions that while the quota should be so distributed that it may augment the revenue from excise duty and sales tax?

Shri Janeshwar Mishra : We would consider this suggestion.

Shri Nirmal Chandra Jain : Mr. Speaker, the criterion for allotment can be either population or demand. In 1976 M.P. was allotted 598 tons and in 1977 898 tons. Inspite of demand it is not allotted. May I know from the Hon. Minister whether the allotment for the next year for M.P. would be further increased keeping in view the increase of 300 tons during 1977 over 1976?

Shri Janeshwar Mishra : Mr. Speaker, I have already stated that the allotment is based on availability of paraffin wax in the country and the upliftment by the states and M.P. has been allotted 898 tons. If the availability of paraffin wax in India improves and the entire quantity allotted to M.P. is lifted by it, we shall certainly consider the increase in its allotment to M.P.

डा० वसंत कुमार पंडित : क्या मंत्री महोदय आवंटन के आधार में अधिष्ठापित क्षमता को भी शामिल करने पर विचार करेंगे ? गत पांच वर्षों में मध्य प्रदेश को लगातार कम आबंटन किया जाता रहा है और इसके कारण राज्य में अधिष्ठापित क्षमता बेकार जा रही है ।

Shri Janeshwar Mishra : In view of shortage of paraffin wax in the country, allotment cannot be considered on the basis of installed capacity.

Proposal to Run Super Fast Trains During 1977-78

*391. **Shri M. A. Hanan Alhaj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have a proposal to run super fast trains during 1977-78; and

(b) if so, the details thereof and the time by which new trains are likely to be introduced?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate) : (a) No, Sir. However, a proposal to increase the frequency of 59/60 Howrah-Bombay Gitanjali Express from two to three days in the week is under consideration.

(b) Does not arise

Shri M. A. Hanan Alhaj : May I know from the Hon. Minister the reasons for showing down the speed of some fast trains ?

Prof. Madhu Dandavate : Some definite guidelines and criteria have been laid regarding speed of trains. While deciding the speed, the condition of the track, tracking conditions etc. are taken into account. Where the track conditions have found to be good the speed has been increased and in case of poor track condition the speed has been reduced in certain cases but in case of super fast trains the minimum speed has been 100 kms. and maximum 105, 110 kms.

Shri M. A. Hanan Alhaj : You have stated the reasons for slowing down of important train. Secondly, do you propose to increase the speed of fast trains?

Prof. Madhu Dandavate : Sir, the supplementary is quite different from the main question. It is not related to the main question.

श्री वी० अरुणाचलम : अभी तक मद्रास और तिरुनेलवेली के बीच कोई सुपर तीव्रगामी रेलगाड़ी नहीं है । क्या मंत्री महोदय मद्रास और तिरुनेलवेली के बीच एक सुपर तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाने पर विचार करेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : अभी कोई नई सुपर तीव्रगामी रेलगाड़ी चलाने का कोई विचार नहीं है। वर्तमान स्थिति के बारे में मैं कुछ समय पहले बता चुका हूँ कि पहले ही अनेक गाड़ियां शुरू की जा चुकी हैं और अब हमारा प्रयास है कि विद्यमान सुपर तीव्रगामी रेलगाड़ियों में पहले सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिये। उदाहरण के लिये हमने 4 नवम्बर, को बम्बई से कलकत्ता के लिये गीतांजली एक्सप्रेस चलाई है। इस रेलगाड़ी में हम सामान्य द्वितीय श्रेणी का किराया लेकर प्रथम श्रेणी की लगभग सभी सुविधायें दे रहे हैं।

हम प्रत्येक डिब्बे में ऊपर तले तीन गद्दोदार शायिकाओं की व्यवस्था करने जा रहे हैं। स्टैनलैस की बनी हुई जल की टंकियों के साथ साथ रोगाणुनाशी जल की भी व्यवस्था की जा रही है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय और पक्का भोजन देने के लिए भोजन वाले डिब्बे की भी व्यवस्था होगी।

जहां तक इन सुविधाओं का सम्बन्ध है, मैंने आयव्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों पर चर्चा करते हुए आश्वासन दिया था और आज फिर उसे दोहरा रहा हूं कि अब आगे सभी लम्बे फासले वाली गाड़ियां गीतांजली की तरह की होंगी और इन में द्वितीय श्रेणी के किराये पर वे सभी सुविधाएं उपलब्ध की जायेंगी जो प्रथम श्रेणी के यात्रियों को उपलब्ध हैं।

श्री सौगत राय : क्या माननीय मंत्री को पता है कि कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनपर सुपर फास्ट अधिकर लिया जाता है परन्तु वे वास्तव में बड़ी धीमी गति से चलती है ? क्या मंत्री महोदय ऐसी गाड़ियों पर लिये जाने वाले सुपर-फास्ट अधिकर को समाप्त करना चाहेंगे ?

प्रो० मधु दण्डवते : आप आयव्ययक सम्बन्धी प्रस्तावों का पूर्वानुमान नहीं लगा सकते हैं।

Shri Lakhan Lal Kapoor: Is the hon. Minister aware that there is no super-fast train for Assam? Whether the Hon. Minister propose to introduce a super-fast train upto Brahmputra Valley as soon as possible and if so, whether this super-fast train will be known as Brahmputra Valley super-fast train?

Prof. Madhu Dandavate: After carrying out surveys in all the cases about which suggestions will be received from Hon. Members or institutions for introducing super-fast trains, some principles will be worked out and on the basis of these principles some decision will be taken.

Dr. Ramji Lal Singh: Will the hon. Minister be in a possition to introduce super-fast trains for all places with all those facilities which are available to first class passengers during the next 10 years?

Prof. Madhu Dandavate: This work will be carried out in different phases. Hence-forward all the long-distance trains will be classeless trains. If more funds are made available to us by this House, we will carry out this work more fastly.

श्री अरविन्द बाला पजनौर : मंत्रीजी ने अभी बताया कि वह सुपर-फास्ट और एक्सप्रैस रेल गाड़ियों में यात्रियों को और अधिक सुविधाएं देंगे। मैं नहीं जानता हूं कि मंत्रीजी यह जानते हैं कि कतिपय एक्सप्रैस रेलगाड़ियां 100 मील का फासला तय करने में पांच घंटे लेती हैं। उदाहरणार्थ मद्रास-पांडिचेरी एसक्प्रैस पांडिचेरी से सुबह 6 बजे चलती है और 10.45 पर मद्रास पहुंचती है। इससे यात्रियों को क्या लाभ होता है ? इसके अतिरिक्त संसद में जितनी सुविधाओं की व्यवस्था करने का अश्वासन दिया

जाता है उतनी वास्तव में वो नहीं जाती हैं। क्या माननीय मंत्री को पता है कि समय-सारणी के अनुसार 100 मील का फासला तय करने में केवल 4½ घंटे लगने चाहिये ? समझ में नहीं आता कि इसको एक्सप्रैस गाड़ी क्यों कहा जाता है ?

प्रो० मधु दण्डवते : यह रेलपथ की दशा और गेज पर निर्भर करता है। मुझे उनकी और अन्य माननीय सदस्यों की उन शिकायतों के बारे में, जो उन्होंने लिख कर भेजी हैं, सहानुभूति है। दो प्रकार की कठिनाइयां हैं। कुछ सदस्यों ने किसी मार्ग विशेष पर अधिक स्थानों पर गाड़ियों को रोकने की मांग की है। यदि हम ऐसा कर देते हैं, तो गति बढ़ाने और कम करने के कारण यह आवश्यक हो जाता है कि रेलगाड़ी की औसत गति कम कर दी जाये। यदि औसत गति कम हो जाती है तो उससे यात्रा में अधिक समय लगता है। यदि हम गति बढ़ाना चाहते हैं, तो हमें कुछ ठहरावों को कम करना पड़ेगा। अतः इन चीजों में हमें कोई न कोई संतुलन बनाये रखना होगा। मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं कि उनको जो वास्तविक शिकायतें हैं उन पर विचार किया जायेगा।

पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान एन्सेक्टीसाइडस लि० का एक एकक स्थापित करने का प्रस्ताव

***394. श्री चित्त बसु** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पश्चिम बंगाल में हिन्दुस्तान एन्सेक्टीसाइडस लि० का एक एकक स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मिला है; और

(ख) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

श्री चित्त बसु : क्या यह सही है कि पश्चिम बंगाल के उद्योग विभाग में पश्चिम बंगाल में सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत जन्तुनाशी औषधियों का विकास करने के लिए एक कारखाना लगाये जाने की आवश्यकता के बारे में एक विस्तृत टिप्पण भेजा है ? कृषि योग्य समस्त भूमि का 40 प्रतिशत क्षेत्र पूर्वी प्रदेश के तीन मुख्य राज्यों अर्थात बिहार, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। परन्तु उन्हें पर्याप्त मात्रा में कीटनाशी औषधियां नहीं मिल पाती हैं। अतः वहां पर फसल को बड़ी हानि होती है। पश्चिम बंगाल सरकार ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि वहां पर कीटनाशी औषधियों का कारखाना स्थापित करने के लिये आवश्यक इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुविधाएं उपलब्ध हैं। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए, क्या मंत्री जी इस सारे प्रश्न पर फिर से विचार करेंगे और वहां पर सरकारी क्षेत्र में कीटनाशी औषधि निर्माणशाला की स्थापना करने के बारे में कोई निर्णय लेंगे ?

Shri Janeshwar Mishra : It is not known what proposal West Bengal Government has sent. I can say this much that the Government of India have not so far received any such proposal.

श्री चित्त बसु : प्रश्न संख्या 393 के उत्तर में मंत्री जी ने उन बहुराष्ट्रीय संगठनों के नाम बताये थे जो कीटनाशी औषधियां बना रहे हैं। जब बहुराष्ट्रीय संगठन ऐसा कर रहे है, तब सरकारी क्षेत्र में एक ऐसा कारखाना लगाने की राज्य सरकार को क्यों अनुमति नहीं दी जाती है ? क्या सरकार की नीति देश में सरकारी क्षेत्र में ऐसा कारखाना स्थापित करने की बजाये बहुराष्ट्रीय संगठनों को इस मामले में अधिमान देने की है ?

Shri Janeshwar Mishra: The multinationals referred to in reply to the previous question were already there. At least we have not invited them. The Central Government propose to set up insecticides manufacturing units in the country jointly with the State Governments. All the State Governments have been asked to send their proposals accordingly. No such proposal has so far been received by us. If such a proposal is received we will consider it.

Shri Om Prakash Tyagi: In reply to the last Question it has been stated that 10 multi-national organisations are manufacturing insecticides. I want to ask a precise question. Whether Government propose to indianise these multi-national companies which are working in India; and if not the reasons therefor?

Shri Janeshwar Mishra: No such proposal in under the consideration of the Government.

श्री के० लकप्पा : प्रश्न संख्या 393 के उत्तर में यह बताया गया था कि भारत में अमरीका, जापान, पश्चिमी जर्मनी और स्विटजरलैंड की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां कीटनाशी औषधियां तैयार कर रही हैं। पश्चिम बंगाल सरकार सरकारी क्षेत्र में एक कारखाना लगाना चाहती है। परन्तु सरकार कीटनाशी औषधियों के निर्माण कार्य में सरकारी उपक्रमों को प्रोत्साहन नहीं देना चाहती है क्योंकि हाल ही में श्री राजनारायन जी ब्रिटेन गये थे और उन्होंने ब्रिटेन की एक एक कम्पनी का ही अतिथ्य स्वीकार किया था और उसके साथ करार भी किया। इसीलिये शायद हमने इस देश में मच्छरों को मारने के लिये डी०डी०टी० तैयार करने का कार्य बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही सौंप रखा है। वर्तमान सरकार ने राज्य सरकार के दबाव और उसकी प्रार्थना को स्वीकार न करके बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को ही यह कार्य सौंप कर उन्हें इस देश में कार्य करने की अनुमति दी है।

क्या श्री राजनारायण के ब्रिटेन के दौरे और वहां पर एक कम्पनी के साथ करार करने के कारण ही अब सरकार सरकारी क्षेत्र में कीटनाशी औषधियां तैयार करने का कारखाना नहीं लगाने दे रही हैं; और यदि हां, तो सरकार यह विमाता जैसा रुख क्यों अपना रही है हालांकि सरकार वास्तव में सरकारी क्षेत्र के कारखानों को ही फलने-फूलने देना चाहती है? जब कीटनाशी औषधियां तैयार करने के बारे में तकनीकी जानकारी देश में उपलब्ध है, तब बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को यहां काम करने की अनुमति क्यों दी जाती है?

Shri Janeshwar Mishra: Mr. Speaker, I have already said that no such proposal has been received from the State Governments. So far as multi-national companies are concerned, they were there before the Janata Government took over the charge. So the previous Government is responsible for that. As regards manufacture of D.D.T. is concerned, it is manufactured by the only Indian company known as H.I.L. company and the quantity of D.D.T. being produced here is enough not only to kill mosquitoes here but also to abolish congress mosquitoes. .... (*Interruptions*).

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मीनारायण नायक।

श्री के० लकप्पा : मैं अपने प्रश्न का एक स्पष्ट उत्तर चाहता हूँ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न काल समाप्त हुआ।

श्री वयालार रवि : उन्हें ये शब्द वापस लेने चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : मैं कार्यवाही वृत्तांत को पढ़ूंगा । (व्यवधान)

श्री अरविंद बाला पजनौर : श्रीमन, मैंने अंग्रेजी अनुवाद सुना है और उसके अनुसार मंत्री ने यह कहा है कि वह कीटनाशी औषधियों का प्रयोग कांग्रेसी मच्छरों को समाप्त करने के लिए करेंगे। माननीय मंत्री जी ने यह बात प्रश्न काल के दौरान कही। यह उनको शोभा नहीं देता है। उन्हें ऐसी बात इस सभा में नहीं कहनी चाहिये...

श्री गौरी शंकर राय : इस में असंसदीय कुछ भी नहीं है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं 15 मिनट के लिये सभा को स्थगित करता हूं।

इसके पश्चात लोक सभा 12.20 बजे म.प. तक के लिये स्थगित हुई।

(The Lok Sabha then adjourned till twenty minutes past twelve of the clock)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

मुगलसराय लखनऊ यात्री गाड़ी के चालक दल पर गोली चलाया जाना

388. श्री माधवराव सिन्धिया :

श्री आर० वी० स्वामीनाथन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हिन्दी समाज विरोधी तत्वों द्वारा गोली चलाये जाने के कारण मुगलसराय-लखनऊ यात्री गाड़ी के चालक दल के दो सदस्य 17 नवम्बर, 1977 को आहत हो गए थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे प्रशासन को इस बारे में किसी तोड़फोड़ का शक है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्री (प्रो० मधु दण्डवते) : (क) जी हां। यह घटना 18-11-1977 को हुई थी, न कि 17-11-1977 को।

(ख) और (ग) : इस घटना के परिणामस्वरूप एक गम्भीर गाड़ी दुर्घटना हो सकती थी।

Proposal to Run Night Trains Between Udaipur and Ahmedabad

†*392. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Government propose to run night trains between Udaipur and Ahmedabad keeping in view the historical, religious and tourist importance of the places; and

(b) if so, by what time?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Yes, sir.

(b) A proposal to introduce a night service between Ahmedabad and Udaipur from April, 1978 is under consideration.

कीटनाशी दवाओं का उत्पादन करने वाली बहु राष्ट्रीय कंपनियां

*393. **श्री अहमद पटेल** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में कीटक नाशी दवाओं का उत्पादन करने वाली बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के नाम क्या है ;

(ख) क्या कीटक नाशी दवाओं के उत्पादन के लिए अपेक्षित कच्चा माल आयात किया जा रहा है ;

(ग) यदि हां, तो उन देशों के नाम क्या हैं जहां से इनका आयातित किया जा रहा है और यह आयात किस एजेंसि के माध्यम से किया जा रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 40 प्र० श० विदेशी साम्य पूंजी से अधिक वाली उन कम्पनियों के नाम जो प्रेस्ट्रीसाइडस के निर्माण में लगी हुई है, नीचे दिए गए है :—

1 अलकली कैमिकल कारपोरेशन लि०
2 सिनामिड (एंडिया) लि०
3 वायर (एंडिया) लि०
4 सीबा, गैगी आफ इंडिया लि०
5 इन्डोफिल कैमिकल्स लि०
6 होचेस्ट फार्मिस्यूटीकल्स लि०
7 सैंडोज (इंडिया) लि०
8 यूनियन कारबाइड आफ इंडिया
9 बी० ए० एस० एफ० (इंडिया) लि०
10 मानसेन्टो कैमिकल्स आफ इंडिया लि०

(ख) तकनीको ग्रेडे पेस्टीसाइड्स के निर्माण में अपेक्षित कुछ कच्चा माल और कुछ तकनीकी ग्रेडे पेस्टीसाइड्स जो देशी रूप से उपलब्ध नहीं है, आयात कि जा रहे हैं।

(ग) ये यू०एस०ए०, पश्चिम जर्मनी, स्विटज़रलैंड, यू०के० आदि जापान से आयातित किए जाते हैं। ये अधिकतर संबंधित कम्पनियों द्वारा आयात किए जाते हैं।

मद्रास तेल शोधक कारखाने का विस्तार

*395. **श्री पी० के० कोडियन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उवरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के मद्रास तेल शोधक कारखाने के चेयरमैन ने अपने वक्तव्य में तेल शोधक कारखाने के विस्तार की कोई सम्भावना न होने की बात कही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा और कारण क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : मद्रास शोधनशाला लि० के अध्यक्ष ने दिनांक 16 नवम्बर, 1977 को एक प्रेस सम्मेलन बुलाया था। इस आशय के एक विशिष्ट प्रश्न के उत्तर में, कि क्या शोधनशाला 267 मिली मी० टन की

अपनी क्षमता बढ़ाकर 3.00 मिली० मी० टन तक विस्तार करने पर विचार कर रही है, अध्यक्ष महोदय ने बताया कि शोधनशाला का इतना सीमित विस्तार करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद नहीं होगा और इसलिए इसे उचित नहीं ठहराया जा सकता। पांचवीं पंचवर्षीय योजना, 1978-83 के संदर्भ में, एक उद्योग दल का गठन किया जा रहा है जो, मद्रास तेलशोधक कारखाने सहित, शोधन शालाओं की तेल साफ करने की क्षमता में वृद्धि करने से सम्बन्धित विभिन्न प्रस्तावों की मितव्ययता का अध्ययन करेगा और सिफारिशें करेगा।

औद्योगिक न्यायिक सेवा बनाने तथा उच्च न्यायालयों में श्रम बेंचों की व्यवस्था करने तथा कर्मचारियों को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध करने का प्रस्ताव

*396. **श्री बसन्त साठे** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार औद्योगिक न्यायिक सेवा बनाने, उच्च न्यायालयों में श्रम बेंचों की व्यवस्था करने तथा उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय में जाने वाले निर्धन कर्मचारियों के लिए कानूनी सहायता निःशुल्क उपलब्ध करने के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : सरकार औद्योगिक न्यायिक सेवा बनाने के किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है। जहां तक उच्च न्यायालयों में श्रम बेंचें स्थापित करने का सम्बन्ध है यह काम उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों का है कि वे इस विषय पर इस बात को ध्यान में रखते हुए विचार करें कि श्रम सम्बन्धी विषयों के कितने मामले लम्बित हैं। न्यायमूर्ति श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर की अध्यक्षता में नियुक्ति समिति ने जनता और न्याय (प्रक्रियागत सुधार की भूमिका) विषय पर एक रिपोर्ट 1973 में प्रस्तुत की थी और उस रिपोर्ट का एक अध्याय कर्मकार वर्ग के लिए कानूनी सहायता के सम्बन्ध में है। उसके बाद श्रम मंत्रालय ने उक्त अध्याय से उत्पन्न होने वाले ब्यौरे तैयार करने के निमित्त फरवरी, 1975 में अधिकारियों का एक ग्रुप नियुक्त किया। इस ग्रुप ने उस समिति की जिसके अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री पी० एन० भगवती और जिसके सदस्य उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश श्री वी० आर० कृष्ण अय्यर हैं, रिपोर्ट मिलने तक अपनी रिपोर्ट को रोके रखा। उक्त समिति गरीबों की कानूनी सहायता देने के व्यापक प्रश्न पर विचार करने के लिए नियुक्त की गई थी। इस समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। सरकार को इस विषय में अभी अपना दृष्टिकोण तय करना है।

Reserved Posts of S.C. and S.T. in I.O.C.

†*397. **Shri Mahi Lal :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether, while replying to the demands for grants for his Ministry on the 7th July, 1977, he gave an assurance that from that time onward, 50 per cent of the posts would be reserved for the persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes till the posts against reserved quota for them were not filled;

(b) if so, the total number of persons appointed in the Marketing Division, Refinery Division and office of the Chairman in the Indian Oil Corporation since then and the class-wise and the post-wise number of persons belonging to the scheduled castes and scheduled tribes appointed out of them there

2—376 L.S.S./77

and their class-wise and post-wise percentage as compared to that of the total number of employees/officers appointed therein; and

(c) the reasons why the posts against the reserved quota have not been filled so far and when these will be filled?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals & Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) Yes, Sir.

(b) and (c): Necessary information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

Construction of New Lines in Maharashtra

†*398. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of new railway lines proposed to be constructed in the State of Maharashtra;

(b) the length of metre gauge lines proposed to be converted into broad gauge lines;

(c) the number of new railway lines for the construction of which as also the metre gauge lines for the conversion of which into broad gauge lines State Government have made recommendation to Central Government; and

(d) the reaction of Central Government thereto?

The Minister of Railways (Prof. Madhu Dandavate): (a) Construction of two new railway lines from Wani to Chanaka and from Vasai Road to Diva is in progress.

(b) Conversion of Manmad-Purli-Vaijnath metre gauge line (354 kms. long) into broad gauge has been approved.

(c) and (d): Recommendations for construction of six new lines and two gauge conversion projects were received from the State Government of Maharashtra. Out of these eight projects recommended by the State Government, two projects are in progress and one project has been approved for construction. Surveys have been carried out in respect of four projects and survey in respect of one project i.e. bringing Amravati on the main line is in progress. Decisions on these projects would depend upon the availability of resources.

श्रमिकों को छंटनी

*399. **श्री के० प्रधानी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भद्रक-कपिलत रोड और कटक-पारादीप लाइनों को दोहरी करने की परियोजनाओं में काम करने वाले श्रमिकों में से किसी की हाल ही में छंटनी की गई थी ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते): (क) और (ख) : कटक-पारादीप नयी लाइन परियोजना के पूरा हो जाने पर 1100 नेमित्तिक श्रमिक फालतू हो गये थे और इसलिए उनकी छंटनी करना अनिवार्य हो गया था। परन्तु छंटनी का काम चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है ताकि उनमें से अधिक से अधिक श्रमिकों को यथासंभव कहीं और खपाया जा सके। इसके अतिरिक्त, हटाए गये श्रमिकों को

बेबर को-आपरेटिव सोसाइटी का सदस्य बनने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। इस सोसाइटी को पास ही में उड़ीसा के जखापुरा-देतारी निर्माण परियोजना में एक ठेका दिया गया है।

समुद्र के अन्दर पाइप लाइन बिछाने पर लागत

*400. श्री डी० डी० देसाई : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री बम्बई हाई से तट तक समुद्र के अन्दर पाइप लाइन बिछाने के बारे में 15 नवम्बर, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 245 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बम्बई-हाई-उरन, बम्बई हाई-ट्रोम्बे और बम्बई हाई-दीव जैसे विभिन्न वैकल्पिक मार्गों से बम्बई हाई का तेल भेजने के लिए समुद्र में पाईप लाइनें बिछाने पर वास्तव में कितनी लागत आयेगी ; और

(ख) यदि तेल और गैस दी-विराम-गाम मार्ग से भेजी जाती है तो क्या अधिक पिछड़े क्षेत्रों के विकास की अपेक्षा में बम्बई-हाई का तेल और गैस प्रयोग करने वाले उद्योगों का बम्बई क्षेत्र में और केन्द्रीकरण करना उचित होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) बहुत अधिक सावधानी पूर्वक विचार करने तथा सभी आर्थिक और तकनीकी पहलुओं आदि को ध्यान में रखते हुये यह निश्चय किया गया था कि बम्बई हाई और उत्तर बसीन से कच्चा तेल और सम्बद्ध गैस लाने के लिये पाइपलाइन का अधिकतम लागत प्रभावी एवं उचित पंक्ति बन्धन बसीन और उरान से होकर ट्राम्बे तक हो सकता है। विस्तृत लागत अनुमान केवल इसी पंक्ति बन्धन के लिये तैयार किये गये थे। अन्तिम अनुमान के अनुसार सीमा शुल्क इंजीनियरिंग तथा निर्माण की देखरेख को छोडकर पाइपलाइन की ट्राम्बे तक लागत लगभग 384 करोड़ रुपये होगी। इस पाइपलाइन का लगभग 50% तेल पाइपलाइन के लिए संविभाजित है।

(ख) इस कच्चे तेल का परिशोधन तटीय शोधनशालाओं अर्थात भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लि० कोचीन रिफाइनरीज़ लि० और काल्टेक्स लि० तथा देश के अन्दर कोयालि और मथुरा शोधनशालाओं मे किया जायेगा। तेल पाइपलाइन के वैकल्पिक पंक्ति बन्धन से इन शोधनशालाओं के लिये बम्बई हाई कच्चे तेल के विनियोजन पर कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। गैस का अधिकतम शीघ्र उपयोग भारतीय उर्वरक निगम के ट्राम्बे एकक में तथा बम्बई के दक्षिण में स्थापित किये जाने वाले दो उर्वरक प्लांटों में नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों के उत्पादन के लिये किया जा सकता है। दक्षिश बेसीन से गजरात तक समुद्र के नीचे एक गैस पाइपलाइन लगाने की प्रयोजना का अध्ययन किया गया है। यह पाइपलाइन अपने रास्ते में बाम्बे हाई से आने वालो गैस पाइपलाइन से जोड़ी जायेगी ताकि सम्बद्ध एवं असम्बन्ध गैस का महाराष्ट्र और गुजरात को सप्लाई उन दोनों राज्यों की आवश्यकता अनुसार नियमित की जा सके। इस अध्ययन को करते समय किसी एक क्षेत्र में उद्योगों के केन्द्रीकरण से बचने की आवश्यकता को ध्यान में रखा गया है।

रीवा में उर्वरक संयंत्र

*401. श्री सी० के० चन्द्रप्पन : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रिवा म स्थापित किए जाने वाल दो बड़ उवरक संयंत्रों क बारे म सरकार द्वारा पुनर्विचार किया जायगा ; और

(ख) यदि हां, तो इसके बारे में ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बंगलौर मैसूर लाइन को बड़ी लाइन में बदलना

*402. **श्री सी० के० जाफर शरीफ** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय ने बंगलोर-मैसूर रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए सर्वेक्षण किया था ;

(ख) यदि हां, तो क्या यह सच है कि पहले किए गए सर्वेक्षण अनुकुल नहीं थे परन्तु बाद में किये गये सर्वेक्षणों से बेहतर यातायात की संभवना का संकेत मिला है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की अंतिम नीति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी हां ।

(ग) इस परियोजना के निर्माण के बारे में अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है ।

Proposal to Introduce Super Express Train Between Jaipur and Udaipur

†*403. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether in view of the importance of tourism in Udaipur, Government have under consideration a Super-Express train between Jaipur and Udaipur; and

(b) if so, the broad outlines thereof?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b): Just at present, there is no proposal under consideration for the introduction of super express train between Jaipur and Udaipur.

प्रथम श्रेणी और वातानुकूलित श्रेणी के मानार्थ पास

*404. **श्री० के० मालन्ना** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत छह महीनों के दौरान प्रथम श्रेणी और वातानूकुलित श्रेणी के कुछ मानार्थ पास जारी किये गये थे ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान इन श्रेणीयों के लिए कुछ चालू पास रद्द कर दिए गए थे और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) प्रथम श्रेणी और वातानुकुलित श्रेणी के लिए इस समय वैध मानार्थ पासों की संख्या कितनी है और उन व्यक्तियों तथा संगठनों के नामों का ब्यौरा क्या है जिन्हें वे जारी किए गय है ?

रेल मंत्री (प्रोफेसर मधु दण्डवते) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां । एक विवरण संलग्न है ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1339/77**]

(ग) केवल एक, श्री काका साहिब कालेलकर और उनके सचिव के लिए ।

वाणिज्य मंत्रालय के सतर्कता निदेशक, श्री एस० एस० दरबारी द्वारा कदाचार

3597. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें इस बात की जानकारी है कि वाणिज्य मंत्रालय के सतर्कता निदेशक श्री एल० एस० दरबारी रेल मंत्रालय से सेवा निवृत्त होने के बाद कुछ बड़े औद्योगिक गृहों में सलाहकार के रूप में नियुक्त हुए है और उद्योग भवन और अन्य सचिवालयों में अधिकारीयों तक पूरी पहुच होने के कारण वह सम्पर्क अधिकारी के रूप में भी कार्य कर रहे है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार की सेवा से सेवानिवृत्त होने के पश्चात् उक्त नियुक्तियों के बारे में उन्होंने सरकार से अनुमति ली थी ; और

(ग) यदि हां, तो उनके द्वारा दिये गये आवेदन और उन्हें दी गई अनुमति का स्वरूप क्या था ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : श्री एल० एस० दरबारी, भूतपूर्व निदेशक (आसूचना), रेलवे बोर्ड, जो अपनी पुनर्नियुक्ति की अवधि समाप्त होने पर 31-3-77 को पूर्णतः सेवानिवृत्त हुए थे, की ओर से 4-8-77 को सूचना प्राप्त हुई थी कि उन्होंने मैसर्स वैशाली इन्टरनैशनल प्रा० लि० जिसका रजि० कार्यालय कमरा नं० 2, यशवन्त प्लेस, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली में है, के पास 1000 रु० प्रतिमास के तदर्थ परामर्श शुल्क पर अंशकालिक परामर्श कार्य शुरु किया है। क्यों कि श्री दरबारी ने यह कार्य शुरु करने से पहले सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं की थी; उनकी इस त्रुटि को उनके ध्यान में ला दिया गया है और उनसे कहा गया है कि इस सम्बन्ध में वे भारत सरकार के वर्तमान आदेशों के अधीन अपेक्षित कार्यवाही पर अमल करें। इनके उत्तर की अभी प्रतिक्षा की जा रही है।

मध्य रेलवे के स्टेशन मास्टरों/एसिस्टेंट स्टेशन मास्टरों का संयुक्त अभ्यावेदन

3598. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मध्य रेलवे के सभी स्टेशन मास्टरों/एसिस्टैंट स्टेशन मास्टरों से स्टेशन मास्टरों की श्रेणी में गैर-कानूनी हस्तक्षप को रोकने के बारे में संयुक्त अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो हस्तक्षेप की गैर कानूनी प्रक्रियाएं, जिनसे इस श्रेणी के व्यक्तियों में गंभीर असंतोष व्याप्त है, रोकने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) हाल में स्टेशन मास्टर संघ, झांसी से एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है।

(ख) पहले यह आदेश थे कि 250-380 (अ०वे०) रु० के वेतनमान तक के पद केवल स्टेशन मास्टरों/सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए आरक्षित रखे जायें। तीसरे वेतन आयोग के बाद वेतनमानों में संशोधन हो जाने पर मध्य रेलवे प्रशासन का प्रस्ताव है कि स्टेशन मास्टरों /सहायक स्टेशन मास्टरों के लिए उनको अगली कोटि में 550-750 (सं०वे०) रु० वेतनमान तक के पद पदोन्नति द्वारा भरने के लिए सुरक्षित कर दिए जायें। गार्डों को 455-700 (सं०वे०) रु० वेतनमान तक के यार्ड स्टेशन मास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर के पदों पर पदोन्नत किया जाएगा और उसके बाद इस वेतनमान के कर्मचारियों यातयात विभाग में 550-750 (सं०वे०) वेतनमान में पदोन्नति की प्रत्याशा करेंगे जहां 455-700 (सं०वे०) वेतनमान के स्टेशनमास्टर/सहायक स्टेशन मास्टर भी इसमें सम्मिलित हों जायेंगे। इस संशोधीत सरणि को अन्तिम रूप देने से पहले श्रमिक संगठनों के साथ विचार विमर्श किया जा रहा है।

इलाहाबाद स्टेशन पर पार्सलों को उतारने-चढ़ाने के लिये नियुक्त श्रमिक

3599. **श्री पुण्डलिक हरि दानवे** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलाहाबाद स्टेशन पर पार्सलों को उतारने-चढ़ाने के लिये नियुक्त श्रमिकों की ओर से श्रमिकों की सेवायें समाप्त करने तथा अन्य प्रकार का शोषण किये जाने के सम्बन्ध में विगत दो वर्षों में प्राप्त हुई शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या हाल ही में 7 नवम्बर, 1977 को डिविजनल सुपरिन्टैंडेंट, इलाहाबाद को लिखित एक शिकायत, जिसकी प्रति अन्य अधिकारियों को भी भेजी गई थी, पर पेट्रोलियम तथा रसायन मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र ने हस्तक्षेप किया था ; और डिविजनल सुपरिन्टैंडेंट को निदेश दिया था कि वह गरिब कुलियों की सेवायें बहाल करने के लिये तुरन्त आवश्यक कार्यवाही करें; और

(ग) यदि हां, तो करार की शर्तों के विरुद्ध अवैध रूप से कुलियों की सेवाएं समाप्त करने के लिये "सोसाइटी" के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है तथा कुलियों को किस तारीख से पुन: नौकरी पर ले लिया गया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) अक्तुबर 1975 से अक्तुबर 1977 तक की दो वर्ष की अवधि के दौरान, रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि० इलाहाबाद, के विरुद्ध पार्सल उतारने - चढ़ाने वाले मजदूरों की ओर से पांच शिकायतें प्राप्त हुई थी। शिकायतों में मुख्य बातें निम्नलिखित थी :—

(i) सोसाइटी द्वारा उचित मजूरी का भुगतान न किया जाना।

(ii) सोसाइटी द्वारा कार्य-घंटों का उल्लंघन किया जाना।

(iii) सोसाइटी द्वारा मजदूरों की सेवाओं को समाप्त कर दिया जाना।

उपर्युक्त गल्तियों के लिए सोसाइटी पर 100/– रु० जुर्माना किया गया था। मजदूरों को कम मजूरी का भुगतान करने के प्रश्न पर रेल प्रशासन द्वारा आगे विचार किया जा रहा है और श्रम प्रवर्तन अधिकारी (मध्य) द्वारा भी इस प्रश्न पर सोसाइटी के साथ विचार किया गया है। सितम्बर, 1977 से सोसाइटी ने अपने प्रत्येक मजदूर को प्रतिदिन 5.50 पये की दर से भुगतान करना शुरू कर दिया है। सोसाइटी ने अधिकांश मजदूरों को पुन: ड्यूटी पर भी ले लिया है।

(ख) पेट्रोलियम, रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री, श्री जनेश्वर मिश्र, ने पांच भारिकों की 4-11-1977 की एक शिकायत को अग्रेषित किया है। यह शिकायत 7-11-1977 को मंडल अधीक्षक, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद, के कार्यालय में प्राप्त हुई थी।

(ग) पूछ-ताछ करने पर सोसाइटी ने बताया कि जिन पांच भारिकों को नौकरी से हटाया गया था, वे सोसाइटी के सदस्य नहीं थे और उनके पूर्ववृत्त पुलिस द्वारा सत्यापित नहीं किये थे। इस सम्बन्ध में आगे पूछताछ की जा रही है।

Bridge across Ganga near Bhagalpur

†3600. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government do not feel the necessity of constructing a bridge across Ganga near Bhagalpur;

(b) whether Government would not honour the assurances given by the former Railway Minister, Late Shri Lalit Narain Mishra and former Union Minister Shri Raj Bahadur;

(c) whether Planning Commission have made a recommendation for the construction of a bridge across Ganga at a distance of every 50 miles and if so, whether Bhagalpur, falling in between Mokameh and Farakka, is not an important place in respect of which a proposal should be considered; and

(d) whether Government propose to construct a pontoon bridge to connect Barari Ghat and Mahadev Ghat in Bhagalpur till a railway bridge is constructed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b): The Government are not aware of any assurance having been given by the former Railway Minister Late Shri L. N. Mishra or former Union Minister Shri Raj Bahadur about construction of a railway bridge across the Ganga at Bhagalpur. Construction of the bridge at this location is not considered necessary at present.

(c) No such recommendation has been made by the Planning Commission.

(d) Railways do not construct pontoon bridges for their traffic.

निःशुल्क रेलवे पास

3601. **श्री नवाब सिंह चौहान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ वर्ष पूर्व मानस चतुःशती समारोह के अवसर पर मानसचतुःशती समारोह समिति के कुछ सदस्यों को निःशुल्क रेलवे पास उपलब्ध कराये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार सूर पंचशती राष्ट्रीय समारोह समिति के सदस्यों के लिये भी ऐसे ही निःशुल्क पास जारी करने का है ;

(ग) क्या उक्त सदस्यों को निःशुल्क पास जारी किये जाने से महाकवि सूरदास की पांचसौवीं जयन्ती मनाने के कार्य में सुविधा होगी ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में कब तक निर्णय लिया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख), (ग) एवं (घ) : समिति के महासचिव द्वारा दो मानार्थ कार्ड पास जारी करने के लिए अनुरोध किया गया था जिसे स्वीकार नहीं किया गया। क्योंकि यह गैर रेलवे के व्यक्तियों/संगठनों को मानार्थ कार्ड पास जारी करने के लिए सरकार द्वारा विनिश्चित मुख्य दिशा निर्देशों के अनुरूप नहीं था। तदनुसार 7-11-1977 को समिति को उत्तर भी भेज दिया गया है।

वरिष्ठ अधिकारियों को महंगी सब्जियां मुफ्त दिया जाना

3602. **श्री एस० के० शारदा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभागाध्यक्षों तथा अन्य वरिष्ट अधिकारियों, विशेषकर वाणिज्यिक विभाग के अधिकारियों को उनके द्वारा मांग किये जाने पर उत्तर रेलवे के इलाहाबाद, मुरादाबाद और नई दिल्ली डिवीजनों में स्थित खान-पान तथा विक्रय प्रतिष्ठानों द्वारा मंहगी सब्जियां, मांस, चूजे, अंडे आदि मुफ्त सप्लाई किये जा रहे थे/किये जा रहे है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसी भ्रष्ट प्रक्रियाओं को समाप्त करने के लिये कोई कार्य वाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

जोगिन्दर नगर तक तीसरी गाड़ी ले जाये जाने के लिये अभ्यावेदन

3603. **श्री दुर्गा चन्द** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को हिमाचल प्रदेश में पैपरोला से आगे जोगिन्दर नगर तक तीसरी गाड़ी ले जाए जाने के बारे में कोई अभ्यावेदन मिला है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और जोगिन्दर नगर तक गाड़ी कब तक ले जायी जायेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी नहीं। लेकिन, पठानकोट जोगिन्दर नगर खंड पर सभी चारों गाड़ियों को पुन: चलाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है जैसी कि 1973 में व्यवस्था थी। वर्तमान तीन जोड़ी गाड़ियां जिसमें 1-10-1977 से चलायी गयी गाड़ी भी शामिल है, इस समय यात्रियों की आवश्यकताओं को सन्तोष जनक रूप से पूरा कर रही हैं।

Gwalior-Etawah and Sawai Madhopur-Etawah

3604. **Shri Chhabi Ram Argal**: Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Government of Madhya Pradesh have submitted proposals for connecting Gwalior-Etawah (via Bhind and Morena) line and Sawai-Madhopur-Etawah (via Sheopur-Morena) line with broad gauge lines to improve traffic condition in Gwalior region; and

(b) if so, the steps being taken by Government to include the above proposals in their scheme for construction of new railway lines?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): Yes. The existing narrow gauge lines between Gwalior and Sheopur-Kalan and from Gwalior to Bhind offer very limited traffic. Due to constraint on resources conversion of these sections into broad gauge and their extension to Etawah and Sawai-Madhopur will not be possible at the present juncture.

उद्योग के लिये भट्टी-तेल का नियतन

3605. **श्री डी० बी० चन्द्र गौंडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उद्योग के लिये भट्टी-तेल के नियतन हेतु कोई मानदंड बनाया है ;

(ख) यदि हाँ, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ;

(ग) क्या इस बारे में कोई समिति बनाई गई है अथवा बनाई जाने वाली है ; और

(घ) यदि हां, तो उसका गठन किस प्रकार होगा और उसके कृत्य क्या होंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : उद्योग को भट्टी के तेल के विनियोजन के लिये सरकार द्वारा नीति की प्रमुख रूप रेखा निम्न प्रकार है :

1 तेल कम्पनियों को आदेश दिये गये हैं कि वे पुराने ग्राहकों को उनकी 1973 क्षमता की मात्रा में से उस उद्योग विशेष में की गई कटौती को घटाकर अपने आप भट्टी के तेल की उन्हें सप्लाई करें।

2 पुराने ग्राहकों को उत्पादन बढ़ाने के लिये अतिरिक्त आवंटन करने के लिये सामान्य रूप से उत्पाद की आवश्यकता तथा उसके रक्षा कार्यों के लिये उत्पादन करना निर्यात एवं आयात प्रतिस्थान में महत्व को विचार में रख कर किया जाता है।

3 नयी औद्योगिक प्रयोजनाओं तथा वर्तमान प्रायोजनाओं के महत्वपूर्ण विस्तार से सम्बन्धित मामलों में विनियोजन उप-समिति प्रवर्तित करने वाले अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर विचार करती है।

4 नयी औद्योगिक प्रायोजनाओं तथा वर्तमान प्रायोजनाओं के महत्वपूर्ण विस्तार के पहले तीन महीनों के लिए आरंभिक विनियोजन अधिकृत मात्रा का केवल 50% होता है। पूरी अधिकृत मात्रा परीक्षण अवधि के उपरान्त दी जाती है।

5 विनियोजन उप-समिति पुराने ग्राहकों से 1973 के स्तर से अधिक विनियोजन की मांग पर भी समबद्ध प्रवर्तित करने वाले अधिकारी की सिफारिशों के आधार पर विचार करती है।

6 निरन्तर प्रक्रिया वाले उद्योगों के मामलें में परीक्षण अवधि में 50% की बजाय आरम्भ से ही संपूर्ण अधिकृत मात्रा दी जाती है।

7 तेल कम्पनियां नये ग्राहकों, जिन्होंने कि प्लांट और मशीनरी स्थापित कर ली है और उत्पादन आरम्भ करने के लिये तैयार है (उन्हें छोड़ कर जिन्होंने अभी तक उत्पादन प्रक्रिया के लिये सरकार से आवश्यक अनुमति नहीं प्राप्त की है) को गुण दोष के आधार पर तीन महीनों की अवधि के लिये भट्टी के तेल की सप्लाई करती है जिसके दौरान उपभोक्ता को अपने प्रवर्तित करने वाले अधिकारी को औपचारिक आवेदन पत्र देना और नियमित सप्लाई के लिये भट्टी के तेल के लिये स्थायी समिति का अनुमोदन प्राप्त करना होता है।

(ग) और (घ) : तकनीकी विकास सचिव तथा तकनीकी विकास के महानिदेशक के अध्यक्षता में सरकार ने भट्टी के तेल पर एक स्थायी समिति का गठन किया है। चेयरमैन के अतिरिक्त इस समिति में पेट्रोलियम मंत्रालय, रेल मंत्रालय, उर्जा मंत्रालय (विद्युत् विभाग) तथा (कोयला विभाग) और केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण के प्रतिनिधी सदस्य के रुप में सम्मिलित किये गये हैं। औद्योगिक सलाहाकार डी०जी०टी०डी० इसके सदस्य सचिव है।

इस स्थायी समिति के मुख्य कार्यों को सामान्य रूप से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है :—

(i) औद्योगिक उत्पादन तथा अन्य आर्थिक प्रक्रियाओं पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव वाले देश में यथा सम्भव शीघ्र भट्टी के तेल की खपत को कम करने के उपायों के सम्बन्ध में समिति सिफारिश करेगी और इन उपायों के लिये पेट्रोलियम मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात इन्हें कार्यान्वित करने के लिये कारवाई करेगी।

(ii) पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा निर्धारित सामान्य मार्गदर्शन सिद्धांतों के आधार पर समिति उभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणीयों के लिये भट्टी के तेल के विनियोजन के लिये प्राथमिकताएं निश्चित करेगी।

(iii) ऊपर विवरण किये गये उपायों के कार्यान्वियन पर समिति देख रेख करती है और राज्य सरकारों तथा संघ शासित प्रदेश के उद्योग निदेशालयों सहित विभिन्न नियंत्रण अधिकारियों का मार्ग दर्शन करती है।

(iv) जो उद्योग तकनीकी दृष्टि से भट्टी के तेल के बजाय कोयले का प्रयोग कर सकते हैं उनके लिये कोयले की उपलब्धि तथा सप्लाइ में प्रगति पर समिति निगरानी रखती है।

(v) भट्टी के तेल के उभोक्ताओं की सभी नयी मांगों की समिति संवीक्षा करती है समिति के अनुमोदन के बिना तेल कम्पनियां भट्टी के तेल की सप्लाइ के लिये किसी भी नये ग्राहक का नामांकन नहीं करती। समिति इस बात की जांच करती है कि क्या उस विशेष उद्योग के लिये भट्टी के तेल का उपयोग आवश्यक है।

(vi) भट्टी के तेल की खपने में हुई बचत तथा ईंधन कार्यकुशलता की दिशा में होने वाली प्रगति का इस समिति अनुश्रवण करती है।

संगचल कर्मचारियों (रनिंगस्टाफ) के लिए क्वार्टर

3606. **श्री बालक राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार और मध्य रेलवे के महाप्रबन्धक, बम्बई वी० टी० को 21 अगस्त, 1977 का एक अभ्यावेदन मिला था जिस पर लगभग 250 रेल गार्डों के हस्ताक्षर थे और जिसमें संग चल कर्मचारियों (टैफीक रनिंग स्टाफ) को आर० बी०/III टाइप क्वार्टर दिये जाने की मांग की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है और इसके कब तक लिए जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) : अभ्यावेदन की जांच की रही है और रेल प्रशासन द्वारा उपयुक्त कारवाई की जायगी।

Complaints from Vendors' Association of Allahabad

3607. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any complaints have been received from the vendors or from the Vendors' Association of Allahabad Railway Station against irregularities and corrupt practices by the officers of the Commercial Department in making

recruitment of vendors and the Government has been urged to conduct an open inquiry into the matter and to associate Shri A. C. Gilbert, a former Member of Rajya Sabha, with the enquiry;

(b) whether a deputation also met the Minister of State for Railways in this connection on his visit to Allahabad on 9th September, 1977 and submitted to him a complaint in the presence of the Divisional Superintendent of Allahabad:

(c) the action taken so far in this regard; and

(d) whether Government would take action against those officers who acted arbitrarily, accepted illegal gratification, and violated rules while making recruitment of vendors and allotting them trolleys in Allahabad Division?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes, but there is no request in this representation to associate Shri A. C. Gilbert, Ex. M. P. with this enquiry.

(b) Yes

(c) The allegations made in the representation are being investigated.

(d) Yes, suitable action will be taken in case charges are proved.

केरल में रेल लाइनों का विद्युतीकरण

3608. **श्री एकारिया थामस** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में जहां अन्य राज्यों की तुलना में बिजली कम दर पर उपलब्ध है वहां रेल लाइनों का विद्युतीकरण करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार को केरल सरकार से रेलवे लाइन का विद्युतीकरण करने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं ।

(ख) जी हां ।

(ग) विद्युतीकरण के लिए केरल सरकार की निरन्तर मांग पर, ओलवककोड तिरुवनन्तपुरम खंड के विद्युतीकरण के लिए लागत तथा औचित्य कर का सर्वेक्षण किया गया, केरल सरकार से उनके द्वारा सूचित सामान्य औद्योगिक शुल्क दर से सस्ती दर पर बिजली की सुलभता के सम्बन्ध में पक्का आश्वासन न मिल पाने के कारण सर्वेक्षण रिपोर्ट को अन्तिम रूप नहीं दिया जा सका है ।

गोआ में तेल की खोज

3609. **श्री अमृत कासर** : क्या पेट्रोलियम और रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रिय समुद्र विज्ञान संस्थान ने पेट्रोलियम मंत्रालय के सहयोग से मीराम, पणजी, गोआ के समीप तेल की खोज की सम्भावना का पता लगाया है ; और

(ख) यदि हां, तो कार्य कब आरम्भ होगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मुगलसराय पर पार्सल उतारने-चढ़ाने का काम कर रहे श्रमिक

3610. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जून 1976 से जून 1977 की अवधि में मुगल सराय स्टेशन पर पार्सल उतारने-चढ़ाने का काम करने के लिए कितने श्रमिक औसत रूप से लगाये गये और तथाकथित सोसाइटी द्वारा इन श्रमिकों को किस दर से भुगतान किया गया;

(ख) इस सोसाइटी ने संविदा श्रम (विनियमन तथा उत्पादन) अधिनियम 1970 के अन्तर्गत कितने श्रमिकों के लिए लाइसेंस लिया था;

(ग) क्या सोसाइटी प्रधान नियोक्ता द्वारा संविद श्रम (विनियमन और उत्पादन) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत नामांकित किये गये प्राधिकृत प्रतिनिधि के सामने इन श्रमिकों को भुगतान नहीं करती है; और

(घ) यदि हां, तो इस सोसाइटी द्वारा जानबूझ कर किये जा रहे इस उल्लंघन के लिये उसके विरूद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) पचास श्रमिक । उन्हें 4.00 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन की दर से भुगतान किया गया है ।

(ख) पचास ।

(ग) श्रमिकों को भुगतान प्राधिकृत रेलवे प्रतिनिधि के समक्ष किया जाता है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

लोह अयस्क की ढुलाई

3611. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लोह अयस्क की अथरबंकी/पारादीप तक धुलाई के लिए दक्षिण पूर्व रेलवे के डिविजनल सुपरिन्टैडैंट, खुर्दा ने धातु तथा खनिज व्यापार निगम के कटक डिवीजन को 1975 में तीन रेक प्रतिदिन देने का आश्वासन दिया था ।

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया गया था परन्तु कटक में हुई 16.11.74 की बैठक में रेलवे में बताया था। कि जब इस यातायात के लिए माल चढ़ाने और उतारने की सुविधायें उपलब्ध हो जायेगी तब रेलवे लदान कार्य बढाकर प्रतिदिन 5 रेक तक कर सकने की स्थिति में हो जायेगी ।

रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद के सचिव के विरुद्ध शिकायतें

3612. **श्री शिव सम्पति राम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटीव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०, इलाहाबाद के सचिव द्वारा किये गये कदाचारों के बारे में संसद सदस्यों तथा अन्य लोगों से प्राप्त शिकायतों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या कार्मिक शाखा ने जांच करने के बजाय शिकायतों की कुछ प्रतियां सोसाइटी को टिप्पणी के लिये भेज दी थी ;

(ग) यदि हां, तो किसके आदेश से शिकायतों की प्रतियां सोसाइटी को भेजी गई थीं ;

(घ) क्या रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटीव लेबर कन्ट्रैक्ट सोसाइटी लिमिटेड द्वारा अन्य वास्तविक सोसाइटीयों के विरुद्ध की जानेवाली शिकायतों की निरिक्षकों को नियुक्त करके तुरन्त जांच करवायी जाती है जबकि उनके विरुद्ध शिकायतों के सम्बन्ध में विलम्ब के तरिक़े अपनाकर उन्हें निष्प्रभावी बना दिया जाता है ; और

(ङ) क्या सरकार इस बात का पता लगाने के लिए विस्तृत जांच करवायेगी कि अधिकारियों में ऐसे निहित स्वार्थ कौनसे है जो सोसाइटी के साथ सांठ-गांठ किये हुए है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ङ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायगी ।

प्रेडनो सोलोन का उत्पादन

3613. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रेडनो सोलोन के उत्पादन में कोई रुकावट आई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) देश में प्रेडनी सोलोन के केवल एक मात्र निर्माता मैसर्स वीम है । संयंत्र में कुछ सेवायुक्त समस्याओं के कारण मई 1977 के मध्य में उत्पादन बन्द हो गया था । संयंत्र ने अक्तूबर, 1977 से सामान्य उत्पादन पुनः आरम्भ किया है ।

Production and Export of Naptha

3614. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether the production of Naptha has been more than the demand therefor in the country and if so, the quantity of the additional production; and

(b) the quantity of Naptha exported by the country during the last three years and the amount of foreign exchange earned thereby?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) and (b): Production of Naphtha was more than the demand in 1974-75 and 1975-76, but, since 1976-77, the country is importing Naphtha to meet the demand which has picked up because of increased requirements of fertilizers and other industries. Details in regard to the production, consumption, exports and foreign exchange earned from exports of Naphtha during the years 1974-75 to 1976-77 are given below :—

	1974-75	1975-76	1976-77
Production (in '000 Tonnes)	1730	1984	2047
Consumption (in '000 Tonnes)	1713	1836	2187
Export (in '000 Tonnes)	123.7	90.8	Nil
Foreign Exchange earned from exports (Rs. in Crores)	12.09	5.55	Nil

सांगली-मिरज लाइन पर रेल सेवा

3615. **श्री आर० के० महालगी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सांगली-मिरज लाइन (महाराष्ट्र राज्य में) रेल सेवा आरम्भ करने के बारे में सरकार को एक अभ्यावेदन दिया गया है और क्या यह सच है कि सरकार ने इसके लिए सर्वेक्षण और निरिक्षण करने के आदेश जारी किये है ;

(ख) यदि हां, तो इस मामले में कितनी प्रगति हुई है,

(ग) क्या सरकार ने इस मामले में कोई निर्णय किया है, यदि हां, तो कब तथा क्या ;

(घ) यदि सरकार अब तक कोई निर्णय नहीं कर पायी तो विलम्ब के क्या कारण है; और

(ङ) कब तक निर्णय कर लिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां। इस प्रस्ताव की पुनः जांच शुरु करने के लिए रेल प्रशासन को कहा गया है ।

(ख), (ग), (घ) और (ङ) : जांच पड़ताल का काम प्रगति पर है और आशा है कि रिपोर्ट शीघ्र ही मिल जायेगी जैसे ही रिपोर्ट प्राप्त हो जाएगी । और उसकी जांच कर ली जायेगी तो तत्सम्बन्धी सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस प्रस्ताव के बारे में विनिश्चय किया जायेगा ।

विदेशों में रेल-निर्माण कार्य में भारत की सहायता

3616. **श्री यशवन्त बोरोले :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत ने रेल-निर्माण कार्यों में सहायता देने के लिए गत वर्ष किन किन देशों के साथ सहयोग किया है ;

(ख) इस अवधि में उन देशों को कुल कितने तकनीकी कर्मचारी गये ; और

(ग) ऐसे सहयोग कर्ताओं से कुल कितनी आय हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) विदेशों की रेल प्रणालियों के विकास में भारत रेल इंडिया टैक्निकल एंड इकानामिक सर्विसेज लि०, (राइट्स) तथा इंडियन रेलवे कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लि०, (इरकान) नामक सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों, जिनका गठन रेल मंत्रालय के संरक्षण में क्रमशः 1974 और 1976 में किया गया था, के माध्यम से भाग लेता है। विगत एक वर्ष के दौरान 'राइट्स' ने फिलीपीन्स, घाना, नाइजीरिया, बांगला देश तथा मलेशिया में वर्तमान रेल प्रणालियों को मजबूत करने/पुनः बनाने, चल स्टाक के अनुरक्षण में सुधार आदि के सम्बन्ध में परामर्श देने के लिए ठेके प्राप्त किये हैं ।

(ख) कुल मिलाकर 32 तकनीकी कर्मचारी विदेशों में प्रतिनियुक्ति पर भेजे गये। उनमें से 13 कर्मचारी उनको सोंपा गया काम समाप्त हो जाने पर भारत वापस आ गये हैं।

(ग) लगभग 69.7 लाख रुपये ।

गुरुपुर नौपाडा लाइन (दक्षिण पूर्व रेलवे)

3617. **श्री गिरिधर गोमांगो :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दक्षिण पूर्व रेलवे के अन्तर्गत गुरुपुर-नौपाडा नैरो गैज लाइन के सुधार के लिए वर्ष 1977-78 के लिए कितनी धन राशि दी गई ; और

(ख) इस लाइन के काम में कितनी प्रगति हुई और लाइन को लाभकर बनाने के लिए मंत्रालय के अगले वर्ष के क्या कार्यक्रम हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) दक्षिण पूर्व रेलवे के अंतर्गत गुरुपुर-नौपडा छोटी लाइन के सुधार के लिए 1977-78 में 2.20 लाख रुपये खर्च होने की प्रत्याशा है।

(ख) 33.80 किलोमीटर पटरी के नवीकरण का काम पूरा हो गया है। थोड़ा-थोड़ा करके 56.20 कि०मी० में स्लीपरों के नवीकरण का काम चल रहा है और आशा है कि यह काम 1978-79 में पूरा हो जायेगा। पटरी और स्लीपर दोनों के नवीकरण का काम परिचालनिक दृष्टि से किये जा रहे हैं।

चित्रकूट-कटनी तक रेल लाइन

3618. **श्री नरेंद्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में चित्रकूट से गढ़ा कालिंगर, पहाड़ी खेड़ा लखीमपुर, पन्ना, सतना आदि होकर मध्य प्रदेश में कटनी तक रेल लाइन चालू करने के बारे में एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है,

(ख) यदि हां, तो क्या क्षेत्र के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए वह इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : जी हां, सरकार की यह नीति है कि देश के उन पिछड़े क्षेत्रों में रेल लाइनों का निर्माण किया जाय जहां यातायात की पर्याप्त संभावनाएं मौजूद है और जहां इनके निर्माण से उन क्षेत्रों का विकास हो सके। परन्तु धन की अत्यधिक कमी के कारण जो पहले से शुरु की गई परियोजानाओं के लिए ही अपर्याप्त है, चित्रकूट से कटनी तक नयी रेल लाइन का निर्माण शुरु करना फिलहाल संभव नहीं है।

Connection of Jaipur By Broad Gauge Line

†3619. **Shri Ugrasen :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in order to develop tourism a demand to connect Jaipur by broad gauge railway line was made by the Chief Minister of Rajasthan during the visit of the Prime Minister on the occasion of 250th anniversary of the foundation of Jaipur city; and

(b) if so, the reaction of Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) and (b) : The project for conversion of Delhi-Ahmedabad metre gauge line to broad gauge is already included in the current year's Budget with a token outlay. The progress on this project would depend on the availability of resources. Jaipur will have a broad gauge link on completion of this project.

गांधीधाम-भूज रेल लाइन

3620. **श्री बापू साहेब परुलेकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी धाम-भुज रेल लाइन का छोटी लाइन से बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1971-72 में सर्वेक्षण किया गया था ;

(ख) क्या सरकार का विचार निकट भविष्य में उक्त लाइन से बड़ी लाइन में बदलने का है ; और

(ग) यदि हां, तो कब , और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : वर्तमान गांधीधाम-भुज मीटर लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए 1971-72 में किये गये प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण के परिणामस्वरूप यह पाया गया है कि इस खंड पर लाइन क्षमता न केवल वर्तमान यातायात के लिए बल्कि निकट भविष्य में प्रत्याशित अतिरिक्त यातायात की ढुलाई के लिए भी पर्याप्त है । इसलिए , फिलहाल इस लाइन का आमान परिवर्तन करने का प्रस्ताव नहीं है ।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इंडियन आयल लि० में विदेशी विशेषज्ञ

3621. **श्री श्याम प्रसन्न भट्टाचार्य** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग और इंडियन आयल लिमि० में कुल कितने विदेशी तकनीकी विशेषज्ञ, इंजीनियर और तकनीशियन काम कर रहे हैं ; और

(ख) विशेषज्ञों को दिये जाने वाले वेतन, भत्तों और अन्य परिलब्धियों का देशवार ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

बहुराष्ट्रीय औषध फर्मों द्वारा औषध व्यापार में लाभ कमाया जाना

3622. **श्री एस० डी० सोमसुन्दरम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश के औषधी उद्योग में बहुराष्ट्रीय औषध फर्में क्या योगदान दे रही है तथा उनके हाथ में कितने प्रतिशत व्यापार है ;

(ख) क्या ये फर्में औषध व्यापार में अत्यधिक लाभ अर्जित करती हैं ;

(ग) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए एक समयबद्ध योजना बनायी है कि औषधि बाजार में इन फर्मों का अत्यधिक नियंत्रण न हो ; और

(घ) यदि हाँ तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) औषध उद्योग के संगठित क्षेत्र में कुल निवेश का (साम्य पूंजी, दीर्घकालीन ऋण और आरक्षण और अधिशेष) 430-450 करोड़ रुपये का अनुमान है। लगभग 180 करोड़ रुपये का विदेशी निवेश है जो लगभग 41% बनता है ।

गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी कम्पनियों और भारतीय कम्पनियों द्वारा औषधों का वार्षिक उत्पादन नीचे दिया गया है :—

(रुपये करोड़ों में)

	प्रपुंज औषध			सूत्र योग		
	1974-75	1975-76	1976-77 (अनुमानित)	1974-75	1975-76	1976-77 अनुमानित)
विदेशी . .	34	52	63	203	300	292
सरकारी।लघु क्षेत्र सहित भारतीय .	56	78	87	197	260	408
योग .	90	130	150	400	560	700

उपर्युक्त सारणी से यह ज्ञात होता है कि 1976-77 के दौरान देश में तैयार सूत्रयोगों के कुल उत्पादन में विदेशो कम्पनियों का 41.7% भाग था जब कि 1975-76 के दौरान 53.5 था।

(ख) औषधों के मूल्य कानूनी रूप से औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के अन्तर्गत नियंत्रित हैं। उक्त आदेशो के अन्तर्गत एक बार निर्धारित किए हुए मूल्यों को सरकार के पूर्व अनुमति के बिना बढ़ाया नहीं जा सकता। आदेश के संचालन के ज़रिए औषध फर्मों के कार्यकलापों को उचित पैरा मीटरों के अन्तर्गत रखना संभव हो पाया है।

(ग) और (घ) : औषध और भेषज उद्योगों पर हाथी समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं कि विदेशी औषध निर्माता फर्मों के कार्यकलापों पर किस प्रकार कार्यवाही को जाए ये सरकार के विचाराधीन है और उन पर शीघ्र निर्णय लेने की संभावना है।

तथापि, विदेशो कम्पनियों के विस्तार का विनियमन करने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई चयनात्मक नीति के अनुसार निम्नलिखित उपाय किए जा रहे हैं :—

(i) औषधों का संकेतिक वर्गीकरण किया गया है जिसके अनुसार कुछ औषधें पूर्ण रूप से केवल सार्वजनिक।भारतीय क्षेत्र में उत्पादन के लिए आरक्षित की गई हैं।

(ii) निर्माण स्कीमो के अनुमोदन में उद्योग के भारतोय क्षेत्र को प्राथमिकता दी जाती है।

(iii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा और प्रपुंज औषधो का उत्पादन किया जा रहा है।

(iv) सामान्य रूप से विदेशो कम्पनियों को सूत्रयोग उत्पादन के लिए औद्योगिक लाइसेंस केवल तभी दिये जाते हैं जब ये प्रपुंज औषधों के उत्पादन के साथ जुड़ा हुआ होता, जबकि भारतीय कम्पनियों को अतिरिक्त सूत्रयोग क्षमता के लिए प्रपुंज औषधों का उत्पादन करने के बिना ही कुछ सीमा के अन्दर स्वीकृति दी जाती हैं।

(v) क्षमता में विस्तार करने अथवा कोई नई प्रक्रिया आरम्भ करने के लिए स्वीकृति केवल इसी शर्त पर दी जाती है कि विदेशो कम्पनियां और अधिक मूल स्तर पर प्रपुंज औषधों का उत्पादन करें तथा उसका उचित भाग असम्बद्ध सूत्रयोग निर्माताओं को उपलब्ध कराएं। जहां कहीं आवश्यक समझा जाता है वहां पर निर्यात वचनबद्धता भी लगाई जाती है।

Broad Gauge Line From Rampur to Haldwani

†3623. **Shri Bharat Bhushan:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the original estimates of laying a broad gauge railway line from Rampur to Haldwani and of converting Muradabad-Ramnagar railway line into a broad gauge railway line and the expenditure incurred thereon upto the end of 1976-77;

(b) the progress made in regard to the work on both these railway lines;

(c) the names of places which will be directly linked with Haldwani and Ramnagar after the work on both these railway lines is completed; and

(d) the time by which the work on them is likely to be completed?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): The project for providing broad gauge links to Ramnagar and Kathgodam from Moradabad and Rampur with the objective of providing a direct link to the hill areas of Uttar Pradesh was included in the Budget for 1974-75 at a cost of Rs. 15 crores. A sum of Rs. 11.90 lakhs has been spent on the project upto the end of March 1977. According to the latest estimates the gauge conversion of Moradabad-Ramnagar line which forms one phase of the scheme is estimated to cost Rs. 7.34 crores and the new line from Rampur to Haldwani Rs. 14.42 crores.

(c) The proposed stations on Rampur-Haldwani line are Chamrau Kemri, Bilaspur, Kausalganj, Rudrapur, Tanda, Lalkua and Haldwani. The existing stations will be retained on the Moradabad-Ramnagar line after gauge conversion.

(d) On account of the shortage of resources, no target date has been fixed for completion of the project.

Railway Line Between Abdulla Ganj and Jabalpur

†3624. **Shri Raghavji:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether the Railway Administration have received a demand for laying a railway line between Abdulla Ganj and Jabalpur in Madhya Pradesh;

(b) if so, the reaction of Government to this demand;

(c) whether a survey will be conducted on this proposed route; and

(d) whether any survey was conducted on this route in the past; if so, when it was conducted alongwith the results thereof?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) to (d): No. Jabalpur is already connected with Obaidullaganj by a broad gauge line via Narsinghpur and Itarsi. It may not be possible to consider the proposal for survey for a new railway line between Jabalpur and Obaidullaganj at present on account of constraint of resources.

इलाहाबाद में लाइसेंस धारी कुली

3625. **श्री ईश्वर चौधरी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर रेलवे में इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर काम कर रहे लाइसेंस धारी कुलियों को स्थायीकरण योजना के अन्तर्गत लाने के बारे में संसद सदस्यों तथा अन्य व्यक्तियों से प्राप्त ज्ञापनों का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या डिवीजनल सुपरिंटेंडेंट इलाहाबाद ने स्थायीकरण योजना के अंतर्गत लाइसेंस धारी कुलियों को खाने के आदेश जारी किए थे परन्तु सोसाइटी के सचिव ने यथास्थिति बनाये रखने हेतु निर्देश जारी करने के लिए रेलवे बोर्ड पर दबाव डाला था ;

(ग) क्या जहां तक इलाहाबाद स्टेशन का संबंध है, सोसाइटी का सचिव कुछ अधिकारियों की सहायता से स्थायीकरण का योजना को लागू न करने में सफल रहा जैसा कि उस अवधि के दौरान किया गया जब मैसर्स बल्लभदास अग्रवाल ने ठेका लिया हुआ था ; और

(घ) सरकार इलाहाबाद में योजना किस तिथि से लागू करेगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : लाइसेंसधारी कुलियों की 'स्थायीकरण योजना' इलाहाबाद रेलवे स्टेशन को छोड़कर सभी रेलवे स्टेशनों पर लागू कर दी गयी थी। इलाहाबाद स्टेशन पर कुलियों की सप्लाई का ठेका मैसर्स रेलवे स्टेशन पोर्टर्स को-आपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट सोसाइटी लि०, इलाहाबाद, जो इस स्टेशन पर कार्यरत कुलियों की एक सहकारी समिति है, को 1-4-60 से दिया गया था तथा समय-समय पर बढ़ाकर 31-12-1976 तक कर दिया गया था। इलाहाबाद के मंडल अधीक्षक ने 26-4-1977 को इलाहाबाद स्टेशन पर 'स्थायीकरण योजना' लागू करने के आदेश जारी किए थे और इस संबंध में सोसाइटी को एक नोटिस भी दिया था। इस स्टेशन पर 'स्थायीकरण योजना' लागू किए जाने के विरुद्ध सोसायटी तथा कुलियों से अभ्यावेदन प्राप्त होने पर मंडल अधीक्षक, इलाहाबाद ने इस योजना का कार्यान्वयन रोक दिया था।

इलाहाबाद स्टेशन पर कुलियों के लिए स्थायीकरण योजना लागू करने के हक में और विरोध में तथा सोसाइटी के साथ किये गये करार को जारी रखने के हक में और विरोध में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और संसद सदस्यों की ओर से पत्र प्राप्त हुए हैं। दोनों पद्धतियों के गुण-दोषों को ध्यान में रखते हुए, इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर 'स्थायीकरण योजना' लागू करने का संपूर्ण प्रश्न रेल मंत्रालय के विचाराधीन है। किन्तु, इस बारे में रेल मंत्रालय द्वारा अभी तक कोई आदेश जारी नहीं किये गये हैं।

इलाहाबाद में साइकिल स्टैंड के ठेके के लिए टेंडर

3626. **श्री बटेश्वर हेमरम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इलाहाबाद में साईकिल स्टैंड के ठेके के लिये टेंडर देने का समय तथा तिथि 16 अगस्त, 1977 से बढ़ाकर 17 अगस्त, 1977 एक बजे म० प० कर दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो टेंडर की शर्तों में ऐसा परिवर्तन किसके आदेश से किया गया;

(ग) क्या टेंडर देने के समय और तिथि में ऐसा परिवर्तन करने के बारे में अग्रिम सूचना उन पार्टियों को दी गई थी जिन्होंने टेंडर के फार्म खरीदे थे अथवा पार्टियों को प्रेस अधिसूचना जारी करके सूचित किया गया था; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) रेलवे द्वारा न्यायालय में दिये गये एक वचन के कारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसकी अवधि 17-8-1977 के 13-00 बजे तक बढ़ायी गयी थी।

(ग) और (घ) : समयाभाव के कारण इच्छुक टेंडर दाताओं को डाक से अथवा प्रेस अधिसूचना द्वारा इत्तला नहीं दी जा सकी । लेकिन, टेंडर दाताओं की सूचना के लिए टेंडर डालने के समय और तारीख में परिवर्तन के सम्बन्ध में एक उपयुक्त अधिसूचना नोटिस बोर्ड पर लगा दी गयी थी ।

इलाहाबाद डिवीजन में 'डाक चेंजर्स के पद'

3627. **श्री एन० के० शेजवलकर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आपात काल के दौरान इलाहाबाद डिवीजन में 'डाक चेजर्स के नये पद बनाये गये थे ;

(ख) क्या भारतीय रेलवे के अन्य बड़े स्टेशनों पर भी ऐसे पद बनाये गये थे और उन पदों पर नियुक्तियां की गई थीं ;

(ग) यदि हां, तो इस काम के लिए कितने व्यक्ति नियुक्त किये गये थे और उनपर कितनी धनराशि महीने-वार अलग-अलग खर्च की गई थी ;

(घ) क्या वास्तव में वाणिज्यिक अधिकारियों ने इन व्यक्तियों से अपने निजी कार्य करवाये थे ;

(ङ) क्या सतर्कता शाखा ने वाणिज्यिक अधिकारियों द्वारा अपनी स्थिति का लाभ उठाकर इस प्रकार जाली पद भरे जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई जांच की है ; और

(च) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी नहीं ।

(ग) से (च) : प्रश्न नहीं उठता ।

फ्रांस के तेल विशेषज्ञों और भारत सरकार के अधिकारियों के बीच बातचीत

3628. **श्री डी० अमात :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फ्रांस के तेल विशेषज्ञों के एक दल ने भारत का दौरा किया था और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हाँ, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जबकि यह सच्चाई है कि मुख्य रूप से उपकरणों के निर्माण में लगी हुई फ्रांसिसी कम्पनियों के एक शिष्ट-मंडल ने इस वर्ष अगस्त-सितम्बर में भारत का दौरा किया था, परन्तु प्रतिनिधिमंडल ने पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालयों के अधिकारियों से कोई विचार विमर्श नहीं किया ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

मैसर्स सैंडोज, मे एंड बेकर, ग्लैक्सो और होचेस्ट फार्मेस्युटिकल्स द्वारा उन्हें जारी किये गये लाईसेंसों की शर्तों का पूरा किया जाना

3629. **श्री आर० के० अमीन :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान मैसर्स सैंडोज, मे एंड बेकर, ग्लैक्सो और होचेस्ट फार्मास्युटिकल्स द्वारा उन्हें जारी किये गये औद्योगिक लाइसेंसों की शर्तों को पूरा करने के कार्य का तथा विदेशी निवेश बोर्ड/सी० जी० कमेटी आदि द्वारा रखी गई शर्तों का अध्ययन किया है ;

(ख) मंत्रालय के सम्बद्ध प्राधिकारी, जिसने उस शर्तों को लगाया, से सलाह मशविरा किये बिना कितने मामले में इन शर्तों की व्याख्या की है तथा उन्हें हटाया है ;

(ग) क्या इस मामले में कानूनी सलाह ली गई थी और यदि हां, तो उसका स्वरूप तथा विषय वस्तु क्या है ; और

(घ) इस संबंध में सरकार का क्या अग्रेतर कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में मैसर्स सेन्डोज, मैसर्स मे एण्ड बेकर, मैसर्स ग्लैक्सो हेक्स्ट के कार्य संचालन के बारे में कोई विशेष अध्ययन नहीं किया गया है। तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों को दिये गये लाइसेंसों में लगाई गई शर्तों को इन कम्पनियों ने पूरा किया है अथवा नहीं इसके बारे में सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जायेगी ।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन कम्पनियों को दिये गये औद्योगिक लाइसेंसों पर लगाई गई किसी भी शर्त को पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्रालय द्वारा समाप्त नहीं किया गया है ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता ।

आसनसोल डिवीजन पूर्वी रेलवे में रिक्त पदों को भरा जाना

3630. **श्री रोबिन सेन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आसनसोल डिवीजन, पूर्वी रेलवे में 28 मई, 1974 से सितम्बर, 1977 तक की अवधि में टिकट कलक्टर, ट्रेन क्लर्क, वाणिज्यिक क्लर्क, गार्ड, फायरमैन आदि की श्रेणियों में कितने रिक्त पद भरे गए ;

(ख) आसनसोल डिवीजन में इस अवधि के दौरान कितने रिक्त पदों को सीधी भर्ती तथा विभागीय भर्ती द्वारा भरा गया ; और

(ग) इस अवधि के दौरान यदि किसी कर्मचारी के संबंधियों की भर्ती की गई तो उन कर्मचारी और विभागों के नाम क्या हैं ?

रेल मंत्रालय म राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : सूचना इकट्ठी जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

औषधियों के मूल्यों में वृद्धि

3631. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान सरकार की स्वीकृति से सल्फा औषधियों तथा एण्टी बायोटिक औषधियों सहित विभिन्न औषधियों के मूल्यों में वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी प्रत्येक औषधि के मूल्य में कहां तक वृद्धि हुई है तथा उनके मूल्य में वृद्धि करने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या औषधियों के मूल्यों के मामले में निर्धन उपभोक्ताओं को संरक्षण देने की कोई योजना लाने का प्रस्ताव है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : प्रपुंज औषधों के मूल्यों में औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के प्रावधानों के अन्तर्गत सरकार द्वारा समय समय पर संशोधन किया जाता है। लागत/लागत व तकनीको जांच के आधार पर 1970 से देशीय रूप में उत्पादित 42 महत्वपूर्ण प्रपुंज औषधों के मूल्यों और उनके आयातित मूल्यों में वृद्धि/कमी को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है। उक्त प्रपुंज औषधों के मूल्यों के आधार पर सम्बंधित निर्माताओं को सूत्रयोगों के मूल्यों में भी संशोधन करने की अनुमति दी गई है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 134077]

(ग) किसी भी कानूनी मूल्य नियंत्रण पद्धति में मूल्यों में वृद्धि अथवा कमी स्वाभाविक होती है। औषध और भेषज उद्योग पर गठित हाथी समिति ने अन्य बातों के साथ साथ औषधों के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने की सिफारिश भी की थी। समिति की सिफारिशो पर अन्तिम रूप से विचार किया जा रहा है।

मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड (आई) पी० लि० को लाईसेंस जारी किया जाना

3632. **श्री सुरेन्द्र विक्रम** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में मैसर्स सी० ई० फुलफोर्ड (आई०) पी० लि० को जेन्टा माईसिन सल्फेट और फार्मूलेशन का उत्पादन करने के लिए लाइसेंस दिया है ;

(ख) यदि हां तो लाइसेंस की संख्या प्रत्येक वस्तु की क्षमता मूल्य आदि क्या है ;

(ग) ऐसा लाइसेंस इस बहुराष्ट्रीय फर्म को देने के क्या कारण है जबकि इन साधारण फार्मूलेशनों की जानकारी भारतीय फर्मों के पास उपलब्ध हैं ; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान किन भारतीय फर्मों ने इसी प्रकार के फार्मूलेशनों के लिए आवेदन किया था और उन्हें किस सीमा तक मंजूरियां दी गई थीं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) : प्रश्न नहीं उठता।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान निम्नलिखित भारतीय फर्मों ने जैंटामाइलहन सल्फेट पर आधारित सूत्रयोगों का निर्माण करने के लिए आवेदन किया है।

1. मैसर्स यूफोरिक लि०
2. मैसर्स हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि०
3. मैसर्स तमिलनाडु दाधा फार्मास्यूटिकल्स
4. मैसर्स स्टैंडर्ड फार्मास्यूटिकल्स

क्रमांक 1 से 3 पर दिखाई गई फर्मों को आवश्यक औद्योगिक लाइसेंस दिया गया है।

क्रमांक 4 के नामे लिखित फर्म का आवेदन-पत्र विचाराधीन है।

गोलपाड़ा- गोहाटी के बीच रेलवे लाइन

3633. **श्री अहमद हुसैन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने गोहाटी विश्वविद्यालय से गोलपाड़ा-गोहाटी, गोलपाड़ा-तुरा के बीच रेलवे लाइन और जोगीधोपा और पंच रत्ना के निकट ब्रह्मपुत्र के ऊपर पुल की व्यवस्था करने की आर्थिक लाभप्रदता के बारे में सर्वेक्षण करने को कहा था ;

(ख) क्या विश्वविद्यालय ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है जिसमें रेलवे लाइन और पुल के बारे में सिफारिश की गई है ; और

(ग) परियोजना को किस तिथि तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है और कार्य को पूरा करने के लिए कौनसी लक्ष्य तिथि निर्धारित की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : जोगीघोपा से गुवाहाटी तक ब्रह्मपुत्र नदी के दक्षिणी किनारे के साथ-साथ एक नयी बड़ी लाइन रेल सम्पर्क के लिए एवं परिवहन संबंधी अध्ययन रेलवे की लागत पर गुवाहाटी विश्वविद्यालय को सौंपा गया था। विश्वविद्यालय ने केवल उप क्षेत्र की आर्थिक सम्भावनाओं से संबंधित भाग का अध्ययन पूरा किया है लेकिन यातायात की मात्रा और परियोजना की लागत का आकलन नहीं किया गया। फिर भी, उनका कहना था कि परियोजना के निर्माण के लिए यह मामला बनता दिखायी देता है। लेकिन, इस योजना पर निर्णय लेने के लिए यह पर्याप्त नहीं समझा जाता।

दुधनी से होकर जोगीघोपा/पंचरत्ना से दारणगिरि तक एक नयी रेल लाइन बिछाने तथा गुवाहाटी से दुधनी तक दूसरी रेल लाइन बिछाने के सम्बन्ध में एक प्रारम्भिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण पूर्वोत्तर परिषद् की लागत पर हाल ही में किया गया था। परियोजनाओं के निर्माण के संबंध में अभी तक कोई विनिश्चय नहीं लिया गया।

श्रीमती गांधी की गिरफ्तारी के दिन तमिलनाडु में रेल सेवा का अस्त व्यस्त होना

3634. **श्री के० टी० कोसलराम** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या श्रीमती गांधी की गिरफ्तारी के दिन तमिलनाडु क्षेत्र में रेल गाड़ी सेवा में कोई अस्त-व्यस्तता हुई थी, और

(ख) यदि हां, तो उससे कितनी क्षति हुई ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) गाड़ी सेवाओं में कोई गड़बड़ नहीं हुई। लेकिन, 27 मेल तथा एक्सप्रेस 21 यात्री और 9 उपनगरीय गाड़ियों के समय-पालन पर प्रभाव पड़ा था।

(ख) रेल सम्पत्ति को कोई क्षति नहीं हुई।

वर्ष 1974 में हड़ताल पर गये कर्मचारियों की बहाली

3635. **श्री शरद यादव** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने 1974 में हड़ताल पर गए सभी कर्मचारियों की बहाली के बारे में 6 अप्रैल, 1977 को एक आदेश जारी किया था;

(ख) यदि हां, तो उसकी एक प्रति सप्लाई की जायेगी;

(ग) क्या दक्षिण पूर्व रेल प्रशासन ने इसे अभी पूर्णतः लागू नहीं किया है, और

(घ) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के नाम क्या हैं जिनको उक्त आदेश के अंतर्गत अभी तक राहत नहीं दी गयी है और उनके मामलों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) रेलों के महाप्रबंधकों को दिए गए संबंधित आदेशों की एक प्रति संलग्न है।

[ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1341/77]

(ग) और (घ) : दक्षिण पूर्व रेलवे ने नीचे दिए गए कुछ ऐसे मामलों को छोड़कर जो प्रशासन के नियंत्रण से बाहर हैं, आदेशों को कार्यान्वित किया है।

सूचना नीचे दी गयी है :—

(1) **ऐसे कर्मचारियों को बहाली जिन्हें बर्खास्त कर दिया गया था, नौकरी से हटा दिया गया था या जिनकी सेवा समाप्त कर दी गई थी** :—28-2-77 को जो 182 कर्मचारी नौकरी से बाहर थे उनमें से केवल दो कर्मचारी ही अब नौकरी से बाहर हैं क्योंकि वे आजन्म कारावास भुगत रहे है।

(2) **निलम्बित कर्मचारियों को ड्यूटी पर वापस लेना** :—सभी 39 व्यक्तियों को, जो 28-2-77 को निलम्बित थे, नौकरी में वापस ले लिया गया है।

(3) **कर्मचारी जिन्हें शुरु में नयी भर्ती के रुप में रखा गया था लेकिन अब उन्हें बहाल मान लिया गया है** :—28-2-77 को उनकी संख्या 252। सभी को बहाल कर दिया गया है।

(4) **जिन नैमित्तिक/एवजी मजदूरों की नौकरी समाप्त कर दी गई थी उन्हें सेवा में वापिस ले लेना** :—28-2-77 को जो 1655 कर्मचारी नौकरी से बाहर थे उनमें से 1581 मजदूर सेवा में लग गए हैं। शेष 74 में से :

(i) 53 मर गए हैं,

(ii) 4 मजदूर आंख की बीमारी, लम्बी बीमारी या पंगु होने के कारण नौकरी पर नहीं आये,

(iii) 17 मजदूरों ने ड्यूटी नहीं ली। हालांकि उनकी बहाली का आदेश जारी कर दिया गया था और उन्हें सूचित कर दिया गया था।

(5) **सेवा भंग को माफ करना** :—28-2-77 को जितने कर्मचारियों का सेवा भंग माफ नहीं किया गया था 210। सभी की सेवा भंग को समाप्त करने का आदेश जारी कर दिया गया है।

(6) **हड़ताल के कारण किये गय स्थानान्तरणों को रद्द करना** :—28-2-77 को स्थानान्तरणों की संख्या 701। सभी स्थानान्तरण रद्द कर दिए गए हैं।

(7) **अन्य सजाएं जैसे-वेतन वृद्धि रोकना, निचले ग्रेड में प्रत्यावर्तन आदि को रद्द करना** :— इनकी संख्या 3,075 : सभी सजाएं माफ कर दी गई।

रेलवे के बारे में अन्तरिम प्रतिवेदन

3636. **डा० हेनरी आस्टिन** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग ने रेलवे से अनुरोध किया है कि वे रेलवे के बारे में एक अन्तरिम प्रतिवेदन नवम्बर, 1977 के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत कर दें जिसमें 1978-79 की अवधि के लिए मुख्य भौतिक लक्ष्य तथा अनुमानित निवेश शामिल हों;

(ख) यदि हां, तो क्या रेलवे के कार्यकारी दल ने उसे प्रस्तुत कर दिया है;

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना आयोग ने इस प्राक्कलन को कहां तक स्वीकार किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : योजना आयोग ने अगली पंचवर्षीय अवधि के 1978-79 से 1982-83 तक के वर्षों के दौरान रेलों से संबंधित योजना को कार्यान्वित करने के लिए रेलों पर एक कार्यकारी दल की स्थापना की है । इस दल से अपनी अंतरिम रिपोर्ट जिसमें मुख्य प्रत्यक्ष लक्ष्यों तथा पूंजी लगाने की प्रस्थापना शामिल है, नवम्बर, 1977 के प्रथम सप्ताह तक प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था । इस दल द्वारा विचार-विमर्श जारी है और शीघ्र ही वह अपनी रिपोर्ट योजना आयोग को प्रस्तुत कर देगा ।

(ग) और (घ) : प्रश्न नहीं उठता

Fee Charged by Advocates of Supreme Court

†3637. **Shri Daya Ram Shakya :** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have fixed the per day fee of senior advocates of the Supreme Court at the limit of Rs. 600 whereas they are earning Rs. 1800 per day; and

(b) whether, with a view to provide cheap justice Government will open a counter in the Supreme Court where the applicant can get a receipt in lieu of the fee deposited by them?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Narsingh) : (a) No, Sir.

(b) The litigant engages a counsel of his choice in the Supreme Court and the fees are settled between them directly. Therefore, the suggestion of deposit of fee paid by the litigant to the Advocate and issuing a receipt therefor by the Supreme Court Registry does not arise.

New Railway Line in Rewa Division

†3638. **Shri Y. P. Shastri :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the steps being taken to construct new railway lines in Rewa Division of Madhya Pradesh and in Koraput and Sambalpur in Orissa, which are the most backward districts of these States in fulfilment of the assurance given by him during his first speech in Lok Sabha that new railway lines would be laid in backward areas of Madhya Pradesh and Orissa; and

(b) whether the work for the construction of Satna-Rewa railway line in Rewa division will be taken up during next year?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b): A traffic survey for a breach line from Satna to Beohari carried out during 1973 revealed that the project will not attract sufficient traffic. Recently a re-appraisal has been made for the short length from Satna to Rewa on the basis of the survey carried out during 1973. Final decision in the matter will be taken after the report is examined from all angles, taking into account the availability or resources.

Surveys for construction of the following railway lines in Orissa have been included in this year's Budget :—

1. New Broad Gauge line from Talchar to Sambalpur.
2. New Broad Gauge line from Koraput to Parvatipuram/Salur.

कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत नियमों का संग्रह

3639. **श्री के० राममूर्ति :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों तथा प्रपत्रों के विभाग द्वारा तैयार किये गये संग्रह का विमोचन कर दिया गया है ;

(ख) कम्पनी अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत बनाये गये विभिन्न नियमों तथा प्रपत्रों के ऐसे संग्रह को तैयार करने में हुए असाधारण विलम्ब के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या नियमों तथा प्रपत्रों के इस संग्रह को देश की क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रकाशित किया जायेगा ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शांति भूषण) : (क) तथा (ख) : यह संग्रह विभाग द्वारा तैयार किया गया था व नवम्बर, 1976 में भारत सरकार मुद्रणालय को मुद्रण के भेजा गया था । चूंकि इस प्रकाश में 565 पृष्टों की संख्या तक मुद्रण सामग्री थी, जिसमें नियमों के 30 कुलक व प्रपत्रों के 250 कुलक सम्मिलित थे, अतः इस प्रकाशन के मुद्रण में कुछ देरी हो गई है। तथापि, ऐसी आशा है कि संकलन, प्रकाशन नियंत्रक दिल्ली द्वारा बिक्री के लिय शीघ्र ही विमोचित कर दिया जायेगा ।

(ग) नहीं, श्रीमान् जी ।

रेल गोदामों से आवश्यक वस्तुओं का छुड़ाया जाना

3640. **श्री समर गुह :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत से बेईमान थोक व्यापारियों ने विभिन्न महत्वपूर्ण वाणिज्यिक रेलवे स्टेशनों पर रेलवे गोदामों से बहुत सी आवश्यक वस्तुओं तथा उपभोक्ता वस्तुओं को छुड़ाने में विलम्ब किया;

(ख) क्या देरी का तरीका बहुत सी आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में बनावटी वृद्धि लाने के लिये अपनाया गया था ;

(ग) यदि हां, तो जनता सरकार ने गठन के पश्चात् से इस बारे में क्या तथ्य पता लगे हैं; और

(घ) थोक व्यापारियों की हेराफेरी को विफल करने के लिये गोदामों से वाणिज्यिक माल छुड़ाने तथा माल डिब्बों के आवागमन को विनियमित करने के बारे में क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जाने हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (घ) : सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

Additional Annual Increments to DLW Employees

†3641. **Shri Chandra Shekhar Singh :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the reasons for not granting additional annual increments to 6000 employees of D. L. W., Varanasi when 450 other employees were granted advance increments for being loyal;

(b) whether it is a fact that during the period of strike no employee of D. L. W. except a telephone operator, reported for duty from 8th May, 1974 to 16th May, 1974;

(c) whether it is also a fact that a large number of employees of D. L. W. have been suspended and removed from service and 8 employees have been demoted. nine compulsorily retired during the Emergency and the reasons therefor; and

(d) if so, the action proposed to be taken by Government in the matter?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Grant of advance increments was subject to fulfilment of certain conditions. Only 445 out of a total of 6642 employees who fulfilled these conditions were granted advance increments.

(b) No.

(c) Under the normal operation of Railway Servants (Discipline and Appeal) Rules, during Emergency 27 employees were suspended out of which suspension of 18 has been revoked; 60 employees were removed/dismissed out of which 4 have been reinstated. All these employees were removed/dismissed/suspended as a result of conviction by court or arrest under criminal offence or for breach of Conduct Rules.

9 employees were compulsorily retired as a result of review of their service after attaining prescribed age or length of service. Out of these, 3 have since been reinstated in their respective class and one in lower class. 2 employees were reverted as a result of review of their cases after promotion and they have since been repromoted.

(d) Discipline and Appeal Rules provide that the affected staff may submit appeals/review petitions to the competent authority against the punishment imposed under D. & A. Rules. Instructions have also been issued that the cases of staff dismissed/removed from service without giving them an opportunity to defend themselves during the Emergency may be reviewed once again.

हावड़ा-आम्ता रेल लाइन का पूरा होना

3642. **श्री मोहम्मद हयात अली :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हावड़ा-आम्ता बड़ी रेल लाइन को पूरा करने में विलम्ब के क्या कारण हैं ;

(ख) पूर्व रेलवे की अन्य ऐसी परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है जिसके सम्बन्ध में व्यवहार्यता अध्ययन कार्य पूरा कर लिया गया तथा वे रेल मंत्रालय के पास लम्बित पड़े हैं ; और

(ग) इस परियोजना के कार्य को पूरा करने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ग) : इस परियोजना को पूरा करने में विलम्ब का मुख्य कारण धन की कमी का होना है। इस परियोजना को शीघ्र पूरा करने के लिए अधिक पूंजी के नियतन के लिए प्रयास किये जा रहे हैं।

(ख) विगत पांच वर्षों के दौरान पूर्व रेलवे पर नयी रेलवे लाइनों के निर्माण के लिए निम्नलिखित सर्वेक्षण किये गये हैं :—

क्रम सं०	लाइनों के नाम जिनका सर्वेक्षण हो चुका है परन्तु निर्माण कार्य अभी शुरू होना है	लम्बाई कि० मी० में	निर्माण के के लिए वर्तमान अनुमानित लागत (करोड़ रु० में)	निर्माण-कार्य शुरु न करने के कारण
1	2	3	4	5
1	लक्ष्मीकांतपुर-काकद्वीप कालपी के रास्ते	30.00		
2	केनिंग-गोलाबरी . .	20.00	25.00	संसाधनों का अभाव और यातायात की सीमित प्रत्याशा
3	हसनाबाद-प्रतापदित्य नगर भंडार-खलो के रास्ते	29.00		
4	सोनारपुर/चम्पाहाटी से धामखाली बड़ी लाइन	50.00		
5	केनिंग-प्रतापादित्यनगर हाटगाछा बड़ी लाइन	30.00		
6	डहरी-ओन-सोन-पीपर डोह	63.00	11.50	
7	बज बज से नामखाना तक	82.00	10.3	
8	मन्दारहिल-दुमका बड़ी लाइन	64.00	10.00	विचाराधीन
9	दुमका-सैंथिया ब० ला० . .	56.00	6.50	''
10	हजारीबाग टाउन से हजारीबाग रोड	78.00	13.50	संसाधनों का अभाव और यातायात की सीमित प्रत्याशा
11	हजारीबाग-गिरिडोह	56.00	9.00	
12	दुमका-वैद्यनाथधाम	63.00	10.00	विचाराधीन
13	मधुपुर-दुमका .	59.00	10.00	
14	दुमका से रामपुरहाट .	54.00	7.00	संसाधनों का अभाव और यातायात की सीमित प्रत्याशा
15	हजारीबाग टाउन से रांची रोड .	40.00	7.00	

नये उर्वरक संयंत्रों के आकार और फीडस्टाक के बारे में निर्णय

3643. **श्री एस० आर० दामाणी :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भविष्य में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक एककों के सम्बन्ध में उनके आकार के विकल्प, फीडस्टाक आदि के बारे में दृढ़ निर्णय लिये हैं ;

(ख) इस निर्णय द्वारा स्थापित किये जाने वाले एककों का पूरा ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इनमें से प्रत्येक एकक में देश की प्रौद्योगिकी जानकारी और पूंजीगत उपकरण किस सीमा तक काम में लाये जायेंगे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सरकार की यह नीति है कि उर्वरक उत्पादन में स्वदेशी उपलब्ध कच्चे माल का अधिकतम प्रयोग किया जाए। इस नीति के ही अनुसार सरकार द्वारा पहले ही निर्णय लिया गया था कि जहां तक संभव हो भविष्य में स्थापित किये जाने वाले उर्वरक संयंत्रों के लिए नेफ्था का प्रयोग न करते हुए उसके स्थान पर ईंधन तेल/कोयले को प्रयोग में लाया जाए। ईंधन तेल पर आधारित 6 संयंत्र तथा कोयले पर आधारित दो संयंत्र पहले ही कार्यान्वयनाधीन है। बम्बई हाई तथा बेसन (थाला) तट-दूर संरचना और असम से प्राप्त सम्बद्ध फ्री गैस की अधिक मात्राओं की उपलब्धि के फलस्वरूप, सम्भरण सामग्री के रूप में गैस पर आधारित अतिरिक्त क्षमता की स्थापना को अब उच्च प्राथमिकता दी जा रही है। कोयले पर आधारित दो संयंत्रों, जो निर्माणाधीन हैं, के संचालन से प्राप्त अनुभवों पश्चात् ही कोयले पर स्थापित की जाने वाली अतिरिक्त क्षमता के सम्बंध में विचार किया जा सकता है। नये संयंत्रों का आकार, उत्पाद मिश्र (प्रोडेक्ट-मिक्स) अपनाई जाने वाली प्रौद्योगिकी आदि विभिन्न तकनीकी-आर्थिक पहलुओं (जैसे संभरण सामग्रीस्थान, लाभप्रद मार्किटिंग जीन में मांग) पर निर्भर करेगी।

(ग) प्रौद्योगिकी का चयन, संयंत्र के आकार प्रक्रिया आदि तत्वों पर निर्भर करता है जबकि संयंत्र के आकार तथा प्रौद्योगिकी को स्टैंडर्ड को बनाने (मानकीकरण करने) का यत्न किया जायेगा किन्तु कुछ मामलों में संयंत्र के आकार तथा प्रौद्योगिकी में परिवर्तन को रोका नहीं जा सकता। तथापि पृथक पृथक नई योजनाओं की आवश्यकताओं के अनुरूप देश में ही उपलब्ध निर्माण करने की सुविधाओं तथा प्रौद्योगात्मक क्षमताओं का अधिकतम प्रयोग किया जाएगा।

छठी पंचवर्षीय योजना में मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों का विकास कार्य

3644. **श्री सुखेन्द्र सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में रेलवे लाइनों के विकास कार्य की कुछ नई परियोजनाओं को छठी पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने के बारे में सरकार विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जिन नयी लाइनों और आमान परिवर्तन परियोजनाओं को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल करना है उनके बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं किया गया है। फिर भी, हाल के वर्षों में मध्य प्रदेश में निम्नलिखित परियोजनाओं के सर्वेक्षण किये गये हैं और छठी पंचवर्षीय योजना को अंतिम रूप देते समय इन पर विचार किया जायेगा :

1. ढल्ली-राजहरा-जगदलपुर
2. सतना-रीवां-ब्यौहारी
3. महोबा-खजुराहो
4. इन्दौर-महू
5. रांची-कोरबा
6. रतलाम-बांसवाड़ा
7. रायपुर-धामतारी छोटी लाइन का बड़ी लाइन में आमान-परिवर्तन

अहमदाबाद-गांधीनगर बड़ी रेलवे लाइन

3645. **श्री पी० जी० मावलंकर** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि नवनिर्मित और पूरी हुई अहमदाबाद-गांधीनगर बड़ी लाइन पर यात्री यातायात कम रहता है ;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण है और स्थिति में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या अहमदाबाद से गांधीनगर के बीच के मार्ग पर नये रेलवे स्टेशन स्थापित करने के बारे में सरकार को सम्बद्ध व्यक्तियों से कोई अनुरोध और अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां, ।

(ख) बस सेवाओं की तुलना में रेल द्वारा यात्रा में लम्बा समय तथा अधिक किराया लगता है । इसके अलावा, बस सेवाएं अपेक्षाकृत जल्दी-जल्दी मिलती रहती है और वे शहर के बीच से चलती है ।

(ग) जी हां ।

(घ) गांधीनगर और कोडीयार स्टेशनों के बीच उवारसद गांव में स्टेशन खोलने का परिचालनिक दृष्टि से औचित्य नहीं है ।

मारुति कम्पनी के निदेशक श्रीमती सोनिया गांधी की राष्ट्रीयता

3646. **श्री कंवर लाल गुप्त** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि श्री राजीव गांधी की पत्नी श्रीमती सोनिया गांधी ने जो मारुती टैक्नीकल और मारुती हैवी व्हीकल की निदेशक और प्रबन्ध निदेशक रही है और मारुती कम्पनियों की शेयरकारी है, अपनी राष्ट्रीयता "इटालियन" घोषीत की है;

(ख) यदि हां, तो क्या उन्हों ने इन कम्पनियों का निदेशक बनने और भारत मे अपेक्षित पूंजी निवेश करने के लिए सम्बन्धित अधिकारीयों से अनुमति लेली थी ; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस बारे में जांच कराने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कम्पनी रजिस्ट्रार दिल्ली और हरियाणा के पास प्रस्तुत सांविधिक विवरणियों में से कुछ में, मारुती हैवी व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मारुती टेकनीकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड ने श्रीमती सोनिया गांधी की राष्ट्रीयता इटालियन दिखाई है ।

(ख) श्रीमती सोनिया गांधी की मारुति हैवी व्हीकल्स प्राइवेट लिमिटेड और मारुति टेकनीकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक या प्रबन्ध निदेशक के पद पर नियुक्ति का कम्पनी अधिनियम, 1956 के उपबन्धों के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार का अनुमोदन अपेक्षित नहीं था, चूंकि ये कम्पनियां प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियां है । वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार श्रीमती सोनिया गांधी ने इन दो कम्पनियों में शेयर धारण करने की अनुमति के लिए विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 973 की धारा 29(4) के अन्तर्गत कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया था

(ग) दोनों मारुती हैवी व्हीकल्स प्रा० लि० और मारुति टैकनीकल सर्वीसेज प्रा० लि० ने इस विभाग को सूचित किया है कि इन दो कम्पनियों के निदेशकों ने श्रीमती सोनिया गांधी के पक्ष में पहिले आवंटित शेयरों को रद्द कर दिया है चूंकि आवंटन विदेशी मुद्रा विनियमन, अधिनियम 1973 के उपबन्धों के उल्लंघन थे। इस सूचना की कम्पनी अधिनियम के उपबन्धों के संदर्भ में परिक्षा की जा रही है।

पश्चिम रेलवे में लोअर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों के रिक्त पद

3647. **श्री हुकम चन्द कछवाय** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिम रेलवे में इस समय लोअर डिवीजन क्लर्कों और अपर डिवीजन क्लर्कों के कितने पद खाली हैं ; और

(ख) उक्त खाली पदों को भरने के लिये सरकार द्वारा भविष्य में क्या कदम उठाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ख) निम्न श्रेणी लिपिकों की एक तिहाई रिक्तियां (लेखा विभाग में एक चौथाई) चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को पदोन्नत द्वारा भरी जाती है । शेष रिक्तियां सीधी भर्ती के कोटे के अंतर्गत आती हैं जो रेल सेवा आयोगों के माध्यम से भरी जाती हैं। लेकिन, लिपिक वर्गीय पदों के भरने पर प्रतिबंध होने के कारण, सीधी भर्ती वाली केवल 75 प्रतिशत रिक्तियां ही भरी जा सकीं।

अन्य विभागों में उच्च श्रेणी लिपिकों की सभी रिक्तियां और लेखा विभाग में 80 प्रतिशत रिक्तियां पदोन्नति के द्वारा भरी जाती हैं। लेखा विभाग में 20 प्रतिशत रिक्तियां सीधी भर्ती के द्वारा भरी जाती हैं ।

रेल प्रशासन तदनुसार रिक्तियों को भरने के लिए कार्रवाई कर रहा है ।

रेल गाड़ियों का ठीक समय पर चलाया जाना

3648. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1976 में आवधिक तुलनात्मक आंकड़ों से यह पता चलता है कि अप्रैल, 1976 में वर्ष 1977 की उसी अवधि की तुलना में रेलगाड़ियां अपेक्षाकृत ठीक समय पर चलती थी ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और गाड़ियों के ठीक समय पर चलने की स्थिति में ह्रास होने के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या अक्तूबर, 1977 के बाद स्थिति और भी खराब हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ; और

(ङ) किन किन क्षेत्रों में गाड़ियों को अभी ठीक समय पर चलाया जाता रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण): (क) से (ङ) : अप्रैल से अक्तूबर, 1977 तथा नवम्बर, 77 की अवधि में भी, सवारी गाड़ियों का समय पालन कमीबेश उसी स्तर का रहा

जो 1976 की इसी अवधि में था। अक्तूबर और नवम्बर, 1977 के दौरान मुख्यत: दक्षिण और दक्षिण मध्य रेलवे की गाड़ियों के संचलन पर भारी वर्षा, तूफानी मौसम तथा आंदोलनों आदि का दुष्प्रभाव पड़ा। गाड़ियों के समय पालन पर सभी स्तरों पर निगाह रखी जाती है तथा गाड़ियों को समय के अनुसार चलाने का हर संभव प्रयास किया जाता है।

समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली कम्पनियों द्वारा अनियमिततायें

3649. **श्री सुभाष अहूजा :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्हें हाल ही में समाचार पत्र प्रकाशित करने वाली कुछ कम्पनियों द्वारा वित्त सम्बन्धी कुप्रबन्ध तथा अन्य अनियमितताओं के बारे में कोई शिकायत मिली है ; और

(ख) यदि हां, तो इन कम्पनियों द्वारा और अनियमितताओं को रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) अप्रैल, 1977 के पश्चात निर्देशित श्रेणी की शिकायतें, निम्नांकित कम्पनियों के बारे में प्राप्त हुई है :—

1. मै० दि प्रिन्टर्स (मैसूर) लिमिटेड
2. मै० एसोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड
3. मै० आन्ध्र प्रिन्टर्स लिमिटेड
4. मै० लोक प्रकाशन लिमिटेड

(ख) दि प्रिन्टर्स (मैसूर) लिमिटेड की लेखा वहियों, आदि का निरीक्षण हो चुका है और आगे कार्यवाही परीक्षान्तर्गत है। एसोसियेटेड जर्नल्स लिमिटेड तथा आन्ध्र प्रिन्टर्स लिमिटेड के बारे में इस प्रकार के निरीक्षण के आदेश दे दिये गये हैं एवं उनकी रिपोर्टों की प्रतिक्षा की जा रही है। लोक प्रकाशन लिमिटेड की बाबत शिकायत परीक्षान्तर्गत है।

Demand for a New Train From Bhilai to Varanasi

†3650. **Shri Mohan Jain:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether he is aware of the demand of thousands of workers working in the Bhilai Steel Plant and religious people of Chhattisgarh for running a new train from Bhilai to Varanasi.

(b) whether he is taking any concrete steps to remove the difficulties faced by the aforesaid passengers; and

(c) if so, the details thereof?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a), (b) & (c): A number of representations have been received for introduction of a direct train between Durg and Varanasi. Introduction of such a train has not been found operationally feasible due to constraints of line capacity on certain sections enroute and for want of adequate terminal facilities at Varanasi.

Persons Killed and Injured in Railway Accidents

†3651. **Choudhury Brahm Prakash :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the total number of persons killed or injured as a result of various railway accidents in the country during April-October, 1977;

(b) the number of those killed in whose cases claims for compensation have not been filed as they could not be identified;

(c) the total number of claims received by the railways during April-October, 1977 and the amount involved;

(d) the number of claims disposed so far and the number of claims in respect of which payment has been made; and

(e) when the remaining claims are likely to be settled and when the payment is expected to be made to the kith and kins of those killed and to the injured ones?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) to (c) : 222 were killed and 155 injured. In respect of train accidents, compensation is payable only in cases of death or grievous injuries. The claims of 17 persons killed and not identified have not been received so far. 186 claims have been received under the Indian Railways Act, 1890. Compensation to the tune of Rs. 88,69,067 has been claimed in these cases.

(d) Out of 186 claims, 38 claims have so far been decided by the Ad-Hoc/Ex-officio Claims Commissioners, and an amount of Rs. 5,53,104 has been paid as compensation. A sum of Rs. 21,000 due under the Workmen's Compensation Act in the case of one railway employee, who was killed while on duty, has been deposited with Commissioner for Workmen's Compensation.

(e) The remaining claim applications are pending finalisation in the courts of the Ad-Hoc/Ex-officio Claims Commissioners. These claims will be satisfied on the basis of the verdict of the Ad-Hoc/Ex-officio Claims Commissioners without any delay on the part of the Railway Administration. The cases of 10 railway employees, who were killed while on duty, are under consideration of the Railway Administration concerned. Five railway employees, who were injured while on duty, are on sick list and the loss in their earning capacity for the purpose of payment of compensation under the Workmen's Compensation Act will be determined and paid.

Cases of Claims Filed in Courts by Traders

†3652. **Shri Laxman Rao Mankar :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the percentage of cases of railway claims filed in courts by traders or consignees decided in favour of the Railway;

(b) whether only five per cent of such cases are decided in favour of the Railways;

(c) the reasons for not settling immediately the claims made on the basis of damages certificate issued by the Railways which are expected to be lost by then in the court; and

(d) the measures proposed to be taken by the Railways to avoid court expenditure on such cases?

4—376 LSS/77

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) During the last three years *i.e.* 1974-75, 1975-76 and 1976-77, 30.2, 29.5 and 28.4 per cent. of the cases filed against the Railways by the traders or consignees, were decided in favour of the Railways.

(b) No.

(c) As soon as a claim is received it is examined from all angles in accordance with the various provisions of the Indian Railways Act. If a claim is found tenable and necessary documents have been furnished by the claimant in time, it is promptly settled and payment is arranged. However, if a claim is not payable according to law, Railways have to repudiate it. Railways have also to guard against preferement of exaggerated claims either by inflating the extent of damage or by submitting false beejuck or mis-declaring the quality of goods lost or damaged.

(d) Instructions already exist with the Railways not to reject those claims which are payable according to the law. Repudiation of claims are required to be done only for sound reasons. Appeals against repudiation or less payment are reviewed by senior officers. The cases are also thoroughly reviewed before it is decided to contest them in a court of law. Effective steps are taken to brief the Railway Advocates for ensuring proper defence in court cases. Every effort is made to avoid expenditure on unnecessary litigation.

उड़ीसा के पूर्वी और पश्चिमी भाग के बीच रेल मार्ग

3653. **श्री जनार्दन बैरागी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा के विभिन्न भागों के जोड़ने की तुरन्त आवश्यकता को देखते हुए कटक से मेरामनदील होते हुए सम्भलपुर तक उड़ीसा के पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग को रेल लाइन से जोड़ने का प्रस्ताव है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) तालचेर से सम्भलपुर तक एक रेल लाइन बनाने के लिए सर्वेक्षण को इस वर्ष के बजट में शामिल कर लिया गया है । इस लाइन से मेरामण्डोली के रास्ते उड़ीसा के पूर्वी और पश्चिम भागों में सम्पर्क स्थापित हो जायेगा । सर्वेक्षण का काम शीघ्र ही शुरू कर दिया जायेगा । कटक और तालचेर के बीच एक रेलवे लाइन पहले से ही मौजूद है ।

कोल्हापुर-रत्नागिरि रेलवे लाइन

3654. **श्री राजाराम शंकरराव माने :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या नई कोल्हापुर-रत्नगिरि रेलवे लाइन के बारे में सर्वेक्षण कार्य आरम्भ किया जाएगा ; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सर्वेक्षण कार्य कब तक पूरा हो जाएगा, और किस योजना के कौन से वर्ष में उक्त कार्य प्रारम्भ किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : संसाधनों की कमी के कारण इस समय इस परियोजना का सर्वेक्षण शुरू करना कठिन होगा ।

योजना तथा विकास प्रभाग का विभाजन

3655. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उर्वरक निगम के विभाजन के साथ योजना और विकास प्रभाग का भी विभाजन किया गया था ; और

(ख) यदि हां, तो कितने-कितने डिवीजनों में विभाजन किया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) एफ० सी० आई० के योजना एवं विकास प्रभाग की छोटी छोटी यूनिटों में बांटने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

हल्दिया में पेट्रो-रसायन समूह

3656. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हल्दिया पेट्रो-रसायन समूह की वित्तीय व्यवस्था का स्वरूप क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम द्वारा हलिया पेट्रो-रसायन समूह की वित्त व्यवस्था पद्धति को अभी अन्तिम रूप दिया जाना है ।

वीरम गाम ओखा ब्राड गेज लाईन

3657. **श्री विनोद भाई बी० शेठ** :
श्री पी० जी० मावलंकर :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार का विचार वीरमगांव-आटेवा ब्राड गेज लाइन को दो चरणों में बिछाने का है ;

(ख) यदि हां, तो पहला चरण कहां पर पुरा होगा, और दूसरा किस स्थान पर ; और

(ग) क्या भावनगर चैम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री की ओर से इस आशय का कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है कि पहला चरण जामनगर अथवा कनालुरू तक रखा जाये जहां से आटेवा तथा पोरबन्दर के लिए लाइन विभाजित की जानी है और जो कि आर्थिक दृष्टि से भी एक सदृढ़ प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : विरमगांव-ओखा/पोरबन्दर लाइन का बड़ी लाइन में बदलाव चरणों में करने के लिए विभिन्न संगठनों से बहुत से वैकल्पिक सुझाव प्राप्त हुए हैं । इसको चरणबद्ध करने के बारे में अभी अन्तिम विनिश्चय किया जाना है ।

Shifting of Western Railway Divisional Headquarters

3658. **Shri Dharmasinhbhai Patel** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether any demand has been received for shifting the Western Railway Divisional Headquarters from Bhavnagar to Porbandar, and if so, from whom, when and the nature thereof;

(b) when the Divisional headquarters are proposed to be shifted to Porbandar; and

(c) the difficulty before the Government in setting up an area Superintending office at Porbandar instead of Divisional headquarters and the time by which area Superintendent office will be set up at Porbandar?

Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) Does not arise.

(c) There is no justification for setting up of an area Superintending office at Porbandar either from economic point of view or from operational and administrative point of view.

तेल मूल्य समिति

3659. **श्री अनन्त दवे : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सम्पूर्ण भारत में 1,100 पेट्रोल विक्रेता हैं और उनमें से अधिकांश मध्यम वर्ग के हैं जिनमें युद्ध में शहीद सैनिकों की विधवायें, भूतपूर्व सैनिक, बेरोजगार स्नातक और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के व्यक्ति हैं ;

(ख) क्या मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल के लिये विक्रेता कमीशन के बारे में अन्तिम सिफारिशों को लागू करने के लिये तेल मूल्य समिति ने अपनी अन्तिम रिपोर्ट सिफारिश में कोई निश्चित तारीख निर्धारित की है ; और यदि हा, तो वह तारीख क्या है ; और

(ग) पम्पों तथा टैंकों की लागत के लिये इन विक्रेताओं को तेल कम्पनियों के पास कितनी धन राशि जमा करनी होती है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) देश में इस समय विद्यमान 11,000 (लगभग) फुटकर बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पम्प) युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों, बेरोजगार स्नातकों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों सहित विभिन्न वर्ग के लोगों को दिये गये हैं ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) इंडियन आयल कार्पोरेशन तथा इंडो-बर्मा पेट्रोलियम कम्पनी ही मात्र ऐसी तेल कम्पनियां हैं जो ऐसे फुटकर बिक्री केन्द्रों से, जिनकी तेल कम्पनी मालिक नहीं होती, अकेले मोटर स्पिरिट अथवा अकेले हाई स्पीड डोजल पम्प (एच० एस० डो०) के लिये 25,000 रुपये और दोनों एम० एस० तथा एच० एस० डी० पम्पों के लिए इनके पम्पों और टैंकों को लागत के उपलक्ष्य में 45,000 रुपये को धनराशि जमा करतो हैं । तथापि यह धनराशि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से सम्बन्धित विक्रेताओं जैसे कुछ वर्गों से नहीं ली जाती । जिन विक्रेताओं से प्रति भूति के रूप में यह धनराशि ली जाती है, उन्हें स राशि पर 7% की दर से ब्याज को अदायगी दी जाती है ।

Woollen Pants and Coats to Waiters

†3660. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the departmental waiters and such other members of the staff of railways are not supplied woollen pants and coats in winter;

(b) whether it is also a fact that ten per cent commission on the sale proceeds of meals and seventeen per cent commission on the sale proceeds of tea is given to the waiters who sell meals etc. to the passengers while four years back the rate of commission was 17 per cent and 21 per cent respectively;

(c) whether it is also a fact that lamp lighters, meths and cooks are given salary on monthly basis and their posts are also permanent; and

(d) if so, the time by which the posts of departmental waiters will be declared permanent and staff supplied woollen clothes; if not, the reasons therefor?

Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes. However, a woollen jersey is supplied to the waiters working in climatic zones classified as 'Winter', 'Summer and Mild Winter' areas.

(b) The rate of commission varies from item to item and Railway to Railway. The powers to fix the rates of commission have been delegated to Zonal Railways, who fix the rate taking into consideration factors like quantum of sale, profitability, demand of the food items, etc. It has to be ensured while fixing the rates that the commission bearers and vendors earn reasonable emoluments. Railways have been instructed to periodically review the earnings of commission bearers and vendors and whenever necessary enhance the rate of commission and offer other incentives to ensure reasonable emoluments to them.

(c) In the departmental catering establishments, the staff like cooks, helpers, mashalchies and some bearers, etc. are regular Railway employees. Besides them the departmental catering establishments also engage bearers and vendors who sell the food articles on commission basis. They are not Railway employees.

(d) The working and service condition of commission bearers and vendors is currently under examination by the Government.

As regards the supply of woollen clothes to Waiters the extant Dress Regulations already provide for the supply of only woollen jersey to Waiters. depending on the climatic zones in which they work.

रेलवे बोर्ड में अनुभाग अधिकारी ग्रेड में रिक्त पद

3661. **श्री आर० एल० कुरील :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी ग्रेड में सितम्बर 1976 में संघ लोक सेवा आयोग की संयुक्त समिति विभागीय प्रतियोगी परिक्षा के परिणामस्वरूप भरे जाने वाले पदों की संख्या पहले सूचित की गई थी और उसमें अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जनजातियों के लिए कोई आरक्षण नहीं किया गया था परन्तु बाद में 7 अतिरिक्त रिक्त पदो कों बात पात्र कर्मचारियो के ध्यान में लाये बिना इस संख्या को बढ़ाकर 9 कर दिया गया था जिसमें से दो पद अनुसूचित जातियों के लिए और एक पद अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित दिखाया गया; और

(ख) यदि हां, तो विज्ञापित रिक्त पदों की संख्या में इस प्रकार को वृद्धि के क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवनारायण) : (क) और (ख) : शुरू में 1976 में अनुभाग अधिकारियों के सुलभ दो रिक्त स्थान संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग को अधिसूचित किये गये थे। संघ लोक सेवा आयोग ने प्रत्याशित उम्मीदवारों की सूचना के लिए रिक्त स्थानों को अधिसूचित करते समय यह स्पष्ट कर दिया था कि इनमें परिवर्तन हो सकता है। कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के अनुदेशों के अधीन इस मंत्रालय में डेस्क अधिकारी प्रणाली का उत्तरोत्तर विस्तार होने के कारण कुछ और रिक्त स्थान सुलभ हो गये। इस कारण तथा आयोग द्वारा 1977 में अनुभाग अधिकारियों के लिए संयुक्त सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा स्थगित करने के कारण 1976 की परीक्षा के लिए प्रशासनिक हित में रिक्त स्थानों की संख्या बढ़ाकर 9 कर दी गयी। आरक्षण रोस्टर के अनुसार, प्रारम्भ में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों के लिए कोई रिक्त स्थान आरक्षित नहीं रखा जा सका था, लेकिन रिक्त स्थानों की संख्या बढ़कर 9 हो जाने पर अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवार के लिए स्थान आरक्षित कर दिये गये।

कैडबरी फ्राई द्वारा विदेशों में लाभ की राशि भेजना

3662. **डा० बी० ए० सईद मोहम्मद** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैडबरी फ्राई (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड को, जो एक बहुराष्ट्रीय कम्पनी की सहायक कम्पनी है, अपनी पूंजी पर 200 प्रतिशत लाभ हो रहा है ;

(ख) यदि हां, तो गत छः महीनों में लाभांश के रूप में विदेशों में कम्पनी के लाभ को कितने प्रतिशत राशि भेजी गई ; और

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशों को भेजे जाने वाली उक्त राशि को कोई सीमा निर्धारित करने का है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) कैडब्बरी फ्राई (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड अब कैडबरी इंडिया लिमिटेड के नाम से जानी जाने वाली द्वारा अपनी पूंजी पर कमाई गई लाभों की प्रतिशत विगत तीन वर्षों में निम्न प्रकार है :—

वर्ष समाप्ति	प्रदत्त पूंजी के प्रतिशत के रूप में कर के पश्चात लाभ
4-1-1975	131.9%
3-1-1976	334.3%
1-1-1977	320.1%

(ख) और (ग) : वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार, कम्पनी ने विगत छः महीनों में कोई लाभ/लाभांश को नहीं भेजा है। अनुमोदित विदेशी निवेश के मामले में वर्तमान अर्जन को भेजने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। इस प्रकार की कम्पनियां कर निकासी के आधार पर लाभ, लाभांश, रायल्टी, तकनीकी शुल्क आदि भेज सकती हैं। इस प्रकार भेजने पर सीमा निर्धारण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में औषधियों के लिए कच्चे माल के संसाधन

3663. **श्री मनोरंजन भक्त : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अंडमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में औषधियां बनाने के कच्चे माल के संसाधनों की भारी सम्भावना है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है और इन संसाधनों का उपयोग करने के लिए सरकार ने क्या प्रयास किये हैं;

(ग) क्या इस संघ क्षेत्र में इंडियन ड्रग्स फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड तथा कुछ गैर सरकारी उद्यमियों द्वारा कुछ औषध निर्माण संयंत्र स्थापित किये जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो क्या वहां औषध संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई लाइसेंस जारी किये गये हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र):(क)और (ख): सरकार के पास इस समय कोई आंकड़ उपलब्ध नहीं है ।

(ग) फिलहाल सरकार का ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

जगन्नाथपुरी के लिये रेलने द्वारा यात्रा करने वाले तीर्थ यात्री

3664. **श्री गोविन्द मुण्डा** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान पावन स्थल जगन्नाथपुरी के लिए चलने वाली विशेष रेल गाड़ियों द्वारा अनुमानतः कितने तीर्थयात्री ले जाये गये;

(ख) क्या सरकार को तीर्थयात्रियों द्वारा अनुभव की गई असुविधा के बारे में वर्ष 1976–77 के दौरान कोई शिकायतें मिली हैं; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी कितनी शिकायतें मिली हैं और उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) वर्ष 1975-76 और 1976-77 के दौरान क्रमशः 17,120 और 11,290 तीर्थयात्रियों ने विशेष गाड़ियों से यात्रा की थी ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

"प्ली फार ओम्बुड्स्मेन क्लाज इन दी कांस्टीट्यूशन"

3665. **श्री राज केशर सिंह : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान तारीख 19 नवम्बर, 1977 के 'इंडियन एक्सप्रेस' में 'प्ली फार ओम्बुड्स्मेन क्लाज इन दी कांस्टीट्यूशन' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी हां।

(ख) सरकार उस समाचार के प्रति, जिसका उल्लेख प्रश्न के पैरा (ख) में किया गया है और जो लोकपाल विधेयक, 1977 के सम्बन्ध में है, अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं कर सकती है क्योंकि उस विधेयक पर इस समय दोनों सदनों को संयुक्त प्रवरण समिति विचार कर रही है।

तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी कम्पनियों के साथ ठेके

3666. **श्री जी० एस० रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, 1977 में तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा विदेशी कम्पनियों के साथ कितने ठेकों पर हस्ताक्षर किये गये ;

(ख) प्रत्येक मामले में न्यूनतम और स्वीकार किये गये टेंडर क्या थे ; और

(ग) यदि स्वीकार किये गये टेंडर न्यूनतम टेंडर नहीं थे तो उसके क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अप्रैल, 1977 से तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने उपकरणों आदि की सप्लाई हेतु विदेशी कम्पनियों के साथ बहुत बड़ी संख्या में ठेके कर रखे हैं तथा इस प्रकार की सूचना एकत्र करने और उसकी समीक्षा करने में जितना परिश्रम लगेगा, वह इससे प्राप्त होने वाले परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

(ख) और (ग) : तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने आम तौर पर तकनीकी रूप से स्वीकार्य निविदा कारी को निम्नतम दर पर आर्डर देने की नीति का अनुसरण किया तथा जिन मामलों में इस प्रकार से ठेके नहीं दिये जाते तो उनके कारणों पर सावधानी से विचार किया जाता है तथा उन्हें रिकार्ड किया जाता है।

विदेशी औषध फर्मों द्वारा लाइसेंस क्षमता से अधिक उत्पादन किया जाना

3667. **श्री नटवर बी० परमार** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान अपनी लाइसेंस क्षमता से अधिक का उत्पादन करने वाली औषध निर्माण कम्पनियां कौन-कौन सी हैं ;

(ख) किन-किन मदों में उन्होंने अनधिकृत रूप से अधिक उत्पादन किया है ; और कितना अधिक उत्पादन किया है ;

(ग) क्या विदेशी फर्मों द्वारा इस अनधिकृत उत्पादन से भारतीय कम्पनियों द्वारा इसी प्रकार की मदों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है ; और

(घ) दोषी फर्मों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है/करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : जिन विदेशी औषध निर्माता कम्पनियों ने गत तीन वर्षों के दौरान अपनी लाइसेंस शुदा क्षमता से अधिक प्रपुंज औषधों का उत्पादन किया है उनके नाम और अन्य ब्यौरे दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी० 1342/77]

(ग) और (घ) : हाथी समिति की सम्बन्धित सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार निर्धारित क्षमता से अधिक उत्पादन की नीति के बारे में सक्रिय रूप से विचार कर रही है ।

"गुणसूचक नाम" (जेनेरिक नेम्स) से औषधियों की बिक्री

3668. **श्री मोतीभाई आर० चौधरी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) औषध निर्माण करने वाली विभिन्न कम्पनियों द्वारा 'गुणसूचक नाम' (जेनेरिक नेम्स) से बेची जा रही औषधियों के नाम क्या हैं ; और

(ख) एक ही प्रकार की औषधियों के लिए विभिन्न कम्पनियों के तुलनात्मक मूल्य क्या है और विभिन्न कम्पनियों के लिये अलग-अलग मूल्यों का अनुमोदन करने के क्या कारण हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) । अधिकांश दवाइयां सामान्य नामों से बेची जाती हैं, इन दवाइयों के निर्माताओं के नाम और अन्य ब्यौरे एकत्र करने में लगने वाला समय और परिश्रम उनसे प्राप्त होने वाले परिणामों के अनुरूप नहीं है । तथापि विभिन्न निर्माताओं द्वारा सामान्य नामों के अन्तर्गत बेची गई कुछ दवाइयों के मूल्यों को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है ।

नाम के अन्तर्गत बेची गयी एक ही प्रकार की दवाइयों के लिए अलग अलग निर्माताओं के मूल्यों में अन्तर के निम्नलिखित कारण थे :—

(1) 1970 में जब औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 लागू हुआ था तो सम्बंधित निर्माताओं को मूल्य सूची और संगणना के ब्यौरे प्रस्तुत करने को कहा गया था । चूंकि अनेक पैकेजों को भी शामिल किया जाना था अतः मूल्यों को आपसी विचार विमर्श के आधार पर निर्धारित किया गया । औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के पैरा 14 के अनुसार वैकल्पिक मूल्य निर्धारण योजना के अन्तर्गत मूल्यों को प्रत्येक कम्पनी के उत्पाद-मिश्रण के आधार पर निर्धारित किया गया था, ताकि अनिवार्य सूत्रयोगों के मूल्यों को कम से कम स्तर पर रखा जा सके और इस प्रकार निर्धारित किये जाने वाले मूल्यों में इन कटौतियों की क्षतिपूर्ति की जा सके । अन्य कम अनिवार्य सूत्रयोगों के मूल्यों में अलग अलग वृद्धि की अनुमति दी गई थी । इसके परिणामस्वरूप, औषध (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 1970 के लागू होने के समय जो अन्तर था, वह जारी रहा ।

(2) सूत्रयोगों के मूल्य प्रपुंज औषधों के मूल्यों पर निर्भर करते हैं । विभिन्न निर्माताओं को स्वीकृत किये गये प्रपुंज औषधें, जो तैयार करने वाले स्रोतों पर निर्भर हैं, के मूल्यों पर निर्भर करने वाले सूत्रयोगों के मूल्यों में अन्तर है ।

(3) सूत्रयोग निर्माताओं द्वारा विश्व के विभिन्न देशों से अलग-अलग मूल्यों पर आयातित प्रपुंज औषध प्राप्त किये जाते हैं । इस अन्तर का प्रभाव सूत्रयोगों के मूल्यों पर पड़ता है । इस अन्तर को कम करने के लिये सरकार ने 45 प्रपुंज औषधों के आयात को स्टेट कैमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० और आई० डी० पी० एल० के माध्यम से समान मूल्य पर पहले ही सारणीबद्ध किया हुआ है । सारणीबद्ध प्रपुंज औषधों की सूची की समय समय पर समीक्षा की जाती है जो देश में उत्पादन कार्यक्रम की आवश्यकता और विभिन्न स्रोतों से आयातित मूल्यों के अन्तर पर निर्भर करता है ।

(4) अलग-अलग सूत्रयोग निर्माताओं द्वारा अपनाई गई अलग-अलग पेंकिग सामग्री के कारण भी मूल्यों में अन्तर आ जाता है। औषध और भेषज उद्योग पर गठित हाथी समिति ने अन्य बातों के साथ साथ औषधों के मूल्यों को सुव्यवस्थित करने की भी सिफारिश की है। इन सिफारिशों पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है।

विवरण

क्र० सं०	निर्माता का नाम	सूत्र योग का नाम	पैक का आकार	सरकार द्वारा स्वीकृत अधिकतम फुटकर मूल्य
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	मैसर्स आई० डी० पी० एल० .	टेट्रासाइक्लिन कैप्सूल्स 250 मि० ग्राम	10×10 100 में	47.88 45.89
2	मै० हैफकिन . .	—,,—	100 में	43.05
3	मै० एच० ए० एल० .	—,,—	10×10	52.94
4	मै० स्मिथ स्टेनोस्ट्रीट .	—,,—	10×10	52.33
5	मै० फेयरडील कारप. .	—,,—	100 में	35.92
6	मै० आई० डी० पी० एल० .	आक्सीटेट्रासाईक्लिन कैप्सूल्स 250 मि० ग्राम	10×10	58.01
7	मै० स्मिथ स्टेनोस्ट्रीट .	—,,—	10×10	52.72
8	मै० आई० डी० पी० एल० .	क्लोरमफेनीकोल कैप्सूल्स 250 मि० ग्राम	100 में	37.43
9	मै० स्मिथ, स्टेनोस्ट्रीट .	—,,—	10×10	38.00
10	मै० बोहरिंजर नाल. .	—,,—	100 में	35.90
11	मै० चौगुले एंड कंपनी .	—,,—	100 में	29.97
12	मै० एच० ए० एल० .	एम्पोसोलीन एनहाईड्रस कैप्सूल्स 250 मि० ग्राम	100 में	85.19
13	मै० हैफकिन . .	—,,—	100 में	89.88
14	मै० आई० डी० पी० एल० .	एनलजिन गोलियां 500 मि० ग्राम	10×10	18.42
15	मै० स्मिथ स्टेनोस्ट्रीट .	—,,—	10×10	19.18
16	मै० आई० डी० पी० एल० .	ए० पी० सी० गोलियां	1000	42.06
17	मै० बूट्स (ई०) लि० .	—,,—	1000	42.38
18	मै० जंडू फार्मास्यूटिकल्स .	—,,—	1000	41.34
19	मै० आई० डी० पी० एल० .	आई० एन० एच० गोलियां	1000	33.32
20	मै० काडिला . .	—,,—	1000	30.65

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
21	मैं० हैफकिन . .	आई० एन० एच० गोलियां	1000	26.98
22	मैं० डेज मैडिकल स्टोर .	—,,—	1000	29.82
23	मैं० एल्बर्ट डेविड लि० .	—,,—	1000	30.00
24	मैं० आई० डी० पी० एल० .	फेनोबारबिटोन गोलियां 30 मि० ग्राम	1000	15.91
25	मैं० केरला स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लि०	—,,—	1000	21.23
26	मै० हैफकिन .	—,,—	1000	20.24

Danapur Division Officers travelled by Saloon during June 1977

†3669. **Shri Ramanand Tiwary:** Will the **Minister of Railways** be pleased to state :

(a) the names of the officers in Danapur Division who travelled by saloon in June, 1977 in violation of Government orders; and

(b) the action taken or proposed to be taken against these officers for the violation of the orders?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b) : Instructions have been issued only to use the inspection carriages, which are generally referred to as saloons, for functional purposes and to places where suitable accommodation is not available. No case of violation of these instructions by officers of Danapur Division has come to the notice.

नई दिल्ली स्टेशन में कुछ पार्सल क्लर्कों को अग्रिम वेतन वृद्धि देना

3670. **श्री महमूद हसन खां :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली स्टेशन में कार्य कर रहे कुछ पार्सल क्लर्कों को वर्ष 1974 की रेल हड़ताल के दौरान प्रशासन के प्रति निष्ठावान होने के लिये प्रशासन द्वारा अग्रिम वेतन वृद्धि के लाभ तथा अन्य नकद पुरस्कार दिये गये थे ;

(ख) यदि हां, तो क्या प्रशासन ने कुछ संसद् सदस्यों की शिकायत के आधार पर इनमें से कुछ लाभ वापस ले लिये थे ; और

(ग) यदि हां, तो ऐसी त्रुटियों के लिये जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) एक मामले में पहले 200 रुपये का नकद पुरस्कार दिया गया था परन्तु बाद में इसे अग्रिम वेतन वृद्धि में बदल दिया गया था । परन्तु कर्मचारी के पुत्र की रेलवे में नियुक्ति हो जाने पर यह अग्रिम वेतन वृद्धि वापस ले ली गयी थी । ऐसा एक संसद्-सदस्य से एक शिकायत प्राप्त होने पर नहीं किया गया था ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

Prices of Medicines

3671. **Shri Gyaneshwar Prasad Yadav:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state:

(a) whether the prices of medicines have gone up much during 1975-76, 1976-77 and 1977-78;

(b) if so, the steps being taken by Government to bring down these prices;

(c) whether Government propose to take any action for the opening of fair price shops in rural areas for the sale of medicines; and

(d) if so, the action being taken by Government in this regard?

The Minister of State, for Petroleum and Chemicals & Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) and (b): The prices of drugs are statutorily controlled under the provisions of Drugs (Price Control) Order, 1970. The wholesale price index of drugs and medicines vis-a-vis other commodities (with 1970-71—100 as the base) has registered a gradual rise as compared to the steep rise evident for other commodities:—

Year	Other Commodities	Drugs & Medicines
1974-75	174.9	108.2
1975-76	173	118.7
1976-77 . . .	176.6	133.9

Through the operation of the said Order, it has been possible to contain the prices within fairly reasonable levels as compared to the prices of other commodities.

A number of steps have been taken to reduce the prices of drugs. There is no excise duty on Sera, Vaccine, Anaesthetics and medicinal grade Oxygen. All formulations marketed under the generic names are subject to a concessional rate of excise duty of only 1%. Patent or proprietary formulations based on 25 essential bulk drugs of life saving nature are eligibles for a concessional rate of excise duty of 2.5% as on May, 1977 as against the normal rate of 12.5%. 75 life saving drug formulations are totally exempted from Customs Duty when imported by actual users. As a result of these measures the prices of some drug formulations already stand reduced.

The Hathi Committee on Drugs & Pharmaceuticals Industry have also, *inter alia,* recommended rationalisation of prices of drugs. The recommendations of the Committee are in the final stages of consideration.

The Ministry of Finance have also constituted an Indirect Taxation Enquiry Committee which is looking into the indirect taxes on all commodities including medicines. Any reduction in indirect taxes based on the recommendations of this Committee would have the effect of reducing the prices of drugs.

(c) & (d): There is no such proposal under consideration of the Government at present. The Ministry of Health and Family Welfare have, however, drawn up a 'Community Health Workers Scheme'. Under this scheme some medicines supplied by the Government will be distributed free of cost by the Community Health Workers to the villagers. In the present phase, however, the scheme is in operation only in 777 Primary Health Centres in the country and as such it is applicable only to the villages covered by these Centres.

जे० के० सिंथेटिक्स द्वारा मारुति लिमिटेड में पूंजी निवेश

3672. **डा० वसन्त कुमार पण्डित :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी** कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जे० के० सिंथेटिक्स लिमिटेड ने 29 सितम्बर, 1976 को आम सभा द्वारा एक संकल्प पारित करके कम्पनी अधिनियम की धारा 372 का उल्लंघन कर के मारुति लिमिटेड में 40 लाख रुपये की पूंजी लगाने का संकल्प किया था

(ख) क्या यह सच है कि उपरोक्त संकल्प के अनुसरण में निदेशकों ने कम्पनी अधिनियम की धारा 176 के अधीन एक व्याख्यात्मक विवरण परिचालित किया था जिसमें मारुति लिमिटेड के भविष्य की एक झूठी तस्वीर दिखाई गई थी ; और

(ग) क्या सरकार ने इस मामले की जांच की है और यदि हां, तो जे० के० सिंथेन्टिक्स लिमिटेड के अंशधारियों के हितों की रक्षा करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) मैसर्स जे० के० सिन्थैटिक्स लिमिटेड ने अपनी दिनांक 29 सितम्बर, 1976 को हुई साधारण सभा में मारुति लिमिटेड के 10 रु० की दर के साम्य हिस्सों में, 40.00 लाख रु० से अधिक नहीं, के नियोजन करने के लिये एक संकल्प पास किया था, यतः यह नियोजन, कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 372 की उप-धारा (2) में वर्णित प्रतिशत की सीमाओं से अधिक थे। संकल्प अधिनियम की धारा 372 की अपेक्षाओं को पालन करने के लिये पास किया गया था, अतः इस बारे में कोई उल्लंघन नहीं हुआ था।

(ख) तथा (ग): निदेशक मंडल ने कम्पनी अधिनियम की धारा 173 (धारा 176 के अन्तर्गत नहीं, जो लागू नहीं होती है) के अन्तर्गत एक स्पष्टकारी विवरण, हिस्सधारियों को परिचालित किया गया था। इस मामले की परीक्षा की गई है और यह अवलोकित हुआ है कि निदेशकों ने कुछ तथ्यों के आधार पर अपनी धारणा बनाई थी। जब तक ये तथ्य असत्य सिद्ध नहीं होते, तब तक यह नहीं कहा जा सकता कि निदेशकों को मारुति लिमिटेड के प्रविवरण का असत्य चित्र प्रस्तुत किया था।

दिल्ली में संसदीय तथा अन्य निर्वाचनों के लिये अधूरी निर्वाचक नामावलियां

3673. **श्री कचरूलाल हेमराज जैन :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान इस बात की ओर गया है कि दिल्ली में वर्ष 1977 में संसदीय निर्वाचनों तथा नगर निगम और महानगर परिषद के लिये अन्य निर्वाचनों के समय तैयार की गई निर्वाचक नामावलियां पूरी नहीं थीं और उनमें ऐसे व्यक्तियों के भी नाम नहीं थे जो किसी स्थान विशेष पर 5 वर्ष से अधिक समय से रह रहे थे ;

(ख) क्या यह भी सच है कि बाद में निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित करने के लिए आवेदनपत्र प्रस्तुत करने के बाद भी उनके नाम उन अनुपूरक सूचियों में नहीं लिखे गए थे, जो जारी की गई थीं ; और

(ग) निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने और उन्हें अद्यतन बनाने के लिये तथा इस काम पर एसे व्यक्तियों को लगाने के लिये जिनको बाद में शिकायत मिलने पर, जिम्मेदार ठहराया जा सके, सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) और (ख) निर्वाचन आयोग ने उन निर्वाचक नामावलियों का, जिनको अप्रैल-मई, 1976 में पुनरीक्षित किया गया था और अद्यतन बनाया गया था, व्यापक रूप से प्रचार करने की व्यवस्था की थी। नामांकन के लिए मतदाताओं से प्राप्त आवेदनपत्रों के आधार पर इन नामावलियों का फिर पुनरीक्षण करके उनका अंतिम रूप में प्रकाशन अगस्त, 1976 में किया गया था। इसके अतिरिक्त, दिल्ली के मुख्य निर्वाचन आफिसर ने दिल्ली विकास प्राधिकरण, दिल्ली नगर निगम, नई दिल्ली नगर पालिका, आदि से उनकी अपनी-अपनी अधिकारिता वाले क्षेत्र में हुए जनता के स्थानांतरण/पुनर्वास के बारे में जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था की थी जिससे कि उन प्रभावित क्षेत्रों में जहां बड़े पैमाने में लोगों ने स्थान-परिवर्तन किया था, निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण कराया जा सके। उक्त अभिकरणों से प्राप्य जानकारी के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष पुनरीक्षण दिसम्बर 1976 तक चालू रहा और उसमें सभी पात्र व्यक्तियों को सम्मिलित करने के प्रयास किए गए। राजनैतिक दलों को भी निर्वाचक नामावलियों के दो सैट दिए गए थे जिससे कि नामावलियों को यथासंभव अद्यतन बनाने में उनका सहयोग प्राप्त किया जा सके। इस प्रकार निर्वाचक नामावलियों में सभी पात्र व्यक्तियों के नामों को सम्मिलित करने के लिए सभी प्रयास किए गए थे।

(ग) निर्वाचन आयोग का विचार प्रत्येक एकान्तर वर्ष में निर्वाचक नामावलियों का पुनरीक्षण करने का है। भविष्य में इस पुनरीक्षण कार्य के लिए कर्मचारीवृन्द पहले की तरह दिल्ली प्रशासन/केन्द्रीय सरकार से लिए जाएंगे जिससे कि किसी व्यतिक्रम की दशा में उसकी जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति पर नियत की जा सके।

अतिरिक्त नई रेल लाइनों को बिछाने के लिये मार्ग निदशक सिद्धान्त

3674. **श्री लखन लाल कपूर :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अतिरिक्त/नई रेल लाइनों को बिछाने के लिए प्रचलित मार्ग निर्देशक सिद्धान्त क्या है ;

(ख) क्या जनता सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने की समस्या पर पुनः विचार किया है ताकि ऐसे क्षेत्रों के आर्थिक विकास के लिए परिवहन संबंधी आधारभूत ढांचे की व्यवस्था की जा सकें ; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार पिछड़े क्षेत्रों में नई रेल लाइनें बिछाने की कोई नीति अपना रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) एक विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग): नयी रेल लाइनों के निर्माण से सम्बन्धित नीति पर अन्य संबंधित मंत्रालयों के साथ परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

विवरण

किसी नयी रेल लाइन के निर्माण अथवा वर्तमान रेल लाइन के विस्तार का काम विस्तृत सर्वेक्षण और जांच के बाद तब किया जाता है जब यह सिद्ध हो जाता है कि किसी क्षेत्र की यातायात संबंधी अवाश्यकताओं को पूरा करने के लिए रेल लाइन ही परिवहन का सर्वोत्तम, सस्ता और अधिक किफायती साधन होगा। सार्वजनिक परिवहन के लिए रेल परिवहन ही सर्वाधिक उपयुक्त है, जब कि थोड़ी मात्रा में/संख्या में माल और यात्रियों को कम दूरी तक ले जाने-लाने के लिए सड़क परिवहन लाभदायक होता है। रेलों की यह नीति है कि सड़क परिवहन के साथ अस्वस्थ होड़ न हो और वे अपने आप को केवल उन परिवहन संबंधी गतिविधियों में ही लगायें जिनके लिए वे सबसे अधिक उपयुक्त हों। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए, रेल लाइनों के निर्माण का उन क्षेत्रों में औचित्य होगा जिन में :—

(i) खनिज पदार्थ हों और उनका दोहन रेल परिवहन के विकास के बिना न हो सकता हो, या

(ii) जिनमें कच्चा माल हो और इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, तेल-शोधक कारखाने, आदि मुख्य उद्योगों के विकास की संभावना हो जिसके फलस्वरूप पर्याप्त यातायात प्राप्त हो सके, या

(iii) जहां बहुत अधिक संख्या में यात्रियों की ढुलाई करनी पड़े, जैसाकि महानगर क्षेत्रों में तथा अन्य घनी आबादी वाले क्षेत्रों में उपनगरीय लाइनों के मामले में होता है, या

(iv) जहां मौजूदा लाइन पर अधिकतम यातायात होने लगा है और नयी लाइनों के कारण एक ही समय पर वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था हो जायेगी।

हल्के यातायात के परिवहन के लिए सड़के अधिक सस्ता और अधिक कुशल साधन है और ऐसी हालतों में उन स्थानों को छोड़कर, जहां सामरिक दृष्टि से रेल लाइनों का निर्माण अनिवार्य समझा जाता हो, रेल लाइनों का निर्माण, जिस पर बहुत भारी निवेश करना पड़ता हो, उचित नहीं होगा।

निवेश पर वित्तीय प्रतिफल को भी ध्यान में रखा जाता है। लेकिन, एसे रेल सम्पर्कों के लिए भी जिनका पर्याप्त यातायात के विकास की संभावना के कारण अन्ततोगत्वा वित्तीय दृष्टि से औचित्य बनता है, नयी रेल लाइनों के निर्माण और यातायात में वृद्धि के बीच समयान्तर बहुत अधिक होता है और नयी रेल लाइनों के निर्माण के संबंध में निर्णय लेते समय इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाता है।

नयी लाइनों पर शुरु-शुरु में होने वाली हानि से रेलों को बचाने की आवश्यकता उपर्युक्त नीति से उत्पन्न हुई है और रेल मंत्रालय ने नयी रेल लाइनों के निर्माण की अवधि के दौरान तथा उनको चालू करने के पहले पांच वर्षों के लिए पूंजी निवेश पर लाभांश के भुगतान पर अभिसमय समिति के ऋण-स्थगन की व्यवस्था कर रखी है। कुछ मामलों में और भी अधिक लम्बे समय के लिए राहत की आवश्यकता हो सकती है और इस संबंध में अभिसमय समिति से अनुरोध किया गया है।

परियोजनाओं की पूंजीगत लागत में राज्य सरकारों को भागीदार बनाकर रेल्वे की हानि को कम करने के लिए भी उपाय किये जाते हैं। उन्हें यह सुझाव दिया गया है कि परियोजनाओं के लिए भूमि और श्रमिकों पर होने वाला खर्च राज्य सरकारें वहन करें और कुछ मामलों में परियोजनाओं के निर्माण तथा उन्हें चालू करने में वे प्रतिशतता के आधार पर भाग लें। आमदनी में उस समय तक, जब तक कि लाइनें लाभप्रद नहीं हो जातीं, वृद्धि करने के लिए प्रभार्य किलोमीटरों में वृद्धि करने के संबंध में भी विचार किया जाता है।

तमिलनाडु में रेल विद्युतीकरण

3675. **श्री एस० जी० मुरुगय्यन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तमिलनाडु में कौन-कौन से सैक्शन विद्युतीकरण के विभिन्न चरणों में हैं ; और

(ख) प्रत्येक सैक्शन में अब तक कितनी प्रगति हुई है तथा यह कार्य कब तक पूरा होने की आशा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) (i) मद्रास–गुडूर खण्ड के विद्युतीकरण के एक भाग के रूप में मद्रास-एलबूर ।

(ii) मद्रास–तिरुवल्लूर

खण्ड	सितंबर, 77 तक प्रगति	काम पूरा होने की संभावित तारीख
(ख) (i) मद्रास–गुडूर . . .	52.46 प्रतिशत	1979-80
(ii) मद्रास–तिरुवल्लूर . .	25 प्रतिशत	1979-80

रेल कर्मचारियों द्वारा बोनस के लिये सरकार को अभ्यावेदन

3676. **श्री एम० कल्याण सुन्दरम :**
श्रीमती पार्वती कृष्णन :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कर्मचारियों ने 8.33 प्रतिशत बोनस के भुगतन के लिये सरकार को अभ्यावेदन भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) रेल कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में किये गये विचार-विमर्श के दौरान यह स्पष्ट कर दिया गया था कि सरकार ने बोनस अधिनियम को आपात-काल से पहल की धाराओं को फिर से लागू कर दिया है और रेलों, आदि सरीखे सरकार के विभागीय उद्यमों, जो सांविधिक रुप से वर्तमान अधिनियय की परिधि से बाहर हैं, के कर्मचारियों को बोनस देने के प्रश्न पर विचार तभी किया जायेगा जब सभी क्षेत्रों में मजूरी, आय तथा मूल्यों के सम्बन्ध में राष्ट्रीय नीति तैयार करने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त किये गये अध्ययन दल को रिपोर्ट प्राप्त हो जायेगी। अध्ययन दल की रिपोर्ट छः महीने में प्राप्त हो जाने की सम्भावना है।

रेलवे यूसर्स एसोसिएशन से ज्ञापन

3677. **श्री के० ए० राजन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष 8 और 9 अक्टूबर को उनके केरल राज्य के दौरे के समय उनको रेलवे यूसर्स एसोसिएशन, केरल से कोई ज्ञापन मिला था; और

(ख) यदि हां, तो किन मांगो पर तुरन्त कार्यवाही करने के लिये जोर दिया गया है और उनपर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) रेल उपयोगकर्ता एसोसिएशन केरल द्वारा अपने ज्ञापन में की गयी विभिन्न मांगे और प्रत्येक मांग के संबंध में अद्यतन स्थिति निम्नलिखित है :—

1. मंगलूर से बम्बई तक पश्चिमी घाट लाइन

पश्चिमी घाट रेल लाइन परियोजना की व्यावहारिकता रिपार्ट को अंतिम रूप दे दिया गया है और लाइन के निर्माण के प्रश्न पर सरकार द्वारा विचार किया जा रहा है।

2. तिरुवनन्तपुरम में अतिरिक्त रेलवे मंडल मुख्यालय

तिरुवनन्तपुरम में एक अतिरिक्त रेलवेमंडल मुख्यालय की स्थापना का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है।

3. तिरुवनन्तपुरम नागरकोइल-कन्या कुमारी अन्तरीय बड़ी लाइन के निर्माण में तेजी और उसे 1978 के अन्त तक समाप्त करना ।

निर्माण कार्य प्रगति पर है और 44% कार्य पूरा हो चुका है। यदि पर्याप्त धन उपलब्ध हुआ तो तिरुवनन्तपुरम से नागरकोइल तक के खण्ड के 1978 तक पूरा हो जाने और नागरकोइल से तिरुनेलवेल्लो/कन्याकुमारी तक के खण्ड के 1980 तक पूरा हो जाने की प्रत्याशा है।

4(क) एरणाकुलम-एलेप्पी-कायामकुलघ बड़ी रेल लाइन

रेल प्रशासन और योजना आयोग के परामर्श से इस मामले पर विचार किया जा रहा है।

(ख) कुट्टी पुरम-गुरुवायुर-त्रिचूर

अपर्याप्त संसाधनों के कारण योजना आयोग इसे 1977-78 के बजट में शामिल करने के लिए सहमत नहीं हुआ ।

5. मंगलूर और कन्याकुमारी के बीच के खण्ड और शेरुवण्णूर से आरकोणम तक के भाग का विद्युतीकरण

इस समय मंगलूर-शेरुवण्णूर-तिरुवनन्तपुरम-कन्याकुमारी खण्ड के विद्युतीकरण का कोई प्रस्ताव नहीं है। फिर भी आरकोणम-शेरुवण्णूर-तिरुवनन्तपुरम खण्ड का विद्युतीकरण करने के लिए सर्वेक्षण कर लिया गया है । सर्वेक्षण रिपोर्ट को अंतिम रूप तभी दिया जा सकेगा जब केरल सरकार से यह पुष्टि हो जायगी कि बिजली औद्योगिक मूल्य से कम दर पर उपलब्ध हो सकेगी ।

6. केरल-कर्नाटक एक्सप्रेस की तरह ही तिरुवनन्तपुरम और बम्बई के बीच दैनिक तीव्र गाड़ी सेवा

केरल-कर्नाटक एक्सप्रेस के ढांचे के अनुरूप तिरुवनन्तपुरम और बम्बई के बीच प्रतिदिन एक तेज गाड़ी चलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

5—376 LSS/77

7. शेरुवण्णूर-तिरुवनन्तपुरम खण्ड की लाइन का दोहरा किया जाना

शेरुवण्णूर-अलवाय खण्ड पर मुल्लुरकराई-वाडाक्कान्चेरो (8 कि० मी०) और पुडुकड-इरींजालकुडा (10 कि० मी०) भागों के दोहरा किये जाने का कार्य पूरा होने वाला है और इन खण्डों को दिसम्बर, 1977 में माल यातयात के लिए खोल दिया जायेगा।

वाडाकान्चेरी-मुलागुन्नातुकबु	7.45 कि० मी०
त्रिचुर-पुडुकड	13.74 कि० मी०
शेरुवण्णूर-मुल्लुर कराई	8.07 कि० मी० और
चालाकुडी-अंगमालि	15.41 कि० मी०

के दोहरेकरण के कार्य को लगभग 7 करोड़ रुपये की लागत पर दे दी स्वीकृति गयी है। और कार्य प्रगति पर है। इसे पूरा होने में लगभग अढ़ाई वर्ष का समय लगेगा।

एरणार्कुलम-तिरुवनन्तपुरम खण्ड पर उपयोग की क्षमता 64-73 प्रतिशत के बीच है। इसलिए इस खण्ड द्वारा यातायात की आवश्यकताएं पूरा करने की पर्याप्त क्षमता है और फिलहाल इस खण्ड के दोहरा किये जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

रेल दुर्घटनाओं के हताहतों को मुआवजे का भुगतान

3678. **श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का विचार रेल दुर्घटनाओं के हताहतों को देय मुआवजे की राशि विमान दुर्घटना के मामले में देय मुआवजे के बराबर करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : जी नहीं। भारतीय रेल अधिनियम 1890 के अन्तर्गत गाड़ी दुर्घटनाओं में हताहत व्यक्तियों को देय 50,000 रुपये की क्षति-पूर्ति की वर्तमान सीमा पर्याप्त समझी गयी है।

Kripal Singh Committee on Railway Safety

*3679. **Shri Brij Bhushan Tiwary :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Kripal Singh Committee was constituted to go into the question of railway safety;

(b) if so, the facts in this regard; and

(c) the action taken to implement the recommendations of the Committee?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No, this Committee was constituted to study the problems of crime on Railways and not the question of railway safety.

(b) and (c) : Do not arise.

मथुरा और आगरा के बीच शटल गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

3680. **श्री शम्भू नाथ चतुर्वेदी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मथुरा और आगरा के बीच प्रातः और सायं कार्यालय और न्यायालय में जाने वाले लोगों की सुविधा के लिये एक शटल गाड़ी चलाने अथवा

इसके विकल्प के रूप में अधिभार लिये बिना ताज एक्सप्रेस में अलग स्थान उपलब्ध कराने के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस मांग को पूरा करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है या करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) आगरा और मथुरा दोनों स्टेशनों पर अपर्याप्त टर्मिनल सुविधाओं के कारण आगरा मथुरा के बीच गाड़ी चलाना परिचालनिक दृष्टि से सम्भव नहीं है। 79 डाउन/80 अप ताज एक्सप्रेस अधिकतम भार के साथ चलती है और उसमें मथुरा के यात्रियों के लिए अतिरिक्त बोगी लगाना सम्भव नहीं है, अतिरिक्त गाड़ी होने के कारण इसमें सभी स्थान सुरक्षित रहते हैं और इसमें सीजन टिकट धारकों द्वारा अधिशुल्क देय है।

New Places in Gujarat for Exploration of Oil And Gas

3681. **Shri Amarsinh Rathawa :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of new places selected in Gujarat for exploration of natural oil and gas and the number of new wells from which oil and gas are likely to be found;

(b) the amount of royalty per barrel given to the State Government on the oil found in Gujarat and the annual royalty given to them; and

(c) whether the State Government have demanded increase in royalty on oil and the reaction of the Central Government thereto?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) At present, the ONGC is drilling at three new locations in Gujarat. Besides, sixteen more locations have also been selected for exploratory drilling in Gujarat in future. It is difficult to say if all these locations would be hydrocarbon bearing or not.

(b) & (c) : The rate of royalty on crude oil and casing head condensate was enhanced from Rs. 15/- per tonne to Rs. 42/- per tonne with effect from 8th September, 1976. Under the provisions of the Oil Fields (Regulation and Development) Act, 1948, the rate of royalty can be enhanced only once in four years. The Government of Gujarat who represented for further enhancement of royalty have been advised to let the present position continue until the present rate is due for review in 1980.

The amount of royalty payable to the Government of Gujarat on crude oil is of the order of Rs. 17 crores per annum at the present level of crude oil production in that State.

अरकोणम रेलवे स्टेशन के समीप 'रोड अण्डर ब्रिज'

3682. **श्री ओ० वी० अलगेशन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच नहीं है कि दक्षिण रेलवे पर अरकोणम रेलवे स्टेशन के निकट दो पाट (स्पैन) वाला, प्रत्येक पाट 10 फुट का है, "रोड अन्डर ब्रिज" वर्तमान यातायात के लिये बहुत तंग है और इससे यातायात में बाधा पहुंचती है :

(ख) क्या माननीय रेल मंत्री का जब उन्होंने इस स्थान का दौरा किया था, जनता द्वारा कोई अभ्यावेदन दिया गया था कि रेलवे इस पुल को चौड़ा करे और यदि हां तो इस बारे म उनकी प्रतिक्रिया क्या है; और

(ग) क्या वर्तमान नियमों के अनुसार निचले पुल (अन्डर ब्रिज) के रेलवे के हिस्से को अपनी लागत पर चौड़ा करना रेलवे प्राधिकारियों की जिम्मेदारी नहीं है और सड़क अधिकारियों की जिम्मेदारी रेलवे की सीमाओं के बाहर केवल सड़क के हिस्से को देख-रेख करना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) निचले सड़क पुल से होकर होने वाले यातायात में निसंदेह वृद्धि हुई है परन्तु यातायात में बाधा होने का किसी विशेष मामलों की सूचना नहीं मिली है।

(ख) अध्यक्ष, जनता पार्टी, टाउन आर्गेनाइजेशन आरकोणम से पालसीपेट के निचले सड़क पुल को फिर से बनाने के लिए एक अभ्यावेदन मिला था और उन्हें सूचित कर दिया गया है कि निचला सड़क पुल संतोषजनक हालत में है इसलिए इसके पुनर्निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

(ग) प्रचलित नियमों के अनुसार, बढ़े हुए यातायात से निचले सड़क पुल को चौड़ा करने के प्रस्ताव पर तभी विचार किया जाता है जब उस पर होने वाला समस्त खर्च को वहन करने के लिए राज्य सरकार/स्थानीय निकाय सहमत हों। आरकोणम के निचले सड़क पुल को चौड़ा करने का ठोस प्रस्ताव अभी तक न तो राज्य सरकार और न ही आरकोणम नगरपालिका से ही प्राप्त हुआ है।

रेल प्रशासन में 'असिस्टेंट आफिसर'

3683. **श्री आर० डी० भट्टानी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे प्रशासन में "असिस्टेंट आफिसर" के रुप में जाने वाले प्रथम श्रेणी के ऐसे अनेक अधिकारी है जिनकी भर्ती संघ लोक सेवा आयोग ने साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से 10 से 22 वर्ष पूर्व की थी और जो अभी तक अस्थायी पड़े हैं, हालांकि इसमें उनकी कोई गलती नहीं है;

(ख) यदि हां, तो उनकी संख्या कितनी है;

(ग) क्या उनके भर्ती किये जाने के अनेक वर्ष बाद उसी आयोग द्वारा उन्हीं पदों अथवा उनके जैसे पदो पर लिखित परीक्षा के माध्यम से भर्ती किये गये व्यक्तियों को उनसे वरिष्ठ बना दिया गया है और ऐसा किन कारणों से किया गया है; और

(घ) सरकार का विचार उपर्युक्त उल्लिखित अस्थायी कर्मचारियों को कब तक स्थायी करने का है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : 1955 से 1968 तक के बीच 1089 अस्थायी अधिकारी, जो न तो श्रेणी I में थे और न ही श्रेणी II में थ, अर्थात "अवर्गीकृत" थ, भर्ती किये गये थे। उन में से अब केवल 303 को ही श्रेणी I/कनिष्ठ वेतनमान में स्थायी करना शेष रह गया है।

(ग) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर श्रेणी I के स्थायी संवर्ग में सीधे भर्ती किये गये अधिकारियों को स्थायी कर दिया गया है।

(घ) सरकार ने प्रथम श्रेणी/कनिष्ठ वेतनमान में अस्थायी अधिकारियों को स्थायी करने का वार्षिक कोटा अभी हाल में काफी बढ़ा दिया है। आशा है शेष अधिकारियों को लगभग 4 वर्ष की अवधि में स्थायी कर दिया जायेगा।

इनमें से कुछ अधिकारियों को भारतीय रेलवे भण्डार सेवा और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में स्थायी तौर पर समाहित करने का भी प्रस्ताव है।

मनमद जोन पर स्लीपर डिब्बे

3684. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या मंत्री महोदय का विचार मनमद जोन पर अहमदनगर से स्लीपर डिब्बो की संख्या बढ़ाने का है; यदि हां तो कृपया तत्सम्बन्धी सही योजना बतायें ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

भारतीय उर्वरक निगम द्वारा अमोनियम सल्फेट का वितरण

3685. **श्री शरत कार :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड के उड़ीसा के व्यापारियों को अमोनियम, सल्फेट के वितरण के सिद्धान्त अन्य राज्यों के सम्बन्ध में भारतीय उर्वरक निगम की नीति के अनुरुप है;

(ख) क्या गत दो वर्षों में उड़ीसा बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश को सप्लाई की गई अमोनिया सल्फेट की कुल मात्रा में कोई असमानता थी; और

(ग) आपातकाल के दौरान उड़ीसा में कुछ व्यापारियों को ऐजेंसियों के बिना किसी कारण रद्द कर दी गई हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी।

Bihar Backward Area

†3686. **Dr. Ramji Singh:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government have the information that Mehrama, Mahagama and Buarijor blocks of the Adivasi region of Santhal Pargana district in Bihar have a 22 mile belt bearing 44000 crores million tonnes of coal (Eastern Coal Fields Ltd.), large deposits of china clay, stone chips, wild sabe grass bidi leaves, etc;

(b) if so, whether failure in laying railway lines in this backward but mineral rich adivasis area is against national interest;

(c) if so, whether this area will be included in the plan for the next year; and

(d) whether it will be proper to connect the proposed Bhagalpur-Deoghar line (via Pirpainti and Lalmalia) with Hasdiha line?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) (b), (c) and (d): The Government is aware of the existence of deposits of minerals in the Santhal Pargana district of Bihar. Reconnaissance Engineering-*cum*-Traffic surveys for new broad gauge lines from mandarhill to Dumka, Dumka to Sainthia, Dumka to Baidyanath Dham (Deoghar), Dumka to Madhupur and Dumka to Rampurhat have been carried out. A survey for a direct D. G. rail link between Mandarhill and Baidyanathdham (Deoghar) has been included in this year's railway budget and will be taken up shortly. Pirpainti is already connected by rail and Hansdiha will also get connected by the proposed rail link between Mandarhill and Dumka. No final decision has so far been taken in regard to these lines.

रेलवे में केटरिंग और बेंडिंग विभाग में सुधार

3687. **श्री एस० के० शारदा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैटरिंग और बेंडिंग विभागों के इन्स्पैक्टर/मैनेजर तथा अन्य कर्मचारी अपना लगभग पूरा भोजन तथा नाश्ता यात्रियों के लिए प्रतिदिन पकाई जाने वाली सामग्री में से लेते हैं;

(ख) क्या इसके कारण यात्रियों को सप्लाई किये जाने वाले पके हुये खाद्य पदार्थों के स्तर में गिरावट आई है; और

(ग) इस स्थिति में को ठीक करने और यात्रियों को दिए जाने वाले खाद्य पदार्थों की किस्म सुधारने के लिए क्या निवारक उपाय किये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) केवल दक्षिण रेलवे पर स्थाई खान-पान यूनिटों में काम कर रहे ऐसे मैनेजरों, सहायक मैनेजरों, रसोइयों-बैरों/परोसने वालों और सफाई वालों को जो 14-9-1955 से पहले भर्ती हुए थे, उनकी सेवा शर्तों के अधीन निर्धारित पैमाने के अनुसार निशुल्क भोजन दिया जाता है। भोजनयान में काम करने वाले चलती हुई गाड़ियो में ड्यूटी पर होते हैं। कर्मचारियो को उस दौरान निर्धारित पैमाने पर भोजन दिया जाता है जब और विकल्प के रुप में उन्हें नियमान्तर्गत स्वीकार्य दैनिक यात्रा भत्ते की केवल आधी दर पर दैनिक यात्रा भत्ता दिया जाता है। किसी और कर्मचारी को खानपान स्थापनाओं से निःशुल्क भोजन नहीं मिलता है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

इलाहाबाद में केटरिंग और वेंडिंग विभागों में मैनजरों और इंस्पेक्टरों का तबादला

3688. **श्री एस० के० शारदा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कैटरिंग और वेंडिंग विभागों के मैनेजरो/इंस्पेक्टरों द्वारा विशेष रुप से कमर्शियल ब्रांच के वरिष्ठ अधिकारियों को प्रतिदिन मिठाइयां तथा अन्य खाद्य पदार्थ मूफ्त भेजे जाते हैं;

(ख) यदि हां,तो इन कदाचारों को रोकने के लिए रेलवे ने सतर्कता विभाग के माध्यम से अचानक जांच की है; और

(ग) क्या सरकार इन भ्रष्ट कार्यों को बन्द करने के लिए इलाहाबाद स्टेशन पर तीन वर्ष से अधिक समय से काम कर रहे केटरिंग और वेंडिंग विभागों के मैनेजरों/इंस्पेक्टरों का तबादला करेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता । फिर भी, रेलवे का सतर्कता विभाग खान-पान स्थापनाओं के संचालन में, कदाचार/अनियमितताओं का पता लगाने के उद्देश्य से, जब-तब अचानक जांच करता है। इन जांचों के दौरान प्रश्न के भाग (क) में उल्लिखित किस्म के कदाचार जानकारी में नहीं आये हैं।

(ग) तीन साल के बाद कर्मचारियों के स्थानान्तरण के बारे में कोई नीति नहीं है। फिर भी, जहां, आवश्यक समझा जाता है, खान-पान व्यवस्था के कर्मचारियों को प्रशासन के हित में स्थानान्तरित कर दिया जाता है। वही नीति इलाहाबाद स्टेशन और खान-पान व्यवस्था में लगे उन कर्मचारियों पर भी लागू होगी जिनके विरुद्ध शिकायतें मिलेंगी ।

Contracts for Goods and Parcels in Stations in Allahabad Division

†3689. **Shri S. K. Sarda:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether contracts for goods and parcels at all the stations in Allahabad Division have been given to co-operative societies and whether the officers, in collusion with the said co-operative societies have fixed arbitrary rates;

(b) whether it is a fact that the contracts for Kanpur godown and Juhi Transhipment shed were given at the daily wage rate of Rs. 5.30 whereas the Society is paying daily wages to its labourers at the rate of Rs. 6.50 and still earning profit;

(c) whether it is also a fact that the rates for these Societies have been increased by 200 to 500 per cent as compared to the rates for the contractors whereas no proportionate increase in the wage of labourers has been made; and

(d) whther Government would invite tenders and make an assessment of the actual rates so as to avoid the recurring loss being incurred by the Railways?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Goods and parcels handling contracts as required at stations on Allahabad Division have been allotted to Co-operative Societies. The rates are determined by the Rates fixing Committee comprising of 4 Senior Officers including an Accounts Officer, taking into account the local wage rate and the average number of men required for parcel handling. Goods handling rates are determined on the piece rate system.

(b) Goods handling contracts at Kanpur Central Goods Shed and Juhi Transhipment Shed are on piece rate system and not on per man-day basis.

(c) No.

(d) No.

बिना टिकट यात्री

3690. **श्री शक्ति कुमार सरकार :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सीनियर डिवीजनल कमर्शियल सुपरिटेंडेंट उत्तर रेलवे, इलाहाबाद ने, बिना टिकट चलने वाले यात्रियों को पकड़ने के लिए जून, 1976 से अक्तूबर, 1977 तक प्रतिमास कितने छापे मारे;

(ख) उपरोक्त अवधि के दौरान विशेष रुप से यह छापे मारने के लिए सीनियर डिवोजनल कमर्शियल सुपरिन्टेंडेंट को प्रति मास कितना यात्रा-भक्ता दिया गया, कितने व्यक्ति पकड़े गये तथा उनसे कितनी राशि वसूल की गई;

(ग) क्या अपनी सफलताओं को उजागर करने के लिए उक्त अधिकारी ने इस छापों के बाद समाचार पत्रों के माध्यम से प्रचार किया था; और

(घ) क्या रेलवे को इतनी अधिक आय कराने हेतु पहल करने के लिए सम्बन्धित अधिकारी को उपयुक्त पुरस्कार दिया गया था; और यदि नहीं तो इसके क्या कारण है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : प्रवर मंडल वाणिज्य अधीक्षक इलाहाबाद के मार्गदर्शन एवं निर्देशन में जून, 1976 से अक्तूबर 1977 के दौरान, उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल में बिना टिकट यात्रा करने वालो के विरुद्ध 5,277 बार छापे आयोजित किये गये। इनमें से 12-8-77 को होने वाले दो छापे उत्तर रेलवे के इलाहाबाद मंडल के प्रवर मंडल वाणिज्य अधीक्षक की देख रेख में मारे गये। इन दो छापों में 71 यात्रियों को अनियमित यात्रा करते हुए पकड़ा गया और उनसे 591.40 रु० रेलवे देय के रुप में वसूल किया गया। इसके अतिरिक्त 1,325/– रुपये की राशि न्यायिक जुर्माने के रुप में वसूल की गयी। इनके लिए प्रवर मंडल वाणिज्य अधीक्षक इलाहाबाद ने कोई यात्रा भत्ता नहीं लिया।

(ग) जी हां। बिना टिकट यात्रा करने वालों यात्रियों पर प्रभाव डालने के लिए कुछ सम्वाददाताओं के साथ गोष्ठी की गयी थी।

(घ) जी नहीं। ये छापे ड्यूटी के साधारण सम्पादन के दौरान मारे गये।

पठानकोट-जोगिन्दरनगर सैक्शन पर पंचरुखी स्टेशन पर गाड़ियों का रुकना

3691. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तरी रेलवे के पठानकोट-जोगिन्दरनगर सैक्शन में पंचरुखी तथा अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर एक्सप्रेस गाड़ी खड़ी नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बारे में कोई शिकायत मिली है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा पंचरुखी स्टेशन और ऐसे ही अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनो पर गाड़ी रुकना कब तक शुरु हो जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 3 गाड़ियों में से। फो० बी०/4 पठानकोट-बैजनाथ पपरोला नामक एक जोड़ी गाड़ी एक तेज सावरी गाड़ी के रूप में चलायी जा रही है और यह गाड़ी पंचरूखी तथा अन्य नौ मध्यवर्ती स्टेशनों पर नहीं रुकती।

(ख) जी हां।

(ग) पंचरूखी और अन्य स्टेशनों पर रोकने की व्यवस्था के बारे में जांच की जा रही है और जैसा औचित्यपूर्ण तथा व्यावहारिक पाया जायेगा वैसी कार्रवाई की जाएगी।

'हाकर एंड बेगर चैकर' के लिये अधिक वेतन-मान

3692. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रेलवे के वाणिज्यिक विभाग के "हाकर एण्ड बेगर चेकर्स" (खोमचे वाले और भिखारियों को चैक करने वाले कर्मचारी) को अधिक वेतन-मान दिए जाने का प्रश्न सरकार और महाप्रबन्धक मध्य रेलवे (बम्बई वी० टी०) के यहां गत लगभग 12 वर्षों से विचाराधीन है;

(ख) निर्णय लेने में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(ग) अन्तिम निर्णय कब तक लिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) इस कोटि के कर्मचारी 1964 से उच्च वेतनमान की मांग कर रहे हैं।

(ख) और (ग) : खोमचे वालों और भिखारियों की रोक-थाम करने वाले कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी में आते हैं और उन्हें 210-270 रुपये का नया वेतनमान दिया गया है उन्हें 260-400 रुपये का तृतीय श्रेणी का उच्च वेतनमान जोकि टिकट कलेक्टरों पर लागू होता है देने का औचित्य नहीं है। लेकिन चूंकि इस श्रेणी के कर्मचारियों की आगे उन्नति की कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए 20 प्रतिशत सैलेक्शन ग्रेड के पदों का सृजन करने की सम्भावनाओं पर विचार किया जा रहा है।

महाराष्ट्र बार कौंसिल का अभ्यावेदन

3693. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री महाराष्ट्र बार कौंसिल (मुम्बई) के अध्यक्ष से प्राप्त अभ्यावेदन के बारे में तारीख 21 जून, 1977 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1245 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र बार कौंसिल मुम्बई के अध्यक्ष से अक्तूबर, 1974 से मई, 1977 के बीच प्राप्त हुए दस अभ्यावेदनों पर कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो कब और किस प्रकार की; और

(ग) यदि नहीं, तो इतने अधिक विलम्ब होने का क्या कारण हैं और उन पर कब तक कार्यवाही किए जाने की संभावना है?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क), (ख) और (ग) : महाराष्ट्र बार कौंसिल के अध्यक्ष से प्राप्त दस अभ्यावेदनों की विशिष्टियां

क्र० सं०	तारीख	अध्यक्ष का नाम	अभ्यावेदन की संक्षिप्त विषय-वस्तु	की गई कार्यवाही/टिप्पणियां
1	3-2-75	श्री जे०एच०दलाल	राज्यवार कौंसिल द्वारा बनाई गई कानूनी सहायता स्कीम को आरंभ करने के लिए वित्तीय सहायता देने को प्रार्थना। यह अभ्यावेदन विधि मंत्री को सम्बोधित था।	इन अभ्यावेदनों का उत्तर हमारे पत्र सं० 6 (2)/75 का से तारीख 29-9-75 द्वारा किया गया था । उस पत्र में यह कहा गया था कि इस मंत्रालय के पास ऐसी
2	19-2-75	यथोक्त	उपर्युक्त विषय पर वित्त मंत्री को सम्बोधित अभ्यावेदन ।	कोई निधि नहीं है जिससे महाराष्ट्र बार कौंसिल को अनुदान दिया
3	14-7-75	यथोक्त	उपर्युक्त विषय पर प्रधान मंत्री को सम्बोधित अभ्यावेदन ।	जा सके। किन्तु भगवती समिति की सिफारिशों के, जिनकी सरकार जांच कर रही है, आधार पर गरीबों को कानूनी सहायता देने के सामान्य प्रश्न पर इस समय विचार किया जा रहा है।
4	22-2-75	यथोक्त	अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 30 को प्रवृत्त करने की प्रार्थना।	इस विषय की उच्चतम न्यायालय और सरकार के अन्य संबंधित मंत्रालयों से
5	24-2-75	यथोक्त	उपर्यूक्त विषय पर विधि मंत्री को सम्बोधित अभ्यावेदन।	परामर्श करके अभी जांच की जा रही है।
6	14-10-76	श्री बी० एन० देशमुख	अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 8 के संशोधन की प्रार्थना, ताकि यह उपबंध किया जा सके कि बार कौंसिल का कार्यकाल वर्तमान 4 वर्ष की बजाय 6 वर्ष होना चाहिए।	अधिनियम की धारा 8 का संशोधन अधिवक्ता संशोधन अध्यादेश द्वारा कर दिया गया है और बार कौंसिल का कार्यकाल वर्तमान 4 वर्ष की बजाए पांच वर्ष कर दिया गया है । यह अध्यादेश

क्र० सं०	तारीख	अध्यक्ष का नाम	अभ्यावेदन की संक्षिप्त विषय-वस्तु	की गई कार्यवाही/टिप्पणीयां
7	19-11-76	श्री आर०डब्ल्यू० आदिक	उक्त विषय पर अभ्यावेदन।	एक अधिनियम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा। अधिवक्ता (संशोधन) विधेयक, 1977 दोनों सदनो द्वारा पारित हो चुका है और उस पर राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त होनी है।
8	2-5-77	—यथोक्त—	उक्त विषय पर अभ्यावेदन	
9	29-1-76	—यथोक्त—	अधिवक्ता (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा दुहरी प्रणाली के समाप्त किए जाने के परिणामस्वरूप, मुम्बई उच्च न्यायालय ने अपने मूल पक्ष के नियमों में संशोधन कर दिया है। बार कौंसिल के अध्यक्ष मूल पक्ष के नियमों में संशोधन पर आपत्ति कर रहे हैं। यह अभ्यावेदन विधि मंत्री को सम्बोधित था।	सरकार द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है क्योंकि इस विषय में मुम्बई उच्च न्यायालय ही कार्रवाई कर सकता है।
10	31-12-76	—यथोक्त—	यह अभ्यावेदन उक्त आधार पर गृह मंत्रालय में भूतपूर्व राज्य मंत्री श्री ओम मेहता को सम्बोधित था।	

भारत रिफाइनरीज का देवनागरी में ट्रेड मार्क

3694. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे** : : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री भारत रिफाइनरीज के ट्रेड मार्क के बारे में 19 जुलाई, 1977 के अतारांकित प्रश्न सं० 4052 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) क्या सरकार ने भारत रिफाइनरीज के देवनागरी में ट्रेड मार्क के बारे में कोई अन्तिम निर्णय ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो कब; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं और यह निर्णय कब तक लिया जायेगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : मैसर्स भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड ने (पहले जिसका नाम भारत रिफाइनरीज लिमिटेड था) नवम्बर, 1977 को एक 'चिन्ह' का चयन किया था जिस पर कोई लिपि नहीं है। उन्होंने "भारत पेट्रोलियम" शब्दों को अपने "लोगों" के रुप में भी चयन कर लिया है जिसको अंग्रेजी और देवनागरी दोनों लिपियों में प्रयोग में लाया जायेगा।

सरकारी तेल शोधक कारखानों में हुई प्रगति

3695. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी तेलशोधक कारखानों में गत तीनों वर्षों में वर्षवार लाभ/हानि की जो प्रगति हुई है, उसका ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन्हे अधिक लाभप्रद बनाने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तथा (ख) : सार्वजनिक क्षेत्र की शोधनशालाओं के लाभ तथा हानि से सम्बन्धित ब्यौरे एकत्र किये जा रहे हैं और सभा पटल पर प्रस्तुत किय जायेंगे।

रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में सहायक

3696. **श्री बालक राम** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जोनल रेलों से रेलवे बोर्ड के कार्यालयों में भर्ती किये गये सहायकों की शिकायतों के बारे में सरकार को अगस्त सितम्बर, 1977 में कोई अभ्यावेदन मिला था; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां। रेलों द्वारा भर्ती किये गये कुछ सहायकों से बिना हस्ताक्षर किया गया एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था जिसमें यह अनुरोध किया गया था कि रेलवे बोर्ड के सहायकों की आपेक्षिक वरिष्ठता फिर से निर्धारित की जाय।

(ख) इस अभ्यावेदन की जांच की गयी है और यह पाया गया है कि सहायकों की आपेक्षिक वरिष्ठता का फैसला संघ लोक सेवा आयोग-जैसे सांविधिक निकाय के परामर्श से 1964 में कर लिया गया था। वरिष्ठता सम्बन्धी इस फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने भी उस समय विचार कर लिया था। जब रेलवे बोर्ड के कुछ सहायकों ने उस के समक्ष एक रिट याचिका दायर की थी जिसे बाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने वापिस कर ली गयी मानकर खारिज कर दिया था। इस प्रश्न को दोबारा उठाने की अब कोई गुंजाइश नहीं रही है।

आयल इंडिया लि० द्वारा महानदी के डेल्टा में खोज

3697. श्री के० मालना : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने महानदी के डेल्टे में तट पर और तटदूर तेलखोज के लिए संयुक्त क्षेत्र की आयल इंडिया लिमिटेड कम्पनी को लाइसेंस दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इस करार का ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : आयल इंडिया लिमि० को सूचित कर दिया गया है कि महानदी डेल्टा क्षेत्र के समुद्रतट के अन्दरुनी क्षेत्र के 12,000 वर्ग किलो मीटर सहित 31,000 वर्ग किलो मीटर क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने में सरकार को कोई आपत्ति नहीं है। ओ आई एल ने अब समुद्रतट के अन्दरुनी क्षेत्र के 12,000 वर्ग किलोमीटर के लिए पेट्रोलियम अन्वेषण लाइसेंस प्रदान करने हेतु आवेदन पत्र दिया है।

Decasualisation Scheme

†3698. **Shri Phool Chand Verma:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the dates on which decasualisation scheme was introduced in each Railway and the targets fixed and the details of benefits and facilities made available so far under this scheme;

(b) the number of licenced porters in the Railways and the number of such porters, out of them as are working under the decasualisation scheme in Railways and the number of those porters who are still working under contractors cooperative Societies at each Railway station;

(c) whether it is a fact that Government are not abolishing the contract system at these stations under the influence of the vested interests which have been exploiting coolies for years in the name of cooperative Societies; and

(d) when Government propose to bring these licenced porters under the 'decasualisation scheme' who are not under Railway ?

Minister of State in the Ministry of Railways: (Shri Sheo Narain): (a) to (d): Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

मुगलसराय में पार्सल उतारने चढ़ाने के लिए निर्धारित दरें

3699 डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मुगलसराय में रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड, इलाहाबाद के लिए पार्सल उतारने चढ़ाने के काम के लिये पूर्वी रेलवे के अधिकारियों द्वारा निर्धारित दरों का मदवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पार्सल उतारने और चढ़ाने के काम के अतिरिक्त सोसाइटी को कुछ अन्य विविध काम भी करने होते ह जिसके लिये उनको हर महीने इक मश्त भुगतान किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो उस काम की विध मदों का ब्यौरा क्या है जो सोसाइटी को करने होते है और उन सेवाओं के लिए कितनी धनराशि का भुगतान किया जाता है; और .

(घ) ठेके के लिये जमानत की कितनी धनराशि निर्धारित है और उसे सोसाइटी से किस प्रकार वसूल किया गया था/किया जा रहा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मुगलसराय में पार्सल उतारने-चढ़ाने के काम के लिए निर्धारित की गयी मद-वार दरें :

	मदें	दर प्रति 100 क्विटल
(i)	भार, वहन दूरी और समय का विचार किये बिना, प्लटफार्म, मालगोदाम, शेड से वाहनों या गाड़ियों में पार्सलों और सामान का लदान, जिसका विवरण करारनामे की धारा 2(I) में दिया गया है।	15.50 रु०
(ii)	भार, वहन दूरी और समय का विचार किये बिना गाड़ियों अथवा वाहनों से प्लैटफार्म और लानों, शेड़ों पर पार्सल और सामान उतारना, जिसका विवरण करारनामे की धारा 2(I) में दिया गया है।	10.00 रु०
(iii)	भार, वहन दूरी और समय का विचार किये बिना एक वाहन से दूसरे वाहन में तथा एक गाड़ी से दूसरी गाड़ी में सामान और पार्सलों का यानान्तरण। इसमें प्लटफार्म पर या शेडों अथवा गोदामों में माल उतारना, छांटना और लगाना तथा दूसरे प्लैटफार्म तक ले जाना और जब जरुरी हो तब अन्तिम रुप से प्रषण के पूर्व उसकी जांच करना भी शामिल है, एवं वाहनों की रिपैकिंग जिसमें छंटाई और प्रत्यानयन आदि सहित माल उतारना फिर से चढ़ाना भी शामिल है।	35.00 रु०

(ख) जी हां।

(ग) (1) माल चढ़ाने से पहले माल डिब्बों अथवा वाहनों में झाडू लगाना और उन्हे साफ करना।

(2) जिन जावक पार्सलों और सामानों को तौलना या फिर से तौलना हो, उन्हें तराजू पर रखना और वहां से उतारना।

(3) जिन आवक पार्सलों और सामानों को तौलना या फिर से तौलना हो, उन्हें तराजू पर रखना और वहां से उतारना।

(4) जावक माल डिब्बों अथवा वाहनों को बंद करना और मोहरबंद करने में सहायता करना।

(5) (क) पार्सल शेडों, गुमशुदा सम्पत्ति कार्यालयों में अथवा रेलवे प्लेटफार्मों पर किन्हीं विशेष स्थलों पर पार्सलों और सामानों, आदि के चट्टे लगाना। रेल प्रशासन द्वारा जो वजन सामान्य समझे जाते हैं, उनके लिए ठेकेदारों की कोई अतिरिक्त पारिश्रमिक नहीं दिया जाता।

(5) (ख) फिर से चट्टा लगाना, छंटाई करना और या पुनः छंटाई करना।

(6) एक यातायात पदाधिकारी की देखरेख में माल चढ़ाने और उतारने के लिए माल-डिब्बों या वाहनों को ठीक स्थान पर लगाना या लगाने में सहायता करना।

(7) माल डिब्बों और वाहनों को ढकना और उघाड़ना।

(8) गोदामों में पैकेजों की सम्हलाई, जिससे कि रेल कर्मचारी पार्सलों और सामानों की सूची बना सकें।

(9) माल की रिपैकिंग—फुटकर द्रुत परिवहन माल गाड़ियों में एक वाहन से दूसरे वाहन में, जिसमें सड़क वाहनों की रिपैकिंग शामिल है।

(10) उपर्युक्त ड्यूटियों के कारगर निष्पादन के लिये वे अन्य छोटे-मोटे काम, जो जरुरी समझे जायें।

(11) तिजोरियों की सम्हलाई।

उपर्युक्त कार्य के लिए प्रति माह 1368.00 रुपये की एकमुश्त निश्चित राशि अदा की जाती है।

(घ) 4,104.00 रुपये। जमानत की रकम हर बिल में से 5 प्रतिशत के हिसाब से तब तक काटी जाती है जब तक कि जमानत की पूरी रकम वसूल नहीं हो जाती।

पत्रों और फाइलों के गायब होने का समाचार

3700. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लिमिटेड इलाहाबाद के सचिव ने रेलवे अधिकारियों को प्राइवेट ठेकेदारों द्वारा लिखे गये पत्रों की 'फोटो-स्टेट' प्रतियां अपनी शिकायतों सहित उत्तर रेलवे की कार्मिक तथा अन्य शाखाओं में प्रस्तुत की थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या मूल पत्र, जिनकी फोटो-स्टेट प्रतियां प्रस्तुत की गई थी, संबंधित फाइलों से गायब हैं और कुछ मामलों में सम्बन्धित फाइलें ही गायब हैं;

(घ) क्या इस बात का पता लगाने के लिये कोई जांच की है कि ये पत्र, जो रेलवे बोर्ड के पास थे, उपरोक्त सोसाइटी के सचिव के पास कैसे पहुंचे; और

(ङ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) इनमें से एक पत्र में रेलवे पार्सल और माल पोर्टर्स को-आपरेटिव कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०, अलीगढ़ के सचिव द्वारा तत्कालीन मंडल अधीक्षक, उत्तर रेलवे, इलाहाबाद के विरुद्ध तत्कालीन रेल उप मंत्री को भेजी गयी शिकायतें थीं जिनमें एक इजारेदार ठेकेदार जिसका पिछला रिकार्ड बहुत खराब था, का पक्षपात करने तथा वास्तविक लेबर को-आपरेटिव सोसाईटियों को प्राथमिकता देने से संबंधित रेल मंत्रालय के आदेशों की उपेक्षा करने के आरोप लगाये गये थे। मंडल अधीक्षक उत्तर रेलवे, इलाहाबाद को भेजे गये एक अन्य पत्र में सचिव, रेलवे स्टेशन पोर्टर्स को-आपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसाइटी लि०, इलाहाबाद ने उक्त पत्र की एक फोटो स्टेट प्रतिलिपि लगाकर अलीगढ़ वाली सोसइटी के सचिव तथा प्राइवेट ठेकेदार दोनों के खिलाफ शिकायत की थी।

(ग) जी नहीं।

(घ) जी हां।

(ङ) निश्चित रुप से किसी कर्मचारी को उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सका।

कुकिंग गैस कनेक्शन की मांग

3701. **श्री माधवराव सिन्धिया** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कुकिंग गैस के कनेक्शन की मांग और उपलब्धता के बीच कितना अन्तर है;

(ख) क्या गत 4-5 वर्षों से बहुत बड़ी संख्या में उपभोक्ताओं के प्रतीक्षा सूची में रहने के कारण कनेक्शन की मांग बहुत बढ़ गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार को पता है कि शहरों में, विशेषकर दिल्ली में, गैस सप्लाई करने वाली एजेंसियों में नये कनेक्शन चाहने वाले बहुत से उपभोक्ताओं का नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो इन उपभोक्ताओं के नाम एजेंसियों के पास दर्ज करवाने के लिय सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख), (ग) और (घ) : क्योंकि पत्थर के कोयले, लकड़ी के कोयले जलाने की लकड़ी और मिट्टी के तेल आदि वैकल्पिक ईंधनों का घरेलू ईंधन के रुप में प्रयोग किया जाता है इसलिये तरल पेट्रोलियम गैस (घरेलू गैस) की मांग का सही सही मूल्यांकन करना संभव नहीं है। परन्तु शोधन शालाओं के वर्तमान उत्पादन पर आधारित उपलब्धि की तुलना में नगरों और अन्य क्षेत्रों में नये कनेक्शनों की वर्तमान मांग कहीं अधिक है। शोधन शालाओं से एल पी जी की उपलब्धि परिशोधित विभिन्न कच्चे तेलों से प्राप्त होने वाली मात्रा तथा परिशोधन के लिये उपलब्ध कच्चे तेल की कुल मात्रा पर निर्भर होती है। एलपी जी की सप्लाई सीमित है और यह मांग को पूरा करने के लिये पर्याप्त नहीं है।

अत: मांगे जाने पर नया कनेक्शन एकदम देना संभव नहीं होता । नये कनेक्शन प्राप्त करने के लिये प्रतीक्षा का समय भिन्न भिन्न स्थानों के लिए एक-सा नहीं है। जबकि एल० पी० जी० का उत्पादन और सप्लाई बढ़ाने के लिये सभी प्रयत्न किये जा रहे हैं परन्तु मांग और पूर्ति में यह असन्तुलन बना रहेगा । इन कठिनाइयों के बावजूद भी भारतीय तेल निगम 1976-77 में लगभग 1.9 लाख नये कनेक्शन देने में समर्थ रहा है।

जहां तक दिल्ली क्षेत्र का सम्बन्ध है, एल० पी० जी० की सप्लाई और नये ग्राहकों के नामांकन में महत्वपूर्ण सुधार केवल 1980 के आसपास ही संभव होगा जब उत्पाद की उपलब्धि में वास्तविक सुधार होगा ।

विशिष्ट व्यक्तियों के लिये रेलवे पास

3702. **श्री माधवराव सिन्धिया :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय/राज्य सरकारों के मंत्रियों और संसद सदस्यों के अतिरिक्त अधिकारियों तथा अन्य लोगों की कितनी विशिष्ट श्रेणियां हैं जिनके पास रेलगाड़ियों में यात्रा करने के लिए पहचान पत्र या पास है;

(ख) क्या यह सच है कि इन श्रेणियों के कुछ व्यक्तियों को कूपे के आरक्षण/नियतन के मामले में संसद सदस्यों के मुकाबले 'विशिष्ट व्यक्ति' जैसी प्राथमिकता दी जाती है;

(ग) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों का दर्जा क्या है;

(घ) क्या सरकार संसद सदस्यों के दर्जे को देखते हुए कर्मचारियों की ऐसी विशिष्ट श्रेणियों को समाप्त करने के प्रश्न पर विचार करेगी; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) भारतीय रेलों के राजपत्रित अधिकारी ड्यूटी पर यात्रा, उन्हें जारी किये गये धातु/कार्ड पास के प्राधिकार पर करते हैं परन्तु उन्हें 'अति विशिष्ट व्यक्ति' की कोटि का नहीं समझा जाता ।

(ख) से (ङ) : रेलवे मुख्यालयों तथा अन्य महत्वपूर्ण स्टेशनों पर महत्वपूर्ण नामित गाड़ियों में कुछ शायिकाओं का एक अल्प कोटा नियत किया जाता है ताकि केन्द्रीय/राज्य मंत्रियों और उच्च सरकारी अधिकारियों को जो 'उच्च अधिकारी मांगपत्र' पर रेल गाड़ी में स्थान पाने के लिए ग्राह्य होते हैं, गाड़ियों में स्थान दिया जा सके। जब इन व्यक्तियों द्वारा इस कोटे का उपयोग नहीं किया जाता तो इसमें से संसद सदस्यों, विदेशी पर्यटकों, प्रेस संवाददाताओं, ड्यूटी पर सरकारी कर्मचारियों आदि को दे दिया जाता है। संसद सदस्यों आदि के लिए संसद भवन के आरक्षण कार्यालय में अलग से कोटा निर्धारित किया गया है।

खनिज तथा धातु व्यापार निगम की कटक डिवीजन को दिये गये लौह अयस्क रेक

3704. **श्री पवित्र मोहन प्रधान :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि खनिज तथा धातु व्यापार निगम की कटक डिवीजन को 4 सितम्बर, 1974 से 7 अक्तूबर, 1975 तक लौह अयस्क के वस्तुत: कितने रेक दिये गये और उपरोक्त अवधि में पारादीप पत्तन क्षेत्र में अठारांबकी स्थान पर साइडिंग संख्या 1 तथा 2 में क्रमश: कितने कितने रेक उतारे गये ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : पारादीप बन्दरगाह से निर्यात करने के लिए 4-9-74 से 7-10-75 तक की अवधि के दौरान खनिज तथा धातु व्यापार निगम को भेजने के वास्ते लोह अयस्क के 1194 रेकों का लदान किया गया था। इनमें से 240 और 315 रेक क्रमशः अठाराबंकी की साइडिंग नं० 1 और 2 पर उतारे गए थे ।

उर्वरक कारखाने के निर्माण के लिये अधिगृहीत की गई भूमि के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार

3705. **श्री पवित्र मोहन प्रधान** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय उर्वरक कारखानों के निर्माण के लिये अधिगृहीत भूमि और मकानों के कारण विस्थापित हुए व्यक्तियों को रोजगार देने के बारे में सुविधाएं और प्राथमिकताएं देने की कोई स्पष्ट नीति निर्धारित की गई है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सुविधाएं और प्राथमिकता देने सम्बन्धी ऐसी स्पष्ट नीति की एक प्रति सभा-पटल पर रखी जायेगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख): जबकि विस्थापित हुए व्यक्तियों को दी जाने वाली सुविधाएं और प्राथमिकताओं के ब्यौरे के बारे में कोई विशेष आदेश जारी नहीं किया गया है, उर्वरक उद्योग में सरकारी क्षेत्रीय उपक्रम, विस्थापित हुए व्यक्तियों को श्रेणी–III और श्रेणी–II पदो की नौकरियां देने और अपनी सम्पदाई ईस्टेटस में उनको दुकानें आवटित करने में वरीयता देते हैं ।

हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० के निदेशक बोर्ड का प्रति वर्ष पुनर्गठन

3706. **श्री आर० के० महालगी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कम्पनी कानून उपबन्धों के अनुसार हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लि० (पिम्परी) पुणे, महाराष्ट्र के निदेशक बोर्ड का प्रतिवर्ष सामान्य निकाय (जनरल बॉडी) की बैठक के तुरन्त बाद पुनर्गठना करन होता है;

(ख) क्या गत दो वर्षों के दौरान हिन्दुतान एन्टीबायोटिक्स लि० (पिम्परी) के निदेशक बोर्ड का ऐसा पुनर्गठन उपबन्धों और नियमों के अनुसार सरकारी तथा गैर सरकारी निदेशकों की नियुक्ति करते हुए किया गया था;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1977-78 के लिये गैर-सरकारी निदेशक कब नियुक्त किये गये थे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां ।

(ख) और (ग) : हिन्दुस्तान एन्टिबायोटिक्स लि० के निदेशक बोर्ड में वर्ष 1975–76 में 5 निदेशक (सभी सरकारी अधिकारी) तथा 1976–77 में 11 निदेशक (6 सरकारी तथा 5 गैर सरकारी अधिकारी) शामिल थे कम्पनी के अर्टिकल्स आफ एसोसियेशन में यह व्यवस्था है कि बोर्ड में 2 से कम तथा 12 से अधिक निदेशक नही होने चाहिए ।

कम्पनी के आर्टिकल्स आफ एसेसियेशन में सरकारी/गैर-सरकारी निदेशक की निश्चित संख्या की कोई व्यवस्था नही है ।

1977-78 के लिए 5 सरकारी निदेशक नियुक्त किये गये है । अन्य निदेशकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में बहुत शीघ्र ही निर्णय लिया जायेगा ।

जेल रोड, नई दिल्ली पर यातायात

3707. **श्री उग्रसेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जनकपुरी और अन्य कालोनियों के कारण नई दिल्ली की जेल रोड और पंखा रोड पर यातायात में बहुत वृद्धि हो गई है;

(ख) क्या यह भी सच है कि जंगल राया में इन सड़कों पर जो रेल फाटक हैं वे इस भारी यातायात के लिए अपर्याप्त हैं, जिससे यातायात रूक जाता है और दुर्घटनाएं होती हैं; और

(ग) इन फाटकों को चौड़ा करने के लिए और इन स्थानों पर उपरिपुल/उप-मार्ग बनाये जाने तक फाटकों के अधिक कुशलता से बन्द होने और खुलने की व्यवस्था करने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) समपार बहुत व्यस्त रहते हैं विशेषकर प्रातः काल और सायं काल जबकि सड़क यातायात अधिकता की चरम सीमा पर होता है । तो भी, वहां गाड़ियों से संबंधित कोई दुर्घटना नही हुई है ।

(ग) वर्तमान नियमों के अनुसार, बढ़ते हुए सड़क यातायात से निपटने के लिए समपारों को चौड़ा करने की लागत राज्य सरकार/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा वहन की जाती है तथा इसका प्रस्ताव भी उनके द्वारा प्रायोजित किया जाना चाहिए ।

जेल रोड पर समपार नं० 12 को चौड़ा करने का प्रस्ताव पहले नगर निगम दिल्ली ने किया था परन्तु तकनीकी दृष्टि से उसे अनुपयुक्त पाया गया । पंखा रोड पर समपार सं० 13 के संबंध में, नक्शे अनुमान आदि तैयार करने के संबंध में निक्षेप जमा कराने के लिए रेल प्रशासन द्वारा नगर निगम दिल्ली से प्रस्ताव किया गया है । इस संबंध में नगर निगम दिल्ली से उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है ।

आल इण्डिया रेलवे एम्प्लाइज कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल की ओर से ज्ञापन

3708. **श्री ए० के० राय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल मंत्री के पत्र संख्या एस० आर०/3428ए/77, दिनांक 2 अगस्त, 1977 के अनुसरण में आल इंडिया रेलवे एम्पलाईज कांफडेरेशन के सेक्रेटरी जनरल के दिनांक 29 जून, 1977 के ज्ञापन में उल्लिखित विषयों पर उन्होंने कोई कार्यवाही की है;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक विषय पर क्या निर्णय किया गया; और

(ग) किसी भी कठिनाई को दूर न किये जाने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) : उठाये गये मुद्दे अधिकतर कर्मचारियों के व्यक्तिगत मामलों से सम्बन्धित हैं जिन की संख्या 29 है । सम्बन्धित दोनों रेलों द्वारा आवश्यक कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है । रेलों द्वारा की गयी कार्रवाई की यह देखने

के लिए रेल मंत्रालय द्वारा जांच की जा रही है कि क्या यह प्रत्येक मामले की जरूरतों के अनुरूप है या नहीं ।

आम प्रश्न केवल एक ही उठाया गया है कि ऐसे एवजियों तथा नैमित्तिक मजदूरों को, जिनकी सेवाएं मई 1974 की हड़ताल के सम्बन्ध में समाप्त कर दी गयी थीं और जिन्हें सेवा में पुनः वापस ले लिया गया है उन्हें उस अवधि का भुगतान किया जाये जिस अवधि के दौरान वे सेवा में नहीं थे । एवजियों तथा नैमित्तिक मजदूरों को उन नियमित कर्मचारियों के समान नहीं माना जा सकता जिन्हें नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य निर्वाह भत्ते की दर से भुगतान किया गया था ।

न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु तथा पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव

3709. **श्री प्रसन्नभाई मेहता :**
श्री पी० जी० मावलंकर :
श्री सुरेन्द्र विक्रम :
श्री एम० रामगोपाल रेड्डी

क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु और पेंशन बढ़ाने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो आयु और पैंशन में कितनी-कितनी वृद्धि करने की सम्भावना हैं ;

(ग) यह वृद्धि किस तारीख से की जाएगी ;

(घ) इसके मुख्य कारण क्या हैं ; और

(ङ) क्या बार एसोसिएशन ने न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति की आयु में वृद्धि करने का स्वागत नहीं किया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) से (घ): उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की पेंशन बढाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है । भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने हाल में यह सिफारिश करते हुए एक प्रस्ताव भेजा है कि उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिशों की सेवा निवृत्ति आयु क्रमशः 62 वर्ष से बढाकर 65 वर्ष तथा 65 वर्ष से बढाकर 68 वर्ष कर दो जाए । उनका विचार है कि ऐसा करने से न्यायिक पद अधिक आकर्षक हो जाएगें तथा उनकी स्वतंत्रता और गौरव में भी वृद्धि होगी । सरकार ने अभी इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया है ।

(ङ) उपलब्ध जानकारी के अनुसार आन्ध्र प्रदेश उच्च न्यायालय एडवोकेट्स एसोसिएशन, न्यायाधीशों की सेवा निवृत्ति आयु बढ़ाने के विरुद्ध है ।

न्यायाधीशों के चयन के लिये समिति की नियुक्ति

3710. **श्री वसन्त साठे :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति चयन के लिये सरकार एक उच्च शक्ति प्राप्त न्यायिक समिति की स्थापना के सुझाव पर विचार कर रही है, जिसमें प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सेवा निवृत्त न्यायाधीश होंगे;

(ख) यदि हां, तो सरकार के विचाराधीन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय किया गया है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) : न्यायाधीशों को नियुक्ति की रीति के प्रश्न के संबंध में सरकार ने जिन सुझावों पर विचार किया था उनमें से एक सुझाव यह था कि क्या उच्चतम न्यायालय के तीन सेवा निवृत्त मुख्य न्यायाधिपतियों के किसी अनौपचारिक परामर्शदाता पैनल का गठन किया जा सकता है । जांच करने पर यह पाया गया था कि इस सुझाव को स्वीकार करने में विधि संबंधी और अन्य कठिनाइयां होंगी । तथापि, विधि आयोग से यह पूछने का प्रस्ताव है कि क्या आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रियां में परिवर्तन करने का कोई सुझाव देना चाहता है ।

उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिये पैनल

3711. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उनके नामों का एक पैनल बनाने के लिए भारत के मुख्य-न्यायाधिपति की अध्यक्षता में एक तदर्थ निकाय गठित करने में, जैसे कि विधि आयोग ने अपनी चौदहवीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी, सरकार के मार्ग में क्या कठिनाइयां आ रही हैं ;

(ख) उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है ;

(ग) क्या वर्तमान रिक्त पदों को उक्त पैनल में से भरा जाएगा ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख), (ग) और (घ) विधि आयोग ने अपनी 14वीं रिपोर्ट में सिफारिश की थी कि उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए उपयुक्त व्यक्तियों के नामों का एक पैनल बनाने के लिए भारत के मुख्य न्यायाधिपति की अध्यक्षता में एक तदर्थ निकाय बनाया जाए । इस सिफारिश पर 1961 में सरकार ने विचार किया था और यह तय किया था कि अखिल भारतीय पैनल तैयार करने के संबंध में उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों के विरोध को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में कोई कार्यवाही आवश्यक नहीं है । ऐसे निकाय का गठन करने में सांविधानिक कठिनाई भी हो सकती है । अभी ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है कि न्यायाधीशों के वर्तमान रिक्त स्थानों को किसी पैनल में से भरा जाए । तथापि, विधि आयोग से यह पूछने का प्रस्ताव है कि क्या न्यायाधीशों की नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया की बाबत वह कोई सिफारिश करना चाहता है ।

उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रतिमान

3712. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधिपतियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रतिमान निर्धारित करने का है ; और

(ख) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) सरकार उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपतियों, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए प्रतिमान निर्धारित करने का विचार नहीं कर रहीं है। तथापि, विधि आयोग से यह पूछने का प्रस्ताव है कि क्या आयोग उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के चयन और उनकी नियुक्ति संबंधी वर्तमान प्रक्रिया में परिवर्तन करने का कोई सुझाव देना चाहता है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की पांच वर्ष की पदावधि

3713. **श्री ओम प्रकाश त्यागी** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने व्यक्तियों को विभिन्न उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्त करने के बारे में इस बीच कोई निर्णय लिया है जिनकी पदावधि कम से कम पांच वर्ष को होगी ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और क्या उक्त निर्णय कब लागू किया जा रहा है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) और (ख) : विधि आयोग ने व्यक्तियों की उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के प्रश्न पर अपनी 14वीं रिपोर्ट में विचार किया था। उच्चतम न्यायालय की नियुक्तियों के संबंध में आयोग ने सिफारिश को थी कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की पदावधि कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए । सरकार ने 1960 में यह सिफारिश इस परिवर्तन के साथ स्वीकार कर ली थी कि असाधारण मामलों को छोड़कर, यह पदावधि साधारणतया कम से कम 5 वर्ष होनी चाहिए । उच्च न्यायालयों की नियुक्तियों के संबंध में आयोग ने पदावधि के बारे में कोई विनिर्दिष्ट सिफारिश नहीं की थी। तथापि वस्तुतः उच्च न्यायालयों में वर्तमान सरकार द्वारा वकीलों में से की गई नियुक्तियां ऐसे व्यक्तियों की हैं जो न्यायाधीश के रूप में साधारणतया कम से कम पांच वर्ष सेवा कर सकेंगे। सेवा न्यायाधीशों के संबंध में न्यायिक सेवा में उनकी ज्येष्ठता को भी ध्यान में रखना पड़ता है और कभी कभी ऐसे अधिकारी को भी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की जाती है जिसकी ऐसे न्यायाधीश के रूप में पदावधि कम से कम पांच वर्ष न भी हो ।

Length of Railway Lines in Districts of Madhya Pradesh

†3714. **Shri Raghavji** : Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the names of five districts of Madhya Pradesh which have shortest railway line in length and the length of railway line in each of these districts; and

(b) whether the Railways have a plan to lay new Railway lines in the above backward districts; if so, the action taken so far and proposed to be taken in future in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) The following districts of Madhya Pradesh have little or no railway lines:

1. Shivpuri
2. Chhatarpur
3. Tikamgarh
4. Panna
5. Rewa.

(b) Surveys for the following new railway lines have been carried out in these districts during the recent years. No decision has been taken so far about the construction of these lines:

1. Mahoba-Khajuraho
2. Satna-Rewa-Beohari

Stoppage of Utkal Express at Khurai

†3715. **Shri Narmada Prasad Rai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Utkal Express stops at Khurai Station of the Sagar district in Madhya Pradesh; and

(b) if not, Government's reaction in regard thereto?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No.

(b) To speed up 77/78 Utkal Express, certain less important stations including Khurai were eliminated. In view of this and also lack of traffic justification, it is not considered necessary to restore stopage of 77/78 Utkal Express at Khurai.

औषधियों का आयात

3716. **श्री कंवर लाल गुप्ता :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने गत 3 वर्षों में कितनी औषधिओं का आयात किया;

(ख) सरकार ने इन औषधियों का भारत में निर्माण करने के लिए क्या कदम उठाए हैं;

(ग) इन औषधियों की कौन-कौन सी मुख्य मदों का पिछले अनेक वर्षों में विदेशों से आयात किया जा रहा है; और

(घ) इन औषधियों का आयात किन देशों से किया गया और प्रत्येक देश को कितनी विदेशी मुद्रा की अदायगी की गई ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (ग) : गत तीन वर्षो के दौरान स्टेट कैमिकल्स अन्ड फर्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० (सी पी सी) के जरिए किए गए सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के आयातों के मूल्य नीचे दिये गये है :-

	(रुपये करोड़ो में)
1974-75	19.56
1975-76	14.05
1976-77	22.29

प्रपुंज औषध, जो इन वर्षों में सी पी सी के ज़रिए आयात के लिए सरणीबद्ध थे, सूची परिशिष्ट-1 पर दी गई है। इस सूची में उनका वर्तमान स्तर क्या वे पूर्ण/आंशिक देशीय है अथवा पूर्ण आयातित हैं, दर्शाया गया था। इस परिशिष्ट से यह ज्ञात होता है कि इस सूची में मदों के लगभग 75% देश में पहले ही निर्मित किए जा रहे हैं। आवश्यकता के अनुसार ऐसे मदों का आयात किया जाता है ताकि अनुमानित आवश्यकताओं और अनुमानित देशी उत्पादन के बीच में अन्तर को पूरा किया जा सके।

पिछले वर्षों के दौरान आयात किए हुए सरणीबद्ध प्रपुंज औषधों के प्रमुख मद स्ट्रेप्टोमाईसिन सल्फेट, पेट्रोसाईक्लिन एच सी एल, एम्पोसिलिन ग्रूप, क्लोरमफेनोकोल ग्रुप, क्लोरोक्यून और उसके लवन, एनलजिन, पोप्राजाइन, हेक्साडोइट, विटामिन-बी-1, विटामिन-बी-2, एल-बेस प्रेडनीसोलोन और मेथियल डोपा है। पर्याप्त देशी उत्पादन को ध्यान में रख कर 1976-77 के दौरान बेटा-पोकोलाइन्स सल्फाग्यूआनोडाइन, सल्फाडीमीडाइन, विटामिन-सी और नीट्रोफ्यूरनशन जेसे मदों का आयात नहीं किया गया है।

वर्ष 1975, 1976 और 1977 के दौरान देश में प्रपुंज औषधों अर्थात् एम्पोसिलियन, पेथीनल्स, प्रेडनीसोलोन का उत्पादन आरंभ किया गया है।

स्ट्रेप्टोमाईसिन, एम्पोसिलोयन, क्लोरोक्यून, मेट्रोनोडाजोल, अनलजिन, एमीडोपीटाइन, पाइपराजाइन्स, अनलजिन, एमीडोपोटाइन, पोपराजाइन्स, विटामिन-बी-1 बी-2 और बी-6 सल्फाड्रग्स, टेट्रासाइकलिन्स, इरोथोमाईसिन, पेन्टोकेनेट्स, फेनो बारटोन आदि जैसे मद वर्तमान उत्पादन और सरकारी क्षेत्र में एककों के के भविष्य विस्तार कार्यक्रम पर है। गैर सरकारी क्षेत्र में उत्पन्न की हुई आक्सोफेनोल्बूआज़ोन को पर्याप्त क्षमता के कारण अब उनका आयात नहीं किया जाता है।

(घ) वे देश अनुबन्ध-II में दर्शाये गये है जहां वे 1974-75, 1975-76 और 1976-77 के दौरान सरणीबद्ध प्रपुंज औषध आयात किए गए थे और इन वर्षों के दौरान प्रत्येक देश को विदेशी मुद्रा दी गई थी।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1343/77]

Vikreta Sahkari Samiti Limited, Hathras Junction

†3717. **Shri Ramji Lal Suman:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the office-bearers and members of the Vikreta Sahakari Samiti Limited, Hathras Junction informed him about the irregularities being committed in the Samiti and requested him to cancel the contract given to it and if so, whether any action has been taken by Government in this regard?

(b) if so, whether an enquiry has been conducted in this regard and whether facts have been found to be true; and

(c) if so, why the contract has not ben cancelled so far?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) Yes. The working of the Society was found to be unsatisfactory.

(c) The contract of the Society has been cancelled and termination notice has been issued to the Society to hand over charge with effect from 13-3-1978.

Dining Car Attached to Taj Express

3718. **Shri Ramji Lal Suman:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether only one dining car is attached to "Taj Express" running between Agra and Delhi and whether arrangements for second dining car will be made by him with a view to providing facilities to passengers; and

(b) whether he is aware of the difficulty experienced by passengers due to the dining car getting out of order on 5th, 6th, 7th October and 18th November and if so, the action being taken by him to solve this problem permanently?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes. Only one dining car is attached to Taj Express between Agra Cantt. and New Delhi. There is no proposal to provide a second dining car on this train.

(b) On the dates mentioned, when the dining car was out of order, one luggage-cum-Second Class-cum-Brake Van was utilised as Pantry car for rendering essential catering services to the passengers and no serious difficulty was experienced. Arrangements are being made to provide one standby Pantry Car at Delhi Station so that whenever, the existing dining car goes out of order, a replacement is provided.

Gas Connections Booked by Aravali Gas, Udaipur

3719. **Shri Bhanu Kumar Shastri:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of domestic gas connections booked in 1974 by the Aravali Gas, Udaipur ;

(b) whether at one time they had got a sum of Rs. 500/- per connection deposited by the prospective consumers; and

(c) if so, the number of persons among them provided gas connections so far?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) Since Aravali Gas Service, Udaipur was commissioned only in May, 1975, the question of booking for gas connections in 1974 does not arise.

(b) Prospective consumers were asked by the District authorities to deposit Rs. 500/- each in their own name with the local post office or any scheduled bank and produce the pass-book to the LPG distributor at the time of registration.

(c) 3000 persons.

भारतीय उर्वरक निगम के महाप्रबन्ध की वित्तीय शक्ति

3720. **श्री भानु कुमार शास्त्री :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री ने कहा था कि भारतीय उर्वरक निगम के महाप्रबन्धकों के पास कोई शक्तियां नहीं हैं तथा वास्तविक शक्ति वित्तीय निदेशकों के पास थी; और

(ख) यदि हां तो उन वितीय शक्तियों का ब्यौरा सभा-पटल पर रखा जाये जो महाप्रबन्धकों को प्रत्यायोजित की गई हैं; और

(ग) विभिन्न संयंत्रों को चलाने के लिए उन्हें किस प्रकार अपर्याप्त समझा जाता है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र): (क), (ख) और (ग) : सूचना एकत्र की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जाएगी ।

भारतीय उर्वरक के विभाजन के पश्चात् उर्वरक का वितरण

3721. **श्री भानु कुमार शास्त्री** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस समय भारतीय उर्वरक निगम द्वारा उर्वरक की आवश्यकता अखिल भारतीय आधारपर पूरी की जाती है अर्थात् विभिन्न राज्यों की आवश्यकता और उर्वरक की उपलब्धता में समन्वय रखा जाता है जिससे समान वितरण किया जा सके; और

(ख) यदि हां तो क्या इस सम्पूर्ण संगठन का विभाजन करने से अथवा विशेषकर इसकी विपणन व्यवस्था को विभिन्न स्वतंत्र संगठनों में विभाजित करने से समान वितरण का मूल उद्देश्य समाप्त नहीं हो जायेगा?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : उर्वरकों का वितरण आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रित किया जाता है तथा कृषि मंत्रालय, स्वदेशी निर्माताओं द्वारा उत्पादन किया जाने वाले उर्वरक का विभिन्न राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को आबंटन, राज्य सरकारें तथा निर्माताओं के बीच 6 मासिक क्षेत्रीय सम्मेलनों में हुई बातचीत के आधार पर निश्चित करता है। इन सम्मेलनों के दौरान प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्र को विभिन्न किस्मों के उर्वरकों की कुल आवश्यकताओं तथा निर्माताओं द्वारा प्रत्येक राज्य/संघ शासित क्षेत्रों में उर्वरक सप्लाई की मात्राओं के वितरण को निश्चित किया जाता है। स्वदेशी निर्माताओं से प्राप्त सप्लाई में कमी को पूरा करने के लिए सैन्ट्रल फर्टिलाईजर पूल जिसमें आयातित उर्वरक होते हैं बचे खूचे (अवशिष्ट) सप्लायर के रूप में काम करता है। इस प्रकार सम्पूर्ण देश के लिए समन्वित सप्लाई योजना तैयार की जाती है। देश के विभिन्न भागों में उर्वरक के समान वितरण पर एफ सी आई के विभाजन का किसी प्रकार भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा ।

गुजरात द्वारा कच्चे तेल पर स्वामित्व की मांग

3722. **श्री अहमद एम० पटेल** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने कच्चे तेल पर स्वामित्व का मामला केन्द्र सरकार को पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामला कब से केन्द्र सरकार के विचारार्थ है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क), (ख) और (ग) : 8 सितम्बर 1976 से कच्चे तेल और केसिंग हेड कन्डसेंट पर रायल्टी की दर 15 रुपये प्रति मीटरी टन से बढ़ाकर 42 रुपये प्रति मीटर टन की गई थी। तेल क्षेत्र (विनियमन तथा विकास)

अधिनियम 1948 की धाराओं के अन्तर्गत रायल्टी की दर में चार वर्षों में केवल एक वृद्धि की जा सकती है। गुजरात सरकार ने रायल्टी में और अधिक वृद्धि के लिये अनुरोध किया था। उन्हें सूचित किया गया है कि वर्तमान स्थिति 1980 में पुनरावलोकन के समय तक जारी रहेगी।

स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी लि० कलकत्ता

3723. **श्री चित्त बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्यूटिक्ल्स लि० ने स्मिथ स्टेनस्ट्रीट एण्ड कम्पनी आफ कलकत्ता के लिए की सिफारिश करते हुए अपना प्रतिबेदन इस बीच प्रस्तुत कर दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन पर अब किस स्तर पर विचार हो रहा है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : मैसर्स स्मिथ स्टेनीस्ट्रीट एंड कम्पनी लि० 1-10-77 से राष्ट्रीयकृत की गई है। इस उपक्रम का प्रबन्ध संभालने के लिए एक नई कम्पनी की स्थापना करने का विचार है। तथापि, इस बीच में आई० डी० पी० एल० को इसके प्रबन्ध के लिए अभिरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

सेवा निवृत्त रेल कर्मचारियों के लिये पेंशन

3724. **श्री वसन्त साठे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीयकृत बैंकों से पेंशन पाने वाले व्यक्ति प्रक्रिया में परिवर्तनों के कारण सितम्बर, 1977 से पेंशन नहीं ले सके हैं ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ; और

(ग) सेवानिवृत रेल कर्मचारियों को पेंशन की नियमित अदायगी सुनिश्चित करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशनों का भुगतान करने की योजना 1-8-1977 से लागू की गयी थी। शुरू में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के माध्यम से पेंशनों के भुगतान करने में कुछ देरी हुई थी। प्रारम्भिक कठिनाइयों तथा अगस्त, 1977 में सरकार द्वारा पूर्वव्याप्ति को तारीख 1-4-1977 से स्वीकृत अधिक तदर्थ राहत का समावेश करने के लिए पेंशन भुगतान आदेश में संशोधन करने के कारण प्रलेखों के भेजने तथा पेंशनों के भुगतान में कुछ देर हो गया।

यह योजना अब व्यावहारिक रूप में स्थायित्व ग्रहण कर चुकी है तथा जहां तक रेलो का सम्बन्ध है, इसके लिए समुचित व्यवस्था की गयी है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि समय पर भुगतान करने के लिए नामजद बैंकों को पेंशन भुगतान आदेश शीघ्र भेजे दिये जायें।

अकोला स्टेशन पर दुर्घटना

3725. **श्री वसन्त साठे :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य रेलवे के अकोला स्टेशन पर 9 नवम्बर, 1977 को हुई रेल दुर्घटना का ब्यौरा क्या है तथा उसमें कितनी सम्पत्ति की हानि हुई तथा कितने व्यक्ति घायल हुए,

(ख) यदि हां, तो उस दुर्घटना के क्या कारण थे,

(ग) इस दुर्घटना से प्रभावित व्यक्तियों को क्या वित्तीय/चिकित्सा सहायता दी गई, और

(घ) बम्बई–कलकता मुख्य लाइन पर और अधिक सुरक्षात्मक उपाय करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) 9–12–77 को लगभग 22.15 बजे मध्य रेलवे के अकोला स्टेशन पर गाड़ी नं० 385 डाउन भुसावल–नागपुर यात्री गाड़ी खाली युग्म इंजनों से टकरा गयी । रेलवे सम्पत्ति की हुई क्षति की लागत लगभग 16,955 रु० थी । इस दुर्घटना में, 9 व्यक्तियों को गम्भीर और 6 को साधारण चोटें आयी ।

(ख) अपर आयुक्त रेल संरक्षा, बम्बई ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की है । उनके अनन्तिम निष्कर्षों के अनुसार दुर्घटना रेल कर्मचारियों की विफलता के कारण हुई थी ।

(ग) प्राथमिक चिकित्सा देने के बाद, घायल व्यक्तियों को आगे उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल किया गया ।

इस दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों को 5,700 रु० की सहायता अनुग्रह के रूप में दी गयी । अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया गया है । क्षतिपूर्ति के दावे, जब प्रस्तुत किये जायेंगे, तो उन पर पदेन दावा आयुक्त द्वारा निर्णय किया जायेगा और न्यायालय के निर्णय के आधार पर रेल प्रशासन द्वारा भुगतान किया जायेगा ।

(घ) चूंकि, रेल कर्मचारियों की भूल ही दुर्घटनाओं के लिए सबसे बड़ा अकेला कारण होता है । इसलिए, 24 अक्तूबर, 1977 से गाड़ियों के परिचालन से संबंधित कर्मचारियों के बीच संरक्षा जागरुकता पैदा करने के लिए राष्ट्रव्यापी संरक्षा अभियान शुरू किया गया है जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि कर्मचारी नियमों का उल्लंघन न करें और संक्षिप्त तरीकों या असुरक्षित प्रक्रियाओं में न उलझें । मानवीय तत्वों पर निर्भरता कम करने के लिए, विभिन्न सहायक उपकरणों जैसे सुधरी हुई सिगनलिंग और अन्तः पार्शन रेलपथ परिपथ आदि को उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है ।

Manmad-Bombay Stations

†3726. **Shri Keshavrao Dhondge :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that on Manmad-Bombay Stations in Maharashtra seats are occupied with the help of coolies and agents and thus passengers are put to inconvenience and are provided seats after charging money from them; and

(b) if so, the steps proposed to be taken to check this practice?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Some cases of unauthorised occupation of seats have come to notice on account of increased rush of passengers during vacations.

(b) The following preventive steps are being taken :—

(1) Pad locking of the compartments in the yard and opening them on the platforms only;

(2) Escorting of the rakes from yard to platform;

(3) Opening of doors only at the platforms under proper guard;

(4) Frequent joint raids by Government Railway Police/Railway Protection Force and Ticket checking staff are being conducted to arrest and take legal action against persons found indulging in such acts.

In the joint raids conducted by Government Railway Police/Railway Protection Force and ticket checking staff during the last 6 months at Bombay V. T., Dadar and Manmad, 413, 273 and 202 persons were apprehended and prosecuted respectively under Section 120(c) of Indian Railways Act.

रेल टक्करों को रोकने के लिये दोषरहित पद्धति का विकास

3727. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने ऐसे रेल मार्गों पर भी, जिन पर परिचालन 'रुटप्ले इन्टरलाकिंग' उपकरणों से होता है, टक्करों को रोकने के लिये किसी दोष रहित पद्धति का विकास किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) रुट रिले अर्न्तपाश प्रणाली में, यार्ड पूरी तरह रेल पथ परिपथित होता है, अतः कोई सिगनल केवल तभी दिया जा सकता है जबकि जिस रेल पथ पर गाड़ी ली जानी है, उस पर कोई अन्य गाड़ी या वाहन न खड़ा हो। लेकिन इस प्रणाली में ड्राइवर को खतरे का सिगनल पार करने और उसके फलस्वरुप टक्कर हो जाने से रोकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रकार की दुर्घटनाओं को रोकने के लिए "स्वचल चेतावनी प्रणाली" का विकास किया गया है और इसे उत्तरोत्तर लागू किया जा रहा है । इस प्रणाली में जब कोई ड्राइवर स्टेशन के प्रथम स्टाप सिगनल पर पहुचता है तो उसे श्रव्य और दृश्य दोनों तरह की चेतावनी दी जाती है । यदि सिगलन 'खतरा' बता रहा हो और ड्राइवर पांच सैकंड के भीतर इस चेतावनी के अनुसार काम न करे तो बिजली कट जाती है, स्वतः ब्रेक लग जाते हैं और गाड़ी रुक जाती है । संरक्षा की इस युक्ति की व्यवस्था हवड़ा–दिल्ली मुख्य मार्ग तथा बम्बई के उपनगरीय खण्ड (पश्चिम रेलवे) पर की जा रही है ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

कम्पनियों द्वारा धन देने के सम्बन्ध में स्मारिकाओं का वर्गीकरण

3728. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कम्पनी कार्य विभाग का कोई इस प्रकार का वर्गीकरण करने का विचार है जिसके अनुसार यह समाप्त हो सके कि कम्पनियां राजनैतिक दान देने के विरुद्ध उपबन्धों का उल्लंघन किये बिना किस किस प्रकार की स्मारिकाओं के लिये विज्ञापन दे सकती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) नहीं, श्रीमान् जी ।

(ख) उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) सरकार का विचार है कि इस प्रकार के वर्गीकरण की कोई आवश्यकता नहीं है ।

तट पर तेल तथा प्राकृतिक गैस की खोज

3729. **श्री सी० के० जाफर शरीफ :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में तेल तथा प्राकृतिक गैस के लिए तट पर गहन खोज करने का है ; और

(ख) क्या सरकार इस महत्वपूर्ण कार्य को करने के लिए इसे तकनीकी तथा संगठनात्मक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए इसका पुनर्गठन करना चाहती है ; और

(ग) क्या इस समय देश में पर्याप्त विदेशी मुद्राकोष है और वह तट पर गहन खोज की समस्या को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के स्थिति में है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी; हां ।

(ख) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग (ओ० एन० जी० सी०) तथा आयल इंडिया लिमिटेड (ओ० आई० एल०) दोनों तटवर्ती क्षेत्र में तेल अन्वेषण कार्य कर रहे हैं। इस समय आयल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार और इंगलैंड की बर्मा आयल कंपनी का एक संयुक्त उद्यम है। आयल इंडिया लिमिटेड में बर्मा आयल कंपनी के हितों का अधिग्रहण हेतु बातचीत चल रही है। तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग के पुनर्गठन के सम्बन्ध में सरकारी निर्णय की घोषणा इस सदन में दिनांक 6–12–77 को मंत्री (पैट्रोलियम, रसायन एवं उर्वरक) द्वारा कर दी गई थी ।

(ग) जी हां ।

Indane Gas Connections Allotted to Aravali Gas Service, Udaipur

3730. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) the number of new Indane Gas connections allotted to the Aravali Gas Service, Udaipur (Rajasthan) during the past six months; and

(b) the time by which all the persons registered with this agency will be provided gas connections?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) and (b) : Oil Companies make available cooking gas to their distributors for allotting gas connections to its customers. Supply of cooking gas for Aravali Gas Service is made from Koyali refinery, and the availability of cooking gas from Koyali refinery is fully committed now. Providing gas connections to all the persons registered with the agency is possible only after the overall availability of cooking gas improves in the country.

Railway Line Between Marwar Junction and Udaipur

†3731. **Shri Lalji Bhai :** Will the Minister of **Railways** pleased to state :

(a) whether Government have under consideration any proposal to conduct a survey for laying a broad gauge railway line between Marwar junction and Udaipur ; and

(b) if so, when the survey will be completed in this regard?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): Marwar Junction is already connected with Udaipur City by a metre gauge line via Mavli Junction and there is no proposal presently under consideration for conducting a survey for laying a broad gauge railway line between Marwar Junction and Udaipur City.

पेट्रोल पम्पों में मूल सुविधाओं की व्यवस्था

3732. **श्री के० मालन्ना :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में अनेक पेट्रोल पम्पों पर जल, वायू, प्रथम उपचार तथा शौचालय जैसी मूल सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं जिसके परिणामस्वरुप मोटर चलाने वाले लोगों को, विशेषकर पर्यटकों को, बड़ी कठिनाई होती है ;

(ख) क्या पेट्रोल पम्पों पर ये सुविधायें सुनिश्चित करने लिए सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों का विचार इस बारे में कोई सुधारात्मक कार्यवाही करने का है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनश्वर मिश्र): (क) अधिकांश परचूनी विक्री केन्द्रों पर पानी तथा हवा सम्बन्धी सुविधायें उपलब्ध हैं। फिर भी सब मिलाकर जन सुविधायें और प्रथम उपचार सम्बन्धी सुविधायें उन केन्द्रों पर उपलब्ध होती हैं, जिन केन्द्रों पर सर्विसिंग सुविधायें उपलब्ध हो और राष्ट्रीय/राज्य मार्गों पर स्थित महत्वपूर्ण परचूनी बिक्री केन्द्रों पर ये सुविधायें उपलब्ध होती हैं।

(ख) और (ग) : सार्वजनिक क्षेत्र को तेल कम्पनियां इस बात को सुनिश्चित करने के लिये लगातार प्रयास करती रहती है कि उनके विक्रेताओं द्वारा अपेक्षित सुविधाये जुटाई जायें।

न्याय में 'विधि के कारण विलम्ब' सम्बन्धी समिति

3733. **श्री के० मालन्ना :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार ने देश में जनसाधारण को मिलने वाले न्याय में 'विधि संबंधी विलम्ब' का अध्ययन करने के लिए कोई समिति नियुक्त की है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : सरकार ने ऐसी कोई समिति नियुक्त नहीं की है। किन्तु यह तय किया गया है कि यह मामला विधि आयोग को निर्दिष्ट कर दिया जाए। भारत के मुख्य न्यायाधिपति भी इस समस्या पर विचार कर रहे हैं और वह उच्चन्यायालयों से परामर्श करके कुछ उपाय/प्रस्ताव तैयार कर रहे है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्यों की विधिज्ञ परिषदों और बार एसोसिएशनों को पत्र लिखकर उनसे अनुरोध किया गया है कि वे मामलों के शीघ्र निपटारे के काम में अपना सहयोग दें और उसके बारे में अपने सुझाव दें। इसके अतिरिक्त अधीनस्थ न्यायालयों में बकाया आपराधिक मामलों की ओर मुख्य मंत्रियों का ध्यान आकर्षित किया गया है और उनसे अनुरोध किया गया है कि वे इस समस्या को सुलझाने के लिए शीघ्र ही उपाय निकालें।

मकान किराया भत्ता

3734. **श्री पुण्डलीक हरि दानवे :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) रेल कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता किस प्रक्रिया से किन परिस्थितियों में दिया जाता है ;

(ख) इलाहाबाद, लखनऊ और मुरादाबाद मंडलों में ऐसे रेल कर्मचारियों का ब्यौरा क्या है जो अनधिकृत तरीके से/बिना किसी सरकारी अनुमति के सरकारी/रेलवे आवासन में कब्जाधारी है। किसी के साथ रह रहे हैं और गलत घोषणा करके धोखाधड़ी के साथ मकान किराया भत्ता ले रहे थे/लें रहे हैं ;

(ग) क्या उनसे उस तिथि से जिस तिथि से उन्हें सरकारी/रेलवे के आवासन में सरकार से अनुमति के बिना किसी के साथ रहते हुए पाया जाये दण्ड किराया लिया जा सकता है और तथ्यों को छुपाने और घोर दुराचरण के लिए उन पर अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की जा सकती है ; और

(घ) यदि हां, तो जल एवं विद्युत प्रभारों सहित बाजार दर पर दण्ड किराये के रुप में वसूल की गई/वसूल की जाने वाली राशि का तथा धोखाधड़ी करके लिए गये मकान किराया भत्ते की राशि का ब्यौरा क्या है और क्या अनुशासनात्मक कार्यवाही की गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) मकान किराया भत्ता उन रेल कर्मचारियों को देय होता है जिन्हें सरकारी मकान न दिये गये हों और जिनकी ड्यूटी का स्थान किसी शहर/नगर को नगरपालिका सीमाओं के भीतर पड़ता हो या सरकार द्वारा समय-समय पर निर्धारित नियमों के अनुसार इस प्रयोजन के लिए वर्गीकृत उस नगर की बस्तियों में पड़ता हो।

(ख) और (घ) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

(ग) जी हां ।

Misappropriation of Railway Revenue in Bilaspur Railway Division

3735. **Shri Sharad Yadav:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) Whether the Branch Secretary of the South Eastern Railwaymen's Union, Bhilai have informed that there had been misappropriation of more than 20 crores of rupees of railway revenue and mismanagement in the South Eastern Bilaspur Railway Division;

(b) If so, the reaction of Government thereto; and

(c) Whether Government will take stern action against the officers found guilty in this regard ?

The Minister of State for Railways (Shri Sheo Narain): (a) No such information has been received by the South Eastern Railway Administration.

(b) & (c) : Do not arise.

वैवाहिक मामलों का निपटारा शीघ्र करने की योजना

3736. **श्री परमानन्द गोविन्दजीवाला : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के निचले न्यायालय से लेकर उच्चतम न्यायालय तक वैवाहिक मामलों के निपटारे में असाधारण विलम्ब को देखते हुए सरकार वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटारे के बारे में किसी योजना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो योजना की मुख्य बातें क्या हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) जी, नहीं । सरकार, विशेष रूप से वैवाहिक मामलों के शीघ्र निपटारे के बारे में किसी योजना पर विचार नहीं कर रही है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तेल के उत्पादन में वृद्धि

3737. **श्री समर गुह : क्या रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उन्होंने दिनांक 10 नवम्बर, 1977 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में 'एनर्जी बोनांजा एण्ड इज नियर फाइटनिंग सीनेरियो' शीर्षक से प्रकाशित लेख देखा है और यह बात नोट की है कि 1981 तक ऊर्जा की मांग और पूर्ति में गम्भीर असन्तुलन उत्पन्न होने वाला है और तेल-उत्पादन वृद्धि का युग 15 वर्ष में ही समाप्त होने वाला है ;

(ख) यदि हां, तो क्या डीजल इंजनों के उत्पादन में कमी करने के लिए कोई कार्यवाही की गई है जो 40 वर्ष तक चलते हैं तथा क्या 15 वर्ष बाद एच एस डी तेल उपलब्ध नहीं होगा ;

(ग) डीजल इंजनों पर लगाई गई धनराशि 1974 में किये गये मार्ग सम्बन्धी आर्थिक अध्ययन के अनुसार डूबी हुई लागत है और इसलिए डीजल इंजनों पर आगे पूंजी निवेश को रोकने के लिए क्या अग्रेतर कार्यवाही की जा रही है ;

(घ) डीजल इंजनों पर अब तक कितनी पूंजी लगाई गयी है और 7 वीं योजना तक कितनी राशि और लगाये जाने की सम्भावना है ;

(ङ) क्या डीजल इंजनो पर पूंजी-निवेश को किये जाने से बचाने और विद्युतीकरण की गति बढ़ाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है ; और

(च) यदि नहीं, तो क्या रेल मंत्री भविष्य में होने वाले गम्भीर ऊर्जा संकट को ध्यान में रखते हुए किसी कार्यवाही की पहल करेंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां। इस समय कोई प्रामाणिक अनुमान नहीं है कि 1991 तक तेल की वास्तविक कमी होने जा रही है ।

(ख) इस लेख में यह दावा नहीं किया गया है कि 15 वर्षों के बाद उच्च गति डीजल तेल नहीं होगा । डीजल रेल इंजनों का उत्पादन इस बात पर निर्भर है कि यातायात की मांगों के पूरा करने के लिए कितने डीजल रेल इंजनों की जरुरत होगी और डीजलीकरण किस सीमा तक किया जा सकता है ।

7—376 LSS/77

(ग) रेलों के डोजलोकरण का कार्यक्रम डोजल तेल की दुर्लभता को पूरो तरह ध्यान में रखते हुए कर्षण के अन्य प्रकारों और डोजलोकरण के तुलनात्मक आर्थिकता के अध्ययन पर आधारित है।

(घ) डोजल रेल इंजनों को खरोद पर 31–3–76 तक लगभग 158 करोड़ रुपये का निवेश हुआ है । सातवीं योजना तक कितना निवेश सम्भावित है इस बारे में अभो तक अनुमान नहीं लगाया गया है ।

(ङ) यदि सोधे परिचालन खर्च में यथोचित बचत हो तो बिजलोकरण के लिए अब संरचनाओं पर भारो प्रारंभिक पूंजो निवेश का औचित्य होता है। अत: बिजली करण के गति यातायात के घनत्व और डीजलीकरण तथा बिजली करण में भारो निवेश जिससे सोधे परिचालन व्यय के बचत प्रभावित होती है कि सापेक्ष लागत पर आधारित है । जिन मार्गों पर वित्तोय और आर्थिक दृष्टि से बिजलीकरण पर निवेश का औचित्य न हो वहां गाड़ियों के डोजलोकरण को अपनाने की जरुरत होगी । रेलवे की कर्षण नोति का उद्देश्य डोजल/बिजलो के मिश्रित कर्षण को यथासंभव अनुकूलतम रखना है । इसके लिए भो निवेश के प्रत्येक प्रस्ताव का विस्तृत लागत लाभ के आधार पर विश्लेषण किया जाता है । आर्थिक मूल्यांकन में उच्च गति डीजल तेल की अभाव के समय की कीमत को शामिल किया जाता है ।

(च) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशी औषध उद्योगों द्वारा विनियोजित पूंजी, वार्षिकी लाभ, विदेशों को भेजी जाने वाली राशि

3738. **श्री समर गुह : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत स्थित उन विदेशो रसायन और औषध उद्योगों के नाम और उनकी (एक) विनियोजित पूंजो (दो) वार्षिक लाभ (तोन) भारत के बाहर अंशधारियों को भेजे जाने वाली वार्षिक राशि और (चार) गत तोन वर्षों में तीन एककों के विस्तार के लिये पुन: नियोजित पूंजी का ब्यौरा क्या है ;

(ख) क्या उक्त सब विदेशी उद्योगों ने भारतोय अंशधारियों और विदेशी अंशधारियों के बोच 51 : 49 के शेयर वितरण को साम्य पूंजो की शर्त पूरी की है ;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ;

(घ) क्या अनेक विदेशो रसायन और ओषध उद्योगों के मामले में साम्य पूंजो की शर्त पूरी नहीं को गई है ; और

(ङ) यदि हां, तो उनके बारे में तथ्य क्या हैं और सरकार ने भारतीयकरण को नीति लागू करने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) औषध उद्योग के संगठित क्षेत्र में कार्य करने वालो 40% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाले विदेशी रसायन उद्योगों के नाम और अन्य अपेक्षित सूचना को दर्शाने वाला एक विवरण पत्र संलग्न है । इन एककों द्वारा विस्तार के लिये किया गया पुर्नानिवेश (यदि कोई हो) को तीन वर्षों को अवधि में कुछ परिसम्पतियों में वृद्धि के रुप में दिखाया गया है (विवरण पत्र के कालम 3 पर) **[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 1344/77 ।]**

(ख) और (ग) : विदेशी औषध कम्पनियों द्वारा विदेशी साम्य पूंजी के स्तर का नियमन विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम, 1973 के अन्तर्गत किया जाता है । विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत विदेशी निगमित कम्पनियों तथा 40% से अधिक विदेशी साम्य पूंजी वाली भारतीय कम्पनियों, जो परिशिष्ट–1 में दिये मदों का निर्माण कर रही है और जिनमें औषध और भेषज भी एक मद है, को अपनी विदेशी साम्य पूंजी में 74% तक कमी करने में की आवश्यकता है । अन्य कम्पनियों को अपनी विदेशी साम्य पूंजी में अपनी कार्यकलापों के अनुसार 40% से 74% की बीच किसी मध्यवर्ती स्तर तक कमी करने की आवश्यकता है ।

(घ) और (ङ) : औषध उद्योग पर सामान्य विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम के लागू करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा अलग से जांच की जा रही है और विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम की धारा 29 के अन्तर्गत आने वाले सभी मामलों को हाथी समिति की सिफारिशों पर सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने तक रोका गया है ।

टिप्पणी : अन्य रसायन उद्योगों के सम्बंध में भाग (क) से (ङ) तक की सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर प्रस्तुत की जाएगी ।

रेल इंजनों का डीजल से चलाया जाना

3739. **श्री समर गुह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि योजना आयोग रेल अधिकारियों को रेल मार्गों का विद्युतीकरण करने की अपेक्षा रेल इंजनों को डीजल से चलाने के कार्यक्रम को तीव्र बनाने की सलाह दे रहा है ;

(ख) यदि हां, तो योजना आयोग द्वारा बताई गयी इस नीति की युक्तिसंगतता क्या है ;

(ग) (एक) डीजल इंजनों और (दो) बिजली से चलने वाले इंजनों तथा (तीन) भाप से चलने वाले इंजनों की तुलनात्मक उत्पादन लागत क्या हैं;

(घ) गत एक वर्ष के दौरान विद्युतीकृत रेल मार्गों पर डीजल इंजन चलाने सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और इस कार्य के लिए काम में लाये गये डीजल तेल पर कितनी लागत आई;

(ङ.) क्या भाप से चलने वाले इंजनों के स्थान पर बिजली से चलने वाले इंजन लगाने के बारे में कोई अध्ययन किया गया है; और

(च) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) नवीनतम बैच लागत रिपोर्टों के अनुसार निर्माण की लागत :

क्र० सं०	इंजन की किस्म		निर्माण की अवधि	लागत (लाख रुपयों में)
1	बड़ी लाइन डीजल (डब्ल्यू डी एम 2)	.	जनवरी 76—मई 77	42.34
2	मीटर लाइन डीजल (वाई डी एम 4)	.	4/74 से 9/76	23.46
3	छोटी लाइन डीजल (जैड डी एम 3)	.	8/75 से 2/77	29.43
4	बड़ी लाइन ए सी/डी सी बिजली रेल इंजन		8/76 से 7/77	58.32
5	भाप इंजन (वाई जी रेल इंजन)		12/71	7.63

1971—72 में इसका उत्पादन बंद कर दिया गया ।

(घ) सीमान्त परिचालनिक कार्यसाधकता की पूर्ति अथवा अपरिहार्य परिचालनिक घटनाओं के मामले को छोड़कर आमतौर पर, बिजलीकृत खंडों पर डीजल कर्षण प्रयोग में नहीं लाया जाता है। जहां तक इंधन के लागतों का सम्बन्ध है, डीजल इंजनों के ऐसे परिचालन का अलग से लेखा नहीं रखा जाता ।

(ड.) और

(च) : भाप इंजनों को निम्नतर औसत रफ्तार और कमकर्षण क्षमता के कारण, लाइन क्षमता के कार्यों में होने वाले भारी निवेश पर नियंत्रण रखने केलिए, भाप इंजनों को डीजल और विद्युत इंजनों द्वारा उत्तरोत्तर बदला जा रहा है। डीजल कर्षण का प्रयोग भारी घनत्व वाले मार्गों और महत्वपूर्ण गाड़ियों में किया जाता है और भी अधिक घनत्व वाले मार्गों पर, जहां सीधे परिचालनिक खर्च में बचत के कारण प्रारम्भ में विद्युतीकरण के लिए भारी पूंजी निवेश का औचित्य हो सके वहां विद्युतीकरण का काम किया जा रहा है । रेलवे की कर्षण नीति का उद्देश्य डीजल बिजली के मिश्रित कर्षण को यथासम्भव अनुकूलतम रखना है। कर्षण पर निवेश के सम्बन्ध में निर्णय लेने से पहले, प्रत्येक प्रस्ताव का विस्तृत लागत-लाभ अध्ययन किया जाता है ।

हाइड्रो कार्बन के निक्षेपों का सर्वेक्षण

3740. **श्री समर गुह** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पश्चिम बंगाल के तटीय जल में और उसके साथ साथ अनेक क्षेत्रों में जिन्हें, "आन शोर" (तट पर) तथा "आपशोर" (तट दूर) कहा जाता है, हाइड्रो-कार्बन के विपुल निक्षेपों के बारे में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो जो कुछ वहां प्राप्त हुआ है उसका ब्यौरा क्या है तथा उसकी मात्रा कितनी है और ऐसे विपुल हाइड्रो-कार्बन निक्षेप अनुमानतः कहां-कहां है;

(ग) ऐसे हाइड्रो-कार्बन निक्षेपों के खोज सम्बन्धी योजना तथा कार्यक्रम के तथ्य क्या हैं और उनके निष्पादन को समयसारणी क्या है ;

(घ) पश्चिम बंगाल के तटीय जल में तथा उसके साथ साथ हाइड्रो-कार्बन की खोज के बारे में पहले ही किये जा रहे खोज कार्य सम्बन्धी तथ्य क्या हैं और तत्सम्बन्धी सम्भावनायें क्या हैं ; और

(ङ) भारत के अन्य भागों में तथा तटीय जल के साथ-साथ हाइड्रो-कार्बन के विपुल निक्षेपों की सम्भावित किस्म, उनके स्थान, तथा उनकी मात्रा के सम्बन्ध में हाइड्रो-कार्बन निक्षेपों के मानचित्र सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) से (घ) : पश्चिम बंगाल के समुद्र तट के अन्दरूनी क्षेत्र में अमेरिका को काल्तवर्न इंडिया समूह की कम्पनी और पश्चिम बंगाल के समुद्र तटीय क्षेत्र में स्टानवक तथा तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा भूकम्पीय सर्वेक्षण किया गया था।

काल्तवर्न इंडिया ग्रुप द्वारा समुद्र के अन्दरूनी क्षेत्र में दो कुएं खोदे गये थे, परन्तु दोनों कुएं सूखे पाये गये। समुद्र तटीय क्षेत्र में अब तक जो कुएं खोदे जा चुके हैं, उनमें वाणिज्यिक स्तर के हाईड्रोकार्बन के भंडारों का पता नहीं चला है।

इस समय एक गंगा तथा दूसरे डायमंड हार्बर के समीप दो समुद्र तटीय क्षेत्रों में गहरी खुदाई का काम चल रहा है। भूगर्भीय तथा भूकम्पीय क्षेत्रीय सर्वेक्षण कार्य भी चल रहा है। देवाग्राम के समीप एक स्थान पर गहरी खुदाई के काम को भी आरम्भ करने का प्रस्ताव है।

(ङ) अब तक समुद्र तट क्षेत्र में गुजरात में कैम्बे बेसीन, अपर असम में ब्रह्मपुत्र की घाटी तथा बम्बई हाई में और समुद्र तट के अन्दरूनी क्षेत्र के बेसीन क्षेत्रों में वाणिज्यिक स्तर पर हाईड्रोकार्बन्स के भंडारों का पता लग चुका है। भूगर्भीय प्राथमिकताओं पर आधारित-दोनों-समुद्रतटीय और समुद्र के अन्दरूनी क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण तथा अन्वेषी व्यधन कार्य किया जा रहा है। हाईड्रोकार्बन्स के किन्हीं अन्य वाणिज्यिक स्तर के भंडारों का अभी तक कोई पता नहीं चला है।

Food stuffs served in Dining Car

3741. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister for **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government are aware that the prices of foodstuffs served by dining cars in running trains to the passengers during the journey are higher than those in the market though their quality is much inferior; and

(b) if so, the steps Government propose to take to improve the quality and reduce the rates of foodstuffs served by dining cars?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) :

(a) No.

(b) Does not arise.

Bhagwati Committee Report on Legal Aid to the Poor

†3742. **Shri Ishwar Chaudhry** : Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 389 regarding progress of work of Committee on Legal Aid to poor on 15th November, 1977 and state :

(a) the main recommendations made by the Bhagwati Committee in their report on legal aid to the poor; and

(b) the action taken by Government to implement them?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Nar Singh Yadev) : (a) The main recommendations made by the Bhagwati Committee in their Report are :

(i) reduction in court fee and complete exemption in the case of poor;

(ii) setting up of Legal Services Organisation throughout the country, e.g. setting up of a High powered autonomous National Legal Services Authority at the apex, State Boards of Legal Services at the State Level, Regional Boards for legal services within a State and Zonal Councils for the purpose of co-ordinating the activities of the State Boards functioning in a particular Zone. The main task of these authorities will be to formulate schemes for delivery of legal services within the area of their respective jurisdiction and also to frame model schemes for the guidance of the other authorities and generally to lay down the policy and programme of Legal Aid.

(iii) For the delivery of legal services, it is recommended that Legal Services Committees may be constituted at the district level and also at Block and Tahsil level. It is also proposed to set up a High Court Legal Services Committee, attached to each High Court, and the Supreme Court Legal Services Committee, for delivery of legal services in these courts.

(iv) Setting up of Special Cells for dealing with the problems and difficulties of different categories of weaker sections of community, e.g., a Women's Cell, a Labour Cell for workers and their families and a Cell for Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

(v) The new legal services programme should *inter alia* be aimed at spreading an awareness among the poor about their rights, benefits and privileges conferred upon them; treatment of class problems of the poor; socio-legal research into the legal and non-legal problems of the poor; helping different groups of the poor and the weak so as to enable them to assert their rights; devising of new legal techniques and methods to bring to the court the problems of the poor etc.

(vi) The principal mode of delivery of legal services should be assigning a lawyer out of private practitioners or through the agency of salaried lawyers employed by the office of the Legal Services Committee; organisation of legal aid camps in rural areas; setting up of mobile units of lawyers to go to the rural areas for the purpose of free legal assistance and advice, constitution of para-legal services involving law students, social workers to give advice to the poor; organising short training-cum-orientation courses and socio-legal seminars for education of social workers; setting up of adjunct services like *Nagrik Salah Kendras* to give advice and assistance in legal matters.

(vii) Setting up of Nyaya Panchayats for a group of five or more villages, consisting of three members one of whom with knowledge of law, to be called the Panchayat Judge, with powers to deal with civil cases upto Rs. 1000 and to exercise powers of a Third Class Magistrate in criminal cases. One Panchayat Judge may preside over all the Nyaya Panchayats within a Taluka or a Block. The decisions of the Nyaya Panchayat should be non-appealable but should be subject to the revisional jurisdiction of the District Judges.

(viii) Setting up of Lok Nyayalayas as to bring about settlement of disputes by way of arbitration.

(ix) Setting up of Legal services clinics in universities and Law schools.

(x) Payment of minimum compensation in motor accident cases irrespective of negligence.

(xi) Setting up of a Conciliation Cell to be attached to every legal services Committee at all levels.

(xii) State to provide funds for Legal Aid, as in the case of other welfare activities, e.g. medicare. Other sources of funds recommended are allocation of a part of court fee for legal aid; affixation of Legal Aid stamps on *vaklatnamas*, levy of cess on every person making an application, etc. to a court, tribunal or authority; collection of donations; contribution by assisted persons, etc. The Fund is to be administered by the National Authority or the State Board.

(b) The Government is examining the recommendations of the Committee.

Increase in number of oil Wells

3743. **Shri Ishwar Chaudhry :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether there has been any increase in the number of oil wells in the Bombay High ; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) :

(a) Yes, Sir.

(b) Oil production started in Bombay High on 21st May 1976 with 2 wells. As on 9th December 1977, 12 oil wells are on production.

बरास्ता छिंदवाड़ा जबलपुर से नागपुर को सीधी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव

3744. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीधी तेज गाड़ियों के अभाव में बरास्ता छिन्दवाड़ा जबलपुर से नागपुर जाने वाले यात्रियों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है जिसके परिणामस्वरूप यात्रा करने वाले अधिकांश लोगों को सड़क परिवहन का सहारा लेना पड़ता है;

(ख) क्या रेलवे द्वारा इस प्रकार उठायी गयी वित्तीय हानि का कोई अनुमान लगाया गया है; और यदि हां, तो उसका वार्षिक औसत क्या है; और

(ग) क्या सरकार ने यात्रा करने वाले लोगों को राहत देने के लिए बरास्ता छिन्दवाड़ा जबलपुर से नागपुर को डीजल से चलने वाली एक सीधी तेज गाड़ी चालू करने के बारे में किसी प्रस्ताव पर विचार किया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : जी नहीं, गोन्दिया पर 1/2 जबलपुर-गोन्दिया (छोटी लाइन) सतपुड़ा एक्सप्रेस 1/2 (बड़ी लाइन) बम्बई हवड़ा मेल से मेल लेती है। इससे जबलपुर और नागपुर के बीच एक तीव्र सेवा की व्यवस्था हो जाती है। नैनपुर-छिन्दवाड़ा खंड पर यात्रियों के लिए 2 जोड़ी गाड़ियां पहले ही विद्यमान है जिनमें एक जोड़ी गाड़ी एक-रात्रि-सेवा सुलभ करती है।

(ग) जी नहीं।

सिंदरी तथा नंगल उर्वरक कारखानों को हुई हानि

3745. **श्री सुखेन्द्र सिंह :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सिंदरी तथा नंगल उर्वरक कारखानों को हानि हुई है जिसके कारण कृषकों को सस्ती दरों पर उर्वरक नहीं मिल रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो उक्त हानि को दूर करने तथा उर्वरकों का उत्पादन बढ़ाने और उनके मूल्य कम करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) 1976-77 में फर्टिलाइज़र कारपोरेशन आफ इंडिया के सिन्दरी यूनिट को अपने उत्पादों के अलाभप्रद मूल्यों तथा संयंत्रों के पुराने होने से कम उत्पादन करने के कारण हानियां हुई है किन्तु एफ सी आइ के नंगल यूनिट को 1976-77 में कोई हानि नहीं हुई है। सिन्दरी यूनिट की हानियों से उर्वरक मूल्यों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है।

(ख) 1 नवम्बर, 1977 से सरकार ने नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक उद्योग के यूनिटों के लिए पृथक् पृथक धारण मूल्य की स्किम चलाई है, जो यूनिटों को 80% से अधिक क्षमता प्रयोग तथा कच्चे माल की खपत के निर्धारित मानदण्डों एवं उपयोगिताओं पर आधारित शुद्ध मूल्य पर कर के पश्चात् उचित लाभ सुनिश्चित करती है। यह स्कीम सिन्दरी तथा हानियों पर चल रहे अन्य यूनिटों को अपनी वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए मदद करेगी। मूल्य धारण स्कीम के शुरू होने के बाद उर्वरकों के मूल्य नहीं बढ़े और यूरिया, जो कि मुख्य नाइट्रोजनयुक्त उर्वरक है, के मूल्यों में अक्तूबर, 1977 से प्रति मीटरी टन में 100 रुपये की कमी हुई है। एफ सी आई के सिन्दरी एकक के उत्पादन को सुदृढ बनाने के लिये नई आधुनिकीकरण स्कीमें कार्यान्वियनाधीन हैं। सरकार का यह निरन्तर प्रयास है कि स्वदेशी उत्पादन को बढ़ाने तथा मूल्यों को कम करने के विचार से, केप्टिव पावर जनरेशन यूनिटों की स्थापना, जिससे बिजली की सप्लाइ सुदृढ हो, कठिनाइयों के निवारण तथा नवीकरण आदि जैसे उपायों से उर्वरक एककों की क्षमता का अधिक अधिक से उपयोग किया जाए।

नागरिकों के लिये एक समान सिविल संहिता का प्रस्ताव

3746. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश के सभी नागरिकों के लिये उनकी जाति, सम्प्रदाय और धर्म का भेदभाव किए बिना एक समान सिविल संहिता बनाने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह यादव) : (क) सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

कपाडवनज और माडासा के बीच नयी रेल लाइन

3747. **श्री पी० जी० मावलंकर :** क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपाडवनज और माडासा के बीच नई रेल लाइन के निर्माण के बारे में कोई प्रगति हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) यदि नहीं, तो मामले में विलम्ब के क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) से (ग) इस परियोजना को रेलों के चक्र योजना, जिसे अभी अंतिम रूप दिया जाना है में शामिल करने के लिए विचार किया जा रहा है।

Vacant Posts of LDCs & UDCs in Central Railway

†3748. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of posts of Lower and Upper Division Clerks lying vacant in the Central Railway at present; and

(b) the steps proposed to be taken by Government to fill these posts in future?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain):

(a) Lower Division Clerks—605.

Upper Division Clerks—Nil.

(b) One third of the vacancies of Lower Division Clerks (one fourth in the Accounts Department) are filled by promotion of Class IV staff. The remaining vacancies constitute the direct recruitment quota to be filled through the Railway Service Commissions. However, due to ban on filling up of ministerial posts, only 75% of the direct recruitment vacancies can be filled.

The Railway administration is taking action to fill the vacancies accordingly.

Vacant posts of LDCs & UDCs in Northern Railway

†3749. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of posts of Lower Division Clerks and Upper Division Clerks lying vacant in the Northern Railway at present; and

(b) the steps being taken by Government to fill these posts?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Information is being collected and will be laid on the Table of the Sabha.

(b) One third of the vacancies of Lower Division Clerks (one fourth in the Accounts Department) are filled by promotion of Class IV staff. The remaining vacancies constitute the direct recruitment quota to be filled through the Railway Service Commissions. However, due to ban on filling up of ministerial posts, only 75% of the direct recruitment vacancies can be filled.

All vacancies of Upper Division Clerks in other Departments and 80% of such vacancies in the Accounts Department, are filled by promotion. In the Accounts Department 20% of the vacancies are filled by direct recruitment.

The Railway adminstration is taking action to fill the vacancies accordingly.

Southern Railway Employees removed During Emergency

†3750. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of employees of the Southern Railway removed from service during Emergency;

(b) the number among them of those since reinstated and of those yet to be reinstated; and

(c) the steps proposed to be taken by Government to reinstate the remaining employees?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain):

(a)(i) Number of employees removed/dismissed after holding proper Enquiry under the normal Discipline & Appeal . . .	415
(ii) Number of employees removed/dismissed under special powers of the Railway Administrations (where it was not practicable to hold an Enquiry)	22
(b)(i) Number of employees reinstated so far out of (a)(i) above .	98
Number of employees not yet reinstated .	317
(ii) Number of employees reinstated so far out of (a)(ii) above	8
Number of employees not yet reinstated	14

(c) Cases of 14 employees shown against (b)(ii) above, are being reviewed once again.

Cases of 317 employees shown against (b) (i) above, will be considered on merits as and when the employees prefer Appeals/Review Petitions under the normal provisions of the Discipline and Appeal Rules.

Vacant posts of LDCs & UDCs in Southern Railway

†3751. **Shri Hukam Chand Kachwai:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the number of vacant posts of Lower Division Clerks and Upper Division Clerks in Southern Railway at present; and

(b) the steps proposed to be taken by Government in future to fill in the said vacant posts?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain):

(a) 237 and 11 respectively.

(b) One third of the vacancies of Lower Division Clerks (one fourth in the Accounts Department) are filled by promotion of Class IV staff. The remaining vacancies constitute the direct recruitment quota to be filled through the Railway Service Commissions. However, due to ban on filling up of ministerial posts, only 75% of the direct recruitment vacancies can be filled.

All vacancies of Upper Division Clerks in other Departments and 80% of such vacancies in the Accounts Department, are filled by promotion. In the Accounts Department 20% of the vacancies are filled by direct recruitment.

The Railway administration is taking action to fill the vacancies accordingly.

Supply of L.P.G. To Madhya Pradesh

3752. **Dr. Laxminarayan Pandeya:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that many districts and sub-divisions in Madhya Pradesh having population of more than 50,000 and 30,000 respectively are not supplied L. P. gas whereas districts and Sub-divisions having less population in other States are being supplied this gas; and

(b) the Government's policy in this regard generally?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) (a): There are many locations with population of over 50,000 which are not supplied with cooking gas not only in Madhya Pradesh but in other States also.

(b) Subject to availability of LPG, its marketing is extended to uncovered areas keeping in view the following main considerations :—

(i) Anticipated customer potential;
(ii) Nearness of the market from the source of supply;
(iii) Availability of safe/convenient mode of transport;
(iv) Maximum utilisation of distribution equipment; and
(v) Viabilty in operations.

गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर विद्यार्थियों पर हमला

3753. **श्री प्रसन्नभाई मेहता**
श्री मृत्युंजय प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नवम्बर, 1977 में दिल्ली से कलकत्ता जाने वाली रेलगाड़ी में यात्रा कर रहे 50 विद्यार्थियों की गाजियाबाद स्टेशन पर पिटाई की गई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस दुर्घटना का मुख्य ब्यौरा क्या है ;

(ग) दोषी व्यक्तियों क विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ;

(घ) रेलगाड़ियों में यात्रियों को पूरा संरक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) चालू वर्ष के दौरान समाज विरोधी तत्वों ने कितनी बार यात्रियों को लूटा या पिटाई की; और

(च) इन तत्वों को ऐसा करने से रोकने के लिए और यात्रियों को संरक्षण देने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) और (ग) 5-11-1977 को लगभग 50 विद्यार्थी, जिनमें 12 लड़कियां थी, 40 डाउन जनता एक्सप्रेस में दिल्ली से हावड़ा जा रहे थे। उनकी सीटें आरक्षित थीं। कुछ दूध बेचने वाले दिल्ली से गाड़ी में चढ़े और उनकी कुछ आरक्षित सीटों पर बैठ गये । विद्यार्थियों ने इसके लिए आपत्ति उठायी। फलस्वरूप उनमें झगड़ा हो गया और बाद में जब गाड़ी गाजियाबाद से लगभग 10 कि०मी०दूर मारीपत स्टेशन पर पहुंची, तब दूध बेचने वालों ने उन पर पत्थर फेंके और उन्हें पीटा । इससे उस दल के 19 विद्यार्थी घायल हो गये । पार्टी के एक सदस्य की लिखित शिकायत पर, सरकारी रेलवे पुलिस स्टेशन, अलीगढ़, में भा० द०सं० की धारा 354, 323 और भारतीय रेल अधिनियम की धारा 120 के अन्तर्गत अपराध मामला संख्या 282 दर्ज कर लिया गया था ।

(घ) रात की सभी गाड़ियों में मार्ग रक्षी के रूप में, सरकारी रेलवे पुलिस और रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी चल रहे थे।

(ङ) चालू वर्ष के दौरान, इस खण्ड पर समाज-विरोधी तत्वों द्वारा यात्रियों को लूटने या उन्हें मारने-पीटने के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है।

(च) रात की सभी गाड़ियों में, मार्ग रक्षी के रूप में, सरकारी रेलवे पुलिस/रेलवे सुरक्षा दल के कर्मचारी चल रहे हैं।

गुजरात में तेल शोधक कारखानों का विस्तार

3754. **श्री प्रसन्न भाई मेहता :** क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्तमान सरकार ने गुजरात राज्य में वर्तमान तेलशोधक कारखानों का विस्तार करने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भी राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर तेल की खोज करने का निर्णय किया है ;

(ग) यदि नहीं, तो इसके या कारण है ; और

(घ) वे नये क्षेत्र कौन-कौन से है जहां राज्य में तेल की खोज के लिए सर्वेक्षण किया जाएगा ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) अगस्त, 1973 में सरकार ने गुजरात रिफाइनरी की क्षमता को 3 मिलियन मी० टन प्रति वर्ष की दर से और बढ़ाने का निर्णय लिया था। इस समय यह परियोजना कार्यान्वित की जा रही है और ऐसी आशा की जाती है कि मार्च, 1978 तक यह यांत्रिक रूप से पूरी हो जाएगी।

(ख) गुजरात में तेल अन्वेषण कार्य एक निरन्तर चलने वाला कार्यक्रम हैं और यह बहुत पहले से चल रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात में वर्ष 1958 से तेल के लिए अन्वेषण कार्य कर रहा है। इस समय तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग गुजरात में वारासेन, सरभान तथा भातर नामक 3 नए स्थानों पर खुदाई कर रहा है। इसके अतिरिक्त, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग ने भविष्य में अन्वेषी व्यधन के लिए 16 और नए स्थानों को युक्त कर दिया है। इन 16 नए स्थानों में से, बाल्नर, पिसवाद और दहेज इन तीन स्थानों पर चालू वर्ष के शेष भाग के दौरान खुदाई की जाएगी।

मालगाड़ियों के गार्डों क लिए मील भत्ता

3755. **श्री सुभाष आहूजा :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मालगाड़ियों के गार्डों के लिए केवल मील भत्ता ही वेतन है और क्या इसका प्रतिशत जो 1964 में 100 प्रतिशत था, 1973 में घटाकर 45 प्रतिशत कर दिया गया और यदि हां, तो इसके या कारण है ;

(ख) क्या सरकार का गार्डों के वेतन पर पुनर्विचार करने के लिए एक आयोग बैठाने का

बिचार है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसमें अखिल भारतीय गार्ड परिषद के प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) और (ग) विसंगतियों से संबंधित समिति की रिपोर्ट की प्राप्ती के बाद सरकार तीसरे वेतन आयोग द्वारा गार्डों के वेतनमान की सिफारिश की पहले ही समीक्षा कर चुकी है । ग्रेड 'सी' के गार्ड का वेतनमान 290-480 रुपये से बढ़ाकर 290-530 रुपये कर दिया गया है । मेल और एक्सप्रेस गाड़ियों में चलने वाले गार्डों के लिए 425-600 रुपये के वेतनमान से उपर एक नया वेतनमान 425-640 रुपये निर्धारित किया गया है और उनका पदनाम गार्ड विशेष ग्रेड रखा गया है ।

Guards in Goods Trains

†3756. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the Guards in goods trains are not entitled to holidays on account of religious festivals;

(b) whether there are no fixed duty hours for these Guards; and

(c) whether the railway administration on its discretion can put them on outstation duty for three days?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Staff like Booking Clerks, Station Masters, Guards etc. were not eligible for any holidays for a long time. As a result of the recommendations of the Second Pay Commission, it was decided that they should be made eligible for the three National Holidays. In actual practice, however, it is not possible to spare all of the line staff for enjoying the National Holidays. However, such of the staff as are required to work on the National Holidays, are compensated by additional payment at a special rate which is about $1\frac{1}{2}$ times the normal rate. This concession of compensation is limited to those whose pay is upto Rs. 750.

(b) Since goods trains, unlike passenger carrying trains, can generally run according to the materialisation of the stock and power position as also on the availability of path, the Guards of 'C' Grade who work on these trains cannot work according to fixed duty links and they are assigned duties on the principle of 'first-in-first-out', care being taken to see that the limitations of hours of employment and the rest provisions under Hours of Employment Regulations are, as far as possible, not breached.

(c) Yes. Under the extant rules, the Running Staff should not normally be away from headquarters for more than three or four days at a stretch.

Booking Office at Malkapur

†3757. **Shri Subhash Ahuja :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether Government propose to open a booking office at Malkapur (Amla) in Nagpur Section on Central Railway; and

(b) if so, by what time?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) & (b): A proposal to open Malkapur Road Crossing station for booking of passengers is under examination of the Railway administration and a decision will be taken on completion of the examination.

रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कन्ट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड, इलाहाबाद

3758. **श्री सुभाष आहुजा :**
श्री शिव सम्पत्ति राम :

क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे स्टेशन पोर्टर्स कोआपरेटिव लेबर कांट्रेक्ट सोसायटी लिमिटेड, इलाहाबाद ने अपने तथाकथित सलाहाकार के पद पर सेवा निवृत्त स्टेटिस्टिकल आफिसर, उत्तर रेलवे को नियुक्त करने के लिए प्राधिकृत रेलवे अधिकारियों से द्रुत मंजूरी प्राप्त की थी ;

(ख) क्या उक्त सोसायटी द्वारा हस्ताक्षरित करार के अनुसार सेवानिवृत्त रेलवे अधिकारियों की नियुक्त करना निषिद्ध है ;

(ग) क्या सेवा निवृत्त स्टेटिस्टिकल आफिसर की नियुक्ति उक्त सोसायटी द्वारा उत्तर रेलवे प्रशासन दिल्ली, मुरादाबाद तथा इलाहाबाद डिवीजन के साथ किये गय ठके की शर्तों का विशिष्ट रुप से उल्लंघन था/है ; और

(घ) यदि हां, तो ठेके की शर्तों का उल्लंघन करने के लिए उक्त सोसायटी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ;

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) रेल प्रशासन और कोआपरेटिव सोसायटी के अनुमोदन से नेकनामी वाले सेवा निवृत्त रेलवे कर्मचारी को कोआपरेटिव सोसाइटी से सम्बद्ध किया जा सकता है।

(ग) और (घ) : इस बारे में जांच-पड़ताल की जा रही है।

पश्चिम बंगाल में रसायन पर आधारित औद्योगिक परियोजनाओं की स्थापना

3759. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने प्रस्ताव किया है कि पश्चिम बंगाल में रसायन तथा रसायन पर आधारित अनेक औद्योगिक परियोजनाएं स्थापित की जानी चाहिए।

(ख) यदि हां, तो पश्चिम बंगाल सरकार से केन्द्र को प्राप्त हुए विशेष प्रस्ताव क्या है और

(ग) इन प्रस्तावों पर यदि कोई कार्यवाही की जा रही है तो वह क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : पश्चिम बंगाल सरकार और उसके उपक्रमों से प्राप्त प्रस्तावों के ब्यौरों पर की गई कार्यवाही सलग्न विवरण पत्र में दी गई है।

विवरण

आवेदक का नाम	उत्पाद	की गई कार्यवाही
1. पश्चिम बंगाल सरकार	कोयले से उर्वरक	इस समय आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में निर्माणाधीन कोयले पर आधारित दो संयंत्रों के कार्य निष्पादन का निरीक्षण करने के पश्चात् ही भारत सरकार निर्णय लेगी ।
2. पश्चिम बंगाल सरकार	औषध	औषधों के निर्माण के लिये एक नए सरकारी क्षेत्र एकक की स्थापना अथवा एक विकल्पक के रुप में राष्ट्रीयकृत उपक्रम अर्थात मैसर्स स्टेनो स्टोट एंड कम्पनी लि० को उपलब्ध सुविधाओं में विस्तार करने और सरकार के नियंत्रण में आने वाले ऐसे एककों की सुविधाओं को एकीकृत करने के प्रश्न पर यथा समय विचार किया जाएगा ।
3. पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम ।	एथोलाइन प्रोपोलीन आदि जैसे आल्फन्स	एक आशय पत्र जारी कर दिया गया है।
4. —वही—	पोलिस्टर स्टैप्ल फाइबर	शीघ्र ही निर्णय ले लिया जाएगा ।
5. दुर्गापुर केमिकल्स लि०	रसायन पर आधारित तार-कोल	एक आशय पत्र जारी किया गया है ।
6. पश्चिम बंगाल फार्मास्यूटिकल्स एंड फिटो कैमिकल ् डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	8 हैड्राक्सी क्यूनोलाइन, हैड्रोज़ाइन हैड्रेट आदि जैसे कुछ रसायन	एक आशय पत्र जारी किया गया है ।

ज्वालामुखी में ड्रिलिंग साइट नं० 6 पर क्षेत्र समतल करने के लिए टेण्डर

3760. **श्री ज्योतिर्मय बसु : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 18 जुलाई, 1977 को तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग, सिविल कन्स्ट्रक्शन ब्रांच, ज्वालामुखी ने सप्री खूंडियन रोड, ज्वालामुखी पर ड्रिलिंग साइट नं० 6 पर क्षेत्र को समतल करने के लिए टेण्डर आमंत्रित किये थे ;

(ख) यदि हां, तो टेण्डरों को प्रस्तुत करने वाली पार्टियों का ब्यौरा क्या है ;

(ग) प्रत्येक पार्टी ने क्या दरें भेजी थी ;

(घ) क्या न्यूनतम टेण्डर भेजने वाली पार्टी को ठेका नहीं दिया गया था ; और

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण थे ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा दिनांक 1-7-1977 को टेंडर आमंत्रित किये थे और 18-7-1977 को उन्हें खोला गया था ।

(ख) से (ङ.) : तथ्यों की जाँच करवाई जा रही है और उन्हें सभा सम्मुख प्रस्तुत कर दिया जायेगा

Officers on Ad-Hoc Basis in Railway Board

†3761. **Shri Nawab Singh Chauhan :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether some officers are working on ad-hoc basis against certain posts in the Railway Board for which selection has to be made through the U. P. S. C.;

(b) if so, the names of such posts and the period for which ad-hoc appointments have been made against them;

(c) the reasons for not filling them so far through the U.P.S.C.; and

(d) the time by which all of them will be filled through the U.P.S.C.?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) & (b) : Yes. A statement is attached.

(c) & (d): Ad-hoc appointments are reported to the Commission as required under the rules. Action on selection of suitable officers on regular basis is pending finalisation of recruitment rules and/or approval by the Commission. Every effort will be made to make regular appointments against all these posts as early as possible.

STATEMENT

Sl. No.	Name of the post	Date from which presently filled on ad hoc basis
1.	Director (Official Language)	1.12.1973
2.	Joint Director (Official Languages	19. 4.1976
3.	Edior "Bhartiya Rail"	18. 9.1975
4.	Senior Analyst	8.10.1976
5.	Protocol & Catering Officer	9. 7.1974
6.	Senior Research Officer (Operational Research)	20. 2.1973
7.	Deputy Legal Advisor (being operated as Assistant Legal Advisor)	2. 1.1974
8.	Deputy Director (Official Language)	1. 4.1976
9.	Assistant Director (Official Language)	1. 5.1975
10.	Assistant Inspector of Arms	1. 8.1975
11.	Officer on special Duty (Establishment) (Resevation), Bombay	29. 4.1975
12.	Hindi Officer	3. 9.1976
13.	Special Assistant to Chairman Railway Board.	5. 5.1977
14.	Curator (being operated as Assistant Curator)	11.10.1976
15.	Deputy Director (Carriage & wagon)	30.12.1972

Working of Law Commission During Emergency

†3762. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) the utility of the Law Commission and the functions thereof;

(b) the role played by the Commission in regard to the laws formulated during the emergency; and

(c) whether the members of the commission supported fully these laws; if so, whether it was justified on their part?

The Minister of State in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Shri Narsingh): (a) The utility of the Law Commission is borne out by the fact that following the example of India many other countries have also established Law Commissions. The Law Commission has so far submitted 70 Reports and many have been implemented by appropriate legislation. Its revised terms and reference are as in the statement.

(b) The Commission did not play any role in formulating emergency legislation.

(c) The Commission as such did not have any role with regard to the emergency laws. The acts of the Members of the Commission who have in any case ceased to hold office in their private capacity is not the concern of the Government of India.

STATEMENT

1. To keep under review the system of judicial administration to ensure that it is responsive to the reasonable demands of the times and in particular to secure—

(a) elimination of delays, speedy clearance of arrears and reduction in costs so as to secure quick and economical disposal of cases without affecting the cardinal principle that decisions should be just and fair.

(b) simplification of procedure to reduce and eliminate technicalities and devices for delay so that it operates not as an end in itself but as a means of achieving justice;

(c) improvement of standards of all concerned with the administration of justice.

2. To examine the existing laws in the light of Directive Principles of State Policy and to suggest ways of improvement and reform and also to suggest such legislation as might be necessary to implement the Directive Principles and to attain the objectives set out in the Preamble to the Constitution.

3. To revise the Central Acts of general importance so as to simplify them and to remove anomalies, embiguities and in equities.

4. To consider and to convey to the Government its views on any other subject relating to law and judicial administration that may be referred to it.

Commonwealth Ministers' Conference on Delay in Justice

†3763. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state the decision taken in the Commonwealth Ministers' Conference held in the last week of August, 1977 in Canada on the question of delay in justice and the manner in which Government of India are implementing it ?

8—376 LSS/77

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): 1. In the meeting of the Commonwealth Law Ministers held at Winnipeg, Canada, from August 22 to 26, 1977, there was a general discussion on the question of delays in the administration of justice.

2. At the conference Law Ministers expressed their grave concern about increasing delays in the administration of justice—a problem faced by almost all Commonwealth jurisdictions. They agreed that it was one which called for positive and urgent action; and pledged themselves to providing remedies which in no way jeopardised the quality of justice and which respected the fundamental rights of all persons under the law.

3. In considering the problem of the law's delays, Ministers were conscious of a number of contributing factors: a worldwide rise in the level and sophistication of crime; the increasing complexity of trials; greater recourse to the courts attendant on heightened consciousness of legal rights; and litigation generated by a rising but unavoidable volume of legislation were only some of them. The provision of legal aid on a wider scale, so essential to the creation of a just society, itself often increased pressure on the court system and deepened the problem.

4. Law Ministers canvassed a wide range of approaches Legal advice and counselling, if made widely available at an early stage, had the potential to resolve disputes before they reached court; minor offences could be dealt with by special procedures; and preliminary hearings could be streamlined while at the same time ensuring fairness to the accused.

5. Appointing more judicial officers was a possible but not always an appropriate answer. Account had always to be taken of the need to maintain a strong Bar and to constantly balance its depletion against enlargement of the Bench. Special courts provided some possibilities of improvement in appropriate areas such as family law, but these still required human and physical resources for their proper administration. New approaches might need to be pursued through such developments as decriminalising so called 'victimless crime' where the level of tolerance of particular societies made this possible. There was an important role for the courts themselves, and for lawyers, in reducing delays and promoting the despatch of legal business.

6. Surveying the problem and the varied responses to it by countries in widely differing parts of the Commonwealth, Law Ministers were left with a heightened perception of the value of comparative approaches to solutions. They requested the Commonwealth Secretariat to assist them in their determination to meet this challenge, by both collating information on a Commonwealth-wide basis and arranging appropriate studies. Thus, apart from the general appraisal of the problem no concrete or specific decisions were taken as such in the meeting in regard to the problem of delay in justice.

Representations regarding Setting up of a High Court Bench of Meerut

†3764. **Shri Nawab Singh Chauhan:** Will the Minister of **Law, Justice and Company Affairs** be pleased to state :

(a) whether Government have received representations from people in the Western Uttar Pradesh for setting up a bench of the High Court at Meerut;

(b) if so, the present position in this regard and the reasons for not setting up a bench there so far; and

(c) what are the views of Uttar Pradesh Government and the High Court in the matter?

The Minister of Law, Justice and Company Affairs (Shri Shanti Bhushan): (a) Yes, Sir.

(b) The matter is still under consideration. The proposal has various aspects which have to be examined carefully before a decision is taken.

(c) After the then Minister of Law, Justice and Company Affairs had discussed the matter with the then Chief Minister, Uttar Pradesh and a reference made to the State Government by the Government of India, the Chief Minister, Uttar Pradesh wrote a letter in December, 1976 proposing the establishment of a Bench at Meerut. He, *inter alia,* mentioned therein that successive Chief Justices had been consistently opposing the demand for a Bench at Meerut.

The present Government of Uttar Pradesh have mentioned in a communication that the question of establishing a Bench at Meerut is once again engaging their attention.

Construction of shed, over bridge etc. at Shahjahanpur Railway Station

3765. **Shri Surendra Bikram:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) the amount earmarked for the construction of shed, over-bridge etc. at the Shahjahanpur Railway station of Muradabad Division, Northern Railway during the current financial year and the construction works to be undertaken in order to provide facilities to the passengers there; and

(b) whether any suggestion or any letter has been received by the Minister of State for Railways in this regard; if so, the action taken by Government thereon?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Extension of a foot-over bridge at Shahjahanpur Railway Station has been included in the Railways Works Programme for 1977-78 and outlay for this work in the current financial year is Rs. 20,000.

In addition, there is another work viz. extension to cover over platform Nos. 2-3 for which the outlay during 1977-78 is Rs. 76,000.

(b) From 1970 onwards there has been a demand for the extension of a foot-over bridge at Shahjahanpur. This work has been sanctioned this year and is in progress.

सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों की क्षमता

3766. **श्री पी० राजगोपाल नायडू :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों की क्षमता कितनी है ; और

(ख) इस समय कितनी क्षमता का उपयोग किया जा रहा है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : सरकारी क्षेत्र के उर्वरक कारखानों की स्थापित क्षमता तथा उपयोग क्षमता नीचे दी गई है :—

	स्थापित क्षमता (000 मीटरी टनों में)	क्षमता उपयोग (%)	
		1976—77	अप्रैल-अक्तूबर 1977
नाइट्रोजन	1543	69.5	58.0
फास्फेट	337	68.3	70.4

टी० टी० ई० के लिये गुन्टकल में विश्राम कक्ष की सुविधाएं

3767. **श्री पी० राजगोपाल नायडू** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पकोला स्थित दक्षिण मध्यरेलवे टी० टी० ई० मुख्यालय के लिए गुन्टकल में विश्राम कक्ष की सुविधा है, जबकि वे तिरुपति से गुन्टकल तक वेंकटादि एक्सप्रेस में ग्यारह घन्टे निरन्तर ड्यूटी के बाद काम करते है ; और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार का क्या गुन्टकल में विश्राम कक्ष की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) और (ख) : अक्तुबर, 1977 से वेंकटादि एक्सप्रेस में, पाकाला स्थित मुख्यालय के चल टिकट परीक्षक केवल तिरुपति से धर्मावरम तक चलते हैं, जहां उनके लिए पर्याप्त विश्राम सुविधाएं उपलब्ध हैं । चल टिकट परीक्षकों के लिए गुंतकल में भी विश्राम कक्ष सुविधाएं उपलब्ध है ।

राजस्थान में नई रेल लाइनें

3768. **श्री एस० एस० सोमानी** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान राज्य में नई रेल लाइनों के निर्माण के सम्बन्ध एक इंजीनियरिंग और यातायात सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन था ;

(ख) क्या राजस्थान सरकार ने भी इस बारे में कोई अनुरोध किया है ; और

(ग) यदि हां, तो इस बारे में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : राजस्थान सरकार से निम्नलिखित रेलवे लाइनों के निर्माण के सिफारिशें प्राप्त हुई थीं :

(i) रायसिंह नगर—अनूपगढ़—छतरगढ़—बीकानेर—कलायत-फलौदी (380 किलोमीटर)

(ii) हनुमानगढ़—रावतसर—सरदारशहर—रतनगढ़—फतेहपुर (200 किलोमीटर)

(iii) धरसाना—नचना—रामगढ़—जसलमेर (400 किलोमीटर)

(iv) फलौदी—नचना (70 किलोमीटर)

बीकानेर से छत्तरगढ़ तक नयी मोटर रेलवे लाइन, जो कि राजस्थान नहरी क्षेत्र की जरुरतें पूरी करेगी, के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य को चालू वर्ष के रेलवे बजेट में सम्मिलित कर लिया गया है। फालना से नाथद्वारा तक एक दूसरी नयी मीटर रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य चल रहा है।

Exploration of New Oil Wells by ONGC

3769. **Shri S. S. Somani:** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether any progress has been made in the direction of exploring new oils wells by the Oil and Natural Gas Commission during the last 3-4 months; and

(b) if so, the details thereof?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra): (a) and (b): During the last four months, O.N.G.C. commenced drilling of exploratory wells on 8 new structures and continued drilling of exploratory wells on 24 old structures, in the onshore areas and the offshore areas taken together.

सी० पी०ज फेवर टू एलाइन कम्पनी

3770. **श्री एम० रामगोपाल रेड्डी** : क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 12 नवम्बर, 1977 के इकानामिक टाइम्स में सी०पी० सी०ज फेवर टू एलाइन कम्पनी शोर्षक के अन्तर्गत छपे समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी हां।

(ख) मेसर्स वीयथ लेबौरटरीज लि० बम्बई देश में प्रोडनोसोलीन का एक मात्र निर्माण-कर्त्ता है। क्योंकि उनके इस प्रपुंज औषध का उत्पादन देश में औषध निर्माण कर्ताओं की सारी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता इसलिए इस प्रपुंज औषध का स्टेट केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स कारपोरेशन आफ इंडिया लि० के माध्यम से आयात करके इसको पूरा किया जाता है। 1976-77 से सी० पी० सी० द्वारा आयात करने के लिए प्रोडनो-सोलीन को सारणीबद्ध किया गया है।

वर्ष 1977-78 के लिए मेसर्स वीयथ लेबोरटरीज लि० ने 1000 कि० ग्राम प्रोड-नीसोलीन के अपने अनुमानित उत्पादन की सूचना दी है तथा इस प्रपुंज औषध की 750 किलो ग्राम की मात्रा को आयात करने की योजना बनाई है। परन्तु उनके निर्माण करने वाले संयंत्र में कुछ दोष पूर्ण समस्याओं के कारण मेसर्स वीयथ के यूनिट में मध्य मई से सितम्बर के अन्त तक प्रोडनीसोलीन का उत्पादन बन्द रहा। उन एककों, जिनको मेसर्स वीयथ द्वारा वर्ष 1976 में प्रोडनोसोलीन का सप्लाई की गई थी, की इस प्रपुंज

औषध की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह निर्णय लिया गया था कि सी पी सी ऐसी एककों को प्रोडनोसोलोन, जितनी उन्होंने उस वर्ष में मेसर्स वीयथ द्वारा प्राप्त की है, के 40 % तक दे। मेसर्स वियथ को भी यह निर्णय लागू होता था क्योंकि उन्होंने 1976 में इस औषध के अपने उत्पादन से ही प्रोडनोसोलोन की खपत का थी, इसलिए अपने सूत्रयोग, जो पहले बजार में उपलब्ध थी, के उत्पादन को बनाये रखने के लिए आयातित प्रोडनोसोलीन को दे सकते थे। अब तक उन्होंने 1976 में इस औषध को अपनी खपत का 26 प्रतिशत तक सी पी सी द्वारा आयात किया है। उनके एकक अक्तूबर, 1977 से अपना सामान्य काम करेंगे। मेसर्स वीयथ उन एककों की आवश्यकता पूरी करते रहेंगे जिनको आवश्यकता उन्होंने 1976-77 में पूरी की थी और जिन एककों की आवश्यकता 1977-78 में पूरी नहीं की गई उनकी आवश्यकताओं को उत्पादन के अनुपात से पूरी करेंगे।

Exploration for Natural Gas near Saurashtra

3771. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Petroleum and Chemicals and Fertilizers** be pleased to state :

(a) whether there is a possibility of natural gas being found in Diu near Saurashtra and whether exploration in this has been made or is to be made there and the quantum of the gas to be found there;

(b) whether Gujarat Government have made a demand therefor and if so, when and the nature thereof; and

(c) the manner in which the natural gas to be found there would be made use of?

The Minister of State for Petroleum and Chemicals and Fertilizers (Shri Janeshwar Mishra) : (a) No, Sir. Drilling conducted so far in this area has not yieded any significant oil/gas indications.

(b) No, Sir.

(c) Does not arise.

Railway Siding Dhoraji

3772. **Shri Dharmasinhbhai Patel :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether the factory railway siding at Dhoraji in Rajkot district in Gujarat is less than one kilometre from Railway siding Dhoraji Railway station D. I. J. station point and even then charge on goods of Dhoraji factory area mills is being realised;

(b) whether Chamber of Commerce had submitted a demand in October, 1976 to abolish this siding charge; and if so, the details thereof;

(c) the action taken or proposed to be taken by Government to abolish it; and

(d) whether there are no godowns at Dhoraji Railway Station, if so, when the same will be constructed there?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) No. The length of the siding is about two kilometres from the centre of Dhoraji station. Siding charge is recovered for the additional service rendered in hauling the wagons to and from the siding whereas the freight is charged to and from the station only.

(b) Yes. The Dhoraji Chamber of Commerce had requested for the withdrawal of siding charges and for treating this public siding as a part of Dhoraji station on the plea that there is no goods shed at Dhoraji station.

(c) There is no proposal to abolish the siding charge.

(d) There is no Goods Shed at Dhoraji Station and there is no proposal to construct any Goods Shed as a Goods Shed with staff has been provided on the siding itself.

Demand for a Fast Train From Porbandar to Bombay

†3773. **Shri Dharmasinhbhai Patel:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a long-standing demand of the people of Saurashtra for a fast-Janata train from Porbandar to Bombay (Saurashtra-Bombay) and if so, the reasons for delay in introducing this train;

(b) when this train is likely to be introduced and what action has been taken in this regard; and

(c) the difficulties in introducing this fast Janata train from Porbandar in the memory of Mahatma Gandhi as Porbandar is his birth place ?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) Yes The proposal for introduction of an additional train between Porbandar and Bombay was not found feasible for want of spare line capacity on Rajkot—Viramgam Section. Besides Viramgam/Okha-Porbandar section is in the process of conversion from Metre Gauge to broad gauge and works in progress affecting capacity on the section militate against introduction of another train.

(b) & (c) : Do not arise.

अशोधित तेल, रसायनों और उर्वरकों का राज्यवार उत्पादन

3774. **श्री धर्मसिंह भाई पटेल :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अशोधित तेल का राज्यवार उत्पादन और परिशोधन क्षमता कितनी है और वर्ष 1976-77 के दौरान अखिल भारतीय आधार पर रसायनों और उर्वरकों का कितना उत्पादन हुआ और अखिल भारतीय आधार पर गुजरात का अंश और प्रतिशतता कितनी है; और

(ख) वर्ष 1977-78 में अखिल भारतीय आधार पर अशोधित तेल, रसायनों और उर्वरकों का अनुमानतः कितना उत्पादन होगा और अखिल भारतीय आधार पर गुजरात का अंश और प्रतिशतता कितनी होगी ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : अशोधित तेल के उत्पादन और साफ करने की क्षमता से सम्बन्धित सूचना का विवरण संलग्न है। रसायन तथा उर्वरकों से सम्बन्धित सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जायेगी।

विवरण

राज्य	वार्षिक मिली० मी० टन तेल साफ करने की क्षमता	अशोधित तेल का उत्पादन 1976–77	1977–78 (प्राक्कलित)
समुद्र तट क्षेत्र			
असम	1.30	4.30	4.61
आन्ध्र प्रदेश . . .	1.55		
बिहार . . .	3.30		
गुजरात	4.30	4.19	4.20
केरल	3.30		
महाराष्ट्र	8.75		
तमिल नाडु	2.65		
पश्चिम बंगाल . . .	2.50		
समुद्र तट में उत्पाद का योग . .	27.65	8.49	8.81
समुद्र के अन्दरूनी क्षेत्र			
बम्बई हाई	—	0.41	2.00
कुल योग	27.65	8.90	10.81
% गुजरात का भाग . . .	15.6	47.1	38.8

Railway Line From Mahananda to Chokia Paharpur

†3775. **Shri Yuvraj :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether Irrigation Minister of Bihar has recommended to him to lay a railway line from Mahananda Embankment to Chokia Paharpur via Meghutola to the east of Tejnarainpur railway station on the Northeast Frontier Railway, in order to provide transport facilities to the inhabitants of the backward areas; and

(b) if so, the time by which it will be laid and if not, the reasons therefor?

The Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) Yes.

(b) The matter is receiving attention in consultation with the Northeast Frontier Railway Administration.

B.G. and M.G. Diamond Crossing at Barsoi

†3776. **Shri Yuvraj:** Will the Minister of **Railways** be pleased to state:

(a) whether it is a fact that B. G. and M. G. diamond crossing at Barsoi Junction on the North East Frontier Railway is not safe;

(b) whether it is also a fact that C. O. P. S., Pandu had disclosed this important fact in course of his inspection; and

(c) if so, the arrangements to be made for its safety and if arrangements will not be made for reasons therefor?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain): (a) and (b): No.

(c) Does not arise. The existing arrangements are considered absolutely safe.

रेलवे लाइनों के लिए सर्वेक्षण

3777. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उन रेलवे लाइनों की संख्या और नाम क्या हैं, जिनका सर्वेक्षण किया गया है और छठी योजना में जिन्हें शामिल करने के प्रश्न पर सक्रिय रुप से विचार किया जा रहा है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : 84 नयी रेलवे लाइनों (सूची संलग्न है) के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किये गये हैं या किये जा रहे हैं । छटी पंचवर्षीय योजना में शामिल की जाने वाली नयी लाइनों के संबंध में अभी तक अन्तिम निर्णय नहीं किया गया है ।

[ग्रंथालय में रखा गया । देखिये संख्या एल०टी० 1345/77]

रेलवे द्वारा ढुलाई के दौरान माल के खो जाने अथवा क्षति के लिये मुआवजा

3778. **श्री डी० बी० चन्द्र गौडा** : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) या यह सच है कि पूर्ववर्ती वर्षो की तुलना में वर्ष 1974-75 के दौरान रेलवे द्वारा ढोये जाने वाले सामान के खो जाने अथवा क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मुआवजे की राशि में काफी वृद्धि हुई थी ;

(ख) उस वर्ष रेलवे द्वारा अर्जित कुल भाड़े की तुलना में इस प्रकार अदा किये गये मुआवजे की प्रतिशतता कितनी है; और

(ग) इस शीर्ष के अन्तर्गत अधिक से अधिक कमी करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है अथवा किये जाने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां ।

(ख) 1.28 प्रतिशत ।

(ग) क्षतिपूर्ति के दावों को कम करने के लिए सरकार रोकथाम के कई उपाय करती रही है और यह उपाय जारी रहेंगे तथा इस काम में और तेजी लायी जायगी। दावों की रोकथाम के लिए रेलों द्वारा अपनाए गए महत्वपूर्ण उपाय नीचे दिये गये हैं:—

(i) भेद्य खंडों में लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, चीनी, तिलहन आदि ले जाने वाली मालगाड़ियों का रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा मार्ग रक्षा करना।

(ii) भेद्य यार्डों में रेलवे सुरक्षा दल के सशस्त्र कार्मिकों द्वारा गश्त लगाना।

(iii) अपराध आसूचना एकत्रित करना और रेलों की अपराध आसूचना के कर्मचारियों के साथ-साथ रेलवे बोर्ड के केन्द्रीय अपराध ब्यूरों के कर्मचारियों द्वारा अपराधियों तथा चोरी का सामान लेने वालों का पता लगाने उद्देश्य से अचानक छापे मारना।

(iv) परेषणों के खोने और क्षतिग्रस्त होने की घटनाओं की रोकथाम की दिशा में और अधिक जागरूक रहने की भावना उत्पन्न करने के लिए कर्मचारियों का मार्ग-दर्शन करना एवं उन्हें शिक्षित करना।

(v) चीनी, अनाज, दाल, तिलहन, आदि के परेषणों से लदे पूरे माल-डिब्बों के दरवाजों पर सुरक्षा की दृष्टि से निभार की व्यवस्था पर जोर देना।

(vi) परेषणों को खोए जाने से रोकने के लिए उन पर भली प्रकार निशान लगाना, पता लिखना और लेबल लगाना।

(vii) जिन माल-डिब्बों में मूल्यवान सामान लदा हो उनमें रिबट लगाने के लिए ढिबरी और काबले का उपयोग करना।

(viii) माल-डिब्बों का भली-भांति अनुरक्षण करना ताकि माल-डिब्बों के खराब होने की घटनाओं, जिनके परिणामस्वरूप उन्हें रुके रहना पड़ता है और उनका यानान्तरण करना पड़ता है, में कमी हो तथा दरवाजों और सुराखों से भीगने तथा टिकिया चोरी से होने वाली क्षति को कम किया जा सके।

(ix) खराब माल-डिब्बों का संचरन कम करने के लिए मरम्मत लाइनों, यार्डों और माल-गोदामों में माल-डिब्बों के पेनल-कट में पैबन्द लगाना।

(x) लदान और उतराई के दौरान पैकेजों का भली-भांति पर्यवेक्षण और सावधानीपूर्वक मिलान करना।

(xi) आमान परिवर्तन यानान्तरण स्थलों और पुनर्पैकिंग स्थलों पर पर्यवेक्षण के काम को तेज करना।

(xii) कर्मचारियों का उत्तरदायित्व शिघ्र नियत करना; और

(xiii) बरसात के मौसम में सामान गीला होकर क्षतिग्रस्त होने न पाये इसे रोकने के लिए विशेष एहतियात बरतना।

हरिजनों पर अत्याचार के मामलों का संक्षिप्त विचारण

3779. **श्री आर० एल० कुरील** : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरिजनों/आदिवासियों पर हुए अत्याचारों के मामलों के संबंध में कार्यवाही करने के लिये संक्षिप्त विचारण की और चलते-फिरते न्यायालयों की व्यवस्था करने का है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क), (ख) और (ग) : हरिजनों/आदिवासियों पर होने वाले अत्याचारों का यह अर्थ लगाया जाता है कि वे अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के विरूद्ध हत्या, बलात्संग, गंभीर उपहति, गंभीर रिष्टि या उनकी सम्पत्तियों को आग लगाने जैसे गंभीर अपराध हैं और भारतीय दण्ड संहिता के अधीन दण्डणीय अन्य ऐसे अपराध हैं जिनके हेतु का संबंध उस व्यक्ति की जाति से है, जो उसका शिकार हुआ है । जिन अपराधों के शिकार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य होते हैं उनके विचारण कि प्रक्रिया सुसंगत विधियों में निर्धारित की जा चुकी है । साधारणतया, चलते फिरते न्यायालयों की व्यवस्था ऐसे छोटे मोटे मामलों को निपटाने के लिए की जाती है जिनका विचारण घटना पर ही संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा किया जा सकता है ।

तमिलनाडु में तुफान के कारण रेलवे को क्षति

3780. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे को तमिलनाडु में तुफान के कारण भारी हानि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो कुल कितनी हानि हुई है ;

(ग) क्या राज्यों में रेल सेवाओं पर बहुत अधिक प्रतिकुल प्रभाव पड़ा है ;

(घ) यदि हां, तो किस सीमा तक और रेल सेवाओं फिर से प्रारम्भ करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ; और

(ङ) क्या तमिलनाडु के लोगों को इस टुटी रेल सेवा के कारण बहुत क्षति उठानी पड़ती है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, हां ।

(ख) लगभग 3 करोड़ रुपये ।

(ग) जी, हां ।

(घ) जिन खंडों पर गाड़ी सेवाएं प्रभावित हुई हैं उनकी सूची संलग्न है । चक्रवात के तुरन्त बाद, पुनःस्थापन का कार्य चौबीस घंटे जोरों से शुरू किया गया जिसके परिणामस्वरूप प्रभावित खण्ड समय से काफी पहले यातायात के लिए शीघ्र ही दुबारा खोल दिये गए । इस समय केवल तिरुचिरापल्ली-इरोड खण्ड पर करुर और वीरण क्कियम स्टेशनों के बीच अमरावती पुल को भारी क्षति

पहुंचने के कारण यातायात रुका हुआ है। पुल पर पुनः स्थापन कार्य प्रगति पर है यद्यपि और अधिक वर्षा और नदी में बाढ़ और तेज धाराओं के कारण इसमें बाधा पड़ रही है।

(ङ) क्षति की मात्रा को देखते हुए गाड़ी सेवाएं कम से कम समय में पुनःस्थापित की गयी और इस तरह यात्री यातायात में असुविधा न्यूनतम रही।

विवरण

तिरुचिरापल्ली मंडल	पुनः स्थापन की तारीख
(i) विलुपुरम-त्रिचिरापल्ली मुख्य लाइन	18-11-77
(ii) विलुपुरम-त्रिचिरापल्ली कार्ड लाइन . . .	19-11-77
(iii) विलुपुरम-काटपाडी	यातायात केवल 14-11-77 को रुका रहा
(iv) विरुदाचलम-सेलम	15-11-77
(v) मायुरम-तरंगमवांडी	14-11-77
(vi) मायुरम-करैकुडी	20-11-77
(vii) पेरालम-करैकल	14-11-77
(viii) तंजाउर-नागोर	21-11-77
मदुरै-मण्डल	
(i) तिरुचिरापल्ली-डिडिगुल	24-11-77
(ii) डिडिगुल-पोलाची	15-11-77
(iii) तिरुचिरापल्ली-मान मदुरै	19-11-77
ओल्लव कोट मण्डल	
(i) तिरुचिरापल्ली-इरोड . . .	अमरावती पुल को हुई भारी क्षती के कारण यह खंड अभी पूर्णरुप से यातायात के लिए नहीं खोला गया। पुल पर पुनःस्थापन कार्य की प्रगती जोरों पर है।

उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों की कमी

3781. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन** : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि उत्तर पश्चिम क्षेत्र में पेट्रोलियम उत्पादों के सप्लाई केन्द्रों में उत्पादों की गम्भीर कमी हो जायेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह कहां तक सच है ; और

(ग) क्या इसकी कमी से सम्पूर्ण मांग को पूरी करने में कठिनाई की आशंका की जा रही है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) कुछ समाचार पत्रों में यह समाचार दिया गया **था कि** पेट्रोलियम उत्पादों विशेषतः हाई स्पीड डीजल और मिट्टी के तेल का स्टाक बहुत ही अधिक कम हो गया है और हाई स्पीड डीजल तेल में संकट की स्थिति आ गई है तथा देश के उत्तरी भाग में कई फुटकर बिक्री केन्द्रों में मिलना बिलकुल बन्द हो गया है ।

(ख) और (ग): यह कहना सही नहीं है कि हाई स्पीड डीजल तेल की सप्लाई में उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में संकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है । उत्तर-पश्चिमी क्षेत्र, जिसमें कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जम्मू और दिल्ली सम्मिलित है को जिन स्रोतों से सप्लाई होती है उनके पास पर्याप्त स्टाक है चालू रबी मौसम के दौरान डीजल की पूरी आवश्यकता को पूरा करने में कोई समस्या न आये यह सुनिश्चित करने के लिये आवश्यक उपाय किये गये हैं जहां तक पूरे देश में मिट्टी के तेल की सप्लाई का संबंध है यह राज्य को दी गई कोटा के अनुसार हो रही है ।

चक्रवात के कारण तमिलनाडु में पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल की कमी

3782. **श्री आर० वी० स्वामीनाथन :** क्या **पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चक्रवात के कारण तमिलनाडु राज्य को पेट्रोलियम और मिट्टी के तेल आदि को भारी कमी का सामना करना पड़ा ;

(ख) यदि हां, तो राज्य को उन वस्तुओं को नियमित रुप से सप्लाई करने के लिये केन्द्रीय सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ; और

(ग) इस चक्रवात के पश्चात राज्य सरकार को कुल कितना कोटा दिया गया ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) राज्य सरकार से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार, तमिलनाडु के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोल और मिट्टी के तेल की उपलब्धता में सम्बन्धित कोई समस्या नहीं है ।

(ख) तथा (ग) : तमिलनाडु के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों में पेट्रोलियम उत्पादों की पर्याप्त उपलब्धता को सुनिश्चित करने के लिए, राज्य प्राधिकारियों तथा अन्य तेल कम्पनियों के साथ समन्वय करने के लिये, इंडियन आयल कारपोरेशन, मद्रास के क्षेत्रीय प्रबंधक को समन्वयकर्ता के रूप में नियुक्त किया गया है । चक्रवात से प्रभावित कुछ क्षेत्रों में रेल के आवागमन में बाधा आने के परिणाम स्वरुप पेट्रोलियम उत्पादों के परिवहन पर प्रभाव पड़ा है, परन्तु सड़क यातायात द्वारा उत्पादों की उपलब्धता को सुनिश्चित कर दिया गया है । मिट्टी के तेल को छोड़कर, किसी राज्य के लिए पेट्रोलियम उत्पाद का कोटा नहीं है । इस मंत्रालय ने तेल कंपनियों को सलाह दी है कि पहले निर्धारित कोटे को ध्यान में न रखते हुए चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों की मिट्टी के तेल की सम्पूर्ण मांग को पूरा करें । तद्नुसार, चक्रवात प्रभावित क्षेत्रों को पेट्रोलियम उत्पादों की मांग को पूरा किया जा रहा है ।

सरकारी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र तथा विदेशी कम्पनिय़ों में अदा किये जा रहे वेतनों का तुलनात्मक अध्ययन

3783. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों पूर्णतया भारतीय स्वामित्व की गैर सरकारी क्षेत्र की कम्पनियों, भारत में काम कर रही विदेशी स्वामित्व की कम्पनियों के कर्मचारियों को अदा किये जा रहे वेतनों, भतों तथा परिलब्धियों की तुलनात्मक अध्ययन किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : इस विभाग ने सरकारी तथा निजी, क्षेत्रों के कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों की वेतन संरचना ों का कोई औपचारिक अध्ययन नहीं किया है । तथापि, सरकारी तथा निजी क्षेत्रों में अधिकतम पारिश्रमक के तुलनात्मक अध्ययन से पता चलता है कि निजी क्षेत्र के शीर्षस्थ कार्यकारियों को दिया जाने वाला पारिश्रमिक, सरकारी क्षेत्र के इन्ही कार्यकारियों की बजाय सारतः उच्चतर है । सरकारी क्षेत्र में, शीर्षस्थ कार्यकारियों का पारिश्रमिक, सरकारी उपक्रमों के ब्यूरो, अथवा सम्बन्धित राज्य सरकारों द्वारा प्रेषित प्रशासनिक अनुदेशो द्वारा नियंत्रित होता है । सरकारी उपक्रमों के ब्यूरो के अनुदेशों के अनुसार, शीर्षस्थ कार्यकारियों को दिया जाने वाला वेतन, भविष्य निधि, उपदान आदि को सामान्य सुविधाओं के अलावा, 4,000 रु० प्रतिमास की अधिकतम सीमा तक आयन्त्रित है ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों, तथा उन प्राइवेट लिमिटेड कम्पनियों, जो पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों की सहायक हो, के प्रबन्ध/पूर्ण कालिक निदेशकों को, विद्यमान मार्ग दर्शक नियमों के अन्तर्गत, 7,500 रु० प्रति मास का वेतन 45,000 रु० प्रति वर्ष की अधिकतम सीमा तक शुद्ध लाभों पर कमीशन, तथा साथ ही सरकारी क्षेत्र के कार्यकारियों को स्वीकार्य, परीलब्धियों के बजाय, सारतः उच्चतर स्तर पर परिलब्धियां, दी जा सकती है ।

वकीलों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि

3784. **डा० बी० ए० सैयद मोहम्मद :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वकीलों की संख्या में अत्याधिक वृद्धि और उसके परिणामस्वरूप उस व्यवसाय के स्तर में आई गिरावट का कोई निर्धारण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो स्थिति को सुधारने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरसिंह) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

संगठित (आर्गेनाइज्ड) औषध उद्योग में पूंजी निवेश

3785. डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय देश में संगठित (आर्गेनाइज्ड) औषध उद्योग में कुल पूंजी निवेश क्या है; और

(ख) इस समय देश के औषध उद्योग में विदेशी नियंत्रित फर्मों के हिस्से की प्रतिशतता क्या है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख) : देश में औषध उद्योग के संगठित क्षेत्र में कुल 430–450 करोड़ रु० के निवेश (साम्य पूंजी, आरक्षण और ऋण पूंजी) का अनुमान है। विदेशी फर्मों का (जिनकी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष विदेशी साम्य पुंजी 40% से अधिक है और जिनके औषध कार्यकलाप पर्याप्त है) निवेश लगभग 180 करोड़ रु० है जो कुल का लगभग 41% बैठता है।

केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं की सूची

3786. डा० वी० ए० सैयद मोहम्मद : क्या विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न उच्च न्यायालयों के लिए रखे गए केन्द्रीय सरकार के अधिवक्ताओं के पैनल में अधिवक्ताओं का नाम सम्मिलित करने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा क्या मापदण्ड अपनाया जाता है ; और

(ख) क्या अधिवक्ता की राजनैतिक विचारधारा को भी ध्यान में रखा जाता है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) विभिन्न उच्च न्यायालयों में केन्द्रीय सरकार के स्थायी काउन्सेल या पैनल काउन्सेल की नियुक्तियां सम्बद्ध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से और कभी कभी महाधिवक्ता के परामर्श से भी की जाती हैं।

(ख) जी नहीं।

Overbridge near Sihora

†3787. **Shri Sharad Yadav :** Will the Minister of **Railways** be pleased to state :

(a) whether there is a proposal to construct an over-bridge at the railway crossing near Sihora Railway Station on Sihora—Majhgaon road in Jabalpur-Allahabad Section; and

(b) if so, the time by which the over-bridge would be constructed?

Minister of State in the Ministry of Railways (Shri Sheo Narain) : (a) No.

(b) Does not arise.

अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेल की खोज

3788. **श्री मनोरंजन भक्त :** क्या पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक मंत्री यही ताने की कृपा कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संघ राज्य क्षेत्र अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह में तेल तथा गैस की खोज में सफलता प्राप्त हुई है और यदि हां तो तत्सम्बधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) वहां पर तेल के संसाधनों की अनुमानित क्षमता क्या है और तेल की खोज कार्य में कौन कौन सी कम्पनियां लगी हुई है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) और (ख): तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग द्वारा इस क्षेत्र के भूगर्भीय मानचित्र को तैयार करने के कार्य जारी है परन्तु अभी तक अन्वेषी व्यधन कार्य आरम्भ नहीं किया गया है। अतः अभी से यह अनुमान लगाना कठिन होगा कि इस क्षेत्र में कितना हाईड्रोकार्बर्स मिलेगा।

टर्मिनल स्टेशन के रूप में आजादपूर तथा शकूर बस्ती का विकास

3789. **श्री दुर्गाचन्द :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में आजादपुर तथा शकूरबस्ती रेलवे स्टेशनों को कुछ रेलगाड़ियों के लिए टर्मिनल स्टेशनों के रूप में विकसित करने का कोई प्रस्ताव है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन दोनों स्टेशनों के विकास सम्बन्धी प्रस्ताव क्या हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नई दिल्ली स्टेशन पर अतिरिक्त यात्री सुविधाओं की व्यवस्था के लिए स्थान रिक्त करने के लिए नई दिल्ली से फल यातायात को दिल्ली आजादपुर और सीमेन्ट यातायात को शकूर बस्ती स्थानान्तरित करने का निर्णय किया गया है नई दिल्ली से दिल्ली आजादपुर के लिए फल यातायात के स्थानान्तरण का कार्य पूरा हो चुका है जबकि शकूर बस्ती में सीमेन्ट साइडिंग उपयोगार्थ खुलने के लिए तयार है।

इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल के लिये मजदूरों की आवश्यकता

3790. **श्री शिव सम्पत्ति राम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर पार्सल उतारने चढ़ाने का काम करने के लिए मजदूरों की वास्तविक आवश्यकता का अनुमान लगाने हेतु कमर्शियल इन्स्पेक्टर तैनात किए गए थे ;

(ख) क्या मजदूरों की संख्या में वृद्धि का औचित्य बताने और इस वृद्धि की शिफारिश करने हेतु असिस्टेन्ट कमर्शियल एंड अकाउण्टस आफिसर भी तैनात किए गए थे ताकि सीनीयर डिवीजनल कमर्शियल सुपरिन्टेन्डन्ट उस सोसायटी के लिए अधिक राज सहायता निर्धारित कर सके जो गत 17 वर्षों से इस कार्य का ठेका लिए हुए थी तथा मजूरों का शोषण कर रही थी ;

(ग) इस कार्य के लिए इन्सपैक्टर तथा अधिकारियों ने कितने आदमियों की सिफारिश की और मजदूरों की संख्या में वृद्धि की मंजूरी हेतु क्या औचित्य प्रस्तुत किया ; और

(घ) क्या ऐसी सोसायटियों को दी जाने वाली राजसहायता में वृद्धि के औचित्य के लिए इलाहाबाद डिवीजन के अन्य स्टेशनों पर भी इसी तरह के मूल्यांकन के आदेश दिए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) सहायक वाणिज्य, अधीक्षक, इलाहाबाद के पर्यवेक्षण में वाणिज्य निरीक्षकों के एक दल ने, हाल ही में इलाहाबाद में श्रमिकों की आवश्यकता का विश्लेषण किया था।

(ख) और (ग) : लेखा विभाग के परामर्श से रिपोर्ट की अभी भी जांच की जा रही है।

(घ) जी नहीं।

ग्लोब मोटर्स दिल्ली द्वारा ली गई जमा राशियां

3791. **श्री एम० ए० हनान अलहाज :** क्या **विधि, न्याय और कम्पनी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ग्लोब मोटर्स दिल्ली ने लोगों से जमा राशियां लीं थीं और उन्हें अभी तक ये जमा राशियां नहीं लौटाई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्यौरा क्या है ?

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण) : (क) तथा (ख) : यह सत्य है कि मैसर्स ग्लोब मोटर्स लिमिटेड दिल्ली ने जनता से जमा राशियां लीं थीं। जैसा कि 29 जुलाई, 1974 को उत्तरित राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 421 के उत्तर में उल्लेख किया गया था कि दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकृत व्यवस्था योजना के अन्तर्गत जो 22 फरवरी, 1970 से प्रभावी थी, कम्पनी को अपने लेन दारो (जमाकर्ताओं सहित) को छः किस्तों में वापिस करना अपेक्षित था, और अन्तिम किस्त 22, मार्च 1974 को देय थी। योजना के अन्तर्गत लेनदारों द्वारा 1,72,94,197 रु० का दावा किया गया था जिसके विपरित 1,23,93,789 रु० कम्पनी द्वारा स्वीकृत किए गए थे व 38,70,348 रु० अपोलों या समझौते द्वारा कम किये जाने के पश्चात, 10 30,060 रु० विवादास्पद थे। 30 जून 1974 तक इस व्यवस्था के अन्तर्गत कम्पनी ने 84,46,612 रु० तथा व्यवस्था से अलग के दावों वाले 39,77,064 रु० अदा कर दिए थे। जैसा कि दिनांक 29 अप्रैल, 1975 के लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 7909 के उत्तर में बताया गया था, न्यायालय ने पांचवीं किस्त को अदायगी की तारीख 31 जुलाई, 1975 तक बढ़ा दी थी व छटी किश्त पांचवीं किश्त की अदायगी पूर्ण होने को तारीख से दो वर्ष की अवधि तक दी जानी थी।

कम्पनी ने रजिस्ट्रार, दिल्ली को 31 मार्च, 1975, 31 मार्च, 1976 तथा 31 मार्च, 1977 की अवधि समाप्ति की कोई जमा धन की विवरणी प्रस्तुत नहीं की है। कंपनी 15-4-1977 से परिसमापित हो गई व इसने अभी तक शासकीय समापक दिल्ली को अवस्था-विवरण प्रस्तुत नहीं किया है। अतः सरकार को कम्पनी द्वारा जमा-धन के वापिस दिए जाने की बाबत नविनतम स्थिति का ज्ञान नहीं है। शासकीय समापक, दिल्ली द्वारा, अवस्था-विवरण के प्रस्तुत न करने के लिए कम्पनी के भूतपूर्व निदेशकों के विरुद्ध अपराधिक मामला दायर कर दिया गया है।

9—376 LSS/77

सियालदह डिवीजन में ई० एम० यू० रेक्स स्टाक

3792. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सियालदह डिवीजन में ई० एम० यू० रेक्स स्टाक द्वारा औसत दैनिक कितने किलोमीटर दूरी तय कि जाती है और रेलवे द्वारा कितना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ;

(ख) सन्नीहित हावडा डिवीजन में वस्तुतः कितने किलोमीटर दूरी तय की गयी है ; और

(ग) इस उपयोग को सुधारने और इसे लक्ष्य पर लाने के लिए रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) बिजली गाड़ियों के रेकों द्वारा अर्जित औसत दैनिक किलोमीटर दूरी समय-समय पर खासकर व्यस्ततम समय के दौरान चलने वाली सेवा पर निर्भरता को ध्यान में रखते हुए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है । पिछले कुछ वर्षों में पूर्व रेलवे के सियालदह मण्डल में प्रतिदिन प्रति गाड़ी के हिसाब से प्रति गाड़ी यूनिट किलोमीटर निम्नलिखित रहे :

1972–73	290
1973–74	253
1974–75	285
1975–76	313
1976–77	310
अप्रैल, 77	310
मई, 77	309
जून, 77	312
जुलाई, 77	318
अगस्त, 77	316
सितम्बर, 77	315
अक्टूबर, 77	328

(ख) हावड़ा मण्डल के तदनुरूपी आंकड़े :

1972–73	310
1973–74	241
1974–75	279
1975–76	307
1976–77	300
अप्रैल, 77	313
मई, 77	312
जून, 77	316
जुलाई, 77	310
अगस्त, 77	311
सितम्बर, 77	327
अक्टूबर, 77	332

(ग) व्यस्त तम समय में उपयोग लायक सभी स्टाक का प्रयोग किया गया। अध्यस्ततम समय में यात्री यातायात की मांग के अनुसार गाड़ीयां चली।

गार्डस् कौंसिल तथा रेल मंत्रालय के बीच समझौता

3793. **डा० लक्ष्मीनारायण पांडेय :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह सच है कि गार्डस कौंसिल तथा रेल मंत्रालय के बीच 16 मार्च, 1974 को कोई समझौता हुआ था कि उन्हें तीसरे वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिया जायेगा ;

(ख) यदि हां, तो इसे कार्यान्वित न करने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या यह भी सच है कि इससे गार्डों, विशेषरूप से 'सी' ग्रेड के गार्डों में भारी असन्तोष उत्पन्न हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो इस बारे में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क) जी हां।

(ख) से (ग) : ग्रेड "सी" के गार्डों के लिए तीसरे वेतन आयोग द्वारा सिफारिश किये गये 290—480 रुपये वेतनमान को बढ़ाकर 290—530 रुपये कर दिया गया है। डाक और एक्सप्रेस गाड़ियों के गार्डों के लिए 425—600 रुपये के वेतनमान से ऊपर एक नया वेतनमान 425—640 रुपये निर्धारित किया गया है और इन गार्डों का पदनाम "गार्ड विशेष ग्रेड" रखा गया है।

रेलवे द्वारा वर्ष 1955—65 के दौरान नियुक्त किये गये अधिकारी

3794. **श्री ओमप्रकाश त्यागी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या यह समाचार पत्रों में छपा है यह समाचार सही है कि रेलवे द्वारा वर्ष 1955 से 1965 के बीच नियुक्त किये गये अधिकांश अस्थायी अधिकारी अभी भी अस्थायी रुप में कार्य कर रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो गत दस वर्षों के दौरान उन्हें स्थायी न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या सरकार का इस बारे में उपचारात्मक कार्यवाही करने का विचार है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : (क), (ख) और (ग) : 1955 से 1968 के दौरान भर्ती किये गये 1089 अस्थायी अधिकारियों में से अब केवल 303 अधिकारियों को श्रेणी-I/कनिष्ट वेतनमान में स्थायी किया जाना शेष है।

निर्माण एवं विकास कार्यों के संबंध में सृजित अस्थायी पदों के लिए अस्थायी अधिकारियों की भर्ती की गयी थी। अस्थायी अधिकारी एक वार्षिक कोटा के अनुसार स्थायी श्रेणी-I/कनिष्ट वेतनमान संवर्ग में, स्थायीकरण के लिए विचारणीय हैं। इस वार्षिक कोटा में उत्तरोत्तर वृद्धि की गयी है और अब सिविल इंजीनियरी बिजली इंजीनियरी और

सिगनल एवं दूर-संचार विभागों, में प्रतिवर्ष, क्रमशः 33,10 और 6 अधिकारी स्थायी किये जा रहे हैं। दो के सिवाय, अन्य विभागों के अस्थायी अधिकारियों को स्थायी किया जा चुका है।

इनमें से कुछ अधिकारियों को भारतीय रेलवे भंडार सेवा और भारतीय रेलवे कार्मिक सेवा में स्थायी तौर पर समाहित करने का भी विचार है।

एक प्राइवेट औषध फर्म द्वारा टैट्रासाइक्लीन का अनियमित आयात तथा बिक्री

3795. **श्री ज्योतिर्मय बसु :** क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैट्रासाइक्लीन सरकारी एजेन्सियों के माध्यम से आयात की जाने वाली मद (कैनेलाइजड आइटम आफ इम्पोर्ट) है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय जांच ब्यूरो को आई० डी० पी० एल० के कुछ धकारियों की सांठ-गाठ से एक प्राइवेट औषध फर्म द्वारा 1.50 करोड़ रुपये के मूल्य के टैट्रासाइक्लीन बी० सी० आई० के कथित अनियमित आयात तथा बिक्री के बारे में जांच पडताल करने के लिए कहा गया है ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : स्टेट ट्रेनिंग कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० के आय मार्च 1974 में जारी किए गए आयात लाइसेंस के बारे में मैसर्स मूलराज जी दूनजरसे एण्ड कम्पनी प्राइवेट लि० बम्बई को जारी किए गए अधिकार पत्र की शर्तों का उल्लंघन करते हुए उनके द्वारा टैट्रासाइकलिन, हैड्रोक्लोराइड सहित सारणीबद्ध औषधों का आयात किए जाने का मामला सरकार के ध्यान में आया है। आई० टी० सी आदेश 1955 और आई० एम० पी० ई० एक्स० अधिनियम 1947 के अन्तर्गत फर्म के विरुद्ध वाणिज्य मंत्रालय द्वारा कार्रवाई आरंभ की जा रही है।

ताजमहल पर पर्यावरण दूषण के प्रभाव सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति

3796. **श्री कंवर लाल गुप्त :**
श्री मुख्तियार सिंह मलिक :
श्री जी० एम० बनातवाला :

क्या **पैट्रोलियम तथा रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ताजमहल पर पर्यावरण दूषण के प्रभाव सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति ने सिफारिश की है कि आगरा के स्मारकों के आसपास धुआं छोड़ने वाला कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जाना चाहिये ; और

(ख) यदि हां, तो ताज में दूषण रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पेट्रोलियम तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री (श्री जनेश्वर मिश्र) : [(क) तथा (ख) : मथुरा रिफाइनरी के पर्यावरण दूषण के प्रभाव सम्बन्धी विशेषज्ञ समिति की प्रथम रिपोर्ट सरकार को शीघ्र ही उपलब्ध होने की सम्भावना है। सरकार इसको प्राप्त करके इसकी जांच करेगी, और समिति द्वारा दी गई सिफारिशों पर उचित रूप से विचार करेगी।

लोक-सभा 12.20 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

Lok Sabha re-assembled at Twenty minutes past Twelve of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[MR. SPEAKER *in the chair*]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कार्य करने के मूड में है...

श्री मोहम्मद शफी कुरैशी (अनन्तनाग) : माननीय मंत्री ने कुछ अपमानजनक बात कही है जो उन्हें नहीं कहनी चाहिए थी। उन्हें थोड़ा सा शालीनता का व्यवहार करना चाहिए था और सभा की कार्यवाही स्थगित नहीं की जानी चाहिए थी। यदि आप इस टिप्पणी को सभा की कार्यवाही से निकाल देने का निर्णय कर देते तो सभा की कार्यवाही स्थगित नहीं करनी पड़ती। मेरा अनुरोध है कि मंत्री महोदय आएं और क्षमा मांग लें।

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मुझे खेद है कि मेरे साथी ने जो टिप्पणी की है उससे विपक्ष के मेरे मित्रों को कष्ट हुआ है। मैं अपने साथी की ओर से उन्हें आश्वासन देना चाहता हूं कि उनका आशय उनका अपमान करना नहीं था। मैं अपने साथी की ओर से इस टिप्पणी के लिए क्षमा-याचना करता हूं जो उन्होंने एक मजाक के रूप में की थी।

श्री ज्योतिर्मय बसु (डायमंड हार्बर) : मैंने एक 'स्थगन प्रस्ताव' की सूचना दी है। आरोप यह है कि वित्त मंत्री कापड़िया समूह को संरक्षण प्रदान करने का प्रयास कर रहे हैं... **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : इस पर विचार किया जा रहा है।

श्री ज्योतिर्मय बसु : काम रोको प्रस्ताव 36 घण्टों तक विचाराधीन नहीं रह सकता। यह एक गम्भीर आरोप है। इस पर विचार करने के लिए सभा की कार्यवाही स्थगित करनी होगी।

अध्यक्ष महोदय : अब सभा पटल पर पत्र रखे जाएंगे।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

रेल रेड टैरिफ (तीसरा संशोधन) नियम 1977

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिव नारायण) : मैं भारतीय रेल अधिनियम, 1890 के अन्तर्गत जारी किये गये रेल रेड टैरिफ (तीसरा संशोधन) नियम, 1977 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 3 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० सां० नि० 1649 में प्रकाशित हुए थे) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिये संख्या एल०टी० 1336/77]

डा० राम मनोहर लोहिया के इलाज सम्बन्धी जांच समिति का प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं डा० राम मनोहर लोहिया के इलाज सम्बन्धी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल०टी० 1337/77]

सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अधीन अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सतीश अग्रवाल) : मैं सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या 253–कस्टम्स, 254–कस्टम्स और 255–कस्टम्स (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक-एक प्रति, जो दिनांक 13 दिसम्बर, 1977 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन सभा–पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल०टी० 1338/77]

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

श्री बोहरा के विरुद्ध की गई कार्यवाही के बारे में भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ द्वारा पास किये गये प्रस्ताव का समाचार

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : मैं गृह मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि वे इस सम्बन्ध में एक वक्तव्य दें :

"भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारी संघ द्वारा पास किया गया वह कथित प्रस्ताव जिसमें श्री बोहरा के विरुद्ध मनमाने ढंग से की गई कार्यवाही पर चिन्ता व्यक्त की गई है, तथा उनकी ओर से इस मामले को लड़ने के लिये धन एकत्र करने और मुअत्तली समाप्त करने का संघ का निर्णय।"

गृह मंत्री (श्री चरण सिंह) : जिस दिन दिनांक 9 दिसम्बर, 1977 के 'स्टेटसमैन' में यह समाचार प्रकाशित हुआ था, उस दिन सैंट्रल इण्डियन सिविल एण्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एसोसिएशन के कार्यवाहक प्रधान ने प्रेस रिपोर्ट की यथार्थता को अस्वीकार करते हुए मंत्रिमण्डल सचिव को अपनी ओर से पत्र लिखा था और उन्होंने रिपोर्ट को "भ्रामक और तोड़मरोड़ कर कहा गया बताया है"।

रिपोर्ट में जिस प्रकार के संकल्प का उल्लेख है ऐसा कोई संकल्प पारित नहीं किया गया था और केवल ऐसे प्रस्ताव ही पास किए गए थे जिनका संबंध एसोसीएशन के पदाधिकारियों के चुनाव तथा उसके कार्य से संबंधित अन्य कार्यविधि विषयक मामलों से था।

आपात स्थिति की अवधि के दौरान उक्त सेवा के कुछ सदस्यों के कार्य पर खेद व्यक्त किया गया था क्योंकि उनके आचरण से उक्त सेवा की विश्वसनीयता तथा प्रतिष्ठा पर न केवल प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है बल्कि आम जनता की निगाह में उनकी प्रतिष्ठा भी गिरी है।

हालांकि कुछ सदस्यों ने श्री बी० बी० वोहरा के मामले का उल्लेख किया था किन्तु एसोसिएशन के प्रधान ने यह स्पष्ट कर दिया था कि एसोसिएशन का प्रयोग किसी वैयक्तिक मामले अथवा उसके गुण-दोष पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में नहीं किया जा सकता। एसोसिएशन के प्रधान द्वारा व्यक्त विचार का आम तौर से समर्थन किया गया।

एसोसिएशन के प्रधान ने इस बात पर भी बल दिया है कि "केन्द्र के साथ टकराव की तैयारी करने" का तनिक भी सुझाव नहीं दिया गया था।

श्री ज्योतिर्मय बसु : एक व्यवस्था का प्रश्न है। मुझे पता चला है कि कार्यसूची में श्री वोहरा की मुअत्तली और गिरफ्तारी से सम्बद्ध विषय पर चर्चा के लिए एक मद शामिल की गई थी।

श्री वयालार रवि : मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है उससे कुछ भ्रान्तियां दूर हुई हैं। प्रशासन प्रमुखों को राजनीतिक प्राधिकारियों के अधीन काम करना पड़ता है और उन्हें रोजमर्रा का प्रशासन चलाना होता है। स्वाभाविक है कि सरकार उनके साथ अराजपत्रित कर्मचारियों की भांति व्यवहार नहीं कर सकती। **(व्यवधान)** आपने सिविल सर्वेन्ट के साथ जो व्यवहार किया है वह अच्छा नहीं है और यह कोई छुट-पुट मामला नहीं है। इन अधिकारियों को केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट पर गिरफ्तार करने के क्या कारण हैं? दो मास बीत जाने के बाद भी उन्हें कोई अभियोग-पत्र नहीं दिया गया है। **(व्यवधान)** इस कार्यवाही का औचित्य आपको इस सभा में सिद्ध करना होगा। मैं यह भी जानना चाहूंगा कि क्या इन व्यक्तियों की गिरफ्तारी के लिए मंत्रीमण्डल को स्वीकृति ली गई? आपने प्रधान मंत्री की सलाह लेना भी उचित नहीं समझा। ऐसा लगता है कि जैसे प्रत्येक मंत्री की अपनी रियासत हो, इससे आई० ए० एस० अधिकारियों में निराशा की भावना पैदा हो गई है।

यह समाचार भी मिला है कि आपने इन अधिकारियों से कहा है कि यदि वे चाहें तो अपने राज्य काडर में वापस जा सकते हैं। यह एक गम्भीर बात है। आप ऐसे प्रत्येक आई० ए० एस० अधिकारी को सन्देह की दृष्टि से देख रहे हैं जो दुर्भाग्य से आपातस्थिति के दौरान दिल्ली में थे। इससे उनकी निष्ठा को आघात पहुंचा है।

वास्तव में मैं इन अधिकारियों की तरफदारी नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसी नीति तैयार करें कि वरिष्ठ अधिकारियों में इस प्रकार नैराश्य पैदा न हो।

श्री श्याम नन्दन मिश्र (बेगुसराय): एक व्यवस्था का प्रश्न है। ध्यान आकर्षण प्रस्ताव एसोसिएशन द्वारा पास किये संकल्प से सम्बन्धित है। अब अध्यक्ष महोदय सदस्य को

[श्री श्याम नंदन मिश्र]

उस व्यक्ति का पक्ष लेने की अनुमति देते जा रहे हैं जो अपराधी है। ध्यान आकर्षण जैसे साधन का ऐसे व्यक्तियों के बचाव के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस मामले पर यहां विस्तार से विचार करने से मामले की जांच पर प्रभाव पड़ सकता है।

श्री सौगत राय (बैरकपुर) : मैं व्यवस्था का प्रश्न उठाना चाहता हूं। श्री रवि ने जो जांच हो रही है उसकी चुनौती नहीं दी है। उसने केवल जांच के तरीकों का प्रश्न लिया है। आई० ए० एस० अधिकारी संघ द्वारा पास किए गए संकल्प और गृह मंत्री द्वारा उन्हें वापस चले जाने की दी गई धमकी के कारण यह मामला वास्तव में अविलम्बनीय लोक महत्व का विषय बन गया है।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा लगता है कि ध्यान आकर्षण प्रस्ताव सभा में वाद-विवाद का एक विषय बन गया है। पर मैं सब से अनुरोध करूंगा कि वे अपने को प्रस्ताव में उठाए गए मुख्य प्रश्न तक ही सीमित रखें।

श्री वयालार रवि : यह सभा गृह मंत्री श्री चरण सिंह के इस कार्य का समर्थन नहीं कर सकती जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लेकर यह काम किया है। **(व्यवधान)**

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : मैं एक व्यवस्था का प्रश्न उठाता हूं। प्रक्रिया नियमों के अन्तर्गत वह (श्री रवि) अपने विचार अभिव्यक्त कर सकता है और यह निर्णय आपको देना है कि क्या इस सभा का एक सदस्य इसी सभा के दूसरे सदस्य को अपने विचार रखने से रोक सकता है।

अध्यक्ष महोदय : कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता और न ही हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। पर मैं श्री लकप्पा को सलाह दूंगा कि वह पहले अपने घर को संभालें।

Shri Ramji Lal Suman (Ferozabad): My Submission is that the hon. Members should put forth their view point only on the question under consideration and should not bring in matter not connected therewith.

श्री वयालार रवि : वरिष्ठ सिविल अधिकारियों में इस प्रकार की भावना पैदा न हो, इसके लिए क्या सरकार कोई नीति बनाना चाहती है? इस सम्बन्ध में कौनसी प्रक्रिया अपनाई जाती है? क्या जांच शीघ्र पूरी करके उन्हें आरोप-पत्र दिए जाएंगे? मंत्रीजी को इस विषय में जनता में विश्वास पैदा करना होगा। **(व्यवधान)**

श्री चरण सिंह : इस प्रस्ताव का सीमित उद्देश्य सरकार का ध्यान आई० ए० एस० अधिकारियों के संघ द्वारा पारित प्रस्ताव में व्यक्त की गई चिन्ता की ओर दिलाना है। मैंने पहले ही बता दिया है कि उक्त संघ ने मंत्रिमण्डल सचिव को पत्र लिख कर बताया है कि इस प्रकार का कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया। **(व्यवधान)**। इसके विपरित संघ ने कुछ अधिकारियों के आपातकाल के दौरान के उनके आचरण पर चिन्ता व्यक्त की है। **(व्यवधान)**। इसमें यह भी कहा गया है कि कुछ सदस्यों ने श्री वोहरा के मामले का भी उल्लेख किया। पर सभापति ने निर्णय दिया कि बैठक में व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं की जा सकती।

Shri Gauri Shanker Rai (Ghazipur) : In the "Statesman" this news was published that Mr. Naik, the President of this Association has stated that no resolution was adopted. The resolution was not adopted but it was decided to collect funds and constitute a committee which will make efforts to get his suspension withdrawn. It was also reported in the news that officers at the Joint Secretary level have expressed concern in this regard and also stated that it has been done on political grounds. I do not know as to which political reasons were in their minds. In the resolution it has also been mentioned that they have expressed their resentment over the statements of the Prime Minister and Home Minister. One of the Senior Secretaries has also pointed out that they have not taken this matter lightly.

I would like to know from the Home Minister whether I.A.S. Officers want some privileges in corruption cases and whether Government's policy is to make out the same treatment to a corrupt Minister, M.P., higher officer and a pickpocket. I, therefore, would like to know as to what these officers want actually and if they are involved in criminal cases, can they not be arrested ?

Sir, this is a serious matter when all the higher officers meet and threat the Governments' normal procedure of functioning that they would not put their signatures from today. I would like to know whether Government have taken it seriously or not ?

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या उन्हें सरकार पर इस तरह दबाव डालने का तरीका अपनाने दिया जाएगा ?

श्री चरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, सरकार किसी भी वर्ग के कर्मचारियों की धमकी को न सहन ही कर सकती है और न ही इसे प्रोत्साहित कर सकती है। 'स्टैट्समैन' में उल्लिखित ऐसा कोई भी संकल्प पारित नहीं हुआ है। यदि मुझे, अनुमति दी जाए तो मैं एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा मंत्रिमंडल सचिव को लिखे गए पत्र को पढ़ दूं, उससे स्थिति बिलकुल स्पष्ट हो जाएगी। पत्र में इस बात का स्पष्ट उल्लेख है कि समाचार पत्र में बातों को काफी तोड़-मरोड़कर छापा गया है। इस एसोसिएशन की बैठक इस उद्देश्य से नहीं हुई थी। यह तो नए पदाधिकारियों के चुनने की प्रक्रिया से संबद्ध थी..। इस बैठक में प्रधान मंत्री या गृह मंत्री किसी की भी आलोचना नहीं की गयी है। यद्यपि कुछ सदस्यों ने श्री बी० बी० वोहरा के हाल के मामले का उल्लेख किया था। परन्तु इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि एसोसिएशन सामान्य मामलों के लिए है, किसी व्यक्तिगत मामले के लिए नहीं है। समाचार में उल्लिखित कोई संकल्प पारित नहीं हुआ है। जो संकल्प पारित हुआ है वह पदाधिकारियों के निर्वाचन और अन्य प्रक्रिया सम्बन्धी मामलों के बारे में है।

जहां तक वरिष्ठ अधिकारियों को विशेष शक्तियां प्रदान करने का सम्बन्ध है, सरकारी कर्मचारी आचरण नियम सभी अधिकारियों पर समान रूप से लागू होते हैं चाहे वह छोटा हो अथवा बड़ा । अनुशासन और देश के कानून भी सभी पर समान रूप से लागू होते हैं। इस अधिकारी को निलंबित करने में किसी नियम का उल्लंघन नहीं हुआ है। यदि किसी नियम का उल्लंघन हुआ है तो अधिकारी मामले को न्यायालय में या वरिष्ठ अधिकारियों, मंत्रिमंडल सचिव या मंत्री के पास ले जा सकता है।

[श्री चरण सिंह]

श्री रवि ने यह प्रश्न किया है कि क्या यह मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी है। तो मैं कहूंगा कि नहीं। यह तो सम्बन्धित मंत्री के क्षेत्राधिकार में है। यह तो जांच अधिकारी के विवेकाधीन है। उन्हें अधिकारी को गिरफ्तार करने का अधिकार है। जब मामला न्यायालय में जाएगा तो सरकार की मंजूरी से जायेगा वहां सम्बन्धित अधिकारी अपने बचाव में बयान पेश कर सकते हैं। जनता पार्टी तो यह चाहती है कि प्रशासन स्वच्छ हो।

लोक लेखा समिति
PUBLIC ACCOUNTS COMMITTEE

तेईसवां, पंचीसवां तथा छियालीसवां प्रतिवेदन

श्री अशोक कृष्ण दत्त (दमदम) : मैं लोक लेखा समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं :—

(1) वाणिज्य मंत्रालय के संबंध में व्यापार मेलों और प्रदर्शित वस्तुओं पर समिति के 197वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 23वां प्रतिवेदन।

(2) की गई कार्यवाही संबंधी टिप्पणियां देने में विलम्ब के सम्बन्ध में समिति के 220 वे प्रतिवेदन (पांचवी लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 25वां प्रतिवेदन।

(3) कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) से सम्बन्धित दिल्ली दुग्ध योजना पर भारत के नियन्त्रक-महालेखा परीक्षक के वर्ष 1974–75 के प्रतिवेदन, संघ सरकार के पैराग्राफ 48 पर 46वां प्रतिवेदन।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति
COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

आठवां, नवां तथा तेरहवां प्रतिवेदन

श्री सूरज भान (अम्बाला) : मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जन जातियों के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं :—

(1) श्रम मंत्रालय (रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय)—(एक) रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन; और (दो) रोजगार तथा प्रशिक्षण महानिदेशालय के माध्यम से अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के नियोजन एवं प्रशिक्षण के बारे में 8वां प्रतिवेदन।

(2) गृह मन्त्रालय–इर्विन अस्पताल तथा दिल्ली प्रशासन के परिवार, नियोजन और स्वास्थ्य विभाग में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के संबंध में समिति के 59वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में 9वां प्रतिवेदन।

(3) दिल्ली प्रशासन में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण तथा उनके नियोजन के सम्बन्ध में समिति के 52वें प्रतिवेदन (पांचवीं लोक सभा) में दी गयी सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गयी कार्यवाही के बारे में तेरहवां प्रतिवेदन।

प्राथमिक शिक्षकों की मांगों के बारे में याचिका

Petition *re.* Demands of Primary Teachers

प्रो० दिलीप चक्रवर्ती (कलकत्ता दक्षिण) मैं प्राथमिक शिक्षकों की मांगों के बारे में अखिल भारतीय शिक्षक महासंघ, नई दिल्ली के अध्यक्ष, श्री अरुण एम० डोंडे और महा-सचिव श्री जगदीश मिश्र द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका प्रस्तुत करता हूं।

Shri H. L. Patwari (Mangaldoi). Mr. Speaker, I have to say something thereon. Yesterday 2 lakh teachers came.

अध्यक्ष महोदय : याचिका केवल एक सदस्य द्वारा प्रस्तुत की जा सकती है और याचिका प्रस्तुत की जा चुकी है।

समिति के लिये निर्वाचन
ELECTION TO COMMITTEE

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० डी० पाटिल) : कुमारी आभा मयती की ओर से मैं निम्नलिखित प्रस्ताव पेश करता हूं :—

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 4 और 5 के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खंड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दें, कुमारी आभा मयती के स्थान पर, जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करेंगे।"

अध्यक्ष महोदय : सभा 2.05 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

इसके बाद लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.05 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

THE LOK SABHA THEN ADJOURNED FOR LUNCH TILL 5 MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK.

लोक सभा मध्याह्न भोजन पश्चात् 2.08 बजे म० प० पर पुनः समवेत हुई।

THE LOK SABHA RE-ASSEMBLED AFTER LUNCH AT EIGHT MINUTES PAST FOURTEEN OF THE CLOCK.

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]
[MR. DEPUTY SPEAKER *in the chair*]

केन्द्रीय रेशम बोर्ड
CENTRAL SILK BOARD

उपाध्यक्ष महोदय : मैं श्री सोनू सिंह पाटिल के प्रस्ताव को मतदान के लिए रखूंगा। प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड नियम, 1955 के नियम 4 और 5 के साथ पठित केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 की धारा 4 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अनुसरण में इस सभा के सदस्य ऐसी रीति से जैसा अध्यक्ष निदेश दे, कुमारी आभा मयती के स्थान पर जिन्होंने त्यागपत्र दे दिया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करेंगे।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।
The motion was adopted

नियम 377 के अधीन मामले
MATTERS UNDER RULE 377

(1) बिहार के कुछ जिलों में कालाजार का महामारी के रूप में फैलना

उपाध्यक्ष महोदय : श्री विनायक प्रसाद यादव।

Shri Vinayak Prasad Yadav (Saharsa): Mr. Deputy Speaker, Sir, Four five districts of Bihar State are in the grip of Kala-azar. Hundreds of persons have died of this disease there and hundreds are suffering from it. The State Government have not provided any assistance. This area is very backward. If no timely action is taken by the Government, the whole Saharsa district will be affected and more persons will die. I therefore, request that the Central Government should send a special team of doctors thereto check its spread.

(2) अलीगढ मुस्लीम विश्वविद्यालय के अल्प संख्यक स्वरुप को बहाल करना

श्री जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय भारत के मुस्लिमों की संस्कृति का एक बड़ा स्मारक है और यह भारत के मुस्लिमों के बलिदानों से बना था। यह संस्था मुस्लिम अल्पसंख्यकों के लिए है। जब से इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरुप से वंचित किया गया है तभी से लगातार यह मांग की जा रही है कि इसे पुनः अल्पसंख्यक स्वरुप दिया जाये।

1972 के अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय संशोधन अधिनियम में कुछ ऐसे उपबन्ध किए गए थे जिससे समूचे देश में क्षोभ बढ़ा। जगह जगह आन्दोलन हुए, गिरफ्तारियां की गयी और पुलिस गोलीकांड भी हुए।

अब केन्द्र में जनता पार्टी की सरकार बनी है और उससे ऐसी आशा की जाती थी कि विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान किया जाएगा परन्तु इन सभी आशाओं पर तुषारापात हो गया है। लगभग 8–9 महीने बीत चुके हैं और इस सम्बन्ध में कोई कदम नहीं उठाए गए हैं। अतः एक बड़ा आन्दोलन होने की संभावना है। अतः मैं इस सभा

और सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में शीघ्र कदम उठायें और इस विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक स्वरूप प्रदान करें। मुझे आशा है कि इस सम्बन्ध में एक स्पष्ट घोषणा शीघ्र की जाएगी।

(3) हिन्दुस्तान कन्स्ट्रक्शन कम्पनी लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ क्षेत्र के लोगों को रोजगार में प्राथमिकता दिया जाना

Shri Sharad Yadav (Jabalpur): There is Hindustan Steel Construction Company Limited in Chhattisgarh. An agitation is being launched in Bhilai for the last five-ten days. The factories are opened to ensure that the backward areas will be developed; their social and economic standard will be raised. The officers of the Bhilai factory belong to other states. Local persons are very few there. 700 persons, out of those retrenched from Bokaro, have been employed in Chhattisgarh factory. There is great resentment against this decision and an agitation is being launched by all the parties there in protest against this. Nine legislators have been arrested. In the matter of appointment, nepotism and favouritism is shown. If timely action is not taken by Government, there will be great discontentment in the area. I therefore, appeal to the Government to remove this injustice and the persons employed from outside should be reverted immediately. so that local people may get employment and discontentment and resentment are removed. At least 50 percent local people should be provided with employment there. The minister should say a few words in this regard.

श्री बीजू पटनायक : मैंने माननीय सदस्य को सुन लिया है। राष्ट्रीय परियोजना एक राष्ट्रीय परियोजना ही है। यह कहना कि एक बड़े उपक्रम में केवल स्थानीय लोगों को ही रोजगार दिया जाए...

श्री वयालार रवि : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। भूतपूर्व अध्यक्ष श्री संजीव रेड्डी ने इस सभा में एक विनिर्णय दिया था। उस विनिर्णय के अनुसार यदि मंत्री सभा में उत्तर देना चाहते हैं तो मंत्री को एक पूर्व सूचना देनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। नियम 377 के अधीन मामला उठाया गया है और किसी माननीय सदस्य ने कुछ बातें कही और यदि मंत्री उसका उत्तर देना चाहते हैं तो वह दे सकते हैं। माननीय मंत्री अपना भाषण जारी रखें।

श्री बीजू पटनायक : यह निर्माण कार्य करने वाली भारत सरकार की कम्पनी है। इसमें कुशल, अकुशल, इंजीनियरों और तकनीशनों की भरती देश के विभिन्न भागों से की जाती है। कन्स्ट्रक्शन कम्पनी होने के नाते जब एक क्षेत्र में कार्य संपन्न हो जाता है तो उन लोगों को देश के विभिन्न क्षेत्रों में यहां तक कि विदेशों में भी भेज दिया जाता है।

इस समय बोकारों में काम काफी कम हो गया है। वहां 7500 कर्मचारी फालतू हैं। कम्पनी इन कर्मचारियों को देश के विभिन्न भागों में भेज रही है। अर्ध-कुशल कर्मचारियों को भिलाई में स्थानान्तरित किया जा रहा है। मैंने एक स्थानीय संसद सदस्य को एक पत्र लिखा है जिसमें यह उल्लेख किया है कि भिलाई इस्पात संयंत्र के विस्तार

[श्री बीजू पटनायक]

होने पर छत्तीसगढ़ के स्थानीय लोगों को उसमें लगाने पर समुचित ध्यान दिया जाएगा। मुझे यह जानकारी मिली है कि लगभग 20,000 कर्मचारियों की इसमें आवश्यकता होगी और बोकारो के 7500 फालतू कर्मचारियो में से 1500 से 2000 तक भिलाई के लिए उपलब्ध हो जायेंगे ये कुशल और अर्ध कुशल कर्मकार हैं।

Shri Madan Tiwary (Rajnandgaon)**:** There are many person in Bhilai also.

श्री बीजू पटनायक : भिलाई में भी हमें अधिक लोगो को जरूरत है। इसके लिए साक्षात्कार हो चुका है।

क्या माननीय सदस्य यह चाहते हैं कि मैं बिहार के 7500 श्रमिकों को नौकरी से हटा दूं? मैं उनसे यह अनुरोध, करता हूं कि देश को एक इकाई समझ कर उसके बारे में सोचे। स्थानीय लोगों के हितों को ध्यान में रखा जायेगा और मैंने इस सदन में भी वचन दिया है कि इस कार्य के लिए बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रखा जायेगा। इसमें से केवल 7500 को भिलाई भेजा जायेगा। छत्तीसगढ के लगभग एक लाख लोग उड़ीसा में कार्य कर रहे हैं जबकि उड़ीसा में अनेक लोग बेरोजगार हैं। इस क्षेत्र के अधिकतम लोगों को हम रोजगार देने की व्यवस्था करेंगे। किन्तु माननीय सदस्यों को इस मामले के बारे में मध्य प्रदेश सरकार से बात करनी चाहियें। मैं इस समस्या को सुलझाने के लिए इस्पात मन्त्रालय के एक सचिव को इसी सप्ताह भेज रहा हूं। मैंने इस्पात अधिकारियों को स्टील प्लांट के इर्द गिर्द के गांवों को अपनाने के लिये कहा है और इस गांवों की सहायता करने को कहा है। वह गरीब लोग हैं। इस सम्बन्ध में मैंने संसद् सदस्य श्री मोहन भैया को पत्र लिख कर बता दिया है। सरकार ने इस बात का वचन दिया है और सरकार इसके लिए वचनबद्ध है।

Shri H. L. Patwari: Sir, I have a point of order. The petition of the primary teachers has not been presented so far.

Mr. Deputy Speaker: The petition has been presented in the House. Shri Dalip Chakravarty has presented it.

Shri H. L. Patwari: Mr. Deputy Speaker, Sir, it is a matter concerning teachers. They will curse us......... **(interruptions)**.........

उपाध्यक्ष महोदय : आपने बहुत कह दिया। मैंने आपको बताया है कि पिटीशन दाखिल हो गया है। अगर आप इस बात पर जोर देते रहे तो कोई बात रिकार्ड नहीं की जायेगी।

कम्पनी (संशोधन) विधेयक—जारी

COMPANIES (AMENDMENT) BILL—*Contd.*

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम कम्पनी (संशोधन) विधेयक पर बहस शुरु करेंगे।

श्री आर० वेंकटरमन : भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 219 के अन्तर्गत अंशधारी को आम वार्षिक बैठक से पहले तुलन पत्र और लाभ हानि लेखा की प्रति पाने का अधिकार है। मंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये संशोधन में यह कहा गया है कि जब आम

वार्षिक बैठक नहीं होती है तब कंपनी को धारा 219 में उल्लिखित कागजात कंपनियों के रजिस्ट्रार को भेजने होंगे। यदि अंशधारियों को ये कागजात नहीं दिये जाते तो वे आम आदमियों के समान हो जायेंगे और उन्हें उन कागजात को देखने रजिस्ट्रार के कार्यालय में फीस देनी होगी। क्या यह ठीक होगा? रजिस्ट्रार को तुलन पत्र और लाभ–हानि लेखा देते समय ही अंशधारियों को भी यह भेज दिया जाये।

वर्तमान धारा 293 के अन्तर्गत एक कम्पनी अपने औसत वार्षिक शुद्ध लाभ का 5 प्रतिशत अथवा 25000 रुपया जो भी राशि अधिक हो, धर्मार्थ कार्यो के लिये दान दे सकती है यह राशि बढ़ाकर 50,000 रुपया कर दी गई है। इस वृद्धि के लिए तर्क यह दिया गया है कि अब रुपये का मूल्य घट गया है। यह तर्क बडा ही शिथिल है क्योंकि यदि एक कम्पनी एक लाख का लाभ कमाती है अथवा बिल्कुल ही नहीं कमाती तो उसे 50,000 रुपये धर्मार्थ कार्यो के लिये स्थानान्तरित करने का अधिकार होगा। हमारा यह अनुभव रहा है कि अधिकांश कपनियों के अपने धर्मार्थ कार्य और ट्रस्ट है और उनमें यह रूपये पहूंचा देते हैं जिसका प्रबन्ध उनके अपने आदमी ही करते हैं। अतः इस संशोधन का सर्वथा कोई औचित्य नहीं है।

साधारणतया लोगों को कंपनी और लिमिटेड कंपनी में अन्तर का पता नहीं है। धारा 58 क में एक उपबंध है जिसके अन्तर्गत जमा राशि को नियमित किया जाता है और जमा राशि पर इस उपबंध के अंतर्गत नियन्त्रित किया जाता है। आज कल समाचार पत्रों में अनेक कंपनियों के बारे में विज्ञापन निकाले जाते है और लोगों को भारतीय कंपनी अधिनियम के अन्तर्गत पंजीकृत और एक साधारण कंपनी में अन्तर मालूम नहीं होता और वह अपनी धनराशि साधारण कंपनी में जमा करा देते हैं और बाद में उन्हें पता चलता है कि उनके साथ धोखा हुआ है। जबकि कानून के अनुसार यह कंपनियों अथवा तथाकथित वित्तीय निगम लोगों से रुपया ऋण के रूप में लेती है किन्तु वह तकनीकी शब्दावली का प्रयोग करती है क्योकि कम्पनी कानून उन्हें धनराशि लेने की अनुमति देता है और कहता है कि वह गारंटी प्राप्त है अथवा कम से कम वह रिजर्व बैंक अधिनियम और नियमों के अनुकूल है। हम जब कि धनराशि जमा करने वालों के हितों की रक्षा करना चाहते हैं किन्तु जो कानून अब बनाया जा रहा है उससे कंपनी को ही अधिक लाभ होगा। इसलिए अब ऐसा कानून बनाया जाये जिससे लिमिटेड कम्पनियाँ ही जमा राशियां प्राप्त कर सकें। साझेदारी फर्मो और व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि क्या उन्होंने अधिनियम के उपबन्धों का पालन किया है या नहीं। यदि किसी कंपनी को धारा 58क के खंड 4 का उल्लंघन कर जमा राशियां प्राप्त करने का दोषी पाया जाये तो उसके विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाये।

Shri Kanwar Lal Gupta (Delhi Sadar): I welcome this Bill. The difficulties being experienced by the companies would be removed by this amendment. The people interested in donating some money for charitable purposes and the common people would also be benefited from this.

There was a lucuna in the law. If a company could not hold its annual meeting due to any reason, it was not able to give its balance sheet. Now the Reserve Bank is posted with the power to extend the time for the

[Shri Kanwar Lal Gupta]

company to submit its annual balance sheet. This provision is being made to ensure the safety of the money of the shareholders. But it would have been better if the Government would have brought a comprehensive Bill on the subject.

I fail to understand why this total exemption has been introduced in the company law. There may be reasons when a company is not in a position to hold its annual meeting and do not present its balance sheet and profit and loss accounts. But to entrust the company with the power of total exemption is not good. The company can be given some time but total exemption is neither good nor desirable.

The companies have invented a new method of playing a fraud. The companies are declared sick deliberately. Money invested in the Companies is taken out by showing inflared bills. The profits are used by them and the same are not invested for expanding the companies which results in companies becoming sick. Small shareholders and depositors have to suffer loss and they have to experience unnecessary difficulties. What safeguards have been provided to them by Government? Government should make a provision that Government should nominate members on the Board of Directors of the respective companies and they should give their assessment to Government in this regard.

I do not agree with my friends who are against the increase in the amount of company donations. My view is that donations are for good purposes in most of the cases. By increasing this amount, Government have taken a good step and I congratulate for the same.

श्री के० लकप्पा (तुमकुर): श्री एच० एम० पटेल वित्त मंत्री और श्री पालखीवाला जिन्हें अब राजदूत नियुक्त किया गया है कम्पनियों के निदेशक थे और उन्हें कारण बताओ नोटिस दिया गया था और अब आप अपनी सरकार को कहो कि वह नोटिस वापिस ले ले।

श्री कंवर लाल गुप्त : व्यवस्था का प्रश्न क्या है ?

श्री के० लकप्पा : उन्होंने केवल कांग्रेस के लोगों का ही जिक्र किया है और कहा है कि उन्होंने करोड़ों रुपये लूटे हैं। उन करोड़ो रुपयों का क्या हुआ जो इन दो लोगों ने लूटे हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त : स्मारिका का कम से कम प्रकाशन किया जाना चाहिये। कई ऐसे मामले हुए हैं जहां पैसा तो ले लिया गया है किन्तु स्मारिका का प्रकाशन नहीं हुआ। यह एक धोखा है।

I want to ask from the Hon. Minister about the attitude of Government towards political donations. My view is that political donations should be banned. In this regard, principles should be set and ad hoc decisions should be avoided.

People are desirous of investing money in companies rather than in banks. The rate of interest on deposits in the banks and in the companies should be uniform, so that the people should deposit their money in banks.

श्री वेदव्रत बरुआ (कालियाबोर) : उपाध्यक्ष महोदय, धारा 58 क पर जिसके लिये संशोधन का प्रस्ताव है, सरकार को फिर से विचार करना चाहिये। यह धारा कम्पनी अधिनियम में संशोधन करने पर जोड़ी गई थी। इस पर पिछले सदन की संयुक्त समिति ने विचार किया था और संशोधन तैयार किये थे। परन्तु सरकार ने न्यायिक रूप में या औचित्य के रूप में इस प्रकार स्वविवेक का प्रयोग करना उचित नहीं समझा। इसमें जो धनिक उपबन्ध किया है उससे यह और भी आवश्यक हो गया है कि स्व-विवेक का प्रयोग न किया जाये। कुछ मामले ऐसे भी आ सकते हैं जिनमें कठिनाइयों को और जिनके लिए राहत देना जरूरी हो, परन्तु यह संशोधन इस समस्या का समाधान नहीं है। पांच वर्ष के दण्ड की व्यवस्था करने से तो यह सेंध लगाने अथवा अपराधिक हत्या अथवा किसी ऐसे ही अपराध का रूप ले लेता है। यदि विभाग यह कहता है कि इस बात की छूट न दी जाये तो एक व्यक्ति पांच वर्ष के लिये जेल चला जायेगा। यदि वह किसी कारण से, जिसे वह बताने के लिये बाध्य नहीं है अमुक व्यक्ति को छूट दे दी जाये तो उसे छूट देनी होगी। यह बहुत ही खतरनाक उपबंध है।

कुछ श्रेणियों की कम्पनियों को छूट देना तो ठीक है। लेकिन न्यायालय में हम इसका औचित्य कैसे सिद्ध करेंगे। इस उपबन्ध का फल यह होगा कि या तो इसे सामान्यतया लागू ही न किया जाये या कोई दण्ड हो नही दिया जाये। यह उससे भी बुरा होगा।

यह ठीक होगा कि कम्पनियां बैंककारी प्रणाली के मुकाबले में कार्य न करे। वेतन ढांचे और अन्य बातों के कारण बैंक दर बहुत अधिक है। यह गैर-सरकारी कम्पनी कुछ जमा करती है तो यह अपराध नहीं है। यदि वे पैसा वापस न करे तब यह अपराध है। यदि मुकाबले में बैंककारी प्रणाली नहीं चलानी है तो क्या अधिनियम के मूल उद्देश्य में ऋणदाताओं को जो कम्पनियों में धन लगा रहे, कोई सुरक्षा दी गई है। यह कहा गया है कि काला धन जमा कराया जा सकेगा। लेकिन काला धन तो किसी और क्षेत्र में लगाई जायेगी। जनता द्वारा जमा कराई गई राशि का 25 प्रतिशत, जिस पर नियन्त्रण का कोई प्रस्ताव नहीं है, ऐसे ही लगातार चलता रहेगा। निदेशकों से जमा राशि तथा उनके द्वारा गारंटी प्राप्त राशि जो कम करके 15.1 की गई थी अब शून्य कर दी जायेगी, मूल उद्देश्य यह नहीं है। प्रश्न यह है कि भारी बेरोजगारी के समय ये कम्पनियों को दिवालिया बनाना क्या उचित होगा? हम काले और सफेद धन का पता नहीं लगा सकते और कम्पनी कार्य विभाग ऐसा करने में सक्षम भी नहीं है। सरकार को इस स्थिति से निकलने का स्पष्ट और समुचित निर्णय लेना चाहिए। इस जमा राशि के स्थान पर वित्तीय संस्थाएं ऋण की पूरी मात्रा नहीं दे पायेंगी। अतः सरकार को इस सम्बन्ध में अन्य उपाय ढूंढने होंगे।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सामान्यतया विधेयक का समर्थन करता हूं। यह विधेयक छोटा है और विवादास्पद नहीं है यद्यपि इसके कुछ उपबन्धों पर उचित विचार किये जाने की आवश्यकता है।

डा० सैयद ने कुछ आलोचनाएं की है; वे उचित नहीं हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार को एसा आंशिक विधयक नहीं लाना चाहिए था। उन्होंने उल्लेख किया है कि विशेषज्ञ समिति कम्पनी अधिनियम की समीक्षा कर रही है और उसके प्रतिवेदन की प्रतिक्षा

10—376 LSS/77

[श्री नरेन्द्र पी० नथवानी]

की जानी चाहिए थी। डा० सैयद ने यह स्पष्ट नहीं किया है कि इस विधेयक के कौन से उपबन्ध पर्याप्त नहीं हैं। उनकी दूसरी आपत्ति धारा 293क की व्याख्या के बारे में थी जिसमें विज्ञापन देने के कम्पनी के अधिकार का विवरण है। उन्होंने कहा कि भूतपूर्व विधि मंत्री ने इसकी व्याख्या भिन्न तरीके से की है। उसके अनुसरण में अनेक कम्पनियों ने विज्ञापनों के माध्यम से विभिन्न धन राशियां खर्च की हैं। उन्होंने कहा है कि वही विचार श्री पालकीवाला और न्यायाधीश शाह ने व्यक्त किया है। मैंने डा० सैयद से खास तौर से पूछा है कि क्या उनके उक्त विचार किसी समाचारपत्र में प्रकाशित हुए हैं और उन्होंने कहा कि उनके विचार अभी तक किसी समाचारपत्र में प्रकाशित नहीं हुए हैं। सिर्फ यह प्रकाशित हुआ है कि न्यायाधिश शाह और श्री पालकीवाला ने विचार व्यक्त किये हैं और उनके विचार मिलते हैं। अतः कम्पनियों को कितनी राशि विज्ञापनों के माध्यम से खर्च करने की स्वतंत्रता है और इसमें धारा 293क का कोई उल्लंघन नहीं है। श्री पालखीवाला के विचार 'सिक्यूलर डेमोक्रेसी' के 1 अक्तूबर, 1977 के अंक में प्रकाशित हुए थे और ऐसा कोई स्पष्ट विचार व्यक्त नहीं किया है कि कम्पनी को विज्ञापन पर खर्च करने में कोई प्रतिबन्ध नहीं है। बल्कि उन्होंने कहा है कि क्या किसी कम्पनी द्वारा किसी राजनीतिक दल की स्मारिका के प्रकाशन में खर्च की गई धन राशि को उस राजनीतिक दल को दिया गया अंशदान अथवा राजनीतिक प्रयोजनों के लिए दी गई धन राशि माना जाये, यह मामले के तथ्यों पर निर्भर करता है। यह तथ्य क्या है? श्री पालकीवाला के विचार से पहली बात यह है कि अभिप्राय विज्ञापन देने का है क्योंकि उन्होंने कहा है कि आवश्यक बात यह है कि क्या विज्ञापनों के माध्यम से कुछ लाभ प्राप्त करने का है। उनके अनुसार यह मुख्यतः दान देने के अभिप्राय से है। किन्तु मैं अनेक ऐसे उदाहरण दे सकता हूं जिनमें सीमा-शुल्क अथवा उत्पादन शुल्क में कमी किये जाने के उद्देश्य से अंशदान किया गया है, जैसा कि डा० सैयद ने कहा है कि न्यायाधीश शाह और श्री पालकीवाला ने एक से मत प्रकट किये हैं, यह सही नहीं है।

श्री वसन्त साठे (अकोला) : तो आपका तात्पर्य यह है कि न्यायाधीश शाह पक्षपातपूर्ण व्यक्ति हैं।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : माननीय सदस्य ने टिप्पणी की है उस पर मुझे आपत्ति है न्यायाधीश शाह जांच कर रहे हैं और उनके चरित्र के बारे में आलोचना नहीं की जानी चाहिए। माननीय सदस्य को अपने शब्द वापस लेने के लिए कहा जाना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : श्री साठे अभी सभा में आये हैं उन्हें यह मालूम नहीं है कि आप किस बारे में कह रहे हैं।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : डा० सैयद को इस बात की स्वतंत्रता थी कि वह इस अवसर पर मंत्री महोदय से स्थिति को स्पष्ट करने के लिए कहते। किन्तु इस सन्दर्भ में प्रत्येक को इस बात की याद रखना है कि सारा मामला सरकार के विचाराधीन है और यह आशा नहीं की जा सकती है कि सरकार इस विधेयक में किसी उपबन्ध की व्यवस्था करे। मैं केवल यही आशा करता हूं कि डा० सैयद को इस प्रकार अपने विचार व्यक्त नहीं करने चाहिये थे।

मैं इस विधेयक के उपबन्धों का सामान्यतया समर्थन करता हूं। जहां तक खण्ड 3 का सम्बन्ध है मैं इसमें निहित सिद्धांत का समर्थन करता हूं। मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इस वाद-विवाद में जो सुझाव दिये गये हैं उन पर गम्भीरता से विचार करें। धारा 58 क के खण्ड 7 में कुछ अतिबंधन किया गया है। वर्तमान उप-खण्ड 7 में धारा 58 से किसी बैंकिंग कंपनी को छूट दी गई है। उप-खण्ड 7 के अनुसार केन्द्रीय सरकार कुछ किस्म की कम्पनियों को छूट दे सकती है जबकि नये उप-खण्ड 8 में यही बात है। अतः इस प्रकार के अतिलंघन को समाप्त किया जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि जैसा कि श्री वेंकटरामन ने उचित ही कहा है कि मूल धारा 58 क के दो उद्देश्य हैं अर्थात् जन साधारण को विभिन्न कम्पनियों को ऊंची ब्याज की दरों के कारण कठिनाई से बचाने के लिए संरक्षण देना और बचत को अधिक लाभप्रद राष्ट्रीय हित में निवेश करना, जिससे अधिकारों को कम किया जाना है और प्रतिबन्ध लगाये जाते हैं तो बैंकों में जमा धन राशियां बढ़ सकती है जिससे सरकार को अपनी आर्थिक नीति को क्रियान्वित करने में सहायता मिलेगी।

मैं सरकार के कम्पनियों को कुछ मामलों में राहत देने के प्रस्तावों का पूरा समर्थन करता हूं। कुछ ऐसे यथार्थ मामले हो सकते हैं जिनमें कम्पनी ऐसी स्थिति में न हो कि वह जमा राशि को वापस कर सके। अतः उस स्थिति में समय-सीमा बढ़ाकर उसे राहत दी जा सकती है किन्तु नये उपबन्ध में कठिनाई के कारणों का निर्दिष्ट किया जाना चाहिए। वर्तमान कानून में कठिनाई अथवा अन्य कारणो से राहत देने की व्यवस्था है। किन्तु यह व्यवस्था बहुत ही सामान्य है जब कि उद्देश्यों और कारणों के विवरण में विशिष्ट मामले दिये गये हैं। दंगों और हड़तालों की स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सरकारी अधिकारियों के हाथ में व्यापक स्वविवेक की शक्ति नहीं दी जानी चाहिए। सरकार की यह नीति है कि अनावश्यक विनियम न बनाये जायें। कुछ विनियम आवश्यक हो सकते हैं जैसे कुछ मामलों में छूट देने की आवश्यकता है, किन्तु इस सम्बन्ध में शब्दावली अथवा भाषा ऐसी होनी चाहिए जिससे केन्द्रीय सरकार को अपने विवेक के प्रयोग की असीमित शक्ति दी गई हो। आकस्मिकता के लिए सीधे व्यवस्था की जानी चाहिए।

अन्त में प्रस्तावित खण्ड 8 से सरकार को जो शक्ति प्रदान की जाये वह कम्पनियों के किसी विशेष वर्ग के लिए होनी चाहिए न कि किसी कम्पनी विशेष के लिए होनी चाहिए क्योंकि इससे फिर सरकार के विवेक की व्यापक अधिकार मिल जायेंगे। यदि किसी कम्पनी विशेष को ऐसी राहत देने की बात हो तो रिजर्व बैंक की पूर्व स्वीकृति ली जानी चाहिए। अतः नये उप-खण्ड 8(क) की व्यवस्था के बारे में ध्यानपूर्वक विचार किया जाना चाहिए ताकि कम्पनियों के वित्त का अपव्यय न हो और पूंजी दूसरी ओर न लगाई जा सके यद्यपि सरकार का यह अभिप्राय नहीं है।

जहां तक बचत-पत्र से सम्बन्धित खण्ड है इस बारे में सही कानून बनाया गया है। किन्तु यह व्यवस्था कम्पनी अथवा शेयर धारियों के हित में नहीं है। अतः अब जो यह प्रस्ताव है कि सामान्य बैठक न होने पर भी तुलन पत्र पेश किया जाना चाहिए और श्री वेंकटरामन

[श्री नरेन्द्र पी० नथवाणी]

के इस सुझाव पर विचार किया जाना चाहिए कि क्या तुलन पत्र और लाभ हानि के लेखे की एक-एक प्रति शेयर धारियों को नहीं दी जानी चाहिए।

दान से सम्बन्धित खण्ड 6 की आलोचना की गई है। मैं श्री वेंकटरामन के मत का इस बारे में विरोध करता हूं। गत वित्त विधेयक में इस बारे में आलोचना नहीं की गई। यह सही है कि दान-स्वरूप दी गई राशि का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाना चाहिए किन्तु यह प्रशासन का पहलू है अन्यथा किसी ने भी यह आपत्ति नहीं उठाई है कि दान अच्छी बात नहीं है। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री जगन्नाथ राव (बरहामपुर) : मैं यह तर्क नहीं दूंगा कि केवल एक समेकित संशोधन विधेयक लाया जाना चाहिए। कभी-कभी ऐसी भी स्थिति होती है कि आंशिक विधान की आवश्यकता होती है। किन्तु इस आंशिक विधान की तत्काल आवश्यकता मुझे अच्छी नहीं लगी। कम्पनी कानून एक विनियामक उपाय है जिसके माध्यम से कम्पनियों के कार्यकरण पर सरकार नियंत्रण रखती है। 1971 में पेश किये गये विधेयक की प्रवर समिति का मैं सदस्य था। हमने सारे देश में भ्रमण किया और साक्ष्य एकत्रित किया और अन्ततः अधिनियम संख्या 41 के रुप में 1974 में विधयक पारित हुआ। धारा 58 क फरवरी, 1975 से प्रभावी हुई। इसका अभिप्राय उन जमाकर्ताओं को बचाना था जो ऊंची ब्याज की दर से आकर्षित होते है और बाद में दुख उठाते हैं। वास्तव में भारतीय सिविल सेवा के एक अधिकारी ने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी और सारी रकम खो दी अतः इसका अभिप्राय जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना है। मुझे इसका कारण मालूम नहीं होता कि $2\frac{1}{2}$ वर्ष के अन्दर ही सरकार को किसी कम्पनी अथवा कम्पनियों के किसी वर्ग की धारा 58 क से छूट देने की शक्ति दी जाये। यह नहीं जान पड़ता है कि क्यों सरकार अतिरिक्त शक्तियां लेना चाहती है। अच्छा यह होगा कि सरकार धारा 58—क के परिचालन के लिए कुछ सिद्धान्त निर्धारित करे अथवा रिजर्व बैंक यह निर्धारित करे कि कोई भी कम्पनी राष्ट्रीयकृत बैंकों से अधिक ब्याज की दर नहीं दे सकेगी। इससे जमा राशियों पर कुछ रोक लगेगी और इससे गड़बड़ी भी नहीं हो सकेगी।

संसद द्वारा किसी विधेयक पर स्वीकृति दिये जाने के बारे में कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत होने चाहिएं ताकि हम उन पर गम्भीरता से सोचें। इस विधेयक में सरकार को कम्पनियों को छूट देने की खुली छूट दी गई है। अतः विधि मंत्री को कुछ मार्गदर्शी सिध्दांतों के बारे में कहना चाहिए यद्यपि वह इसमें न दिये गये हों।

जहां तक खण्ड 5 का अधिनियम की धारा 220 से सम्बन्ध है, यह भी पहले खण्ड की तरह कम्पनी के ही पक्ष में है। यदि कम्पनी तुलन-पत्र तथा लाभ-हानि के लेखे की स्वीकृति के लिए सामान्य बैठक नहीं कर सकती है तो उससे कम्पनी के सदस्यों को इन दस्तावेजों की प्रतियां बैठक के 21 दिन पहले देने से वंचित क्यों किया जाना चाहिए। अब 30 दिन का समय दिया गया है जिसके अन्तगत रजिस्ट्रार के पास तीन प्रतियां पेश की जानी है। इसका अर्थ यह हुआ कि अब सदस्यों तथा अंशधारियों को दस्तावेजों की

जांच करने के लिए रजिस्ट्रार के पास जाना होगा। उन्हें इन प्रतियों को पाने के अधिकार से क्यों वंचित किया गया है। यदि कम्पनी की बैठक नहीं होती है तो इन लोगों का अधिकार समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। अच्छा होता कि धारा 219 का संशोधन किया जाता और इनको यह अधिकार दिया जाता।

खण्ड 5 का, जिसका सम्बन्ध 293 (50) अर्थात् 'दान प्रयोजनों' से है, अर्थ अस्पष्ट है। वर्तमान अधिनियम में 25,000 रु० अथवा शुद्ध लाभ के 5 प्रतिशत तक दान प्रयोजनों के लिए देने की व्यवस्था है। अब यह 50,000 रु० तक बढ़ाई गई है। इसका कारण रुपये का मूल्य गिरना बताया गया है। यदी यही कारण है तो सबको इसका लाभ मिलना चाहिएं। वेतन में भी दो, तीन गुना वृद्धि होनी चाहिए। प्रत्येक बड़ी कम्पनी के पास दान-न्यास होता है जिसे उन नामों को अन्तरित किया जाता है जिसका वे अपने लिए प्रयोग करते हैं। मैं इस सीमा के विस्तार के पक्ष में नहीं हूं। यदि इस व्यवस्था के साथ-साथ यह व्यवस्था होती कि प्रत्येक उद्योग आस-पास के तीन या चार गांवों को अपनाते और उनका आर्थिक दृष्टि से विकास करते, तो अच्छा होता। मुझे कुछ कम्पनियों का अनुभव है कि वे किस प्रकार इस दान का उपयोग करती हैं।

जहां तक मेरा विचार है मैं नहीं समझता कि क्यों राजनीतिक दलों को दान नहीं दिया जाना चाहिए, यदि सरकार समझती है कि इसमें कोई आपत्ति नहीं है तो उसे संशोधन लाना चाहिए।

Dr. Ramji Singh (Bhagalpur): I do not want to add anything further to what has been stated in regard to the Bill. I have given notice of two amendments and I would say something in regard thereto. The first amendment relates to Section 3. The Government should not be given so much powers because power corrupts man and absolute power corrupts absolutely. Therefore, the powers must be curtailed. I think there should not be so many powers for exemption in the hands of the officers of the Government. Better we should have some statutory or semi-statutory provision for that. The Government should not assume so many powers in the name of hardship because it leads to corruption.

My next amendment relates to section 6 in which amendment of section 293 of the original Act is proposed to be amended. In fact, the political parties including the students' or workers' organisation should not be given donations. This will breed corruption. It would be better if these companies give donations for relief work in the areas affected by natural calamities. I hope Law Minister would accept my amendments.

श्री सी० एन० विश्वनाथन (तिरूपत्तूर): मैं कम्पनी (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। यद्यपि संशोधन थोड़े हैं फिर भी हमें उनकी भावना की सराहना करनी चाहिए।

धारा 58 क के उप-खण्ड (7) के अधीन केन्द्रीय सरकार को इस धारा के उपबन्धों से भारतीय रिजर्व बैंक की सलाह से छूट दिलाने की शक्ति प्रदान की गई है। हो सकता है कि सभी कम्पनियां ऐसी स्थिति में न हो कि वे अपने जमाकर्ताओं को उनका पैसा वापस न कर सके किन्तु अंशधारियों को इससे अदायगी किये जाने से वंचित किया गया है।

[श्री सी० एन० विश्वनाथन]

[श्री एन० के० शेजवलकर पीठासीन हुए
SHRI N. K. SHEJWALKAR *in the chair*]

किसी भी बात में कुछ दोष तो होते ही हैं किन्तु हमें यह देखना है कि संशोधनों के पिछे भावना क्या है तथा किस प्रकार इनसे कम्पनियों की सहायता होती है। बहुत सी कम्पनियां रुग्ण हैं और बहुत सी कम्पनियां अंशधारियों को अदायगी न किये जाने के कारण बन्द हो गई हैं जिससे हड़तालें और हिंसात्मक कार्यवाहियां हुई है। हमें इस बात का विश्लेषण करना है कि क्यों कम्पनियां सुचारू रूप से कार्य नहीं कर रही है और उनके रुग्ण होने तथा बन्द होने का क्या कारण है। हमें केवल विरोध के लिए इनका विरोध नहीं करना चाहिए।

इसमें कुछ अच्छी व्यवस्थाएं भी है। धारा 222 में यह निर्धारित किया गया है कि वार्षिक सामान्य बैठक न होने पर भी किसी कम्पनी को तुलन-पत्र देना है। कुछ सदस्यों ने कहा है कि अंश-धारियों को उनके अधिकारों से वंचित किया गया है। किन्तु ऐसा नहीं है। 21 दिन के अन्तर्गत उन्हें तुलन-पत्र मिल जाएगा। अंशधारियों को 30 दिन के अंतर्गत रजिस्ट्रार के कार्यालय में कम्पनी के तमाम दस्तावेजों, वार्षिक प्रतिवेदनों आदि का निरीक्षण करने का अधिकार दिया गया है। अत: अंशधारियों को अधिक शक्तियां दी गई है।

कम्पनियों द्वारा दी जाने वाली दान की राशि में वृद्धि किये जाने का स्वागत है। किन्तु यह नहीं कहा गया है कि दान का प्रयोजन क्या होगा तथा किन परिस्थितियों में 50 हजार रुपयों तक की राशि दान में दी जा सकेगी। मूल अधिनियम 1954 में बना था अत: रुपये के अवमूल्यन के कारण 25,000 रुपये से दान की राशि को 50,000 रुपये करने उचित ही है।

मैं श्री कंवरलाल गुप्त के इस तर्क से सहमत हूं की यह राजनीतिक दलों पर भी लागू होना चाहिए, राजनीतिक दलों को चुनाव के लिए रुपया चाहियें। राजनीतिक दलों के खातों में काला धन नहीं होना चाहिए। इस व्यवस्था से राजनीतिक दल स्वतंत्र रूप से धन एकत्र कर सकते हैं। अत: मैं इस व्यवस्था का समर्थन करता हूं। मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूं।

श्री वयालार रवि (चिरयिंकील) : सभापति महोदय, मेरे सहयोगियों ने बहुत सी बातों की विस्तार से चर्चा की है और मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय इन पर विचार करें। इस संशोधन पर भी ध्यान-पूर्वक विचार किया जाना है क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। धारा 58 क में संशोधन का सम्बन्ध उन गरीब लोगों से है जिन्होंने रुपया जमा किया है।

मैं मंत्री महोदय के इस कदम का स्वागत करता हूं जो उन्होंने कम्पनी अधिनियम में संशोधन के बारे में उच्च शक्ति प्राप्त समिति नियुक्त करने के लिए उठाया है। किन्तु मुझे सन्देह है कि क्या इसमें भी वैसा ही दृष्टिकोण अपनाया जायेगा जसा इस संशोधन में अपनाया गया है। सन्देह का कारण यह है कि कम्पनी कानून में काफी कमियां है। अत: चूंकि मंत्री महोदय को जिन्हें इन कमियों का अनुभव एवं जानकारी है, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे कमियां दूर हों। जब तक उस समिति की रिपोर्ट आती है वे इस पर इस दृष्टिकोण से विचार करें।

बैंकों में जमा राशि 17,000 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। 1,000 करोड़ रु० दूसरे माध्यम से जमा हुए हैं। यही कारण है, श्री बरुआ ने कहा है कि एक समानान्तर बैंकिंग प्रणाली देश में उत्पन्न

हो गई है। हमने इसे प्रोत्साहित किया किन्तु इस पर कोई रोक नहीं लगाई है। यहां तक कि बैंकों में जमा करने वालों के हितों की रक्षा करने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की है और यह रुपया कम्पनियों और निदेशकों के एक निश्चित समूह के पास गया है।

अब प्रश्न यह है कि धारा 58 क का क्या प्रभाव होगा, उदाहरणतः नेशनल रेयान निगम के सार्वजनिक ऋणों की राशि अब 52 करोड़ रुपये हो गई है। आज स्थगन प्रस्ताव के रूप में इस पर बातें हुई। यह इस कारण हुआ है कि राष्ट्रीयकृत बैंकों के विरूद्ध 24 करोड़ रुपये तक की धोखाधड़ी की गई है। यह कम्पनी अब अपने इक्विटी शेयरों को मोदी ग्रुप कम्पनियों को अन्तरित कर रही है। इससे उन लोगों के साथ धोखा होगा जिन्होंने 52 करोड़ रुपये की रकम बैंकों में जमा की है। इस संशोधन से इस कम्पनी की सहायता होगी। क्योंकि इस संशोधन से छूट देने में सहायता मिलेगी।

कम्पनी अधिनियम की धारा 372 बहुत स्पष्ट है। इस धारा के अधीन जांच कम्पनी के लिए सरकार को सलाह लेना आवश्यक है। अतः मोदी ग्रुप कम्पनियों को सरकार की अनुमति लेना जरूरी है और अनुमति देने से पहले सरकार को सारे मामले की जांच करनी चाहिए। सरकार को मोदी ग्रुप कम्पनियों और नेशनल रेयान कारपोरेशन के कार्यकरण की जांच करनी है। नेशनल रेयान कारपोरेशन के निदेशक आपातस्थिति के दौरान अध्यक्ष के निर्णयों का समर्थन करते रहे है। इन्हीं निदेशकों ने इक्विटी शेयरों के अन्तरण की सलाह दी है। उन्होंने आपात स्थिति से पहले बनाये गये नियमों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का उल्लंघन किया है। उन्होंने जनता को धोखा दिया है। सरकार को यह सुनिश्चित करना है कि 52 करोड़ रुपये की जनता की धन राशि का इक्विटी शेयरों के अन्तरण से अपव्यय न हो।

प्रधान मंत्री और मंत्री महोदय के प्रति मेरी बड़ी श्रद्धा है। किन्तु उन्हें भारतीय सिविल सेवा के इस प्रकार के गुटों से सतर्क रहना चाहिए। मैं चाहता हूं कि प्रधान मंत्री अपने सचिव से सतर्क रहें ताकि उनका नाम बदनाम न हो जाये।

मूल अधिनियम की धारा 58 क के अन्तर्गत कम्पनी के दोषी अधिकारी को कैद अथवा जुर्माना की सजा हो सकती है। मैं सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या इस धारा में संशोधन करने का अभिप्राय सरकार के मित्र, समाचार पत्रों के एक मालिक को, जिसने 10 करोड़ की जमा राशि ली है बचाने का तो नहीं है।

वर्तमान धारा 219 के अन्तर्गत अंशधारी को जमा-पत्र की एक प्रति पाने का हक है। रजिस्ट्रार के पास जमा-पत्र पेश करना ही काफी नहीं है। संशोधन के प्रति हमारा बड़ा कड़ा दृष्टिकोण है और मुझे आशा है कि मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे। कम्पनी को केवल कुछ और प्रतियां ही बनाती हैं और उन्हें अंशधारियों में बांटना है।

जहां तक कम्पनियों को छूट देने का सम्बन्ध है मैं नहीं समझता कि मंत्री महोदय कैसे कहते हैं कि उनकी हालत खराब है। आपातकालीन स्थिति के दौरान उन्होंने गरीबों का शोषण किया है। अतः यह संशोधन हमें मान्य नहीं है क्योंकि छूट की व्यवस्था से सरकारी अधिकारियों के हाथ में शक्ति आ जायगी और इससे भ्रष्टाचार पनप सकता है।

जहां तक राजनीतिक दलों को दान देने का सम्बन्ध है कांग्रेस दल को जो दान मिला है वह काला धन नहीं था। मैं जानना चाहता हूं कि आपके दल की इस बारे में क्या स्थिति है क्या आपने आय-व्यय

[श्री व यालार रवि]

का विवरण दिया है। इसका उत्तर यह है कि आप काले धन पर निर्भर हैं। यदि आप गरीब लोगों के शोषण को रोकने का प्रयास करेंगे तो हमारा पूरा सहयोग आपके साथ होगा। मुझे आशा है कि मंत्री महोदय हमारे कुछ संशोधनों को, जिन्हें हम बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, स्वीकार करेंगे।

विधि, न्याय और कम्पनी-कार्य मंत्री (श्री शान्ति भूषण): डा० सय्यद मुहम्मद ने इस विधेयक के सभी उपबन्धों की आलोचना नहीं की और यही कहा कि जब सरकार ने इस सिलसिले में समिति नियुक्त कर दी है तो फिर विधेयक लाने की क्या आवश्यकता थी। श्री वेदव्रत बरूआ ने, जो कम्पनी अधिनियम और एकाधिकारी तथा निर्बन्धकारी व्यापार प्रथा अधिनियम का पुनरीक्षण करने वाली समिति के सदस्य भी है, कहा था कि इस आंशिक विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी तथा अगले वर्ष तक इन्तजार किया जा सकता था। मैं माननीय सदस्य के इस दृष्टिकोण की सराहना करता हूं। मैं जानता हूं कि वह उसी दल के सदस्य है जिनका यह विश्वास था कि वह लोगों की सभी समस्याओं को एक साथ हल कर देगी। इस का क्या परिणाम निकला हम सब जानते है। मैं समझता हूं कि यदि हम कुछ कर ले तो वह ही अच्छा है। अतः मुझे इसमें कोई गलत बात दिखाई नहीं देती यदि हम आंशिक विधान स्वीकार कर लेते हैं।

जहां तक धारा 58 क का सम्बन्ध है श्री जेम्स राज की अध्यक्षता में एक अध्ययन दल बनाया गया था तथा उसने जो सिफारिशें की हैं उनसे इस समस्या का समाधान हो गया है और ऐसा किया जा रहा है।

कुछ सदस्यों ने बड़े जोरदार शब्दों में कहा था कि इस विधान द्वारा बड़ी कम्पनियों को जमाकर्ताओं के धन का दुरुपयोग करने में मदद मिलेगी। उन्होंने ऐसी तस्वीर खींचने का प्रयास किया जैसा कि यह विधेयक धोखेबाज कम्पनियों को येनकेन प्रकारेन बचाने के लिए लाया गया हो। किन्तु मैं उन से पूछना चाहता हूं कि वह उद्देश्य पूरा हो गया है जिस उद्देश्य से धारा 58 क का 1974 में संशोधन किया गया था। उपबन्ध यह किया गया था कि जमाकर्ताओं को सभी जमाराशि 1 अप्रैल 1975 तक लौटा दी जाएगी। यह कानून 1 अप्रैल 1973 से लगभग ढाई वर्ष तक लागू रहा। यदि धारा 58 क की स्पष्ट व्याख्या की गई थी तथा यदि इसमें संशोधन करने से अब वह वांछित उद्देश्य पूरा नहीं होगा जिसके लिए इसे बनाया गया था, तो मैं पूछता हूं कि क्या इससे वह उद्देश्य पूरा हो चुका जिसके लिए यह कानून बनाया गया था। स्पष्ट ही है कि वह उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है।

एक माननीय सदस्य ने यह भी पूछा था कि धारा 58 क की अवहेलना करने के लिए कितने व्यक्तियों पर मुकदमें चलाए गये है। इस बारे में मैंने जानकारी एकत्रित कर ली हैं। इस अवधि के दौरान 35 कम्पनियों पर मुकदमें चलाए गए थे। इन में से 33 मुकदमें अभी अनिर्णित पड़े हैं। दो कम्पनियों के खिलाफ मुकदमें खत्म हुए। एक मामले में निदेशक भी अपराधी थे किन्तु न्यायालय ने उन्हें निर्दोष ठहराया किन्तु कम्पनी को 400 रुपये जुर्माना किया गया। दूसरे मामले में यह महसूस किया गया कि यह ऐसा उपबन्ध है जिसका किसी ने पालन नहीं किया है। ऐसी बहुत सी कम्पनियां हैं जो कानून का पालन नहीं कर सकती हैं। ऐसी हालत में कानून कृत्रिम बन जाता है। यह कानून भी कई दृष्टियों से कृत्रिम पाया गया है। दूसरी ओर यदि ऐसा उपबन्ध किया जाए कि अमुक निवारक से अमुक व्यक्ति उस ढंग से काम करेगा जैसे समाज चाहता है तो कानूनी कार्यवाही उस

व्यक्ति के विरुद्ध ही की जानी चाहिए जो ऐसा काम नहीं करता है जैसा समाज उसे करने के लिए कहता है। इस उद्देश्य को लेते हुए ही यह विधेयक लाया गया है।

कुछ सदस्यों ने स्वविवेक की शक्ति की भी आलोचना की है। स्वविवेक की शक्ति क्यों रखी गई है यह बाते विधेयक में साफ कर दी गई है। स्वविवक की शक्ति को रखने का अपना उद्देश्य है। इसका उद्देश्य दो किस्म के मामलों के बीच भेद करना है। 1974 में धारा 58क के रूप में जो कानून लागू किया गया था उसका कुछ और उद्देश्य था। उसका पहला उद्देश्य गरीब जमाकर्त्ताओं को एक प्रकार की सुरक्षा प्रदान करना था। क्योंकि जमाकर्त्ता ऊंची दर के ब्याज के लालच में आ जाते थे इसलिए कम्पनी द्वारा दिए जाने वाली ब्याज की दर को सीमित करने का इसका उद्देश्य था। दूसरा उद्देश्य कम्पनियों द्वारा अधिकतम धनराशि जमा किए जाने की सीमा निर्धारित करना था। ये बहुत अच्छे उद्देश्य थे। यह स्वाभाविक ही है कि उस समय यह न देखा गया हो कि वास्तव में इसे लागू करने पर क्या परिणाम होंगे। अब दो वर्षों के आधार पर यह देखा गया है कि इस कानून में दण्ड देने का कठोर उपबन्ध होते हुए भी यह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हुआ है। यह कानून कम्पनी को सारी जमाराशि लौटाने के लिए बाध्य करने में सफल नहीं हुआ है। अतः हम ने इस पर विचार किया है और इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि इस कानून में विभिन्न कठिनाइयों को ध्यान में नहीं रखा गया है। अतः सरकार का यह कर्त्तव्य होगा कि वह प्रत्येक कम्पनी या एक किस्म की प्रत्येक कम्पनी की परिस्थितियों को ध्यान में रखे। अतः जब कभी कोई कम्पनी यह कहेगी कि उसके विरुद्ध कोई दण्डनीय कार्यवाही न की जाए तो उसे सरकार को अपनी कठिनाई बतानी होगी। सरकार को स्वविवेक की जो शक्ति दी जा रही है वह निरंकुश नहीं है। सरकार को सुसंगत तथ्यों पर विचार करके इस निष्कर्ष पर पहुंचना होगा कि क्या यह मामला उचित है या नहीं। यह देखने के लिए कि इस शक्ति का सरकार दुरुपयोग न कर सके कई तरीके अपनाय गए हैं। यदि सरकार इस शक्ति का प्रयोग उस प्रयोजन से भिन्न प्रयोजन के लिए करती है जिसके लिए यह शक्ति दी गई है, तो इसकी न्यायालय में चुनौती दी जा सकेगी।

माननीय सैयद मोहम्मद ने धारा 293क का उल्लेख किया था। इस धारा का उद्देश्य किसी राजनीतिक दल या किसी व्यक्ति को राजनैतिक प्रयोजनों के लिए चन्दा देने पर रोक लगाना है। परन्तु इस उपबन्ध द्वारा कम्पनी का किसी राजनीतिक दल के साथ सम्पर्क रखने पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया गया है। उदाहरण के लिए मान लो यदि कोई राजनीतिक दल किसी चीज का निर्माण करती है जैसे पेपर वेट का। केवल इससे कि कम्पनी ने ऐसे पेपर वेट उस राजनीतिक दल से खरीदे हैं धारा 293 का उल्लंघन नहीं होता है। यह कहना गलत होगा कि कम्पनी ने राजनीतिक दल को चन्दा दिया है। लेकिन मान लो कि पेपर वेट की कीमत 5 रुपये है तथा कम्पनी 5 रुपये के हिसाब से पेपर वेट खरीदती है और वाउचर भी काटती है तो इससे धारा 293 क का उल्लंघन नहीं होगा परन्तु यदि वह 5 रुपये की बजाए 5 लाख रूपये दे दे तो इससे यही समझा जाएगा कि वह उसे चन्दा दे रही है। अतः हर मामले का अपना आधार होना चाहिए। जब तक सही तथ्यों की जांच नहीं कर ली जाती तब तक यह कहना संभव नहीं है कि कोई विशेष कम्पनी अथवा किसी कम्पनी का निदेशक धारा 293क का उल्लंघन करने का दोषी है अथवा नहीं।

माननीय सदस्य ने बार बार इस बात को भी दोहराया था कि संविधान के ब्यालीसवें संशोधन को रद्द करने तथा चुनाव में सुधार करने और दल बदलने को रोकने वाले विधेयक, जिनके बारे में सरकार

[श्री शान्ति भूषण]

वचन दे चुकी है, अभी तक क्यों नहीं लाए गए हैं। इस बारे में मेरा तो यह कहना है कि उनका इस कम्पनी विधेयक के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। तथापि मैं यह कह देना चाहता हूं कि सरकार इन पर विचार कर रही है और यथा सम्भव शीघ्र इन्हें लाएगी। चूंकि इन विधेयकों के बारे में सरकार को कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और उनपर विभिन्न स्तरों पर विचार हो रहा है इसलिए ये नहीं लाए जा सके है।

जहां तक विधेयक के खण्ड 3 का सम्बन्ध है एक माननीय सदस्य ने यह आशंका व्यक्त की थी कि कई बार इस उपबन्ध से वे लोग भी लाभ उठा सकेगे जिनके मामले न्यायोचित नहीं होंगे। इस सम्बन्ध में तो मैं यह ही कहना चाहूंगा कि इसके लिए मापदण्ड निर्धारित कर दिया गया है तथा यह सुनिश्चित करने के लिए न्यायालय है कि क्या शक्ति का उपयोग उचित कारणों के लिए किया जा रहा है अथवा नहीं। अतः मैं तो समझता हूँ कि इस बारे में कोई सन्देह नहीं होना चाहिए।

श्री वेंकटरमन ने कहा था कि इस उपबन्ध को 1 अप्रैल 1978 तक सीमित किया जाना चाहिए। ऐसी स्थिति में तो इसकी वही दशा होगी जो मूल उपबन्ध की हुई थी। यदि इस बात को ध्यान में न रख कर कि किसी कम्पनी की क्या स्थिति है कोई भी मनमाने ढंग से तारीख निश्चित कर दी जाएगी चाहे वह 1975 हो या 1978 तो इससे कोई अन्तर नहीं पड़ेगा। इसीलिए तो आंशिक या कोई विशेष अवधि निर्धारित करने का प्रस्ताव है ताकि कम्पनियों को किसी विशेष मामले के तथ्यों के आधार पर कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सके।

धारा 220 के बारे में प्रस्तावित संशोधन का सभा के सभी वर्गों ने स्वागत किया है। इसके साथ ही साथ यह भी पूछा गया था कि इस उपबन्ध के अनुसार तुलनपत्र तथा लाभ व हानि का लेखा केवल रजिस्ट्रार को ही, भेजने की क्यों व्यवस्था की गई है। उनका कहना था कि इसकी एक प्रति अंशधारियों को भी जानी चाहिए। जब किसी कम्पनी को तुलनपत्र तथा लाभ हानि का लेखा रजिस्ट्रार के पास भेजने के लिए कहा जाएगा तो शेयरधारियों को भी उसे देखने से वंचित नहीं किया जाएगा। कोई भी शेयरधारी रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसकी जांच पड़ताल कर सकता है। धारा 219 (2) में पहले ही ऐसा उपबन्ध है कि कोई भी सदस्य तुलनपत्र तथा लाभ हानि का लेखा देखने के लिए कह सकता है।

श्री आर० वेंकटरमन (मद्रास दक्षिण): क्या यह केवल धारा 219 पर ही लागू होगा अथवा 220 पर भी लागू होगा। उप-धारा (2) केवल धारा 219 पर ही लागू होती है जिसमें जब कम्पनी की सामान्य बैठक होती है तो धारा 219 के अधीन 21 दिन पहले तुलन पत्र तथा लाभ-हानि लेखे की एक प्रति सदस्यों को देनी होती है। किन्तु धारा 220 में ऐसी कोई बात नहीं है क्योंकि सामान्य बैठक नहीं होती है।

श्री शान्ति भूषण : मेरे विचार से धारा 219(2) के अन्तर्गत सामान्य वार्षिक बैठक बुलाने की कोई शर्त नहीं है। उप-धारा (1) में एक आवश्यकता पूरी की जानी है और उप-धारा (2) में अतिरिक्त अधिकार अर्थात् अन्तिम तुलनपत्र की बात है। यदि तुलन-पत्र तैयार किया गया है तो इसे पाने का अधिकार हो जाता है क्योंकि एक बार जब रजिस्ट्रार को यह पेश किया गया है तो यह उपलब्ध ही है। इसका निरीक्षण किया जा सकता है और कम्पनी को सदस्यों को नाराज करने से भी कोई लाभ नहीं है। मैं समझता हूं कि यह व्यवस्था पर्याप्त है।

कुछ सदस्यों ने धारा 29.3 के अन्तर्गत दान की राशि 25,000 रु० से बढ़ाकर 50,000 करने की आलोचना की है और कहा है कि इसकी क्या आवश्यकता है। सभी प्रकार के अपराध हैं किन्तु हमें ऐसे मामलों की जानकारी है कि जिनमें लोग सभी प्रकार के अपराध करते हैं और बच जाते हैं। समाज तो केवल उन्हें रोकने का ही प्रयास कर सकता है। अत: प्रश्न यह है कि क्या किसी कम्पनी को दान देने का अधिकार अथवा शक्ति दी जाये। धारा 293 (50) के दो उद्देश्य हैं। इसमें केवल दान प्रयोजन ही नहीं हैं किन्तु कर्मचारियों के कल्याण का भी उद्देश्य है। इन्ही प्रयोजनों के लिए इस राशि को 25,000 रु० से 50,000 रुपये तक बढ़ाने की प्रस्तावित व्यवस्था है। यदि इस के अन्तर्गत कुछ दान की व्यवस्था है अथवा कर्मचारियों के कल्याण का प्रयोजन है तो उससे क्या हानि है। मुझे तो यह आशा थी कि इस व्यवस्था का स्वागत है। किन्तु लोकतंत्र में विपक्ष को भी कुछ भूमिका निभानी है। एक बात कही गई है कि वे कम्पनियां जो वास्तव में कम्पनियां नहीं हैं अर्थात् लिमिटेड कम्पनियां नहीं हैं व भी विज्ञापन देती हैं और रुपया जमा करवाती हैं। इस आलोचना के पीछे जो भावना है वह मैं समझता हूं किन्तु कम्पनी अधिनियम केवल लिमिटेड कम्पनियों को विनियमित करने के लिए हैं।

श्री कंवर लाल गुप्त ने इस विधेयक का समर्थन किया है और मैं उनका आभारी हूं। उन्होंने पूरी छूट पर आपत्ति उठाई है। सम्भवत: उन्होंने सामान्य वार्षिक बैठक और रुपया जमा करना इन दो बातों को एक साथ मिलाया है। उन्होंने समझा कि 58 दिन का समय किसी कम्पनी को सामान्य वार्षिक बैठक 58 दिन के अन्तर्गत करने के बारे में है किन्तु यह किसी कम्पनी में रुपया जमा करने के लिए है।

उन्होंने कहा है कि कुछ कम्पनियां जानबूझकर कुप्रबन्ध करती हैं अपना सारा रुपया निकाल लेती हैं और फिर अपने आप को रुग्ण घोषित करती हैं। किन्तु धारा 408 के अधीन सरकार तब अपने निदेशक नियुक्त कर सकती है जब कुप्रबन्ध के बारे में सरकार को शिकायत प्राप्त होती है। मैं श्री रवि का आभारी हूं। उन्होने कहा कि उनके दल ने कुप्रबन्ध किया है और हमसे यह आशा की है जो गड़बड़ियां हुई है उन्हें दूर किया जाना चाहिए। हमें यह आशा है कि हम पिछली गलतियों को दूर कर सकेंगे।

डा० रामजी सिंह ने दान पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए एक संशोधन पेश किया है। सम्भवत: उन्होंने केवल धारा 293 को पढ़ा है और 293 क नहीं पढ़ी है जिसके अन्तर्गत प्रतिबन्ध की पहले ही व्यवस्था है। अत: उस संशोधन पर विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री वेदव्रत बरुआ ने कहा है कि धारा 58 क की उप-धारा (8) में संशोधन से बहुत अधिक विवेक शक्तियां मिल जायेंगी। किन्तु उपधारा (7) में जो विवेक शक्तियां प्रदान हैं उनसे अधिक प्रस्तावित शक्तियां नहीं हैं प्रस्तावित संशोधन का अभिप्राय किन्हीं विशेष कम्पनियों का पता करना है। यह उनके व्यवसाय और गठन पर निर्भर करता है। इसका प्रयोजन यह है कि यदि कोई कम्पनी धारा 58 क के अधीन शासित है फिर भी इसे किसी विशेष आवश्यकता से छूट देनेकी शक्ति होनी चाहिए। यह छूट आंशिक अथवा पूरी भी हो सकती है। अत: उपधारा (8) और (7) की व्यवस्थाओं में अन्तर है। यदि कोई कम्पनी 58 क से शासित नहीं होती है तो उपधारा (7) के अधीन आदेश दिया जा सकता है अन्यथा उप-धारा (8) के अन्तर्गत छूट दी जाती है श्री बरुआ ने आलोचना की है कि सरकार को यह शक्ति प्रदान करना असंवैधानिक है क्योंकि इससे उच्चतम न्यायालय के कृत्यों को अनधिकार अपनाना है किन्तु मैं नहीं समझता कि किस कानून अथवा कानूनी सिद्धांत के अधीन ऐसी बात हो सकती है।

श्री वयालर रवि (चिरयिंकील) : उनका कहना है कि सजा देना न्यायालय का काम है और सरकार उस अधिकार को ले रही है ।

श्री शान्ति भूषण : यह आपराधिक विधान का मामला है। कुछ ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें अपराध करने की भावना नहीं होती हैं किन्तु कठिनाइयों के कारण ऐसा होता है । जहां तक इस व्यवस्था का सम्बन्ध है उच्चतम न्यायालय के पास इन मामलों में पहचान करने की कोई शक्ति नहीं है । कतिपय कारणों से कुछ समय के लिए छूट देने की न्यायालयों के पास कोई शक्ति नहीं है ।

श्री नथवानी ने आलोचना की है कि उप-धारा 7 और 8 में अतिलंघन हुआ है किन्तु अभी मैंने जो कहा है उससे वे संतुष्ठ होंगे ।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी (जूनागढ) : विधेयक में "यदि यह आवश्यक समझती है" शब्दों का अर्थ सरकार का सन्तोष है । इसके स्थान पर "कठिनाई दूर करने के लिए" होना चाहिए ।

श्री शान्ति भूषण : जो यह भावना व्यक्त की गई है मैं उसको समझता हूं । इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति यदि हो सकती है तो वह यह है कि सरकार शक्ति का उपयोग या दुर्पयोग कर सकती है । अविश्वास को समाप्त किया जा सकता है क्योंकि न्यायालय हमेशा हस्तक्षेप कर सकता है ।

श्री जगन्नाथ राव ने जो बातें उठाई हैं उन सभी का मैं उत्तर दे चुका हूं । मैं श्री विश्वनाथन का आभारी हूं कि उन्होंने जो इस विधेयक का समर्थन किया है ।

श्री वयालार रवि ने जो आलोचना की है उसके सम्बन्ध में मुझे यह कहना है कि धारा 58क का उद्देश्य समाप्त नहो होता है यह केवल 58क को लागू करने का एक तरीका है । अतः उन्हें इस बारे में कोई आशंका नहीं होनी चाहिए । जैसा कि वे जानते हैं । उन्होंने इस पर खेद प्रकट किया है कि सरकारी निदेशक जो पहले ही नियुक्त किये जा चुके थे उन्हें हटा दिया गया है । और इसका कोई औचित्य नहीं था । उन्होंने जनता पार्टी पर काला धन लेने का आरोप लगाया है । मैं स्पष्ट शब्दों में यह कह सकता हूं कि इस आरोप का कोई आधार नहीं है । इन शब्दों के साथ मैं माननीय सदस्यों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और निवेदन करता हूं कि वे विधयक का समर्थन करें और उसे पास करें ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि कम्पनी अधिनियम, 1956 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

सभापति महोदय : अब हम विधेयक पर खण्डवार विचार करेंगे ।

खण्ड 2

सभापति महोदय : खण्ड 2 में संशोधन की कोई सूचना नही है । मैं इसे सभा के मतदान के लिए रखूंगा ।

प्रश्न यह कि :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 को विधेयक में जोड़ दिया गया ।
Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

श्री आर० वेंकटरमन : मैं अपना संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : (जूनागढ़) मैं अपने संशोधन के विशेष पहलू पर कहना चाहता हूं यद्यपि मैं जानता हूं कि इसके स्वीकृत नही होगी ।

मैं अपना संशोधन संख्या 10 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री आर० वेंकटरमन (मद्रास दक्षिण) : मैंने माननीय विधि मंत्री को ध्यान पूर्वक सुना किन्तु मुझे यह सुनकर एक धक्का लगा है कि कानून लागू किये जाने के योग्य नही है । यदि कानून को लागू नही किया जा सकता है तो बड़ी बूरी बात है बात यह है कि संसद चाहती हैं कि कम्पनियों द्वारा ली गई जमा राशियां विनियमित की जानी चाहिए । इसका प्रयोजन उन छोटे छोटे जमाकर्ताओं को संरक्षण देना है जिन्होंने अपना रुपया कम्पनियों में जमा किया है और वे कम्पनियों उसे वापस करने की स्थिति में नही हैं । सरकार के इस कथन में समझता कि वे उन्हें इस रुपये को वापस करने के लिए और समय देंगे किन्तु यदि सरकार धारा 58 क के सभी परन्तुकों से पूरी तरह से छूट देना चाहती है तो उसके बारे में कहा ही क्या जा सकता है । हो सकता है जमाकर्ता कुछ कम्पनियों से अपना रुपया वापस पा ही न सकें । मैं तो केवल यही कहना चाहता हूं कि इसके लिए कुछ समय सीमा होनी चाहिए ।

यह सच है कि कुछ कम्पनियों की कुछ समस्याएं है और उन्होंने रुपया उस समय दिया हो जब कोई विनियम नहीं था । इसमें कोइ आपत्ति नहीं है यदि सरकार समय बढ़ाती है किन्तु धारा 58 के परन्तुक को लागू करने के लिए कोई समय सीमा होनी चाहिए । जमाकर्ताओ को उनका रुपया वापस मिलना चाहिए । यदि सरकार को धारा 58 क के क्रियान्वयन से कम्पनियों को छुट देने की शक्ति प्राप्त होती है और यदि जमाकर्ताओं का रुपया वापस करने की कोई समय सीमा नहीं है तो बेचारे जमाकर्ताओं का क्या होगा ।उन्होंने सचसच में रुपया जमा किया है उन्हें अपना रुपया वापस पाने का हक है । इस प्रश्न का उत्तर कि कम्पनी के प्रति अथवा जमाकर्ता के प्रति सदभावना होनी चाहिए, मैं निर्णय के लिए सभा पर छोड़ता हूं ।

मुझे प्रसन्नता है कि वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित हैं । मैंने कई बार उन्हें लिखा है कि जमाकर्ताओं को उनका रुपया वापस नहीं मिला है । उन्होने भी मेरे पत्रों को कम्पनी कानून प्रशासन को अग्रसारित किया है । किन्तु हमें मालूम हुआ कि कम्पनी कानून प्रशासन को समय-सीमा बढ़ाने का अधिकार नहीं है उन्हें छूट देने का अधिकार है । मैं चाहता हूं कि धारा 58 क को लागू किया जाना चाहिए । जमाकर्ताओं का रुपया उन्हें वापस मिलना चाहिए और इसी कारण से मैंने यह संशोधन पेश किया है ।

श्री वयालार रवि : इस उपबन्ध से सरकार को स्वविवेकात्मक अधिकार मिलता है और सरकार पक्षपात कर सकती है । इसलिये मेरा अनुरोध है कि इस संबंध में एक समय सीमा निश्चित की जानी चाहिए । सरकारी निदेशक नियुक्त करने पर कम्पनियों से सरकारी नियंत्रण ढीला पड़ जाएगा क्योंकि कम्पनी अधिनियम के वही उपबन्ध लागू रहेंगे । मेरा अनुरोध है कि जमाकर्ताओं के हितो की रक्षार्थ मेरा संशोधन स्वीकार किया जाना चाहिए ।

श्री नरेन्द्र पी० नथवानी : विधेयक में प्रयुक्त कोई कठिनाई शब्दों का व्यापक अर्थ हो सकता है चाहे वह कठिनाई वास्तविक हो या अवास्तविक। इसलिए मेरा अनुरोध है कि कोई कठिनाई के स्थान पर वास्तविक या अनावश्यक कठिनाई शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं।

श्री शान्ति भूषण : जहां तक जमाकर्ताओं का प्रश्न है कम्पनी में इनके अधिकारों को पूर्णतः सुरक्षित रखा गया है। अपनी रकम की वसूली के लिए उन्हें सभी प्रकार के कानूनी साधन प्राप्त है। अवास्तविक कठिनाई को न्यायालय द्वारा स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके आधार पर कोई आदेश जारी नहीं किया जा सकेगा।

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 4, 5, 6 और 7 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 4, 5, 6 and 7 were put and nagatived

संशोधन संख्या 10 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।

Amendment No. 10 was, by leave, withdrawn.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 3 was added to the Bill.

खन्ड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 4 was added to the Bill.

खण्ड 5

सभापति महोदय द्वारा संशोधन संख्या 8 और 9 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

Amendment Nos. 8 and 9 were put and negatived.

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 5 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 5 was added to the Bill.

खण्ड 6

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 6 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया

Clause 6 was added to the Bill.

खण्ड 7

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 7 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 7 was added to the Bill.

खण्ड 8 और 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clauses 8 and 9 were added to the Bill.

खण्ड 1, विधेयक का नाम तथा अधिनियम सूत्र विधेयक में जोड़ दिए गए।

Clause 1, the Enacting formula and the Title were added to the Bill.

श्री शान्ति भूषण : मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पास किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पास किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

अनुदानों की अनुपूरक मांगे (सामान्य) 1977–78

SUPPLEMENTARY DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL) 1977-78

कृषि और सिंचाई मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के संबंध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गए:

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2	1	**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** :	राज्य सरकार की गैर-योजना सहायता के लिए अनुरोध के विपरित तूफान और बाढ़ राहत के लिए योजनागत सहायता देना।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं।
2	2	,,	तूफान और बाढ़ पीड़ितों के पुनर्वास के लिए पर्याप्त सहायता देने में असफलता।	,,
5	3	,,	भूमि कटाव को रोकने के लिए आवश्यक वन संरक्षण और विकास के लिए उचित उपाय करने में असफलता।	,,

1	2	3	4	5
7	4	**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**	भारतीय खाद्य निगम के कर्मचारियों की लम्बे अर्से से चली आ रही शिकायतें शीघ्र दूर करने की आवश्यकता	राशि में से 100 रुपये घटा दिये जाएं ।
2	7	**श्री पी० के० देव:**	गत सितम्बर में उड़ीसा में भयानक बाढ़ से उत्पन्न स्थिति	
2	8	,,	अपूर्ण पीपलनाला बांध, जिसमें बरसात का पानी इकट्ठा किया गया था, को लोगो द्वारा तोड़ा जाकर कालाहांडी जिले में बाढ़ें	,,
5	9	,,	उड़ीसा के राज्य वन विकास निगम का कार्यकरण तथा ठेकेदारों द्वारा कालाहांडी जिले में बड़े पैमाने पर जंगल कटना ।	,,

उद्योग मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
63	5	**श्रीमती पार्वती कृष्णन् :**	भारी उत्पादन शुल्क से छूट के बारे में इस्पात उत्पादों के लघु पैमाने के निर्माताओं की प्रार्थना को लगातार अस्वीकार करना ।	राशि में से 100 रुपय घटा दिये जाएं ।
63	6	,,	सामान्य उत्पादन शुल्क की ऊंची दर से राहत के लिए ऊनी वस्त्र निर्माताओं के अनुरोध को अस्वीकार करना।	

ऊर्जा मंत्रालय की अनुपूरक मांगों के सम्बन्ध में निम्नलिखित कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया :

मांग संख्या	कटौती प्रस्ताव संख्या	प्रस्तावक का नाम	कटौती का आधार	कटौती की राशि
32	10	**श्री पी०के० देव :**	इन्द्रावती परियोजना का निर्माण शीघ्र करने तथा देश की जल-विद्युत क्षमता का पुर्नमुल्यांकन करने की वांछनीयता ।	राशि में से 100 रुपये घटा दिए जाएं ।

श्री के० सूर्यनारायण (एलुरु) : हम सब जानते हैं कि गत मास 19 तारीख को देश को विशेषरूप से आन्ध्र प्रदेश को दैवी विपत्तियों का सामना करना पड़ा है। भारत सरकार ने 8 सदस्यों का एक अध्ययन दल वहाँ भेजा है और आशा है कि यह दल अपनी रिपोर्ट शीघ्र ही दे देगा। सरकार को चाहिए कि वह आन्ध्रप्रदेश की बड़े पैमाने पर सहायता करें। आन्ध्र प्रदेश सरकार के अनुमान के अनुसार राहतकार्यों पर लगभग 216 करोड़ रुपये की रकम की जरुरत होगी। पर इसके विरुद्ध भारत सरकार ने केवल 75.13 करोड़ रुपये की राशि दी है। जब तक सरकार यह 216 करोड़ रुपये की रकम की सहायता नहीं देती तब तक वहाँ स्थिति सुधार नहीं सकती।

[श्री एम० सत्यनारायणराव पीठासीन हुए
SHRI M. SATYANARAYAN RAO *in the chair*]

आन्ध्र प्रदेश में सबसे बुरी हालत किसानों की है। बड़े किसानों के पास पूंजी नहीं रही है। वे पहले ही काफी ऋण ले चुके हैं और अब कोई बैंक उन्हें ऋण देने को तैयार नहीं है। इन किसानों को तीन या चार वर्ष तक ऋण को वापस न करने की इजाजत दी जानी चाहिए। उन्हें ब्याज मुक्त ऋण दिया जाना चाहिए। अन्यथा भविष्य में अनाज के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। एक या दो एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को राज-सहायता दी जा सकती है। जिनके पास 5 एकड़ या उससे अधिक जमीन है उन्हें ब्याज-मुफ्त ऋण दिया जाना चाहिए। यही उनकी इस समय सबसे बड़ी जरुरत है। आन्ध्र सरकार के पास इन लोगों को उधार देने के लिए धन नहीं है। इसीलिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को एक ज्ञापन तथा अन्य विवरण भेजे हैं। केन्द्र सरकार को तुरन्त आन्ध्र प्रदेश के लोगों की सहायता करनी चाहिए।

नागार्जुन सागर पर काफी धन खर्च किया जा चुका है जो हमारी हैसियत से अधिक है। अब सरकार उसे अपने नियंत्रण में ले ले। गंगा-कावेरी परियोजना पर भी शीघ्र विचार किया जाना चाहिए। विश्व बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से वित्तीय सहायता ली जानी चाहिए।

मैं एक बार फिर वित्त मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह किसानों की हालत को ध्यान में रखें और प्रत्येक को 1000 से 1500 रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करें।

गुंटूर जिले में सभी व्यापारिक फसलें नष्ट हो चुकी हैं। जिन लोगों के पास 20 एकड़ या 100 एकड़ जमीन है, उनके पास भी खाद्यान्न नहीं है। हो सकता है कि कुछेक के पास खाद्यान्न हो परन्तु भविष्य में खाद्यान्न उत्पादन के लिए उनके पास क्षमता नहीं है। चावल मिलों के अलावा गाँवों में चीनी मिले हैं। हम उत्पाद शुल्क में कमी करके कारखानों को कुछ सहायता प्रदान कर रहे हैं। गन्ने की समूची फसल नष्ट हो गई है। सरकार को उनकी सहायता करनी चाहिए। मराथे समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। सरकार इसकी सिफारिशों पर ध्यान नहीं दे रही है। आप आर्थिक दृष्टि से संकटग्रस्त मिलों की ओर विशेष ध्यान दे रहे हैं। आन्ध्र प्रदेश के तूफान ग्रस्त 4 जिलों के कृषकों को भी एक संकटग्रस्त उद्योग के समान समझा जाना चाहिए।

अन्त में मैं चीनी उद्योग के बारे में कहना चाहता हूं। सरकार को सहकारी चीनी कारखानों की सहायता करनी चाहिए। उन्हें ब्याज-मुक्त ऋण दिया जाना चाहिए। संकटग्रस्त एककों की मदद की जानी चाहिए। इनके लिए बीमा की व्यवस्था होनी चाहिए।

Shri Jagdish Prasad Mathur (Sikar) : Mr. Chairman, Sir, I support these demands. Though the Government are fulfilling their all promises made to the people but we are not achieving success on the price front. Mustard oil has disappeared from the market. The Government fixed its price at Rs. 10 per Kilo. Now it is not available. The decision has been taken and is not being implemented properly. It has direct impact on Government policies.

Government spend crores of rupees unnecessarily. I would like to draw the problem of Rajasthan in this regard. There are about 50,000 refugees there. Government incur expenditure worth Rs. 3-4 crores on them every year. These refugees crossed over there during the war of 1971. Since then this huge amount of expenditure is being incurred. Government have not taken any decision in this respect so far. I would therefore suggest that Government should make arrangement for their permanent rehabilitation by incurring expenditure worth Rs. 10-20 crores at a time instead of incurring huge amount of expenditure every year.

श्री पी० के० देव (कालाहांडी) : मांग संख्या 2 बाढ़ों के बारे में है और केन्द्रीय सरकार आसाम और पश्चिम बंगाल को गेहूं देना चाहती है। इनमें मेरे राज्य उड़ीसा का उलेख नहीं है। परन्तु मुझे अच्छी तरह याद है कि एक केन्द्रीय उच्च शक्तिप्राप्त दल ने सितम्बर में मेरे राज्य के बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा किया था। अनुदानों की अनूपूरक मांगों में 25 करोड़ रुपए के अल्पकालिक ऋण की भी व्यवस्था की गयी है। जहां तक उड़ीसा में बाढ़ को स्थिति का संबध है, राज्य सरकार ने उड़ीसा में बाढ़ के बारे में 1977 में एक ज्ञापन तैयार कर केन्द्रीय सरकार को 18 करोड़ रुपए की सहायता के लिए भेजा था। यदि आप रिपोर्ट पढ़ेंगे तो उससे यह स्पष्ट होगा कि इस वर्ष कालाहांडी में प्रलयंकर बाढ़ आई है जिससे जनधन की महान क्षति हुई है। हजारों एकड़ फसल प्रभावित हुई है। मकान काफी संख्या में गिरे हैं। इस तरह की स्थिति तो 10 वर्ष पहले भी नहीं हुई थी। इसका कारण यह है कि विभिन्न नदियों के अपवाह क्षेत्रों में जंगलों की सफाई कर दी गयी है।

मांग संख्या 5 में वनों के बारे में एक अच्छा सुझाव दिया गया है। भारतीय वन प्रबन्ध संस्थान, भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के सहयोग से स्थापित किया जा रहा है। इसमें प्रशिक्षण प्राप्त करके लोग विभिन्न राज्यों में राज्य वन विकास निगमों को चलायेंगे। इस तरह से वन संबंधी कार्य अब अधिक वैज्ञानिक ढंग से होंगे और वनों की अंधाधुंध सफाई नहीं होंगी। पिछली उड़ीसा सरकार ने एक संकल्प पारित किया था कि वनों की नीलामी नहीं की जाएगी। परन्तु इसकी अवहेलना की गयी और ठेकेदार लाभ कमाने के लिए पेड़ों की अंधाधुंध कटाई करने लगे। इस प्रकार हमारी राष्ट्रीय वनसम्पदा का ह्रास होने लगा।

मैं सरकार का ध्यान एक और बात की ओर दिलाना चाहता हूं। पीपलनाला लघु सिंचाई परियोजना पर गत सत्र के दौरान आधे घंटे की चर्चा हुई थी। इसका ठेका पिछली सरकार के ठेकेदार श्रीराम अवतार अग्रवाल को दिया गया था। इस पर उड़ीसा सरकार का 68 लाख रुपये का कर्ज है। उसने इस परियोजना में एक बड़ा ही बुरा काम किया है। मुख्य बांध अभी 14 फीट ऊंचा और बनाना था। परन्तु बांध के पूरा होने से पहले वर्षा का

पानी रोका गया और वर्षा होने पर बांध टूट गया। जिसके फलस्वरूप हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो गई, अनेक मकान गिर गए अनेक व्यक्ति व पशु मर गए, पुल बह गए और जिला मुख्यालय शेष राज्य से कट गया।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त करिए।

श्री पी० के० देव : मैं तीन चार मिनटों में समाप्त करता हूं। अंत में मैं अपर इन्द्रावती परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालता हूं। यह एक बहु-प्रयोजनीय परियोजना है। जिसकी मंजूरी योजना आयोग की तकनीकी सलाहकार संस्था ने अभी हाल ही में दी है। और इसे छठी योजना में शामिल किया जा रहा है। परन्तु मुझे संदेह है कि उड़ीसा सरकार के संसाधन इतने कम है कि इसे उड़ीसा योजना में शामिल करना कठिन होगा। मेरा सुझाव यह है कि इसे विभाजित कर दिया जाय और विद्युत भाग का कार्य केन्द्रीय सरकार करे। भारतीय राष्ट्रीय पनबिजली निगम इस कार्य को कर सकता है। इसमें 142 करोड़ रुपये की लागत लगेगी और यह सस्ती दर पर 600 मेगावाट जल विद्युत का उत्पादन करेगा। सिंचाई भाग का कार्य उड़ीसा सरकार करे जिसमें 78 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इसके अतिरिक्त इस परियोजना में पूरा करने की कुछ समय सीमा भी होनी चाहिए।

सभापति महोदय : कृपया अब समाप्त कीजिए। आप अन्य सभी तथ्य मंत्री जी को सप्लाई कर दें और वह कल उत्तर देंगे तथा इन तथ्यों पर विचार करेंगे।

श्री पी० के० देव : महोदय, मैंने कतिपय विशेष सुझाव दिये हैं और मैं चाहता हूं कि इनका उत्तर दिया जाये।

सभापति महोदय : श्री अलगेशन।

श्री ओ० वी० अलगेशन (अर्कोनम) : सभापति महोदय.....

सभापति महोदय : आप अपना भाषण कल जारी रखें।

कार्य मंत्रणा समिति
BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

दसवां प्रतिवेदन

संसदीय कार्य और श्रम मंत्री (श्री रवीन्द्र वर्मा) : मैं कार्य मंत्रणा समिति का दसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

इसके बाद लोक सभा बुधवार, 14 दिसम्बर 1977/23 अग्रहायण, 1899 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the clock on Wednesday, December, 14, 1977/Agrahayana 23, 1899 (Saka)

भा०स०मु०वि०8-376एल०एस०एस०(एन०डी०)/77—1-4-78-200